जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN 2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जनपद नैनीताल

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
नैनीताल।

वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप से हो रहे वातावरणीय परिवर्तन तथा इसके कारण हो रही असामयिक अत्यधिक मौसमी घटनाओं से भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, चक्रवात/आँधी–तूफान, सुनामी, भूस्खलन और भूकम्प आदि की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। उत्तराखण्ड राज्य के एक मध्य हिमालयी राज्य होने के कारण यह राज्य ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से वर्ष भर प्रभावित होता रहता है। भूकम्पीय संवदेनशीलता के दृष्टि से जनपद नैनीताल सिस्मिक जोन–IV में स्थित होने से भूकम्प तथा मानसून एवं शीतकाल में अतिवृष्टि/त्वरित बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदशील क्षेत्र है। आपदाओं की सम्भावित क्षति को न्यून करने के लिये जनपद के प्रमुख रेखीय विभागों एवं अन्य संगठनों का समेकित प्रयास, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्थानीय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारियां एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यकीय है।

नैनीताल जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों से जनित आपदा संवेदनशीलता के दृष्टिगत किसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु तैयार की गई जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना, नैनीताल आपदा प्रबंधन की वह तैयारी है जिसमें प्रतिक्रियात्मक राहत एवं बचाव कार्यों के साथ–साथ संवेदनशील क्षेत्रों का सूक्ष्म जोखिम विशलेषण, महत्वपूर्ण संसाधनों (मानवीय/ढांचागत) का नाजुकता विशलेषण एवं तात्कालिक प्रतिक्रिया व बचाव कार्यों हेतु प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का विशलेषण किया गया है। आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में अर्जित अनुभवों एवं उपलब्ध सूचनाओं व जानकारी के आधार पर तैयार की गई आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों/संगठनों का निष्ठापरख योगदान दिए जाने के साथ–साथ स्थानीय जनसमुदाय की भागीदारी भी अत्यन्त आवश्यक है। सरकारी संगठनों/विभागों, सामुदायिक संगठनों एवं जनसमुदाय का सम्मिलित योगदान आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन में गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सम्भावित क्षति को न्यूनीकृत करते हुए जनपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के निर्माण में आपदा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गए दिशा–निर्देशों तथा आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को समाहित कर जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नैनीताल के पदाधिकारियों द्वारा जनपद की संभावित आपदाओं से निपटने हेतु प्रक्रिया विधि तैयार की गई है। साथ ही कार्ययोजना का मूल्यांकन/अद्यतन निश्चित समयावधि (छमाही/वार्षिक) में घटित आपदाओं/समस्याओं से प्राप्त अनुभवों तथा इनके प्रबंधन में पायी गयी कमियों को दूर करते हुए किया जाना होगा जिससे इस योजना की उपयोगिता निरन्तर बनी रहे।

कार्ययोजना में निर्धारित मानदण्डों तथा मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन उत्तरदायी विभागों की अद्यतन आपदा प्रबंधन कार्ययोजनाओं, आपदा प्रतिक्रियात्मक दलों का क्षमतावर्धन तथा इनके योगदान से योजना की क्रियात्मकता सिद्ध होगी। इस कार्ययोजना का उपयोग आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के उपरान्त सुनिश्चित करते हुए समुदाय/सामुदायिक संगठनों को भी संवेदनशील एवं हितभागी बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

मेरा विश्वास है कि सम्भावित विषम आपदा परिस्थितियों में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा तैयार यह कार्ययोजना आपदा प्रबंधन के समस्त आयामों को पूर्ण करने में उपयोगी व प्रभावी सिद्ध होगी।

जिला अधिकारी,
नैनीताल।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
नैनीताल।

सर्वविदित है कि संवेदनशील हिमालयी अवसादी चट्टानों के बीच अवस्थित होने के कारण राज्य के प्राकृतिक सौन्दर्य की विरासत का प्रतीक जनपद नैनीताल एक तरफ भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा त्वरित बाढ़/जल प्रवाह, वनाग्नि आदि मौसमी आपदाओं से प्रभावित है तो दूसरी तरफ भूकम्प जैसे अत्यधिक विनाशकारी आपदा से भी संवेदनशील है। मुख्य रूप से नगरीय समुदाय एवं संसाधनों की नाजुकता भूकम्पीय आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील है जिसका कारण भू–कम्प का पूर्वानुमान न लग पाना भी है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में घटित आपदाओं से जन–धन की हानि तो हुई है, साथ ही विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रकृति जनित इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है परन्तु प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं संसाधन प्रबंधन करने के साथ–साथ सम्बन्धित रेखीय विभागों का क्षमता विकास कर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन में उत्तरदायी विभागों के अतिरिक्त किसी आपदा के घटित होने पर घटनास्थल के निकट स्थित समुदाय द्वारा प्राथमिक प्रतिक्रिया करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को किया जाता है। स्थानीय समुदाय की सहभागिता एवं क्षमतावर्धन कर सम्भावित क्षति को न्यून किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्या को समग्र जनसहभागिता व जागरूकता, उत्तरदायित्व एवं उच्च कोटि के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा धीरे–धीरे नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है।

नैनीताल जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित आपदाओं से बचाव एवं राहत हेतु यह कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस कार्ययोजना में इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (Incident Response System) का प्रभावी करने हेतु जनपदीय ढाँचे के साथ–साथ परगना/तहसील स्तर सम्बन्धित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की टीमों के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। आपदाओं से बचाव एवं राहत हेतु हर दृष्टि से योजना तैयार करना कठिन कार्य है किन्तु उपलब्ध संसाधनों में आपदा के दृष्टिगत जो आवश्यक सूचनायें व उपयोगी बिन्दु हैं उन्हें समाहित किया गया है। कार्ययोजना की क्रियाशीलता को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है कि समय–समय पर इसका अद्यतन किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष सूचनाओं का अद्यतन कर योजना नवीनीकृत किया जाना उचित होगा। आपदा के समय विभिन्न विभागों/संगठनों एवं जनसमुदाय की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का पूर्वाभ्यास करके आपदा प्रतिक्रियात्मक बचाव एवं राहत कार्ययोजना की ब्लूप्रिंट तैयार की जा सकती है। साथ ही आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटकों को विकास कार्यों हेतु तैयार की जाने वाली योजनाओं में समाहित कर जनपद के समग्र विकास को गति प्रदान की जा सकती है।

निश्चित ही, जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों का सूक्ष्म जोखिम विशलेषण कर सम्भावित क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत तैयार की गई जनपद आपदा प्रबंधन योजना–2025–26 का प्रभावी क्रियान्वयन जहाँ एक तरफ मानवीय एवं विभिन्न परिसम्पत्तियों की क्षति को कम करने में सहायक सिद्ध होगी वहीं दूसरी तरफ जनपद के विकास कार्यों में गुणात्मक योगदान प्रदान करेगी।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में स्थित हिमालयी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके निर्माण तथा समायोजन कि प्रक्रिया भू–गर्भीय टेक्टॉनिक प्लेटों के दबाव के कारण अभी भी जारी है। 200 मीटर से 2600 मीटर तक की ऊंचाई वाला संसाधन सम्पन्न यह भू–भाग आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। उत्तराखण्ड राज्य के भू–भाग में स्थित जनपद नैनीताल की जनसंख्या 9,54,605 है। राजस्व प्रशासन की दृष्टि से इस जनपद में 9 तहसीलों में से नैनीताल, कोश्या–कुटौली, धारी, बेतालधाट व खनस्यू पर्वतीय तथा हल्द्वानी, कालाढूँगी, लालकुआँ व रामनगर, तराई की है। इसके अतिरिक्त जनपद को सामुदायिक विकास कार्य संचालन हेतु 8 विकास खण्डों में भी बाटां गया हैं, जो कि धारी, ओखलकांण्डा, रामगढ़, बेतालघाट, भीमताल, हल्द्वानी, कोटाबाग व रामनगर हैं।

प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जनपदों के तरह ही इस नैसर्गिक जनपद नैनीताल में भी आपदाओं में बेतहासा वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने संवेदशील क्षेत्र की तरफ विश्व के अनेकानेक विचारकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों को इस क्षेत्र के लिए सोचने पर मजबूर किया है। बीती शताब्दियों से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। भूकम्प की संवेदनशीलता की दृष्टि से जनपद को 2 जोनों में बांटा गया है जिसमें तहसील नैनीताल, हल्द्वानी, व रामनगर में स्थित ढांचागत संरचनाओं के कारण ये अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक जनित आपदाओं से संवेदनशीलता के कारण राज्य में आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु राज्य के गांव–गांव तक लोगों को आपदाओं के प्रति सचेत करने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता एवं क्षमता वर्धन के अभियान संचालित किए जा रहें हैं। जनसहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु पंचायतों, युवाओं तथा महिलाओं का भी क्षमतावर्धन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत व विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, जन–जागरूकता व आपदा प्रबंधन कार्ययोजनाओं को तैयार कराए जाने का कार्य किया जा रहा है।

निरन्तर बदलते समय में आपदाओं के स्वरूप में होते बदलाव एवं इनकी पुनरावृत्ति में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि सम्भावित आपदाओं से निपटने हेतु हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहते हुए अपनी दैनिक जीवन शैली को भी तद्नुसार विकसित किया जाए। यद्यपि इस भू–मण्डल के अनुभव इस तथ्य को परिलक्षित करते कि जिन देशों ने आपदाओं के न्यूनीकरण की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं वहॉ आपदाओं से क्षति में काफी कमी आई है तथा उनके विकास की गति में वृद्धि हुई है। इस पक्ष को आत्मसात किए जाने के सरकारी प्रयासों के साथ समुदाय को इसमें भागीदार बनाना होगा। विकास की प्रक्रिया को सतत जारी रखने के लिए प्राकृतिक संरक्षण के उन उपायों पर भी ध्यान देना होगा जिससे प्रकृति के साथ होने वाली छेड़छाड़ से बचा जा सके व पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र सहभागी एवं जिम्मेदार विभागों/अधिकारियों की दूरदृष्टि, सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय लेने व नेतृत्व करने की क्षमता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की बाढ़/भू–स्खलन आपदा संवेदनशीलता तथा नगरीय क्षेत्रों सघन आबादी एवं अनियोजित बसाव से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु यह योजना विभिन्न सामुदायिक एवं सरकारी हितभागी के सम्मिलित योगदान से कारगर सिद्ध होगी।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
नैनीताल।

विषय–सूची (Content)

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
	अध्याय–01	
	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना	
1	परिचय	1–13
1.1	जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य और लक्ष्य	
1.2	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा	
1.3	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करने हेतु अधिकार एवं संदर्भ	
1.4	आपदा प्रबधन कार्ययोजना (डीडीएमपी) का संक्षिप्त विवरण	
1.5	हितधारक और उनकी जिम्मेदारियां	
1.6	डीडीएमपी ढांचे का उपयोग कैसे करें	
1.7	डीडीएमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र	
1.8	योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया	
1.9	संशोधन और रखरखाव	
	अध्याय–02	
	खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आंकलन (HVCRA)	
	जनपद प्रोफाइल	
2.1	जनपद भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु	14–53
2.1.1	भौगौलिक स्थिती एंव जलवायु	
2.1.2	भाषा और संस्कृति	
2.1.3	प्राकृतिक भूगोल का प्रभाव	
2.1.4	प्राकृतिक संसाधन एवं वन सम्पदा	
2.1.5	प्रमुख नदियों विवरण	
2.1.6	वन क्षेत्र विवरण	
2.1.7	कृषि एवं फसल चक्र	
2.1.8	यातायात एवं संचार व्यवस्था	
2.1.9	जनसंख्या	
2.1.10	जलवायु एवं वर्षा	
2.2	जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण	
2.2.1	भूकंप	
2.2.2	बाढ़/नदी भूमि कटाव	
2.2.3	वनाग्नि एवं अग्निकांड	
2.2.4	तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात	
2.2.5	मानव वन्यवजीव सघर्ष	
2.2.6	हिमपात/बर्फबारी से अवरूद्ध	
2.2.7	सड़क दुर्घटना	
2.2.8	नदियों में डूबने की घटनाएं	
2.2.9	भूस्खलन/अतिवृष्टि	

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
	अध्याय–03	
	आपदा प्रबन्धन के लिए संस्थागत व्यवस्था	
3.1	जनपद में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था	54–82
3.2	जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना	
3.3	जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य	
3.4	तहसील स्तरीय आपदा प्रबधन समिति	
3.4.1	तहसील स्तरीय आपदा समिति के कार्य	
3.4.2	आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ	
3.4.3	आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0)–	
3.4.4	तहस्तरीय त्वरित कार्यवाही दल	
3.4.5	ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति	
3.5	जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन	
3.5.1	वनाग्नि घटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तर समितियां	
3.5.2	वन पंचायत, गम्रम पंचायत स्तर पर समिति का गठन	
3.5.3	आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही एवं प्रतिवादप हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का विवरण	
3.6	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र नैनीताल	
3.7	इंसिडेंस रिस्पौंस सिस्टम की संरचना एंव दायित्व	
3.7.1	जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौंस सिस्टम	
	अध्याय–04	
	आपदा जोखिम न्यूनीकरण	
4.1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य	83–92
4.1.1	संरचनात्मक उपाय	
4.1.2	गैर संरचनात्मक उपाय	
4.2	आपदा जोखिम के न्यूनीकरण उपाय	
4.3	राज्य व केंद सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना	
	अध्याय–05	
	आपदा तैयारी विशलेषण	
5.1	आपदा प्रतिकिया में शामिल हितधारकों की पहचान	93–112
5.1.1	विकलांग व्यक्तियों की निकासी और प्रतिक्रिया	
5.2	विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन	
5.3	जनपद में आई.आर.एस. को सक्रिय करना	
5.4	अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
5.5	लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन	
5.6	चेतावनी प्रणाली का परीक्षण	
5.7	जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र का परीक्षण	
5.8	मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण	
5.9	जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान	
5.10	गैर–सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों का समन्वय	
5.11	जन हानि प्रबंधन	

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
5.12	राहत, भोजन और पानी	
5.13	आश्रय चिकित्सा राहत शिविर	
5.14	प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	
5.15	विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी	
5.16	आईआरएस को सक्रिय करना	
5.17	अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
5.18	चेतावनी प्रणाली की परिचालन जाँच	
5.19	आपातकालीन संचालन केंद्र की परिचालन जाँच	
5.20	सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का मौसमी निरीक्षण	
5.21	गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों का समन्वय	
5.22	संसाधन जुटाना	
5.23	वीआईपी यात्राओं की व्यवस्था	
5.24	सामुदायिक तैयारी.	
5.25	मीडिया प्रबंधन सूचना प्रसार	
5.26	ज्ञान प्रबंधन.	
5.27	आईडीआरएन – (इण्यिन डिजार्स्टर रिसोर्स नेटवर्क)	
5.28	हितधारकों की भागीदारी	
5.29	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी	
5.30	विद्यालयों की तैयारी	
	अध्याय–06	
	प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास	
6.1	दृष्टिकोण	113–118
6.2	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
6.2.1	सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
6.2.2	सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ	
6.3	मॉक ड्रिल का आयोजन	
6.4	मॉकड्रिल हेतु अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा	
	अध्याय–07	
	प्रतिकिया एंव राहत उपाय	
7.1	प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और मूल्यांकन	119–131
7.1.1	क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन	
7.1.2	प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट	
7.1.3	चेतावनी और सतर्कता	
7.1.3.1	प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	
7.1.3.2	चेतावनी प्रसार	
7.1.4	जिला संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक	
7.1.5	आपातकालीन संचालन केंद्र का सक्रियकरण	
7.1.6	संसाधनों का संचालन	
7.1.7	बाहरी सहायता प्राप्त करना	
7.1.8	प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल	
7.1.9	प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट	
7.1.10	मीडिया प्रबंधन समन्वय सूचना प्रसार	
7.1.11	एसओपी का विकास	

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
7.1.12	रिपोर्टिंग	
7.1.12.1	सूचना प्रबंधन	
7.1.12.2	स्थिति रिपोर्ट	
7.1.12.3	मीडिया रिलीज	
7.1.13	विमोचन और समापन	
7.1.13.1	दस्तावेजीकरण	
7.1.13.2	सफलता की कहानियाँ	
7.1.13.3	भविष्य के लिए सबक	
7.2	जिम्मेदारी मैट्रिक्स का विकास	
7.2.1	खतरों के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स	
7.2.2	त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती	
	अध्याय–08	
	आपदा पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना उपाय	
8.1	परिचय	132–137
8.2	पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण	
	पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व	
8.3	क्षति आंकलन प्रक्रिया	
8.3.1	क्षति आंकलन प्रपत्र	
8.4	लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य	
8.5	दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां	
	अध्याय–09	
	डीडीएमपी के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन	
9.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाए	138–140
9.2	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष	
9.3	राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ	
9.4	टेक्नो–फाइनेंशियल प्रणाली	
9.5	अन्य वित्तीय विकल्प	
	अध्याय–10	
	जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा	
10.1	परिचय	141–144
10.2	डीडीएमपी रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी	
10.3	डीडीएमपी की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन	
10.4	आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र	
10.5	डीडीएमपी के अद्यतन/अपडेशन का समय निर्धारण	
10.6	डीडीएमए/एसडीएमए वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना	
10.7	मॉक ड्रिल का आयोजन	
10.7.1	जिले में मॉक ड्रिल आयोजित करने की जिम्मेदार संस्थाएँ	
10.7.2	मॉक ड्रिल आयोजित करने की अनुसूची	
	अध्याय–11	
	डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र	
11.1	अंतः–विभागीय समन्वय (Inter Departmental Coordination)	145–148

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
11.2	एनजीओ, सीबीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र	
11.3	तहसील/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर समन्वय तंत्र	
11.3.1	उप–मंडल स्तर पर समन्वय तंत्र–	
11.3.2	जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली	
11.3.3	तहसील स्तर पर समन्वय तंत्र–	
11.3.4	स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं	
11.3.5	समुदाय के साथ समन्वय तंत्र (Coordination mechanism with the community)	
11.3.6	स्थानीय समिति की बैठकों की आवृत्ति	
11.4	अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय	
	अध्याय–12	
	मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) और चेकलिस्ट	
12.1	प्रारंभिक चेतावनी प्रबंधन	149–162
12.2	प्रारंभिक चेतावनी मिलने पर निकासी	
12.3	बिना प्रारंभिक चेतावनी के निकासी	
12.4	खोज और बचाव	
12.5	राहत संचालन	
12.6	आवश्यक सेवाओं की बहाली	
12.7	मृत शरीरों का निपटान	
12.8	पशु शवों का निपटान	
12.8.1	पशु शवों के निपटान के लिए दिशा–निर्देश	
12.8.2	कम्पोस्टिंग के लिए दिशा–निर्देश	
12.9	सूचना और मीडिया प्रबंधन	
12.10	सूचना प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश	
	वीआईपी दौरे का प्रबंधन	

Annexure Details

Annex No.	Annex Details as per Chapter No.	Page No.
1	जनपद का ऐतिहासिक परिचय – अध्याय –2	163–241
2	प्रशासनिक ढांचा	
3	तहसील मानचित्र	
4	नैनीताल नगर अन्तर्गत नालों का विवरण	
5	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना–प्रारूप	
6	ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना–प्रारूप	
7	बाढ़ चौकियों का विवरण	
8	राहत शिविर का विवरण	
9	हैलीपैड विवरण	
10	विभागों के पास उपलब्ध आपदा प्रबन्धन उपकरण विवरण	
11	आपदा क्षति–संख्यात्मक विवरण - 2001-2005	

अध्याय–01

आपदा प्रबन्धन कार्य योजना

1.0 नैनीताल जिला : परिचय

नैनीताल जिला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और राज्य के सबसे प्रमुख तथा सुरम्य जिलों में से एक है जो अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों घने जंगलों शांत झीलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। नैनीताल नगर लगभग 2,084 मीटर की ऊँचाई पर प्रसिद्ध नैनी झील के चारों ओर बसा हुआ है। यह जिला पर्वतीय भूभाग में फैला हुआ है और इसमें हल्द्वानी भीमताल और रामनगर जैसे शहरी केंद्रों के साथ–साथ अनेक ग्रामीण गाँव भी शामिल हैं। अपने भौगोलिक स्थिति जलवायु और मानवीय गतिविधियों के कारण नैनीताल जिला कई प्रकार की प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इनमें सबसे सामान्य और गंभीर आपदा भूस्खलन है जो भारी वर्षा तथा अस्थिर ढलानों पर होते हैं। वर्षा ऋतु में तेज वर्षा, ;अचानक बाढ़ और बादल फटना जैसी घटनाएँ भी नैनीलात जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जानमाल और और निर्माण कार्यों को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। यह जिला भूकंपीय क्षेत्र 05 में आता है जिससे यहां भूकंप का भी खतरा बना रहता है। हल्द्वानी और रामनगर जैसे

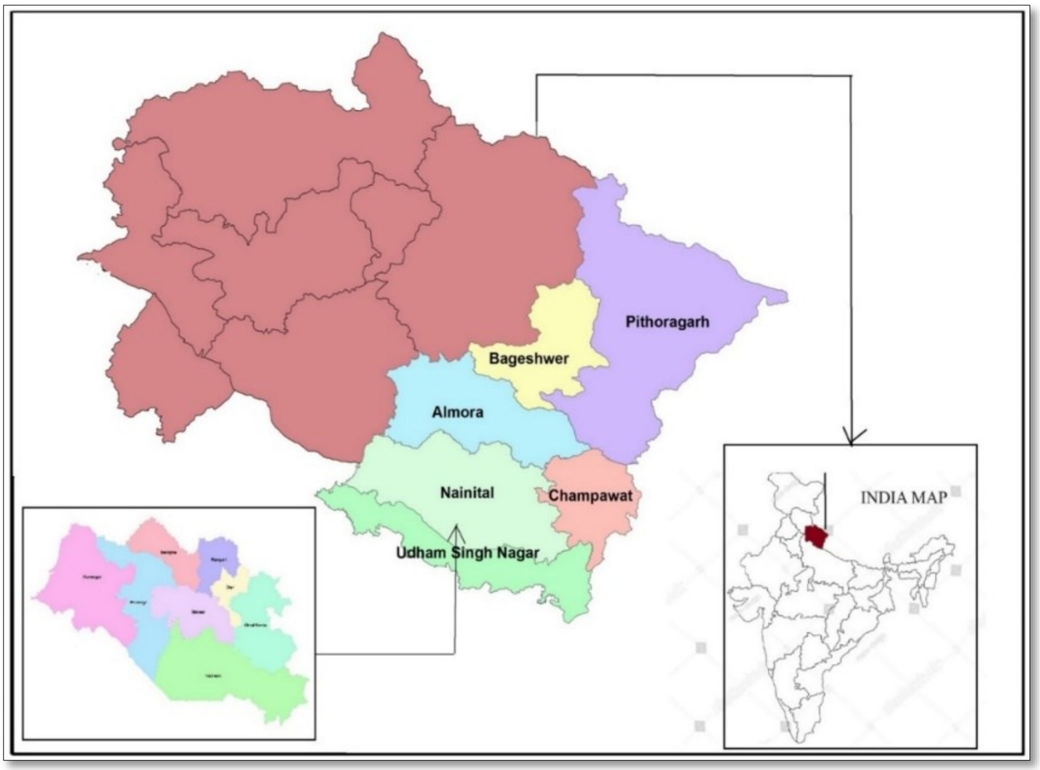

LOCATION- NAINITAL DISTRICT

निम्न इलाकों में शहरी बाढ़ और गर्मियों में जंगल की आग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि पर्यटन दबाव और जलवायु परिवर्तन के चलते इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। इसलिए जिले में आपदा जोखिम को कम करने और समुदाय को आपदाओं के प्रति सक्षम और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी योजनाए अति आवश्यक है।

1.1 जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य और लक्ष्य–

लक्ष्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम) की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) बनाना अनिवार्य बनाती है। डीडीएमपी में खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन (एचवीसीआरए), रोकथाम, शमन, तैयारी उपाय, प्रतिक्रिया योजना और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

उद्देश्य–

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनना (डीडीएमपी)के उद्देश्य इस प्रकार हैं

- जिले में प्रमुख प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- आपदा को रोकने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर पर सक्रिय उपाय अपनाना।
- आपदा के पूर्व और पश्चात चरणों के दौरान हितधारकों को विभिन्न कार्य और जिम्मेदारियां परिभाषित करना और सौंपना।
- जिले के लोगों की आपदा सहनशीलता को क्षमता निर्माण के माध्यम से बढ़ाना।
- उचित योजना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संपत्ति, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की हानि को कम करना।
- जिले में प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य के विकास को प्रबंधित करना।
- खोज, बचाव और प्रतिक्रिया में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जिला स्तर पर एक आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना करना।
- आपदा स्थिति का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया के लिए एक मानकीकृत तंत्र विकसित करना।
- समुदाय को आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रमाणित तकनीक पर आधारित विश्वसनीय संचार प्रणाली स्थापित करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करना ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, बचाव और खोज समर्थन प्रदान किया जा सके।
- जिले में आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तंत्र को अपनाना और समुदाय को आपदा–प्रतिरोधी भविष्य विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग करना।
- आपदा प्रबंधन में मीडिया का उपयोग करना।
- प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजना और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर और स्थानीय प्राधिकरण पर पुनर्निर्माण उपाय करना।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक है ताकि मानवीय, संपत्ति और पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

1.2 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा–

आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रभावित समुदायों को शीघ्रता से पुनर्बहाली में मदद करने का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह योजना जिला प्रशासन, समुदाय और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है।आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कवर करता है। इसमें शामिल हैं –

(i) **आपदा पूर्व (Preparednes)**

- संभावित खतरों का मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण।
- समुदाय को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना।
- चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- संसाधनों और उपकरणों का प्रबंधन।

(ii) **आपदा के दौरान (Response)**

- त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) का गठन।
- राहत कार्यों का कुशल संचालन।
- प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बचाव अभियान का समन्वय।

(iii) **आपदा के बाद (Recovery)**

- प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
- सामाजिक और आर्थिक पुनर्बहाली।
- आपदा के कारण हुए नुकसान का आकलन।
- भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए उपाय करना।

(iv) **शामिल हितधारक**

- जिला प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य विभाग।
- गैर–सरकारी संगठन (NGO) और सामुदायिक संगठन।
- राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग।
- स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक।

(v) **मुख्य घटक**

- आपदा प्रबंधन टीमों और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सूची बनाना।
- संसाधनों का भंडारण और वितरण प्रणाली।
- आपदा जोखिम कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं।

1.3 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करने हेतु अधिकार एंव संदर्भ–

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) के अध्याय–IV के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority & DDMA) की स्थापना करेगी, जिसका नाम अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा। DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त, या जिलाधिकारी (जैसा मामला हो) करेंगे, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह–अध्यक्ष (Co & Chairperson) होंगे।
- राज्य सरकार उस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधिकारी या अतिरिक्त उपायुक्त (जैसा मामला हो) के पद से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी को जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer & CEO) नियुक्त करेगी।
- DDMA जिले में आपदा प्रबंधन (DM) के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत, यह जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सभी संबंधित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- DDMA यह भी सुनिश्चित करेगी कि NDMA और SDMA द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाए।
- इसके अलावा, "जिला योजना "(District Plan) का मतलब जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना से है, जिसे धारा 31 के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य है। यह योजना जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित कराई जाएगी।

1.4 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) का संक्षिप्त विकास

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) की तैयारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की जिम्मेदारी है। प्रारंभिक मसौदा योजना को DDMA में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस योजना के विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

- NDMA टेम्पलेट के अनुसार DDMP विकसित करने के लिए राज्य और NDMA के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण।
- सभी संबद्ध विभागों से डेटा संग्रह।
- डेटा का विश्लेषण।
- विशेषज्ञों के साथ चर्चा।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ।
- सभी संबद्ध विभागों के लिए कार्य योजनाओं की तैयारी।
- मसौदा योजना दस्तावेज की तैयारी।
- कार्यान्वयन की विधि की व्यवहार्यता और संभाव्यता जांचने के लिए मॉक ड्रिल।
- सार्वजनिक और विभागीय टिप्पणियों के लिए व्यापक प्रसार।
- अंतिम योजना दस्तावेज की तैयारी।

आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में एकरूपता प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह योजना क्षेत्र स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससे आगे तक विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया की दक्षता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार स्थिति में रखती है।

1.5 हितधारक और उनकी जिम्मेदारियां

राष्ट्रीय और राज्य स्तर– राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, NIDM, NDRF की प्रमुख भूमिकाएँ निर्धारित हैं। राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राहत आयुक्त (CoR), राजस्व विभाग, प्रमुख संस्थाएँ हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटती हैं। सभी प्रमुख विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति) और आपातकालीन समर्थन कार्य एजेंसियाँ (पुलिस, होम गार्ड, फायर और स्वास्थ्य/प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान DEOC में एकत्र होती हैं।

जिला स्तर पर– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसमें जिला कलेक्टर को प्रतिक्रिया अधिकारी (RO) के रूप में नामित किया गया है, और जिला मुख्यालय पर अन्य संबंधित विभाग, जिला के भीतर आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं।

अन्य तकनीकी संस्थाएँ, समुदाय, स्थानीय स्व–सरकारें, NGOs आदि भी जिला आपदा प्रबंधन योजना के हितधारक हैं। हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि संबंधित संगठनों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिले, जो कि सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं और उन्हें पूरा किया जा सके।

क्र.सं.	विभाग	कर्तव्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का क्रियान्वयन, अद्यतन और संशोधन। • स्थानीय सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि जिले में आपदा पूर्व और आपदा पश्चात प्रबंधन गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। • सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना।
2.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	• DDMP को अनुमोदित करना। योजना की निगरानी और क्रियान्वयन। • इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए DDMP को मार्गदर्शन प्रदान करना। • आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना। • शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करना।

क्र.सं.	विभाग	कर्तव्य
	(NDMA)	
4.	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीएमए और संबंधित विभागों के साथ समन्वय में आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
5.	पुलिस, होम गार्ड, पी.आर.डी.	• आपदा स्थितियों और उनसे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना। • कानून और व्यवस्था बनाए रखना। • लूटपाट और दंगों के खिलाफ कदम उठाना। • खोज और बचाव अभियान चलाना।
6.	सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग	• चिकित्सा कर्मियों, आपूर्ति और उपकरणों को सीधे सक्रिय करना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करना। • बाढ़ की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। • सिंचाई बुनियादी ढांचे की निगरानी और सुरक्षा करना।
7.	उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. (यू.पी.सी.एल.)	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि। • क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
8.	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
9.	जनसंपर्क विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि राज्य स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। • सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना।
10.	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के आकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
11.	कृषि विभाग	• सूखे से संबंधित आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना। • सभी प्रकार की फसलों के संबंध में आवश्यकताओं और नुकसान का आकलन करना।

क्र.सं.	विभाग	कर्तव्य
		• कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी अवसंरचना के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
12.	**पशुपालन विभाग**	• आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। • सभी पशु चिकित्सा केंद्रों की सूची तैयार करना और आपदा स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का आकलन करना। • मृत पशुओं के शवों के निपटान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
13.	**राष्ट्रीय राजमार्ग / लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी.एस.वाई.**	• उपयुक्त कोड और दिशानिर्देश विकसित करना। • भवनों और महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा का निरीक्षण करना। • नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना।
14.	**राजस्व विभाग**	• वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। • आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण।
15.	**वन विभाग**	• वनाग्नि नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम एवं इस संबंध में जन जागरूकता तथा आपदा के समय राहत बचाव कार्य में सहयोग।
16.	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग**	• आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था,

1.6 डीडीएमपी ढांचे का उपयोग कैसे करें

1. डीएम अधिनियम 2005 की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए, ताकि जिले के भीतर खतरनाक घटनाओं के प्रभाव से बचाव हो सके।
2. महत्वपूर्ण आपात स्थितियों या आपदाओं में, जिला मजिस्ट्रेट या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष को राज्य सरकार के नियमों / राज्य आपदा प्रबंधन योजना दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
3. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) स्थिति की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों से संचालित किया जाएगा। सक्रिय होने पर, संचालन में लाइन विभागों और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों

के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा; निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए जानकारी, डेटा और संसाधन प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।

4. डीडीएमए, डीएम अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
5. उन सुविधाओं की पहचान की गई है, जिला प्रशासन के कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
6. जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उनके नामित व्यक्ति जिला संसाधनों का समन्वय और नियंत्रण करेंगे।
7. आपातकालीन सार्वजनिक जानकारी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों से नामित मीडिया और सूचना अधिकारी द्वारा प्रसारित की जाएगी।
8. कारगर आपातकालीन संचालन के लिए पूर्व योजना और कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है और इसे आपदा तैयारी के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
9. जब कोई घटना जिले की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है, तो आसपास के जिलों के साथ समन्वय आवश्यक है। अंतर–जिला सहयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनका अभ्यास किया जाना चाहिए।
10. इस दस्तावेज़ में जिन विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्राथमिक या सहायक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें इस योजना का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन दस्तावेज़ विकसित करना चाहिए।
11. आपातकालीन संचालन के दौरान जब स्थानीय संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो राज्य या उच्च स्तर की सरकार और अन्य एजेंसियों से मदद मांगी जाएगी, निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार।
12. जिला प्राधिकरण सहायता और/या संसाधनों के लिए अनुरोध करने के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करेगा, अर्थात, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से राज्य EOC तक। यदि राज्य के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो राज्य आवश्यक संसाधन केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।
13. जिला EOC राज्य EOC, और भारत सरकार की एजेंसियों जैसे IMD/CWC के साथ समन्वय करेगा ताकि संभावित बाढ़, चक्रवात आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी बनाए रखी जा सके। इस प्रकार की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को उपयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।
14. इन क्षेत्रों में संभावित समस्याओं की सूचना प्राप्त होने पर, DEOC / नामित अधिकारी उचित रूप से अलर्ट जारी करेंगे और निवासियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना देंगे।
15. आपदा के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी स्तरों की स्थानीय सरकार और उनके विभागों को ऐसी प्रक्रियाएं विकसित और बनाए रखनी चाहिए, जो सरकार की कार्रवाई की निरंतरता सुनिश्चित करें।

यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियों की स्वतः सक्रियता (Suo & moto Activation) के लिए एक संस्थागत ट्रिगर तंत्र हो, ताकि आपदा के समय प्रत्येक एजेंसी अपनी सौपी गई भूमिका निभाए। आगामी चेतावनी संकेतों की उपलब्धता के आधार पर तीन प्रकार के ट्रिगर तंत्र स्थापित किए जाएंगेः

पूर्व चेतावनी संकेत–

ऐसे मामलों में, भारत सरकार/राज्य सरकार ने ऐसी पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक/तहसील/ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाए जाएंगे। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसी चेतावनी/परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) इसे तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा।

इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगा:–

पूर्व चेतावनी के बिना संकेत:

जब कोई आपदा बिना किसी प्रारंभिक चेतावनी के आती है, तो उस स्थिति में घटना स्थल से सूचना सरकारी एजेंसी या अन्य माध्यमों से प्रारंभ होती है और ऐसी स्थिति में संस्थागत तंत्र निम्नानुसार होगा :–

1. संबंधित गाँव पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन/एसडीएम/डीएम को घटना की सूचना देगा, और यह सूचना उपायुक्त (Deputy Commissioner) तक भेजी जाएगी।
2. DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जानकारी का आकलन करेगा और आपदा को स्तर L0, L1, L2 या L3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
3. DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) सक्रिय किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) को सतर्क रखा जाएगा; अन्यथा, घटना की सूचना SEOC को दी जाएगी।
4. DDMA DEOC की बैठक आयोजित करेगा और घटना प्रबंधन योजना (Incident Response Plan) के तहत आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करेगा।
5. संबंधित घटना प्रतिक्रिया टीमों (Incident Response Teams) को प्रभावी प्रबंधन के लिए घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

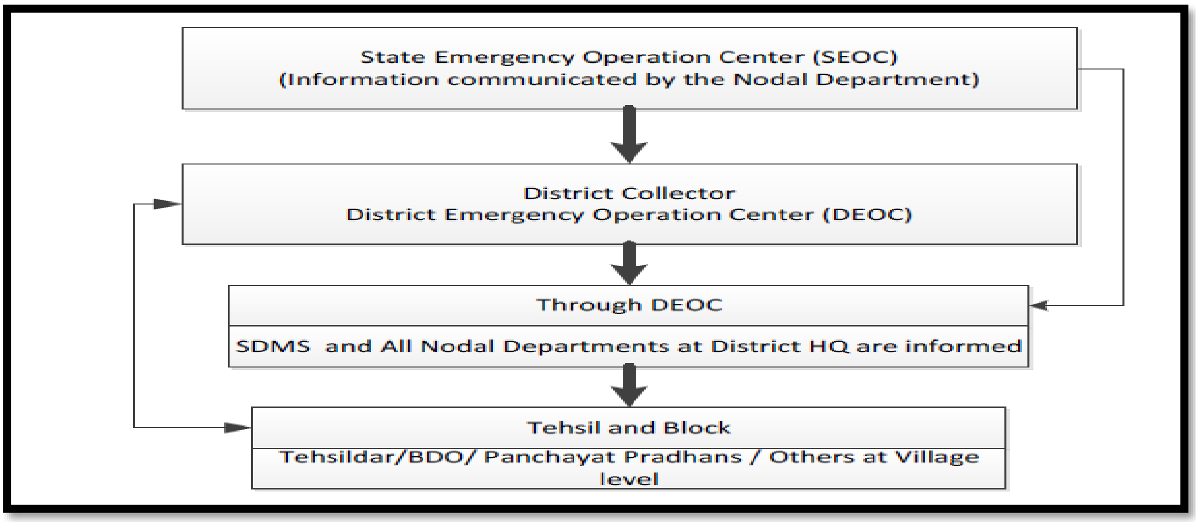

With warning Information flows from Top - Down

आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपदा के घटित होने पर आपदा प्रतिक्रिया संरचना सक्रिय की जाएगी। आपदा के घटित होने की सूचना संबंधित निगरानी प्राधिकरण द्वारा राहत आयुक्त/एसडीएमए को सबसे तेज माध्यम से दी जा सकती है। एसडीएमए/एसईसी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा, जिसमें राज्य ईओसी, जिला ईओसी, पुलिस कर्मी और ईआरसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे निम्नलिखित विवरणों को शामिल करते हुए निर्देश जारी करेंगे:

1. आवश्यक संसाधनों की सटीक मात्रा (जनशक्ति, उपकरण और प्रमुख विभागों/हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के रूप में)।
2. प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।
3. वह समय सीमा जिसके भीतर सहायता की आवश्यकता है।
4. अन्य टास्क/प्रतिक्रिया बलों का विवरण जिनके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।
5. राज्य स्तर पर राज्य ईओसी, ईआरसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ–साथ जिला नियंत्रण कक्षों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

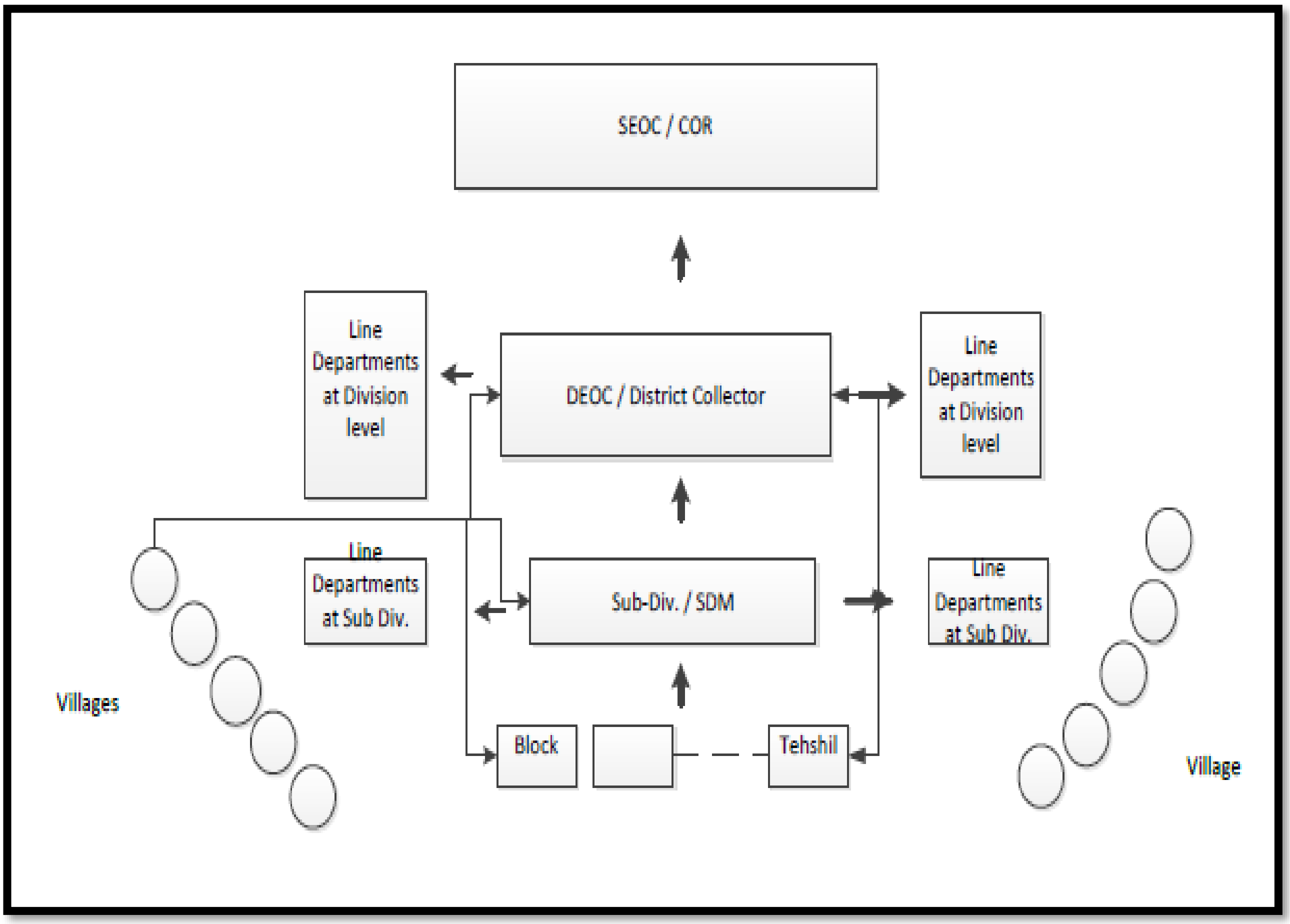

Without Warning – Information, generally, should flow from Bottom side – up but it is a crisscross scenario

Communication Plan- District Nainital

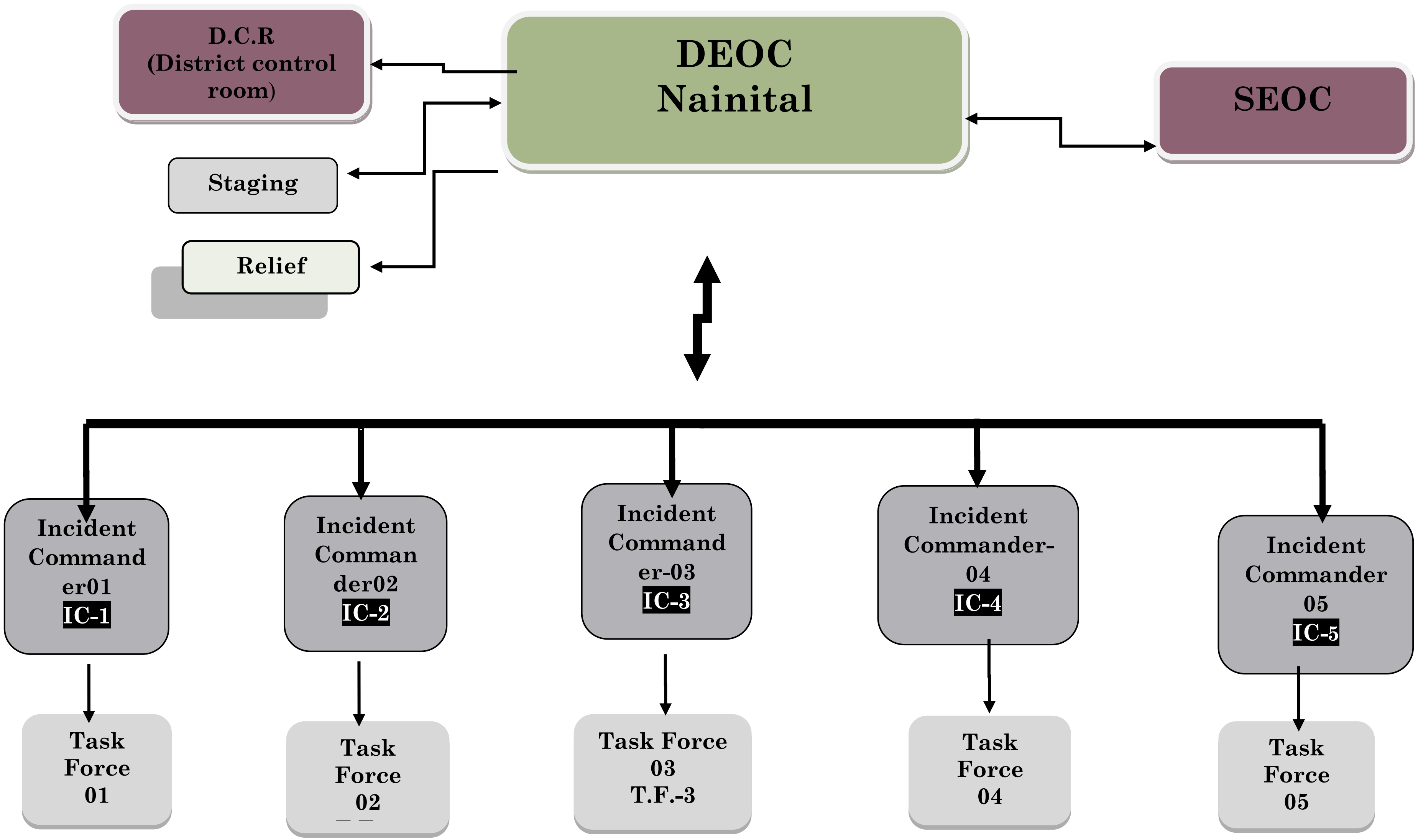

1.7 डीडीएमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र–

डीडीएमपी को जिला और राज्य स्तर पर प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह योजना स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के तहत लागू की जाती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत परिभाषित, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, समन्वय और क्रियान्वयन करने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करेगा।

तदनुसार, जिला आपदा प्रबंधन योजना (District DM Plan) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National DM Plan) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State DM Plan) को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति, और इसमें किए गए किसी भी संशोधन की प्रति उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) विचार के बाद योजना को स्वीकृत करेगा और कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगा।

1.8 योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया–

अध्यक्ष, डीडीएमए, नैनीताल का दायित्व है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का वार्षिक रूप से और आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाए। सभी संबंधित विभाग आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। हाल के समय में, आपदाओं के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में प्रगतिशील सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी, संबंधित विभागाध्यक्षों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को पहले से आवंटित कर्तव्यों और सार्वजनिक तथा एनजीओ की साझेदारी के कारण संभव हुआ है।

प्रशिक्षणः योजना विकसित करने के बाद, इसे प्रसारित किया जाना चाहिए और आपदा प्रबंधन समन्वयक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि उन्हें योजना में पहचाने गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ प्राप्त हों।

योजना का अभ्यास करें: योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और वास्तविक घटनाओं के संयोजन से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना में उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य, निर्णय, क्रियाएँ और समय प्रतिक्रिया को सफल बना सके। अभ्यास का उद्देश्य नीतियों, योजनाओं का परीक्षण करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके तैयारी को बढ़ावा देना है।

1.9 संशोधन और रखरखावः

योजना तैयार करने वाली टीमों को योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। समीक्षा एक आवर्ती गतिविधि होनी चाहिए और वार्षिक आधार पर समीक्षा को न्यूनतम माना जाता है। योजना की समीक्षा और अद्यतन निम्नलिखित घटनाओं के बाद किया जाएगाः

- ✓ किसी बड़ी घटना के बाद

- ✓ संचालन संसाधनों में परिवर्तन (जैसे, नीति, कर्मचारी, संगठनात्मक संरचनाएं, प्रबंधन प्रक्रियाएं, सुविधाएं, उपकरण)
- ✓ योजना मार्गदर्शन या मानकों का औपचारिक अद्यतन
- ✓ हर सक्रियता के बाद
- ✓ प्रमुख अभ्यासों के बाद
- ✓ जिले के जनसांख्यिकी, खतरों या खतरे की प्रोफाइल में परिवर्तन
- ✓ नए या संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन

मूल योजना, परिशिष्टों, उप परिशिष्टों और कार्यान्वयन निर्देशों के विकास और पुनरीक्षण के समन्वय की जिम्मेदारी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपी जानी चाहिए।

यह अनुशंसा की जाती है कि एक DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का आंतरिक रूप से **हर वर्ष** समीक्षा किया जाए और उसे या तो अद्यतन किया जाए या पुनः पुष्टि की जाए। अद्यतन किए गए या पुनः पुष्टि किए गए दस्तावेज़ का उपयोग पिछले वर्ष की उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और अगले वर्ष के लिए न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में प्रशासन की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है।

अध्याय–02

खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आंकलन (HVCRA)

2.1 नैनीताल जनपद

भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में जनपद नैनीताल का छठां स्थान है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 7.28 प्रतिशत भूमि नैनीताल जनपद की है। जनपद 28°58′′31.84′′ अक्षांश से 29°36′45.19′′ उत्तरी अक्षांश तथा 78°51′11.34′′ पूर्वी देशान्तर में 79°58′23.06′′ के बीच फैला हुआ है। जनपद की भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार है:–

(1) पूरब में जनपद चम्पावत।

(2) पश्चिम में जनपद बरेली।

(3) उत्तर में जनपद अल्मोड़ा।

(4) दक्षिण में जनपद उधमसिंहनगर।

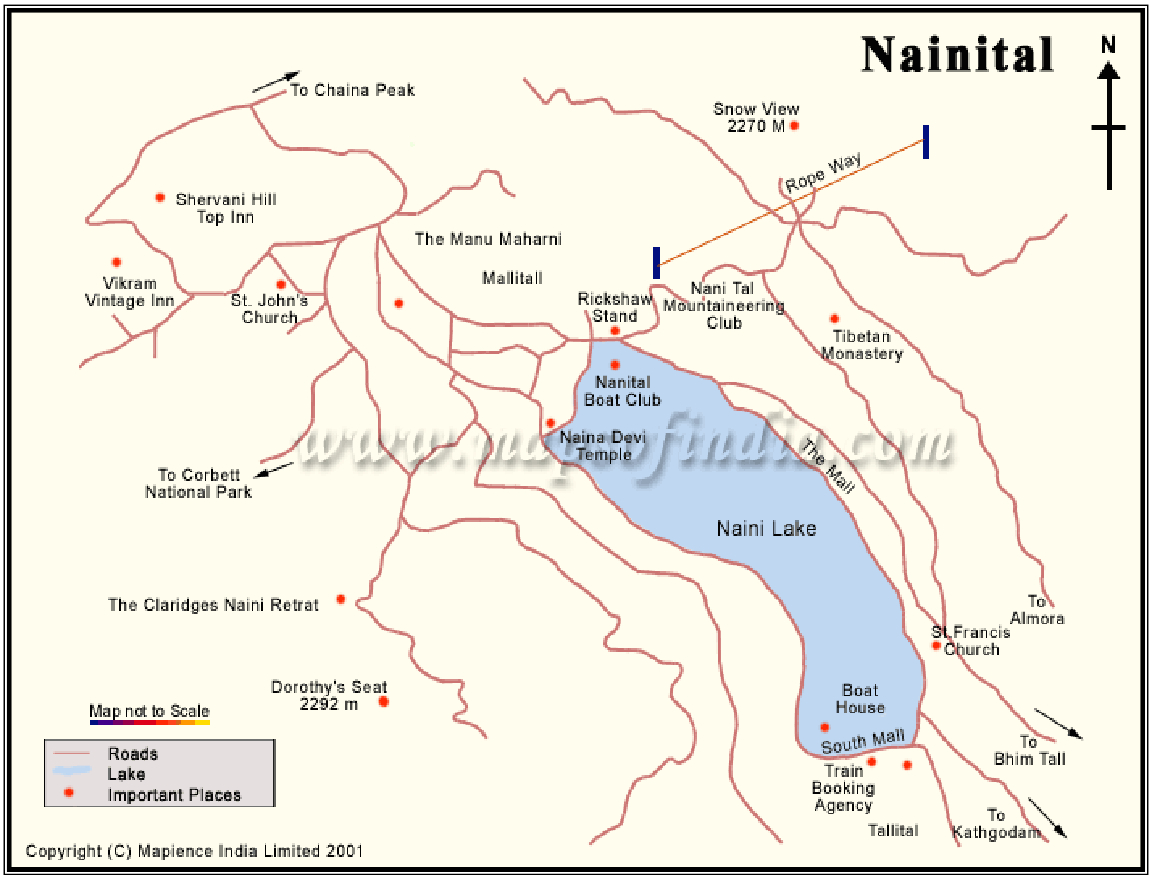

नैनीताल नगर का मानचित्र

जनपद एक दृष्टि में 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/आर्थिक विवरण

1	जनपद नैनीताल के सृजन की तिथि	**1891**
2	क्षेत्रफल	4251 वर्ग कि.मी.
3	जनसंख्या (2011 की गणना के अनुसार)	9,54,605
4	महिलांए	4,60,939
5	पुरूष	4,93,666
6	अनुसूचित जाति	1,91,206
7	अनुसूजित जन जाति	7,495
8	ग्रामीण जनसंख्या	5,35,352
9	शहरी जनसंख्या	4,19,253
10	स्त्री–पुरूष अनुपात	934 females for every 1000 males
11	जनसंख्या घनत्व	147 प्रति वर्ग किमी.
12	जनपद में साक्षरता	83.88%
13	पुरूष साक्षरता	90.07 %
14	महिला साक्षरता	77.29%
15	राजस्व ग्रामों की संख्या	(कुल ग्राम– 1141, आबाद ग्राम–1052, गैर आबाद ग्राम–16, आबाद वन ग्राम–45 गैर आबाद वन ग्राम–28)
16	ग्राम पंचायतों की संख्या	478
17	न्याय पंचायतों की संख्या	44
18	विकास खण्ड	08 (भीमताल, रामगढ़, बेतालघाट, धारी, ओखलकाण्डा, कोटाबाग, रामनगर, हल्द्वानी)
21	परगने	06 (नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूगी, रामनगर, श्रीकैंची धाम, धारी)

22	तहसील	09 (नैनीताल, हल्द्वानी, लालकुऑ, बेतालघाट, कालाढूगी, रामनगर, श्रीकैंची धाम, धारी, खनस्यू)
23	उप तहसील	01 (रामगढ़)
24	कानूनगो क्षेत्र	14
25	पटवारी क्षेत्र	105
	नगर निगम	01 (हल्द्वानी–काठगोदाम)
26	पालिका परिषद्	5 (नैनीताल, भवाली, रामनगर, कालाढूंगी, भीमताल)
27	नगर पंचायत	01 (लालकुऑ)
28	<u>निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या</u>	
i	लोकसभा	01 (नैनीताल–उधमसिंह नगर)
ii	विधानसभा	06 (56–लालकुऑ, 57–भीमताल, 58–नैनीताल, 59–हल्द्वानी, 60–कालाढूंगी, 61–रामनगर)
29	पुलिस स्टेशन	16 (04 ग्रामीण, 11 शहरीय, 01 जी0आर0पी0)
30	पुलिस चौकियां	19
29	डाकघर	168 (146 नगरीय, 22 ग्रामीण)
30	रोडवेज बस स्टेशन/बस स्टॉप डिपो	812
31	रेलवे स्टेशन	06
32	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा यें	92
33	अन्य व्यवसायिक बैंक	20
34	ग्रामीण बैंक शाखा यें	22
35	सहकारी बैंक शाखा यें	28
36	सस्ते गल्ले की दुकान	614 (459 ग्रामीण, 155 नगरीय)
37	<u>कृषि</u>	
i	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	44 ह. हैक्टे.

ii	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	28 ह. हैक्टे.
iii	सकल सिंचित क्षेत्रफल	40 ह. हैक्टे.
iv	खाद्यान्न उत्पादन	119.50 ह.मी.टन
v	गन्ना	245 ह.मी.टन
vi	तिलहन	11.29 ह.मी.टन
vii	आलू	26 ह.मी.टन
38	वर्षा	सामान्य–1296.6 मि.मी., वास्तविक–1513.3 मि.मी.
39	तापमान	उच्चतम– 40.2 डिग्री सेन्टीग्रेड, न्यूनतम– 3.7 डिग्री सेन्टीग्रेड
40	<u>सिंचाई</u>	
i	नहरों की लम्बाई	818 km
ii	नलकूप	118
iii	व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्पसेट	484
41	<u>पशुपालन</u>	
i	(कुल पशुधन)	4,48,925
ii	पशु चिकित्सालय	26
iii	पशुधन सेवा केन्द्र	98
iv	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	103
42	<u>शिक्षा</u>	
i	प्राथमिक शिक्षा विद्यालय	1422
ii	जूनियर हाईस्कूल विद्यालय	314
iii	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	315
iv	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	02
v	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	08

vi	**पॉलीटेक्निक**	03
43	**चिकित्सालय एवं औषधालय**	
i	**राजकीय मेडिकल कालेज,**	01
ii	**जिला चिकित्सालय नैनीताल**	01 (बी0डी0पाण्डे जि0पु0चिकि0 नैनीताल)
iii	**उप जिला चिकित्सालय**	03 (महिला चिकि0, हल्द्वानी, संयुक्त चिकि0, रामनगर, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी)
iv	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**	10
v	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**	45
vi	**शहरी प्रा0स्वा0के0 एन.एच.एम. के अधीन**	05
vii	**उपकेन्द्र**	136 + 06 main center
viii	**टी0बी0 चिकित्सालय**	02 (क्षय रोग आश्रम, भवाली, गेठिया)
ix	**टी0बी0 क्लीनिक**	01
x	**ब्लड बैंक**	03
xi	**ट्रामा सेन्टर**	01 डॉ0 सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय
xii	**पोस्टमार्टम सेन्टर (हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर)**	03
xiii	**आपदा में सहयोग हेतु प्राइवेट चिकित्सालय**	05

2.1.1 भौगौलिक स्थिती एंव जलवायु

जनपद नैनीताल में 105 पटवारी क्षेत्र सम्मिलित हैं। जनपद की पर्वतीय क्षेत्र में तहसील नैनीताल, धारी, कोश्यॉकुटौली, बेतालघाट व खनस्यू क्षेत्र सम्मिलित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 74,053 हैक्टेयर व मैदानी क्षेत्र में तहसील हल्द्वानी, रामनगर, लालकुँआ, कालाढुँगी का क्षेत्र सम्मिलित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 26,224 हैक्टेयर है। जनपद के कुल क्षेत्रफल का लगभग दो तिहाई भाग पर्वतीय क्षेत्र में तथा एक तिहाई भाग मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। आबादी के हिसाब से जनपद की कुल आबादी का करीब दो तिहाई भाग मैदानी क्षेत्र में निवास करता है। यहां पर अधिकांश आबादी नदी घाटियों में बसी हुई है तथा उत्तरी उच्च क्षेत्र विरल आबादी वाला है।

जनपद नैनीताल समुद्र सतह से 800 मी0 से लेकर 2600 मी0 से ऊँचाई वाले भू–भाग में फैला हुआ है, लेकिन आवादी का अधिकांश भाग समुद्र सतह से 12 मी0 तक ऊँची नदी वेदिकाओं में बसा है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद दो प्रकार की जलवायु और संरचना वाले क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रथम पर्वतीय क्षेत्र और द्वितीय भावरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऊँची पहाड़ियों का निचला भाग वनों से आच्छादित है। पर्वतीय क्षेत्र के तुरन्त बाद एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहां पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने

बहुत दूर तक छोटे–बड़े शैल खण्ड़ लेकर एकत्रित कर दिया है। इस क्षेत्र में स्थान–स्थान पर वन पाये जाते है, पर भूमिगत जल का आभाव है। जल लगभग 50–60 मीटर की गहराई पर भी नहीं मिलता है। इस भूमिगत जल के अभाव वाले क्षेत्र को भावर कहा जाता है। जनपद के मुख्य पर्वत श्रंखला गागर है इसकी सबसे ऊॅची चोटियॉ (सील सतिया, कन्थाधुरी, बधानतोला, मुक्तेश्वर हैं) नैनीताल गागर 2,548 से 2,619 मीटर तक की ऊँचाई लिए हुए है। इसमें मुख्यतः देवदार, बॉज एवं चीड़ के वन पाये जाते हैं।

यह जनपद हिमालय क्षेत्र के संवेदनशील भूकम्पीय जोन– IV के अर्न्तगत है। इस जनपद से होकर प्रमुख सीमावर्ती आधात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) होकर गुजरती हैं।

जनपद में आपदाओं की सम्भावना आसन्न है। अतः जनपद में इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है, जिसे विशेष रूप से सम्भावित आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके।

2.1.2 भाषा और संस्कृतिः

यहां की प्रमुख भाषाएं कुमाऊंनी, गढ़वाली और हिंदी हैं। कुमाऊंनी भाषा जिले के सांस्कृतिक मूल को प्रतिबिंबित करती है।

2.1.3 प्राकृतिक भूगोल का प्रभावः

हिमालय की गोद में बसे होने के कारण, नैनीताल जनपद की पर्वतीय क्षेत्र में निवासरत जनसंख्या पर्वतीय जीवनशैली का पालन करती है। यहां कृषि, पशुपालन, पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय आजीविका के मुख्य साधन हैं। जनपद के कुल क्षेत्रफल का लगभग दो तिहाई भाग पर्वतीय क्षेत्र में तथा एक तिहाई भाग मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। आबादी के हिसाब से जनपद की कुल आबादी का करीब दो तिहाई भाग मैदानी क्षेत्र में निवास करता है। मैदानी क्षेत्र में आजिविका के मुख्य साधन कृषि एवं निजी स्थानीय व्यवसाय हैं।

नैनीताल जिले की जनसांख्यिकी इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्षेत्र बनाती है। हालांकि जिले में शहरीकरण कम है, लेकिन साक्षरता और सामाजिक संरचना में सुधार की दिशा में यह क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के साथ यह जिला राज्य की पहचान को मजबूती प्रदान करता है।

2.1.4 प्राकृतिक संसाधन एवं वन सम्पदा–

नैनीताल जनपद में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी न किसी प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध हैं। भीमताल, गरुंतल, हरिशताल, मालवाताल, नैनीताल, नल–दमयंती ताल, खुरपा ताल, लक्ष्मणताल और नौकुचिया ताल, रामताल, सादियाताल, सीताताल, सुखाताल आदि प्रमुख स्थान हैं जहाँ मिट्टी, जीव–जंतु, वनस्पति, वृक्ष, जल, भूमि आदि जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। नैनीताल की प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे अयारपाता, देवपाता, हांडीबाड़ी, चीना, आलमा, लारिया कांटा और शेर–का–दंडा भी प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख स्रोत हैं जिनमें वन, चट्टानें, वृक्ष, जीव–जंतु, जल संसाधन आदि शामिल हैं। इसलिए, नैनीताल प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध है। शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मानव आबादी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। नैनीताल के लोग शिक्षित हैं और आय अर्जित करने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं।

नैनीताल क्षेत्र केवल एक विशेष प्रकार के संसाधनों से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ विविध प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। नैनीताल की वनस्पति विविधता इसका एक उदाहरण है। यहाँ के प्रसिद्ध वनस्पति संसाधनों में विभिन्न प्रकार के फूल शामिल हैं, जैसे कि रोडोडेंड्रोन के फूल जो इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा, सेब, खुबानी, बड़े नींबू, केला, कफल, लीची, नाशपाती, आडू, संतरा, स्ट्रॉबेरी आदि

जैसे कई फल और अखरोट, चिनार, बुरु, देवदार, पहाड़ी पापड़, सुरई, हिसालू, चीड़, किलमोरा, कुंज जैसे कई पर्णपाती वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो नैनीताल जिले के साथ–साथ पूरे देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत में इन वनस्पतियों का मुख्य उत्पादक नैनीताल है। उपरोक्त प्राकृतिक संसाधनों के अलावा, नैनीताल में मिट्टी, जल, भूमि, खनिज, सब्जियां, जीव–जंतु आदि जैसे कई अन्य संसाधन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

नैनीताल जनपद में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनेक उपयोग हैं। यहाँ की मिट्टी का उपयोग फसल उगाने और भवन निर्माण सामग्री बनाने में किया जाता है। जल पीने का मुख्य स्रोत है और मनुष्यों एवं अन्य जीवों के लिए जीवन का स्रोत है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और नैनीताल शहर की प्रमुख झीलों में मछलियों जैसे जीव–जंतु भी पाए जाते हैं। अंत में, इन जल संसाधनों का उपयोग नैनीताल के निवासियों और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जैसे तैराकी, जलविद्युत उत्पादन आदि। नैनीताल क्षेत्र प्राकृतिक गैस, धातुओं आदि खनिजों का भी स्रोत है।

नैनीताल जनपद क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोत्तम और उपयुक्त है, इसलिए यहाँ सब्जियां, अनाज और फल प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते हैं और भारत के अन्य राज्यों को निर्यात किए जाते हैं। यहाँ के पेड़–पौधों से लकड़ी प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग मानव जीवन में और नैनीताल शहर के समग्र डिजाइन में बहुउद्देशीय कार्यों के लिए किया जाता है।

2.1.5 प्रमुख नदियों विवरण

जनपद की कोसी, रामगंगा पश्चिम, गौला, नन्धौर, शिप्रा, दाबका, बौर, लूगण, भाखडा, लूधिया, सावल्दे, चोरपानी खिचडी एवं ढैला नदियॉ है जिनमें शिप्रा नदी उत्तर वाहिनी है एवं अन्य नदियॉ अलग–अलग भागों से निकलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है

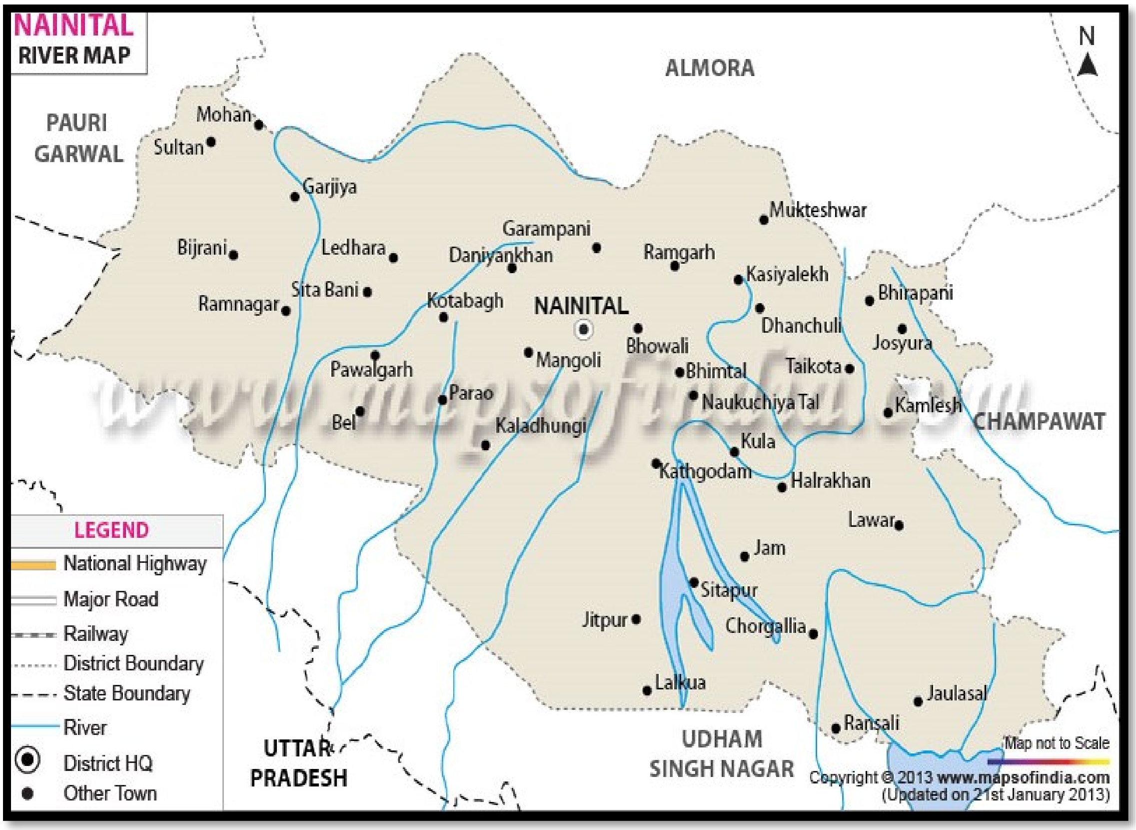

River map of Nainital District

2.1.6 वन क्षेत्र विवरण

जनपद नैनीताल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 406.12 हजार हैक्टेयर है जिसमें से 298.37 हैक्टेयर क्षेत्रफल वनों से अच्छादित है। नैनीताल जिले में लगभग 71.6 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, जो उत्तराखंड के सभी जिलों में सबसे अधिक है। इसका मतलब यह है कि जिले की भौगोलिक भूमि का अधिकतर हिस्सा जंगलों से ढका है। नैनीताल का जंगल क्षेत्र जैव–विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वन कवर में पेड़–पौधे और जैव विविधता अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं जैसे ओक (Oak), पाइन (Pine), चिनार, अखरोट (lnut), पांगड़ (chestnut) पिपल, अंगू आदि कई वानस्पतिक प्रजातियाँ भी हैं। ये जंगल न केवल timber या लकड़ी के लिए उपयोगी हैं, बल्कि पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय जीवन के लिए भी अहम भूमिका निभाते हैं।

क्षेत्रफल	VDF	MDF	OF	Total	Scrub
4,251.35	780.03	1583.17	503.35	2,866.55	15.88

नैनीताल जिले में कुछ बड़े conservation zones भी हैं जैसे Jim Corbett National Park (एक प्रसिद्ध Tiger Reserve जिसमें वन्यजीवन संरक्षित है) इसके अलावा Pawalgarh Conservation Reserve और Naina devi Bird Conservation Reserve जैसी protected areas भी हैं। ये क्षेत्र वन्यजीवों की सुरक्षा और जैव–विविधता को संरक्षित करने में योगदान देते हैं।

2.1.7 कृषि एवं फसल चक्र

जनपद में आर्थिक कार्यकलापों की श्रेणी में प्रमुख कृषि (खेती) है पर्वत कुल सम्भाग की असमतल एवं उबड–खाबड़ भूमि के कारण जनपद का पर्वतीय क्षेत्र कृषि में काफी पिछड़ा हुआ है। जनपद में खरीफ व रबी दोनों मौसम मिलाकर लगभग सकल रूप से 74720.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। जनपद की फसल सघनता (ब्तवचचपदह प्दजमदेपजल) 162.22 प्रतिशत है। जनपद में लगभग 24927.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित व 24982.073 हैक्टेयर क्षेत्रफल असिंचित है। जनपद में लघु एवं सीमांत जोते लगभग 87.44 प्रतिशत है। जिनमें कुल क्रियात्मक जोतों का लगभग 55.58 प्रतिशत क्षेत्रफल आता हैं। जनपद जनपद के भाबर क्षेत्र में धान, गेहूॅ, सब्जी, आम, लीची, अमरूद एवं पपीते का उत्पादन होता है। जबकि पहाडी क्षेत्र में गेहूॅ, धान, की पैदावार के साथ ही आलू, अदरक, सन्तरा, नीबू, माल्टा, सोयाबीन, भट, गहत, तथा बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है।

जनपद अन्तर्गत खरीफ मौसम में धान, सायेाबीन, मक्का, मडुवा, झंगोरा व उर्द आदि फसले तथा रबी मौसम में गेहूॅ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही/सरसों आदि फसले प्रमुख रूप से उगाई जाती है।

जनपद में मुख्य फसलों अन्तर्गत क्षेत्रु एवं उत्पादकता

क्र.सं.	मद	क्षेत्रफल है0 में	उत्पादकता कु0/है0 में
1	**अनाज**		
	चावल	11316.00	30.19
	गेहूँ	14946.00	36.82
	जौ	688.00	13.55
	मक्का	1741.00	29.75
	मडुवा	1270.00	16.28
	सांवा	243.00	13.50
2	**दालें**		
	उर्द	2370.00	11.32
	मसूर	345.00	10.52
	मटर	102.00	6.67
	गहथ (कुल्थी)	858.00	12.33
	राजमा	169.00	13.79
	चना	664.00	8.46
	भट्ट (काला सोयाबीन)	2490.00	11.30
	अन्य दालें (अरहर/तोर)	24.00	6.83
3	**तिलहन**		
	लाही तथा सरसों	295.00	13.05
	तिल	36.00	2.22
	मूंगफली	16.00	15.00
	सोयाबीन	3741.00	13.14

2.1.8 यातायात एवं संचार व्यवस्था

जनपद के मुख्यालय से रेलवे मार्ग की दूरी (काठगोदाम तक) 34 किलोमीटर व देश की राजधानी, दिल्ली की सड़क मार्ग से दूरी 310 किलोमीटर है।

मुख्य बस स्टेशन

1. भवाली डिपो
2. काठगोदाम डिपो
3. हल्द्वानी डिपो
4. रामनगर डिपो

रोडवेज के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात का अन्य साधन, कुमायूॅ मोटर औनर्स यूनियन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय काठगोदाम में स्थित है।

जनपद में मुख्यतः यातायात जीप एवं बसों से संचालित किया जाता है। लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र दूरसंचार नेटवर्क से आच्छादित है। पुलिस विभाग के द्वारा प्रत्येक थाना, चौकी क्षेत्र वायरलैस व्यवस्था से आच्छादित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वन प्रभाग में पृथक वन संचार व्यवस्था है। वर्तमान में वायरलेस सेट एवं लोकल लूप व्यवस्था से आन्तरिक भागों में संचार व्यवस्था सुधारनें की आशा है।

जनपद को अन्य राज्य/जनपद से जोडने वाले विभिन्न माध्यम

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	जुडने वाले राज्य/जनपद	माध्यम	सीमा
1	**खनस्यू क्षेत्र/रीठा साहिब**	चम्पावत	राज्य मार्ग–104	–
2	**क्वारब क्षेत्र**	अल्मोडा	राष्ट्रीय राजमार्ग–87	कोसी नदी
3	**हल्द्वानी लालकुआं नगला क्षेत्र**	उधमसिंह नगर	राष्ट्रीय राजमार्ग–109	–
	रामनगर–बुआखाल	उधमसिंह नगर–पौडी गढवाल	राष्ट्रीय राजमार्ग–121	रामगंगा नदी
	हल्द्वानी–उधमसिंह नगर वाया टांडा क्षेत्र	उधमसिंह नगर	राज्य मार्ग–05	–
4	**हल्द्वानी–चोरगलिया–सितारगंज**	उधमसिंह नगर	राज्य मार्ग–41	–

2.1.9 जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जनपद की कुल 9,54,605 हैं। यहॉ की नगरीय जनसंख्या 2,69,050 व ग्रामीण जनसंख्या 4,93,859 हैं। महिला पुरूष अनुपाल के दृष्टिगत कुल 4,00,254 पुरूष

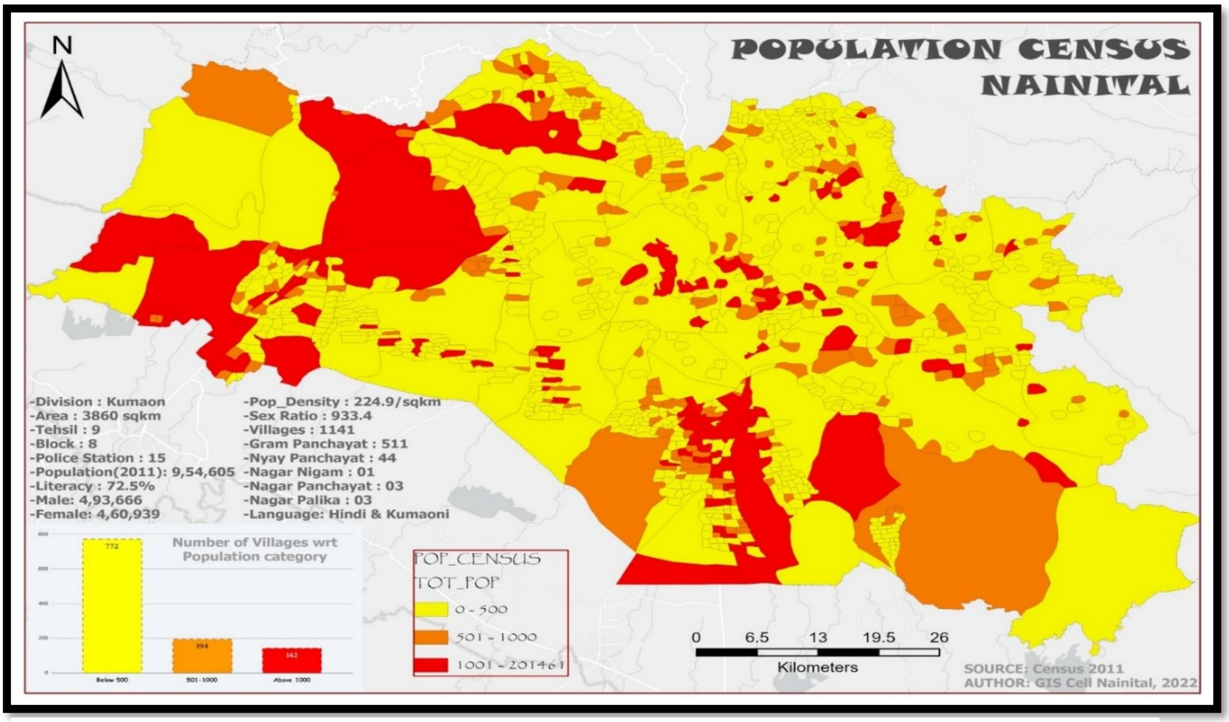

District Nainital- Population

तथा 3,62,655 स्त्रियॉ हैं। 1991–2001 के दौरान जनपद की जनसंख्या वृद्वि दर 3.10 रही। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार नैनीताल जनपद का घनत्व 223 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 है।

जिसमें अधिकतम जनसंख्या घनत्व, 589 हल्द्वानी विकास खण्ड का है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, 228 ओखलकाण्डा विकास खण्ड का है। जनपद की 5,26,130 जनसंख्या साक्षर है, जिसमें 2,99,750 पुरूष व 2,26,380 महिलायें है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार कामकारों का प्रतिशत 29.59 है। कुल कर्मकारों में से 41.40 प्रतिशत कृषि, 29.76 प्रतिशत घरेलू उद्योग, 24.32 प्रतिशत निर्माण कार्य व मरम्मत आदि में तथा अन्य कार्यो में लगे मजदूरों का प्रतिशत 13.98 तथा सीमान्त कर्मकारों का प्रतिशत 13.84 है।

2.1.10 जलवायु एवं वर्षा –

जलवायु के हिसाब से जनपद में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेन्टीग्रेड, न्यूनतम– शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम भी मापा गया है। अधिकतम तापमान माह अप्रैल से जून तक पड़ने वाली गरमी में व न्यूनतम तापमान माह दिसम्बर से माह फरवरी तक बर्फ व ओले गिरने के कारण ठण्डा रहता है। जनपद की तहसील हल्द्वानी, रामनगर, लालकुॅंआ, कालाढूँगी सबसे गर्म क्षेत्र हैं। जनपद में सबसे अधिक वर्षा नैनीताल क्षेत्र व गागर पर्वत श्रंखला की चोटी से लेकर उनके तलहटी वाले क्षेत्रों में मानसून के दौरान होती है। मौसम की दृष्टि से जनपद की नदी–घाटिया अत्यन्त गर्मी तथा उमस वाली हैं तो ऊॅंचें क्षेत्र अत्यन्त ठंडे रहते हैं। जहां घाटियों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुचता है, तो ऊंचे क्षेत्रों में शून्य से नीचे तक चला जाता है।

जनपद नैनीताल की माहवार औसत वर्षा

जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वार्षिक
64 mm	56 mm	60 mm	35 mm	67 mm	178 mm	443 mm	381 mm	241 mm	76 mm	8 mm	27 mm	**1636 mm**

जनपद नैनीताल–विगत 05 वर्षो में वर्षा (मि0मी0 में) का माहवार विवरण

ज्नपद	माह	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
नैनीताल	माहवार औसत वर्षा मि0मी0 में							
	जनवरी	34.7	81.7	30.4	103.1	15.9	0.0	6.0
	फरवरी	78.3	54.8	8.1	41.1	1.0	21.7	26.8
	मार्च	28.0	77.9	0.0	0.0	79.9	58.3	29.9
	अप्रैल	13.1	19.4	27.1	0.1	82.1	2.4	28.2
	मई	0.0	84.1	254.3	62.9	118.9	21.8	111.9
	जून	104.8	144.9	239.9	102.9	81.4	97.4	181.2
	जुलाई	329.4	392.0	316.8	238.2	475.7	589.4	245.9
	अगस्त	301.6	333.4	284.3	299.2	456.1	286.7	571.6
	सितम्बर	187.3	83.3	144.3	289.7	279.8	371.0	338.0
	अक्टूबर	36.2	0.0	381.0	242.5	26.6	0.0	32.0
	नवम्बर	19.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
	दिसम्बर	47.3	2.8	4.6	0.0	3.5	91.9	0.0
कुल योग (मि0मी0 में)		**1180.6**	**1274.3**	**1690.8**	**1379.7**	**1622.5**	**1540.5**	**1579.5**

विगत 05 वर्षो में मानसून माह में कुल वर्षा का विवरण (मि0मी0 में)

माह	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
जून	104.8	144.9	239.9	102.9	81.4	97.4	181.2
जुलाई	329.4	392.0	316.8	238.2	475.7	589.4	245.9
अगस्त	301.6	333.4	284.3	299.2	456.1	286.7	571.6
सितम्बर	187.3	83.3	144.3	289.7	279.8	371.0	338.0
कुल योग (मि0मी0 में)	**923.1**	**953.6**	**985.3**	**930.0**	**1293.0**	**1344.5**	**1336.7**

विगत 05 वर्षो में मानसून माह में कुल वर्षा का विवरण (मि0मी0 में)

माह	2019	2020	2021	2022	2023	2024
जून	104.8	144.9	239.9	102.9	81.4	97.4
जुलाई	329.4	392.0	316.8	238.2	475.7	589.4
अगस्त	301.6	333.4	284.3	299.2	456.1	286.7
सितम्बर	187.3	83.3	144.3	289.7	279.8	371.0
कुल योग (मि0मी0 में)	**923.1**	**953.6**	**985.3**	**930.0**	**1293.0**	**1344.5**

Damage Loss data (2000-2025)

2020–21 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण/पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन/पुस्ते	गौशाला/ पशु शाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
1	नैनीताल	4	0	1	1	39	0	6	2
2	धारी/खनस्यूं	3	0	2	0	4	0	0	1

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण/पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन/पुस्ते	गौशाला/ पशु शाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
3	हल्द्वानी	1	0	0	0	0	0	0	0
4	कालाढूंगी	0	0	0	0	0	0	0	0
5	रामनगर	0	0	0	0	4	0	0	1
6	लालकुआं	0	0	0	0	0	0	0	0
7	बेतालघाट	3	0	0	0	8	0	2	0
8	कोश्याकुटौली	5	0	0	2	13	0	1	0
	योग	**16**	**0**	**3**	**3**	**68**	**0**	**9**	**4**

2021–22 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण/पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन/ पुस्ते	गौशाला/ पशुशाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
1	नैनीताल	8	2	55	54	184	624	11	0
2	धारी/खनस्यूं	10	2	17	6	354	561	5	0
3	हल्द्वानी	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कालाढूंगी	0	0	2	0	0	0	0	0
5	रामनगर	0	0	2	0	0	0	0	0
6	लालकुआं	0	0	1	0	1	0	0	0
7	बेतालघाट	0	0	0	1	29	59	1	0
8	कोश्याकुटौली	5	0	256	61	37	634	20	0
	योग	**23**	**4**	**333**	**122**	**605**	**1878**	**37**	**0**

2022–23 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	मृतकों की सं.	पशु हानि	तीक्ष्ण / पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	गौशाला / पशुशाला	झोपड़ी
1	नैनीताल / रामगढ़	9	2	5	55	9	1
2	धारी	0	2	1	13	2	0
3	खनस्यूं	0	12	10	27	1	0
4	कोश्याकुटौली	2	1	5	17	5	0
5	बेतालघाट	0	0	1	4	0	0
6	रामनगर	1	0	0	2	0	0
7	हल्द्वानी	2	0	0	0	0	0
8	लालकुआं	0	0	0	0	0	0
9	कालाढूंगी	1	1	0	3	1	3
योग		**15**	**18**	**22**	**121**	**18**	**4**

2023–24 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण / पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन / पुस्ते	गौशाला / पशुशाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
1	नैनीताल / रामगढ़	2	1	0	5	117	0	7	2
2	धारी	1	0	4	1	21	0	1	0
3	खनस्यूं	2	0	24	1	48	6	3	1
4	कोश्याकुटौली	0	0	1	2	23	0	1	1
5	बेतालघाट	0	0	0	0	10	0	1	2

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण/पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन/पुस्ते	गौशाला/पशुशाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
6	रामनगर	1	0	1	0	4	0	1	0
7	हल्द्वानी	5	0	0	0	0	0	0	0
8	लालकुआं	0	0	2	0	0	0	0	0
9	कालाढूंगी	1	0	0	0	0	0	1	0
	योग	**12**	**1**	**32**	**9**	**223**	**6**	**15**	**6**

<u>2024–25 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का विवरण</u>

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण/पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन/पुस्ते	गौशाल/पशुशाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
1	नैनीताल/रामगढ़	4	0	2	3	115	0	8	3
2	धारी	1	0	2	2	128	0	0	0
3	खनस्यूं	0	1	47	1	151	0	4	0
4	कोश्याकुटौली	0	0	0	2	12	0	1	0
5	बेतालघाट	1	0	0	1	18	0	1	0
6	रामनगर	0	0	3	0	0	0	0	0
7	हल्द्वानी	5	0	3	0	0	0	0	0
8	लालकुआं	0	0	5	0	0	0	0	0
9	कालाढूंगी	0	0	0	0	1	0	0	0
	योग	**11**	**1**	**62**	**9**	**425**	**0**	**14**	**3**

2025–26 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	जनहानि		पशु हानि	तीक्ष्ण/पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	आंगन/पुस्ते	गौशाल/पशुशाला	झोपड़ी
		मृतक	घायल						
1	नैनीताल/रामगढ़	0	0	07	2	118	0	8	0
2	धारी	1	0	0	2	133	0	0	0
3	खनस्यूं	2	0	08	0	285	0	0	0
4	श्री कैंची धाम	1	0	0	12	31	0	1	0
5	बेतालघाट	0	0	0	2	167	0	6	0
6	रामनगर	0	0	0	6	01	0	1	0
7	हल्द्वानी	1	0	04 3000 (चूजे)	0	0	0	0	0
8	लालकुआं	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कालाढूंगी	1	0	1200 (चूजे)	0	0	0	1	0
	योग	**06**	0	**19** 4200 (चूजे)	**24**	**735**	**0**	**17**	0

2.0 जनपद में संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण

नैनीताल जनपद कई प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं व खतरों से की ये प्रभावित व सम्भावित आपदाओं से आसन्न रहता है इसलिए इनसे निपटने का दृष्टिकोण बहुआयामी होना आवश्यक है। यह जनपद पूर्व में निम्नलिखित आपदाओं से प्रभावित हुआ है और भविष्य में भी इनके प्रभाव में आने की संभावना है।

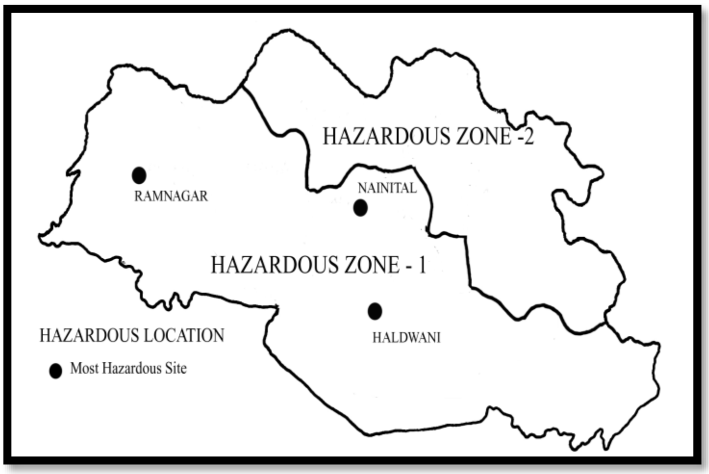

Hazard Profile of District Nainital

2.2 जनपद नैनीताल में आपदाओं का इतिहास

नैनीताल में प्रथम अभिलिखित प्रमुख भू–स्खलन जुलाई 1867 में हुआ, जब मल्लीताल मुख्य बाजार के पश्चिमी किनारे के ऊपर की पहाड़ी का एक भाग नीचे आ गिरा। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 1867 में पहाड़ियों व पहाड़ी ढलानों के बचाव हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने भू–स्खलन रोकने हेतु सड़कों के किनारे पानी की निकासी व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु बताया। इसके पश्चात् सितम्बर 1880 में आल्मा पहाड़ी के नजदीक शेर का डाडां रिज पर दूसरा प्रमुख भू–स्खलन हुआ। इस स्थल के पश्चिमी तरफ 1860 में भी एक भू–स्खलन हुआ था। 1869 में इसी भू–स्खलन का आकार बढ़ गया और अन्त में सितम्बर 1880 में भी भीषण वर्षा के पश्चात् पहाड़ी से भू–स्खलन हुआ जिसमें जानमाल की व्यापक क्षति हुई, जिसमें लगभ 151 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए और विक्टोरिया होटल भी बुरी तरह दब गया। इसके पश्चात् गठित रामजे कमेटी ने 1880 की अपनी रिपोर्ट में भू–स्खलन के कारण बताते हुए अपनी संस्तुतियॉ दी। 17 अगस्त 1898 को कैलाखान पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर आसवनी की ओर बलियानाले में चला गया। इसने बलिया घाटी के तल को पाटते हुए इसके बहाव को रोकने के साथ दुर्गापुर व मोटा पानी के नाले को भी रोक दिया जिससे 3 झीलें बन गयी। इससे दुर्गापुर नाले तथा आसवनी के बीच ब्रिडल मार्ग आच्छादित हो गया तथा कई मकान ध्वस्त हुए व कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

इसके अतिरिक्त रॉसिल पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसककर गौला नदी में गिर गया। जिससे गौला नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ और अमियॉ ग्राम के पास गौला नदी का पानी रूक कर इसने एक कत्रिम झील का रूप ले लिया। इससे अमियॉ ग्राम की कुछ कृषि भूमि का भी कटान हुआ तथा भिक्तियाझाला के कुछ मकान जलमग्न हो गये तथा रॉशिल व पसौली में भी मकान क्षतिग्रस्त हुए।

वर्ष–2022 में मानसून अवधि में तल्ला रामगढ़ स्थित बोहराकोट व झूतिया ग्राम क्षेत्र एवं कैंची क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन, बादल फटना, भू–धंसाव से व्यापक स्तर पर जनहानि, पशुहानि एवं आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हुई हैं।

उक्त भू–स्खलनों से जनपद में व्यापक स्तर पर जनहानि, पशुहानि व विभागीय व निजी परिसम्पत्तियों का नुकसान होता रहा हैं।

वर्तमान में नैनीताल नगर–बलिया नाला, चार्टन लॉज, डी0एस0बी0 कॉलेज परिसर के पास की पहाडी़, टिफन टॉप–डोरोथी सीट, नैनापीक, ठण्डी सड़क (डी0एस0बी0 कैम्पस छात्रावास, मल्लीताल भोटिया बाजार के ऊपर), टूटा पहाड़ भवाली रोड़ का क्षेत्र सक्रिय भूस्खलन, भू–धंसाव एवं बोल्डर गिरने जैसी घटनाओ से प्रभावित हैं।

जनपद नैनीताल में विगत आपदाओं मैट्रिक्स

घटना/आपदा	सम्भावित माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकंप												
वर्षा/ भू–स्खलन												
वनाग्नि												
अग्निकाड												
बर्फवारी												
तूफान												
ओलावृष्टि												
वज्रपात												

2.2.1 भूकंप

नैनीताल जनपद के पहाड़ में अवस्थित तहसीलों के समस्त ग्राम– जनपद के जनपद के मैदानी– भाभर/तराई क्षेत्र मे भी भूकम्प का खतरा विधमान है। जनपद भूकंप संवेदनशील जोन VI में स्थित होने के कारण भूंकप हेतु अत्यन्त संवेदनशील है। जनपद से होकर प्रमुख सीमावर्ती आधात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) होकर गुजरती है। भूकंप से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है।

- संभावित जन एंव पशुहानि
- सड़क मार्गो की क्षति
- संचार व्यवस्थाओं की क्षति
- पेयजल/विधुत लाईनों की क्षति
- विधुत परियोजनाओं की क्षति

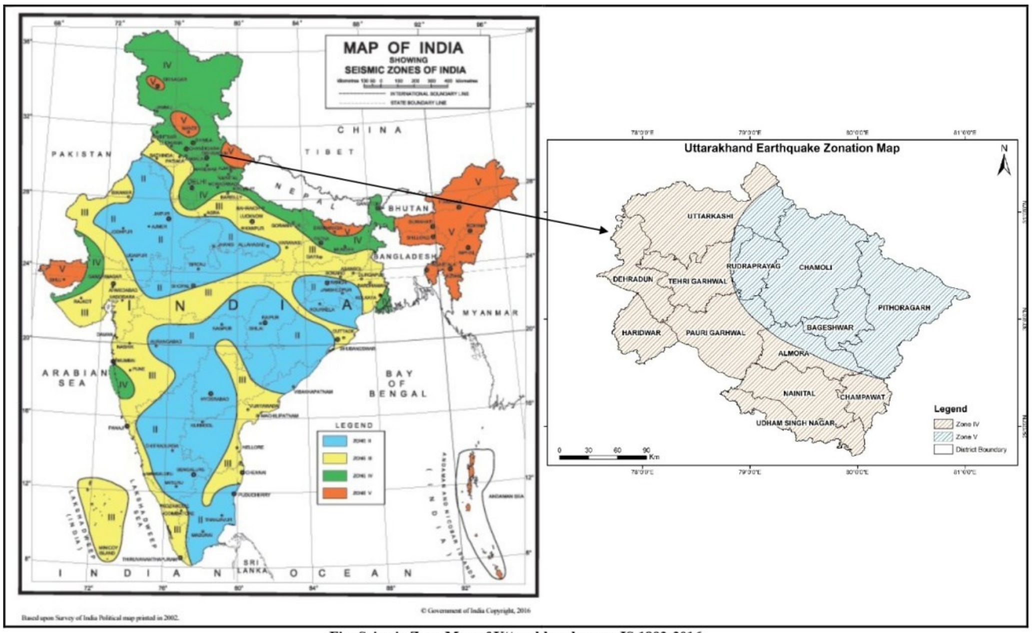

Fig: Seismic Zone Map of Uttarakhand as per IS 1893:2016

Earthquake Zonation Map of Uttarakhand- Nainital District

जनपद नैनीताल में विगत वर्षो में भूकम्प की निम्नलिखित घटनायें हुई हैं:—

1	14—2—1851	नैनीताल	5.0
2	25—7—1869	नैनीताल	6.0

2.2.2 बाढ़/नदी भूमि कटाव

हल्द्वानी— जल भराव क्षेत्र

- **रकसिया नाले** में अत्यधिक वर्षा में पानी नाले से बाहर आ जाने से ग्रामीण क्षेत्र जवाहर ज्योति, ग्राम बिठौरिया नं0 1 (बिष्ट धड़ा), बमौरी तल्ली बन्दोबस्ती, छड़ायल सुयाल में नाले का तटीय आबादी क्षेत्र तथा जौलासाल उर्फ करायल बिडला स्कूल राजारानी फार्म, प्रेमपुर लुस्यानी, हिम्मतपुर बैजनाथ में जल भराव होता है।
- **देवखड़ी नाला** के द्वारा ग्राम हीरागढ़ दलीप सिंह, ब्यूरा, कोर्ता, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती क्षेत्र प्रभावित होते है। दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती क्षेत्र के अन्तर्गत एल0आई0सी0 के पीछे की ओर अत्यधिक जलभराव हो जाता है जिससे यातायात अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, जिसके पश्चात उक्त नाला वॉक वे से होते हुये नैनीताल रोड से लगी नहर में मिलता है जो उक्त क्षेत्र की आबादी को प्रभावित करता है। विगत वर्ष में भद्यूनी मार्ग

क्षतिग्रस्त होने के कारण दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती स्थित गायत्री नगर (कृष्णा विहार/तपोवन कॉलोनी) में जंगल की गाद/मलुवा बहकर घरों/खेतों में भर गया था जिससे उक्त क्षेत्र में निवासरत परिवारों को अत्यधिक क्षति हुयी।

- अत्यधिक वर्षा होने पर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत कालाढूंगी रोड पर डां0 मनोज जोशी के क्लीनीक के सामने तथा पीलीकोठी पर एल0आई0सी0 के सामने मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति होती है।
- तिकोनिया से नैनीताल रोड क्रास करते हुए कालाढूंगी रोड को जाने वाली बरसाती नहर कचरा फसने के कारण चॉक होने पर मुख्य मार्ग एंव आबादी क्षेत्र में जल भराव होता है।
- वार्ड नं0 14 इन्द्रानगर नाला दक्षिण दिशा में गौजाजाली उत्तर, हल्द्वानी तल्ली, गौजाजाली बिचली, तीन पानी को जाता है। अत्यधिक वर्षा में नाले में कचरा फसने एंव चॉक होने के कारण जल भराव हो जाता है।
- वर्षा ऋतु के दौरान बरेली रोड हल्द्वानी में मण्डी गेट से तीन पानी तक मुख्य मोटर मार्ग से लगी हुयी नहर पर पडालों के द्वारा कवरिंग होने के कारण कूड़ा—कचरा जमा हो जाने से नहर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क एवं आसपास के स्थानीय लोगो के घरों में घुस जाता है जिसके कारण लोगो को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बाढ़ चौकी :—निगरानी व राहत/बचाव कार्यों हेतु **राजस्व विभाग की 44** तथा **सिंचाई विभाग की 17 बाढ़ चौकियॉ** चिन्हित/स्थापित की गई है। बाढ़/आपदा चौकियों में राजस्व कार्मिकों के साथ—साथ अन्य विभागीय कार्मिकों की तैनाती तहसील स्तर से की गई है। बाढ़/आपदा चौकियों द्वारा आपदा के दौरान सम्बन्धित ग्रामों में आपदा की स्थिति की निगरानी की जाएगी एंव राहत व बचाव के प्रारम्भिक कार्य भी किए जाएंगे।

बाढ़/नदी से भूमि कटाव के दृष्टिगत संवेदनशीलता की स्थिति

संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
बाढ़	**जनपद के मैदानी—नदी** तटीय क्षेत्र व **पहाड़ के नदी घाटी क्षेत्र** ▪ गौला नदी का तटीय क्षेत्र ▪ नन्धौर नदी चोरगलिया का तटीय क्षेत्र ▪ कोसी नदी अन्तर्गत रामनगर से लगे पंम्पापुरी, भरतपुरी चुकुम, आशिंक अमरपुर एवं सुन्दरखाल ▪ भाखड़ा नदी फतेहपुर से लगे चौसला व जयपुर पाड़ली व वसुन्धरा कालौनी। ▪ कोसी नदी— भुजान—बेतालघाट मोटर मार्ग से लगे तटीय क्षेत्र	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ▪ जन एंव पशुहानि ▪ आवासीय भवन, विभागीय व निजी परिसम्पत्ति क्षति ▪ पेयजल आपूर्ति/योजनाओं की क्षति ▪ जल जनित बीमारियों का प्रसार ▪ सड़क मार्गो की क्षति ▪ यातायात—आवागमन रूकावट/कठिनाई ▪ विधुत परियोजनाओं की क्षति ▪ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

तहसील रामनगर अन्तर्गत संवेदनशील क्षेत्र

क्र.सं.	नदी / नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	**आमडण्डा नाले एवं कोसी नदी**	मौ0 भरतपुरी, दुर्गापुरी, पम्पापुरी
2	**कोसी नदी**	अमरपुर, चुकूम, माहेन, ढिकुली, लदुवाचौड़, बेलगढ़, किशनपुर छोई गंगापुर छोई, कंचनपुर, छोई, सुन्दरखाल, कोटाबाग– कुनखेत क्षेत्र
3	**दाबका नदी**	गजपुर बड़ुवा, गजपुर उर्फ पदमपरु, लामपुर लच्छी, गोरखपुर, हरीपुर तिवाड़ी।
4	**खिचड़ी नदी**	क्यारी बन्दोबस्ती, क्यारी खाम
5	**ढैला नदी**	देवीपुरा, आनन्दनगर, ढैला खाम, ढैला बन्दोबस्ती
6	**कानियॉ नाला**	कानियॉ, धरमपुर नफनिया
7	**चोरपानी नाला**	चोरपानी, बैडाझाल।
8	**मझाड़ी नाला**	उदयपुरी बन्दोबस्ती, शिवपुर टाडा, पापडी, भवानीपुर बड़ी
9	**सावल्दे नदी**	सावल्दे पूर्व, सेमखलिया, नरसिंहपुर ऐरडा
10	**धनगढ़ी नाला**	रानीखेत–रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग
11	**पनौद नाला**	सुन्दरखाल
12	**गर्जिया नाला**	गर्जिया, ढिकुली

तहसील हल्द्वानी अन्तर्गत संवेदनशील क्षेत्र

क्र.सं.	नदी / नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	**गौला नदी**	ग्राम खेड़ा, नवाड़खेड़ा, काठगोदाम, शीशमहल, मिलिट्री एरिया, राजपुरा तथा टनकपुर मार्ग, गौलापार स्टेडियम का नदी का तटीय क्षेत्र, लालकुऑ क्षेत्र–बिन्दुखत्ता एवं श्रीलंका टापू
2	**नंधौर नदी**	चोरगलिया अन्तर्गत संवेदनशील तटीय क्षेत्र में राजस्व ग्राम दुबैलबेरा, मल्ला चोरगलिया, चोरगलिया तल्ला आमखेड़ा, चोरगलिया कुटलिया, मुखानी खड़कू, मुखानी जोगा तथा घूंसापुर प्रभावित होता है।
3	**सूखी नदी**	तटीय ग्राम विजयपुर, गजेपुर, हिम्मतपुर नकायल, हिम्मतपुर गौलापार, लछमपुर, किशनपुर रैक्वाल, जीतपुर रैक्वाल, गंगापुर गौलापार तथा रैखाल खत्ता आदि वन क्षेत्र प्रभावित है।
	शखड़ा नदी	पश्चिम हल्द्वानी फतेहपुर से लगे चौसलावसुन्धरा कालौनी जयपुर पाडली, नवाड़ सैलानी, ग्राम गुजरौड़ा गुलजारपुर प्रभावित
4	**सूर्यानाला** तथा **शेरनाला**	हल्द्वानी गौलापार सितारगंज रोड पर चोरगलिया आरक्षित वन क्षेत्र
5	**कलसिया नाला**	काठगोदाम क्षेत्र में हाजी मौहल्ला, नई बस्ती क्षेत्र प्रभावित होता है।

6	**रकसिया नाला**	उत्तर दिशा में जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा से आबादी क्षेत्रो के बीच से बहता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है। ग्राम दमुवाढूंगा खाम, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती, बमौरी मल्ली, बमौरी तल्ली बन्दोबस्ती, जवाहर ज्योति, बिठौरिया नं0 1 (बिष्ट धड़ा) कुसुमखेड़ा, छड़ायल नायक, छड़ायल सुयाल, मुखानी, जौलासाल उर्फ करायल (रानी फार्म), बिडला स्कूल राजारानी फार्म, प्रेमपुर लुस्यानी, हिम्मतपुर बैजनाथ आदि क्षेत्र प्रभावित होते है।
7	**देवखड़ी नाला**	ग्राम हीरागढ़, ब्यूरा, कोर्ता, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती क्षेत्र प्रभावित
8	**कमेटिया नाला**	वन क्षेत्र से निकलकर वन चौकी होते हुये बिठौरिया क्षेत्र प्रभावित

तहसील कालाढूंगी अन्तर्गत संवेदनशील क्षेत्र

क्र.सं.	नदी / नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	**कालीगाढ़ तथा नौलीगाढ़ नाला**	गैबुआ खास, मोहनपुर बजवाल, भवानीपुर गढियाल, मोहनपुरमेहरा, पुरूषोत्तमपुर, हिम्मतपुर गैबुआ, नंदपुर, कुंवरपुर, किशनपु डोलिया, गैबुआ फीचा।
2	**करकट नाला**	विशनपुर, हिम्मतपुर बैलपड़ाव, रतनपुर बैलपड़ाव।
3	**चूनाखान / कुसुमनाला**	पदमपुर सोडिया, बेचाबंगर, शिवलालपुर पाण्डे (गैर आबाद)
4	**निहाल नदी**	ग्राम थापला (अति संवेदनशील), रामपुर, विदरामपुर, खड़कपुर, लछमपुर, प्रतापपुर, सूरपुर, पूरनपुर, छोराजाली, रूपपुर
5	**दाबका नदी**	खेमपुर, मदनपु, बरायल, गौतिया, जललियागांजा, सौनजाला नरसिंह, नाथूजाला, सोनजाला नयाबाद।
6	**करारी नदी, नाला**	कमोला, बच्चीपुर धमोला।
7	**धोनियानाला**	कमोला, नयागांव जुल्फकार, नयागांव चन्छनसिंह, भीमपुरी, उदयपुरी कमोला।
8	**धोनियानाला** (गुरनी गधेरा)	सेलसिया, हरपुर रूपसिंह
9	**बलई गाढ़ नाला**	बन्दरजूडा, बेलपोखरा, शिवलालपुर जोशीं
10	**मैथीसाह नाला**	हल्द्वानी छोटी, कालाढूंगी बन्दोबस्ती रूड़की बहादुर सिंह।

तहसील लालकुऑ अन्तर्गत संवेदनशील क्षेत्र

क्र.सं.	नदी / नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	**गौला नदी**	वन क्षेत्र बिन्दुखत्ता अन्तर्गत– श्रीलंका टापू, इन्द्रानगर, हाड़ाग्राम, संजयनगर, खुरियाखत्ता, रावतनगर क्षेत्र

पहाड़ के नदी घाटी क्षेत्र– नदी भूमि कटाव के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्र

तहसील– धारी

क्र.सं.	नदी/नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	गौला	सेलालेख, तोक मेलाडोव, हरिनगर, थली, मज्यूली मैतोली, कफरौली, नाई, मोहनागांव, उडियारी, थलाडी, बबियाड
2	लधिया नदी	पन्तौली मल्ली, पन्तौली तल्ली, भौनरा, जोस्यूडा, सेलाखेत, सुनकोट, कचिलाकोट, धैना, कैडागांव
3	कलसा नदी	सरना, लदफोड़ा, अक्सोड़ा, गूनीगॉव, पन्याली, कुरई, देवनगर, अम्दौं

तहसील– बेतालघाट

क्र.सं.	नदी/नाला	प्रभावित क्षेत्र– भुजान–बेतालघाट मोटर मार्ग
1	कोसी नदी	तल्लाबर्धो, मल्लाबर्धो, रौलियॉं लग्गा नैनीचक मय पॉंच चौक, घघरेटी, तिवाडी गॉंव, दाडिमा तोक रतौड़ा, हल्द्यानी (तोक जतना), रोपा, अमेल (तोक खेराली), मल्लीसेठी, तल्लीसेठी, विशगुली

तहसील– श्री कैंची धाम

क्र.सं.	नदी/नाला	प्रभावित क्षेत्र– एन0एच 87ई (नया विस्तार एन0एच 109)
1	कोसी नदी	क्वारब, सिरसा, चौपड़ा, सुयालबाड़ी, ओलियागॉव, गंगरकोट, मनर्सा (काकड़ीघाट), गंगोरी, जोगीनौली (नावली), जौरासी, लोहाली, छड़ा, मझेड़ा, तल्लाकोट (गैरखाल), सिमलखॉं, धनियाकोट, सौनगाव नैनीचक।
2	शिप्रा नदी	मल्ला निगलाट, तल्ला निगलाट, पाडली, घूना (रातीघाट), बारगल (रामगाड़) तोक गरमपानी, खैरना छड़ा, डोबा, मझेड़ा।

तहसील– खनस्यूं

क्र.सं.	नदी/नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	गौला नदी	पैटना, रमैलागांव, टकुरा, जमराडी, तुषराड, करायल, भद्रकोट, हैडाखान, खनस्यूं तल्ला ओखलकाण्डा, गलनी, चमोली, बडौन, रीखाकोट, बबियाड,
2	नन्धौर नदी	डालकन्या, कुण्डल, अधौड़ा, अमजड़, डुंगरी
3	लूगड नदी	लूगड (बड़ौन), चमोली, गाजा (चमोली), .मेवाड़ी गाजा, गलनी गांजा
4	पश्यां/पतलोट नदी	झडगांव तल्ला, झडगांव मल्ला, पश्यां, पोखरी, चक सैडयूला, कोडार, पोखरी तल्ली साल, तोक बेडु–खेत, गरगड़ी तल्ली
5	तितड़ा नदी	गरगड़ी तल्ली, कालाआगर, क्वैराला, गलनी

तहसील–नैनीताल

क्र.सं.	नदी/नाला	प्रभावित क्षेत्र
1	गौला नदी	मुरकुडिया, हैडाखान, पस्तोला, रौशिल, अमृतपुर, भक्त्याजाला, अमिया तोक
2	कलसा नदी	मलुवाताल, शेरूवा, श्रीनगर, अलचौना, पाण्डेगांव तोक भाकर, चॉफी
3	रामगाढ नदी	नैकाना, झूतिया
4	बौर नदी	छडा, बाघनी, स्यात, थपलियागांजा
5	दाबका	रानीकोटा, देवीपुरा, खांडी, डोला
6	साही	अमौठा, अमगढी तोक खैराड
7	कोसी	ओखलढूँगा, कूणखेत

2.2.3 वनाग्नि/अग्निकांड –

जनपद में स्थित वन भूमि एवं मौसमी स्थितियां वनाग्नि के लिए परिस्थिति बनाती हैं। वनाग्नि के सबसे प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं–

- **मानवीय गतिविधियां**–पशुचारे के लिए जंगल में आग लगाया जाना ळें इसके अतिरिक्त उच्चहिमालय क्षेत्रों मे ंस्थित गांव के घरों में आग लगने की घटनाएं भी मानवीय कारण से समय–समय वनाग्नि पर होती रहती है।
- **मौसमीय स्थिति**–माह मार्च से जून तक जनपद में शुष्क मौसम बना रहता है, जिसमें सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं।
- **प्राकृतिक स्थिति**–जनपद नैनीताल की वनसम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, कैल, बांज, बुरांस तथा झाडियां आदि सम्मिलित हैं जो कि सूखे मौसम में बहुत आसानी से जलती हैं।

Forest Fire Hazard Profile of District Nainital

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	जनपद के समस्त विकासखण्ड वनाग्नि हेतु संवेदनशील हैं। 1–जैव विविधता का हानि 2–हवा प्रदूषण 3–स्वास्थ्य जोखिम 4–आर्थिक हानि	जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के चीड बाहुल्य वन क्षेत्रों में वनाग्नि घटनाओं का व्यापक असर दिखता है। जनपद अन्तर्गत वन प्रभाग नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर/तराई पूर्वी हल्द्वानी/तराई पश्चिमी रामनगर/तराई केन्द्रीय हल्द्वानी क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाऐं प्रकाश	जनपद में वनाग्नि के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। 1. संभावित जन एवं पशुहानि 2. भवनों एवं गौशाला की क्षति 3. वन्यजीवों की हानि 4. बहुमूल्य वन्य सम्पदा की

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
	5—मृदा क्षरण	में आती है।	हानि 5. पर्यावरण की हानि पशुचारे की हानि
2	मानवीय भूल से घरों में लगने वाली आग	जनपद के पर्वतीय क्षेत्रो में अधिकांश ग्रामो में लकड़ी से निर्मित आवासीय भवन होने से	जनपद में मानवीय भूल के कारण घरों में लगने वाली आग से निम्नलिखित जोखिम संभावित है। 1. संभावित जन एवं पशुहानि 2. भवनों का क्षतिग्रस्त होना आर्थिक नुकसान

- वनाग्नि रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत न्याय पंचायत स्तर पर गठित टीम को अपनी—अपनी टीमों में नामित वन अधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित किये जा रहें हैं।
- न्यायपंचायत स्तर पर वनाग्नि नियंत्रण एवं रोकथाम से सम्बन्धित जनजागरूकता—प्रशिक्षण कार्यक्रमों/शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं।
- वनाग्नि के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु वनाग्नि काल तक राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, अग्नि शमन विभाग, एवं स्वास्थ्य विभाग की तहसीलवार IRT (Incident Response Team) का गठन किया गया हैं।
- लॉपिंग/पातन हेतु संवेदनशील वृक्षों की सूची सम्बन्धित विभागों के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध जा रही हैं।
- संवेदनशील वृक्षों की जांच कराकर इनके लापिंग/पातन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही हैं।

जनपद नैनीताल में वर्ष 2025 में दिनॉक 10 मई, 2025 तक घटित वनाग्नि की घटनाओं एवं प्रभावित क्षेत्रफल का विवरण

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	आरक्षित वन		वन पंचायत	
		वनाग्नि की घटना	प्रभावित क्षे0 (है0)	वनाग्नि की घटना	प्रभावित क्षे0 (है0)
1	नैनीताल वन प्रभाग	06	3.35	00	00
2	हल्द्वानी वन प्रभाग	01	0.20	00	00
3	तराई पूर्वी हल्द्वानी	02	1.68	00	00
4	तराई केन्द्रीय हल्द्वानी	01	0.55	00	00
5	रामनगर वन प्रभाग	14	11.68	00	00
6	भू0सं0 नैनीताल	00	00	04	7.00
	योग	**21**	**17.91**	**04**	**7.00**

FOREST FIRE DATA (2000-2025)

S.NO	YEAR WISE	Number of FOREST FIRE incidences	S.NO	YEAR WISE	Number of FOREST FIRE incidences
1	2000	**1**	14	2013	**8**
2	2001	**5**	15	2014	**14**
3	2002	**11**	16	2015	**16**
4	2003	**30**	17	2016	**108**
5	2004	**12**	18	2017	**101**
6	2005	**25**	19	2018	**23**
7	2006	**11**	20	2019	**188**
8	2007	**2**	21	2020	**19**
9	2008	**12**	22	2021	**165**
10	2009	**22**	23	2022	**63**
11	2010	**9**	24	2023	**78**
12	2011	**6**	25	2024	**87**
13	2012	**18**	26	2025	**25**
Total Incidences 1059					

2.2.4 तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात–

तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिससे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एंव जनहानि और संपत्ति के नुकसान कि संभावना बनी रहती है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उष्णता, और विशेष प्राकृतिक संरचनाएं होती हैं।

<u>Windstorm/Hail/Lightning Hazard Profile of District Nainital</u>

संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति पहुंचती है। **वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशुहानि तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी क्षति होती है।**	जनपद के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र प्रभावित रहते है।	जनपद में तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं। ▪ संभावित जन एवं पशुहानि ▪ भवनों का क्षतिग्रस्त होना ▪ वन्यजीवों की हानि ▪ बिजली से संचालित उपकरणों की क्षति

2.2.5 मानव–वन्यजीव संघर्ष (Man & Animal Conflict)

मानव और वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय मे मानव–वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व परिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान, और अन्य विकासकार्यों के लिए जंगल कटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो सकते हैं, साथ ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती ळें अन्य मामलों मे पशुओं के साथ संघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड रहे है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे थे।

<u>Man Animal Conflict Hazard Profile of District Nainital</u>

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मानव–वन्यजीव संघर्ष एक मानवजनित आपदा है, जिससे दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।	जनपद के समस्त विकासखण्डों के वन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त ग्राम	मानव–पशु संघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ▪ संभावित मानव/पशुहानि ▪ फसलों का नुकसान ▪ वन्यजीवों की हानि ▪ पर्यावरणीय क्षति ▪ आर्थिक जोखिम ▪ आजीविका प्रभावित

2.2.6 हिमपात/बर्फबारी:

जनपद **नैनीताल** का अधिकांश भू–भाग भौगोलिक रूप से लधु एंव मध्यम हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जो शीत ऋतु में गहन हिमपात/वर्षवारी होने से प्रभावित हो जाता है जिससे स्थानीय आबादी, वन्य जीव, और पर्यावरण पर असर पडता है।

Snowfall Hazard Profile of District Nainital

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	गहन व तीव्र हिमपात बर्फबारी	जनपद का अधिकांश भू–भाग– मध्यम हिमालयी पर्वतीय भू–भाग मुख्यतः नैनीताल, टांकी, किलबरी, पंगोट, कुंजखड़क, घुघुखान, मोरनौला, भीड़ापानी, लक्ष्मीखान, रामगढ, नथुवाखान, मौना, मुक्तेश्वर, शीतला, धानाचूली, पहाड़पानी क्षेत्र	जनपद में गहन व तीव्र हिमपात/बर्फबारी के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ▪ संभावित जनहानि ▪ कच्चे व पुराने आवासो के नुकसान होने की सम्भावना ▪ मोटर मार्ग अवरूद्ध होने आवागमन प्रभावित होना ▪ समुदाय एवं ट्रैकिंग व्यवसाय का प्रभावित होना ▪ वन्यजीवों की हानि ▪ पर्यावरणीय क्षति

जनपद में हिमपात/बर्फबारी एवं हिमपात से प्रभावित कुल 21 मोटर मार्ग एवं 06 आन्तरिक मार्ग निम्नानुसार चिन्हित किये गये हैं:–

क्र.स.	सड़क का नाम	हिमपात के कारण अवरूद्ध होने वाले क्षेत्र
1	नैनीताल किलवरी पंगोट राज्य मार्ग संख्या–63	पाईन्स से पंगोट
2	नैनीताल शहर के आन्तरिक मोटर मार्ग (58.00)	नैनीताल शहर के समस्त आन्तरिक मोटर मार्ग
i	अपर माल रोड	
ii	लोवर माल रोड	
iii	अपर कालाढूंगी रोड	
iv	ग्लैडन रोड	
v	ईस्ट लैगन रोड	
vi	अपर चीना रोड	

क्र.स.	सड़क का नाम	हिमपात के कारण अवरूद्ध होने वाले क्षेत्र
3	भवाली–नैनीताल–टांकी–किलबरी–पंगोट मार्ग	भवाली से नैनीताल, टांकी, किलबरी, पंगोट तक
4	पंगोट–कुंजखड़क मार्ग	पंगोट से कुंजखड़क तक
5	घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग	घुधुखान से सौड़
6	नैनीताल–कालाढूंगी मोटर मार्ग राज्य मार्ग संख्या–13 (31.66)	बारापत्थर से नारायणनगर
7	रानीबाग–भीमताल–खुटानी–चाफी–पदमपुरी–धानाचूली–मोतियापथर–शहरफाटक–मौरनौला–देवीपुरा–लोहाघाट–पंचेश्वर मोटर मार्ग (एस0एच0–10)	पदमपुरी से मोतियापाथर
8	खुटानी–भवाली–धानाचूली–ओखलकाण्डा–पतलोट मोटर मार्ग (एस0एच0–64)	धानाचूली से ओखलकाण्डा
9	मोरनौला–भीड़ापानी मोटर मार्ग (ओ0डी0आर0) (8.00)	मोरनौला से भीड़ापानी
10	पदमपुरी–हैडाखान–काठगोदाम मोटर मार्ग	पदमपुरी से गुनियालेख
11	भवाली–घोडाखाल मोटर मार्ग (ओ0डी0आर0) (3.05)	भवाली से घोडाखाल
12	घोडाखाल–श्यामखेत (4.05)	घोडाखाल से श्यामखेत
13	श्यामखेत–कूण मोटर मार्ग	श्यामखेत से कूण
14	भीड़ापानी–नाई मोटर मार्ग	भीड़ापानी से नाई
15	लक्ष्मीखान–तल्लारामगढ़–नथुवाखान–मौना–क्वारब मोटर मार्ग	लक्ष्मीखान से मौना
16	भटेलिया–मुक्तेश्वर मोटर मार्ग	भटेलिया से मुक्तेश्वर
17	मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग	मौना–ल्वेशाल–गहना–कालापातल
18	सुरमाना बैण्ड से मल्ला गहना मोटर मार्ग	सुरमाना बैण्ड से मल्ला गहना
19	कालापातल से सलियाकोट मोटर मार्ग	कालापातल से सलियाकोट
20	मुक्तेश्वर–शीतला मोटर मार्ग	मुक्तेश्वर से शीतला
21	रैक्वाल–डैलकुना मोटर मार्ग	रैक्वाल से डैलकुना
22	हल्द्वानी–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग	बल्दियाखान से नैनीताल

हिमपात/बर्फबारी बर्फ से अवरूद्ध उक्त संवेदनशील मार्ग सुचारू किये जाने हेतु लो0नि0वि0 के अन्तर्गत जे0सी0बी0 मशीनों तथा रोबोट की तैनाती की जाती है। इसके अतिरिक्त बर्फ को हटाए जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में नमक व चूने का भण्डारण भी सुनिश्चित किया गया हैं।

2.2.7 सड़क दुर्घटना

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनपद की सभी सड़कें अत्यधिक ढाल पर निर्मित तथा अत्यंन्त संकरे व घुमावदार/तीव्रमोड युक्त हैं। वर्षा व भूस्खलन से सड़क मार्ग समय–समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़कों की खराब स्थिति, अप्राप्त प्रशिक्षण, यातायात संकेतों का ज्ञान न होना, लापरवाही व नशे में वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है।

Road Accident Hazard Profile of District Nainital

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	सड़क दुर्घटना एक मानव जानित आपदा है।अत्यंन्त संकरे व घुमावदार/तीव्रमोड युक्त सड़के तथा लापरवाही इसके मुख्य कारणहै।	सम्पूर्ण जनपद के अधिकांश ग्रामीण मोटरमार्ग	जनपद में वाहन दुर्घटना के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ▪ संभावित जनहानि ▪ परिवार की आर्थिक हानि ▪ सम्पत्ति का नुकसान ▪ सामाजिक दुष्प्रभाव

2.2.8 नदियों में डूबने की घटनाऐं–

जनपद अन्तर्गत नदी एवं नालों की संख्या अधिक है साथ ही प्राकृतिक व मानव निर्मित जलाशय, बाँध व नदी बैराज अवस्थित हैं जिसमें लोग नहाने जाते है अधिक गहरायी व तैरने का अनुभव न होना, लापरवाही, आत्महत्या का प्रयास व नशे की हालत में होने के कारण यह घटनायें प्रायः होती रहती हैं।

Drowning Hazard Profile of District Nainital

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	नदियों में डूबने के मुख्य कारण लापरवाही व तैरने का अनुभव न होना है।	जनपद के प्रमुख नदियां, जलाशय, बाँध व नदी बैराज गाढ, गदेरे आदि	▪ जनपद में विभिन्न नदियों/गाड/झीलों जलाशय, बाँध व नदी बैराज में तैरने के अनुभवहीनता के कारण जनहानि का जोखिम है। ▪ संभावित जनहानि ▪ परिवार की आर्थिक हानि

2.2.9 भूस्खलन

जनपद नैनीताल का अधिकांश क्षेत्र भौगोलिक रूप से लघु एवं मध्यम हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भूस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक आपदा है। जनपद की विवर्तनिक संरचना, तीव्र ढाल, भारी वर्षा, भूकंपीय गतिविधियाँ तथा मानवजनित कारक जैसे सड़क निर्माण, अनियोजित कटान एवं वनों की कटाई

भूस्खलन की घटनाओं को और अधिक बढ़ा देते हैं। जब भूमि का कोई बड़ा भाग मुख्य पहाड़ी या भू–भाग से अलग होकर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर खिसक जाता है, तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। सामान्यतः वर्षा ऋतु के दौरान भूस्खलन की घटनाएँ अधिक देखने को मिलती हैं।

भूस्खलन के कारण जन एवं पशुहानि, आवासीय एवं सार्वजनिक भवनों को क्षति, सड़कों एवं संचार मार्गों का अवरुद्ध होना, विद्युत एवं जल आपूर्ति बाधित होना तथा कृषि भूमि एवं पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जनपद के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर तीव्र ढाल वाले मार्ग, सड़क कटान क्षेत्र एवं भारी वर्षा प्रभावित क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं।ढाल स्थिरीकरण, उचित जल निकासी व्यवस्था, वनीकरण, वैज्ञानिक ढंग से सड़क निर्माण, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान एवं निरंतर निगरानी, तथा जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भूस्खलन के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

जनपद में भू–स्खलन से प्रभावित संवेदनशील स्थानों का विवरण

क्र.स.	तहसील/क्षेत्र/नगर	प्रभावित क्षेत्र
1	**तहसील नैनीताल**	बेलुवाखान, मलुवाताल, खुपी तोक कुरियागाँव, आलू खेत, भूमियांधार, पाण्डेगॉव तोक भांकर, ढुंगशील तल्ला बोहराकोट एवं झुतिया (रामगढ़) चोपडा (रानीबाग–भीमताल मोटर मार्ग), मंगोली–ग्राम रौखड, अवलटानी, अमगडी (अमगडी–बेतालघाट मोटरमार्ग) ग्राम बोहराकोट एवं गौरियादेव, अमतोली (अमतोली–पातली–अमोठा मोटरमार्ग), कुरपाखा अन्तर्गत स्थित खुर्पाताल झील, भीमताल क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक रोड भीमताल एवं बाइपास रोड नियर मिनी स्टेडियम भीमताल, पाण्डेगांव, ग्राम अमगडी (अमगडी–भलोन–पाटकोट मोटर मार्ग अमगडी–भलोन मध्य नाले), ग्राम डौन ग्राम परेवा एवं ओखलढूंगा (अमगडी–डौन–ओखलढूंगा मोटर मार्ग), सौड खांणी (खांणी–छडा मोटर मार्ग व फतेहपुर मोटर मार्ग), ग्राम रौशिल तोक भक्त्याजाला
2	**तहसील श्री कैंची धाम**	बुढ़लाकोट का तोक ठेकला, पट्टी पाडली ग्राम जसियाधूना, सोनगॉव तोक मलियालगॉव, पट्टी सिमलखॉ जाख, सौनगांव तोक मलियालगांव, ग्राम छड़ा के भौर्या बैण्ड एवं लोहाली तोक चमड़िया–पनियाली गधेरे ग्राम बारगल, ग्राम जोग्याड़ी एवं ग्राम चौड़ा रा0उ0नि0 क्षेत्र मझेडा के ग्राम छड़ा के तोक खैरना, हरिनगर हरतोला, हरिनगर थुवाब्लॉक, धारी उलगौर
3	**तहसील धारी**	ग्राम देवनगर, पन्याली, गुनीगांव, गुनियालेख, थलाड़ी, सुनकोट, कुकुना, बलना, काफली, कचिलाकोट, कौल, परवडा, अघरिया, महतोलियागांव, भुमका, भौनरा, बलना, कैडागांव, सूनी, कोटला, कटना, मज्यूली, सेलालेख, कफरोली, सलियाकोट तल्ला, सलियाकोट मल्ला, हरिनगर थली, पतलिया तोक लिंगरानी, अनर्पा, नौगांव, जलना नील
4	**तहसील बेतालघाट**	चडयूला से दूधौली के मध्य, मल्लीपाली से सूखा मध्य, अमेल से कटीमी के मध्य, तल्लीसेठी से बवास के मध्य, खैराली बूगों से ऊॅचाकोट के मध्य मोटरमार्ग क्षेत्र

क्र.स.	तहसील/क्षेत्र/नगर	प्रभावित क्षेत्र
5	**तहसील खनस्यूँ**	(हैड़ाखान–सिमलियाबैंड–साननी मोटरमार्ग, खनस्यूँ–ओखलकाण्डा मोटरमार्ग क्षेत्र) खनस्यूँ, डालकन्या, झडगांव, चमोली, गलनी, पतलोट, ढोलीगाँव
6	**नैनीताल नगर**	बलिया नाला, चार्टन लॉज, डी0एस0बी0परिसर के पास की पहाड़ी, टिफन टॉप–डोरोथी सीट, नैनापीक, ठण्डी सड़क (डी0एस0बी0 कैम्पस छात्रावास, मल्लीताल भोटिया बाजार के ऊपर), टूटा पहाड़ भवाली रोड
7	**काठगोदाम–नैनीताल मोटरमार्ग**	त्रिमूर्ति–हनुमानगढ़ के मध्य, हनुमान मंदिर के पास, बेलुवाखान, दोगॉव–डॉन बास्को स्कूल, गुलाबघाटी
8	**रानीबाग–भीमताल मोटरमार्ग**	सलड़ी, बोहराकून व अमृतपुर–बानना क्षेत्र
9	**हल्द्वानी–अल्मोड़ा मोटरमार्ग**	कैंची धाम से पाडली के मध्य बचखेत, रातिघाट, बारगल का तोक गरमपानी के पास (फ्रॉग पाइंट) पर पाडली पुल, गरमपानी–खैरना छड़ा, लोहाली (पन्यालीगाड़), जौरासी, नावली, काकड़ीघाट, सुयालबाड़ी, क्वारब
10	**नैनीताल–कालाढुंगी मोटरमार्ग**	बारापत्थर से चारखेत के मध्य, बजून क्षेत्र, शिव मंदिर, प्रिया बैंड
11	**काठगोदाम दमुवाढूँगा क्षेत्र**	रकसिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाले से लगे क्षेत्र

<u>जनपदीय प्रमुख मोटर मार्ग – भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का विवरण</u>

क्र.स.	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित लोकेशन (कि0मी0/है0मी0)
	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल।	
1	नैनीताल कालाढूँगी बाजपूर दोराहा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 13) लम्बाई 31.66 किमी0	किमी0 3 हेमी0 8–10, किमी0 12 हेमी0 0–2, किमी0 24 हेमी0 0–4, किमी0 25 हेमी0 8–10 किमी0 26 हेमी0 0–2 किमी0 27 हेमी0 2–4 किमी0 28 हेमी0 2–4
2	भवाली नैनीताल टॉकी किलवरीपंगोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 63) लम्बाई 26.43 किमी0	किमी0 7 हेमी0 2–4, किमी0 25 हे0मी0 8–10

क्र.स.	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित लोकेशन (कि0मी0/है0मी0)
3	मंगोली खमारी थापला–जलालगॉव	किमी0 3, किमी0 4 हेमी0 8–10, किमी0 5 हेमी0 2–4, किमी0 6 हेमी0 0–4, किमी0 8 हेमी0 2–4 किमी0 9 हेमी0 2–4
4	काठगोदाम हैडाखान साननी बैण्ड सिमलिया बैण्ड मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 103) लम्बाई 51.90 किमी0	किमी0 3 हे0मी0 2–4, 4–6, 6–8 (लगभग 400 मी0) किमी0 8 हे0मी0 6–10 किमी0 18 हे0मी 2–4 किमी023 हे0मी0 0–2 किमी026 हे0मी0 8–10 किमी029 हे0मी0 0–2 किमी040 हे0मी0 6–8 किमी042 हे0मी0 2–4 किमी043 हे0मी0 2–4 किमी044 हे0मी0 4–6 किमी0 47 हे0मी0 4–6 किमी0 49 हे0मी0 0–2
5	नैनीताल बाईपास	किमी0 5 हे0मी0 2–4, 6 हे0मी 4–6 व 7 हे0मी0 4–6
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल		
1	तल्ली सेठी– बेतालघाट – रतौड़ा – भुजान (शहीद बलवन्त सिंह मेहरा मोटर मार्ग सहित) मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–71) (लम्बाई 24.485 किमी0)	किमी0 45, 63 (खौला, काली पहाडी)
	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली	
1	रानीबाग–भीमताल–खुटानी–चॉफी–पदमपूरी– धानाचूली–लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 –10)	किमी0 7 एवं 10 सलड़ी
2	खुटानी–भवाली–धानाचूली– पतलोट – रीठा साहिब–मीनार– धूनाघाट –चम्पावत –मंच – तामली मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–64)	किमी0 83 हेमी0 6–8 एवं किमी0 93 हेमी0 6–8 गोगड़ा गधेरा

क्र.स.	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित लोकेशन (कि0मी0/है0मी0)
3	मोरनौला–भीड़ापानी–नाई–देवली–पतलोट– ल्वाड़डोबा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–104)	किमी0 46 हेमी0 2–4 डेप्टा, किमी0 49 कुकड़ा गाड़ गधेरा, किमी0 70 डोबा,
4	पदमपुरी – बबियाड़ मोटर मार्ग (किमी0 1 से 35)	किमी0 27.800 से 28.000 किमी0 11.800 से 12.000 किमी0
5	ईलाइजर – चमोली मोटर मार्ग (13.12 किमी0)	किमी0 11 कालाआगर
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर		
1	गर्जिया–बेतालघाट–खैरना राज्य मार्ग संख्या 62	किमी0 22– जमीरा (200 मी0) किमी0 18– पापडी (500 मी0)
2	काण्डा–डौन–परेवा–अमगड़ी मोटर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	किमी0 11 चैनेज 10.100 से 10.400
3	रामनगर–भण्डारपानी–अमगडी–बोहराकोट–ओखलढुंगा–तल्ली सेठी–बेतालघाट–रतौडा–भुजान–विशालकोट–जेना–रीची–बिल्लेख मोटर मार्ग। राज्य मार्ग संख्या 71	किमी0 25 एवं 44

पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0,ज्योलीकोट

1	**एल 32 कि0मी0 20 से बानना मोटर मार्ग**	**कि0मी0 7.00, कि0मी0 8.00, कि0मी0 11.00 कि0मी0 14.00**
2	जी0आई0सी0 बानना बड़ोरा जंगलियागांव मोटर मार्ग	कि0मी0 4.00, कि0मी0 5.00
3	लोहाली से थुवाब्लाक	कि0मी0 9.00
4	फतेहपुर बेल बसानी मोटर मार्ग कि0मी0 11 से 20	कि0मी0 12.00, कि0मी0 13.00, कि0मी0 18.00
5	एन0 एच0 87 के किमी 92 से मलुटी मोटर मार्ग	कि0मी0 3.00, कि0मी0 6.00, कि0मी0 8.00
6	हरतपा हली मोटर मार्ग	कि0मी0 0.900
7	तल्लीपाली मल्लीपाली कि0मी0 4 से सूखा मोटर मार्ग	–
8	रिची बिल्लेख भुजान किमी0 4 से दिग्थरी मोटर मार्ग	–
9	बिनकोट चन्द्रकोट मोटर मार्ग	कि0मी0 0.750 कि0मी0 6.750, कि0मी0 10.025, कि0मी0 12.850, कि0मी0 13.00
10	फतेहपुर बेल बसानी मोटर मार्ग कि0मी0 0 से 10	कि0मी0 3.00 कि0मी0 6.00, कि0मी0 8.00

1	**एल 32 कि0मी0 20 से बानना मोटर मार्ग**	**कि0मी0 7.00, कि0मी0 8.00, कि0मी0 11.00 कि0मी0 14.00**
11	एम0डी0आर0 25 से लमजाला मोटर मार्ग	कि0मी0 1.300 कि0मी0 6.00
12	एच0एम0टी0 रानीबाग ब्रेवरी नैनीताल मोटर मार्ग	किमी0 5.00, कि0मी0 7.00, कि0मी0 9.00, कि0मी0 10.00
13	घोडाखाल धुलई कि0मी0 2 बहेडीगांव मोटर मार्ग	—
14	रातीघाट बुधलकोट मोटर मार्ग	कि0मी0 0.600, कि0मी0 3.00
15	खैरना बेतालघाट रोपा मोटर मार्ग	कि0मी0 1.400
16	बोहरागांव देवीधुरा मोटर मार्ग कि0मी0 21 से 32	कि0मी0 26.00, कि0मी0 27.00 कि0मी0 28.00
17	बजून से अधौडा मो0मा0 कि0मी0 3.00 से अक्सू मोटर मार्ग	कि0मी0 0.00—1.00, कि0मी0 2.00, कि0मी0 3.00 कि0मी0 4.00
18	नौना ब्यासी सिल्टोना बुधलाकोट मोटर मार्ग	कि0मी0 0.200, कि0मी0 15.250
19	डोलकोट पॉगकटारा मोटर मार्ग	कि0मी0 3.00, कि0मी0 4.600
20	अम्बेडकर ग्राम रिखौली मोटर मार्ग	कि0मी0 5.350 कि0मी0 5.800, कि0मी0 6.500, कि0मी0 8.200, कि0मी0 12.00, कि0मी0 15.00
21	भुजियाघाट सूर्यांगाव मोटर मार्ग	कि0मी0 1.00

पी0एम0जी0एस0वाई काठगोदाम

1	टकुरा ब्रिज मोटर मार्ग किमी04 से तुषराड़ मोटर मार्ग ल0 4.73 कि0मी0	किमी0 2 है0मी0 0—4 किमी0 3 है0मी0 4—6 एवं किमी0 4 है0मी0 2—4
2	स्यूडा से कौन्ता —ककोड़ — हरीशताल मोटर मार्ग ल0 36.950 कि0मी0	किमी0 2 है0मी0 8—10, किमी0 4 है0मी0 2—4, 4—6, 8—10 किमी0 7 है0मी0 4—6 किमी0 12 है0मी0 4—6, किमी0 15 है0मी0 8—10, किमी0 16 है0मी0 0—2, 4—6, किमी0 18 है0मी0 4—6, 8—10, किमी0 19 है0मी0 4—6 किमी0 22 है0मी0 4—6 किमी0 24 है0मी0 4—6
3	बरेली—अल्मोडा मोटर मार्ग के किमी0 172 से सिरसा मोटर मार्ग ल0 1.75 कि0मी0	किमी0 1 है0मी0 0—2, 8—10, किमी0 2 है0मी0 2—4, 4—6
4	ढोलीगांव से धैना मोटर मार्ग ल0 12.725 कि0मी0	किमी0 8 है0मी0 6—8
5	ढोलीगांव से कैडागांव मोटर मार्ग ल0 8. 625 कि0मी0	किमी0 7 है0मी0 4—6

पी0एम0जी0एस0वाई हल्द्वानी

1	सरना से शेरुवाकानाला मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 3.00 पर स्लाइडिंग जोन
2	मटियाल से कनर्खा मोटर मार्ग	किमी0 2.00 एवं 3.00 पर स्लाइडिंग जोन
3	धानाचूली ओखलकाण्डा मोटर मार्ग के किमी0 82 (झरगांव) से चकसंडूला मोटर मार्ग स्टेज 1एवं 2	किमी0 1.00, 2.00, 5.00 एवं 7.00, 8.00 पर स्लाइडिंग जोन
4	खन्स्यू से रिखाकोट मोटर मार्ग स्टेज 1 एवं 2	किमी0 1.00, 2.00 एवं 4.00, 5.00 पर स्लाइडिंग जोन
5	तल्ला ओखलकांडा से कनाला मोटर मार्ग स्टेज 1 एवं 2	किमी0 2.00 एवं 3.00 पर स्लाइडिंग जोन
6	देवीपुरा सौड़ कि0मी0 13 से बाघनी मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 3.00 एवं 5.00 पर स्लाइडिंग जोन
7	महतोलिया गॉव से मझुली मोटर मार्ग।	किमी0 1.00 से 3.00 पर स्लाइडिंग जोन
8	कोटाबाग से देवीपुरा मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 2.5 पर स्लाइडिंग जोन
9	देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग 16.00 से 29.00 किमी	किमी0 20.00, 24.00, 26.00, 27.00 पर स्लाइडिंग जोन
10	भण्डारपानी–पाटकोट से अमोठा मोटर मार्ग	किमी0 2.00, 3.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00 और 10.00 पर स्लाइडिंग जोन

राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0, खण्ड

1	रा0मा0 सं0–87 (नया 109) (काठगोदाम से नैनीताल प्रभाग) किमी0 89.100 से 123.000	कि0मी0 91, 94, 98, 103, 108, 112, 121 व 122
2	रा0मा0 सं0–87 विस्तार (नया 109) (ज्योलीकोट से क्वारब प्रभाग) किमी0 0.00 से 55.500	कि0मी0 2, 8, 11, 12, 21, 25, 26, 27, 28, 38, 45, 52 व 55
3	रा0मा0 सं0–121 (नया 309) (काशीपुर–रामनगर–बुआखाल प्रभाग) कि0मी0 0.000 से 63.000	कि0मी0 61 व 62

HVCRA ANALYSIS

विगत आपदाओं की प्रवृत्ति (Past Disaster Trend Analysis: 2000–2025)

- वर्ष 2000 से 2025 तक जनपद नैनीताल की विभिन्न तहसीलों से प्राप्त आपदा एवं क्षति संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जनपद की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इस अवधि में मुख्य रूप से फ्लैश फ्लड, क्लाउडबर्स्ट, भूस्खलन, वनाग्नि तथा अतिवृष्टि से संबंधित घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
- विगत 25 वर्षों के आंकड़ों से यह भी परिलक्षित होता है कि अधिकांश आपदाएँ मानसून अवधि (जून से सितंबर) के दौरान अधिक घटित होती हैं। अत्यधिक वर्षा, तीव्र ढाल तथा कमजोर भूगर्भीय संरचना के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड की घटनाएँ होती हैं, जिससे ग्रामीण बस्तियों, कृषि भूमि तथा सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुँचता है।
- इसके अतिरिक्त, ग्रीष्मकाल में वनाग्नि की घटनाएँ भी जनपद के वन क्षेत्रों में नियमित रूप से दर्ज की जाती रही हैं, जिससे वन संपदा, जैव विविधता तथा पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इन ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में आपदा जोखिम मुख्यतः अत्यधिक वर्षा, संवेदनशील पर्वतीय भूगोल, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र तथा विस्तृत वन क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है।

तहसील–वार संवेदनशीलता विश्लेषण (Tehsil-wise Vulnerability Analysis)

विगत 25 वर्षों के आपदा आंकड़ों के आधार पर जनपद नैनीताल की विभिन्न तहसीलों में आपदाओं की संवेदनशीलता का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:-

क्र.स.	तहसील	प्रमुख आपदा जोखिम
1	नैनीताल	भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध
2	धारी	क्लाउडबर्स्ट, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन
3	रामगढ़	भूस्खलन, कृषि क्षति
4	कोश्याकुटौली	फ्लैश फ्लड, नदी कटाव
5	बेतालघाट	फ्लैश फ्लड, सड़क क्षति
6	हल्द्वानी	अतिवृष्टि, जलभराव
7	कालाढूंगी	वनाग्नि, अतिवृष्टि
8	लालकुआँ	बाढ़, जलभराव
9	रामनगर	वनाग्नि, नदी बाढ़

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित तहसीलें भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जबकि तराई एवं वन क्षेत्र से जुड़े इलाकों में बाढ़ और वनाग्नि की घटनाएँ अधिक पाई जाती हैं।

<u>आपदा प्रभाव का विश्लेषण</u> (Impact Analysis)

<u>विगत 25 वर्षों के दौरान दर्ज घटनाओं के आधार पर निम्न प्रमुख प्रभाव सामने आए हैं</u>:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवनों को क्षति
- कृषि भूमि एवं फसलों को नुकसान
- सड़क एवं पुल जैसी अवसंरचना को क्षति
- कई स्थानों पर संपर्क मार्ग अवरुद्ध होना
- वन क्षेत्रों में वनाग्नि के कारण पर्यावरणीय क्षति

इन घटनाओं के कारण स्थानीय स्तर पर आर्थिक हानि तथा जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है।

<u>HVCRA के लिए मुख्य निष्कर्ष</u> (Key Outcomes from Past Disaster Data)

<u>विगत 25 वर्षों के आपदा आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं</u>:-

1. जनपद नैनीताल में मानसून से संबंधित आपदाएँ सबसे अधिक प्रभावी हैं।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड का जोखिम अधिक है।
3. वन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएँ नियमित रूप से होती हैं।
4. अत्यधिक वर्षा के कारण ग्रामीण अवसंरचना एवं कृषि क्षेत्र प्रभावित होते हैं।

- **मानसून आधारित आपदाओं की अधिकता**

  जनपद में अधिकांश आपदाएँ मानसून अवधि (जून–सितंबर) में घटित होती हैं। इस अवधि में अत्यधिक वर्षा के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड तथा क्लाउडबर्स्ट जैसी घटनाएँ अधिक दर्ज की गई हैं।

- **पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की उच्च संवेदनशीलता**

  पर्वतीय भूगोल, तीव्र ढाल तथा कमजोर भूगर्भीय संरचना के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएँ बार–बार होती हैं, जिससे सड़क अवरोध, आवासीय भवनों को क्षति तथा संपर्क मार्ग बाधित होते हैं।

- **फ्लैश फ्लड और क्लाउडबर्स्ट का स्थानीय प्रभाव**

  कुछ तहसीलों में अचानक बाढ़ एवं क्लाउडबर्स्ट की घटनाओं से कृषि भूमि, ग्रामीण बस्तियों तथा अवसंरचना को क्षति पहुँची है।

- **वनाग्नि की मौसमी समस्या**

  ग्रीष्म ऋतु के दौरान जनपद के वन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएँ नियमित रूप से सामने आती हैं, जिससे वन संपदा, जैव विविधता तथा पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है।

- **ग्रामीण अवसंरचना पर अधिक प्रभाव**

  आपदाओं के कारण मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कें, पुल, विद्युत लाइनें तथा जलापूर्ति प्रणाली प्रभावित होती हैं, जिससे आपदा के बाद पुनर्स्थापन में समय लगता है।

- **कृषि एवं आजीविका पर प्रभाव**

कई स्थानों पर कृषि भूमि एवं फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण समुदाय की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

<u>प्रमुख सिफारिशें</u> (Recommendations)

विगत 25 वर्षों के आपदा आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जनपद नैनीताल में आपदा जोखिम मुख्य रूप से भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, क्लाउडबर्स्ट एवं वनाग्नि से संबंधित है। अतः जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम मानचित्रण, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देकर आपदा जोखिम को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर जनपद नैनीताल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निम्न प्रमुख उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:-

भविष्य में आपदा जोखिम को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, ढलान स्थिरीकरण, वनाग्नि प्रबंधन तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

- **अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करना**
  - भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड संभावित क्षेत्रों में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए।
  - मौसम विभाग एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त चेतावनियों का समय पर प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
- **भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों का प्रबंधन**
  - भूस्खलन संभावित स्थलों की वैज्ञानिक पहचान एवं मानचित्रण किया जाए।
  - संवेदनशील ढलानों पर रिटेनिंग वाल, ड्रेनेज सुधार एवं ढलान स्थिरीकरण कार्य किए जाएँ।
- **वनाग्नि प्रबंधन को मजबूत करना**
  - वन क्षेत्रों में फायर लाइन निर्माण एवं नियमित सफाई की जाए।
  - स्थानीय समुदायों को वनाग्नि नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग में शामिल किया जाए।
- **अवसंरचना की आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना**
  - सड़क, पुल तथा अन्य अवसंरचना के निर्माण में Disaster Resilient Design अपनाया जाए।
  - आपदा के बाद त्वरित बहाली (Rapid Restoration) के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- **सामुदायिक जागरूकता एवं क्षमता निर्माण**
  - ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण किया जाए।
  - स्कूलों एवं समुदायों में डवबा क्तपससे और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- **विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करना**
  - विभिन्न विभागों के बीच समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र (Coordinated Response Mechanism) विकसित किया जाए।
  - आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों के लिए Standard Operating Procedures (SOPs) को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

अध्याय 03

आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

3.1 जनपद में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था

जनपद में संभावित आपदाओं के शमन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 25 के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। जनपद में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन कार्यों को संपादित करने हेतु जनपद, तहसील व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन हेतु आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा जनपद आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा आपातकालीन कार्यों के संचालन हेतु कलैक्ट्रट परिसर में ही जिला आपातकालीन केंद्र स्थापित किया गया है।

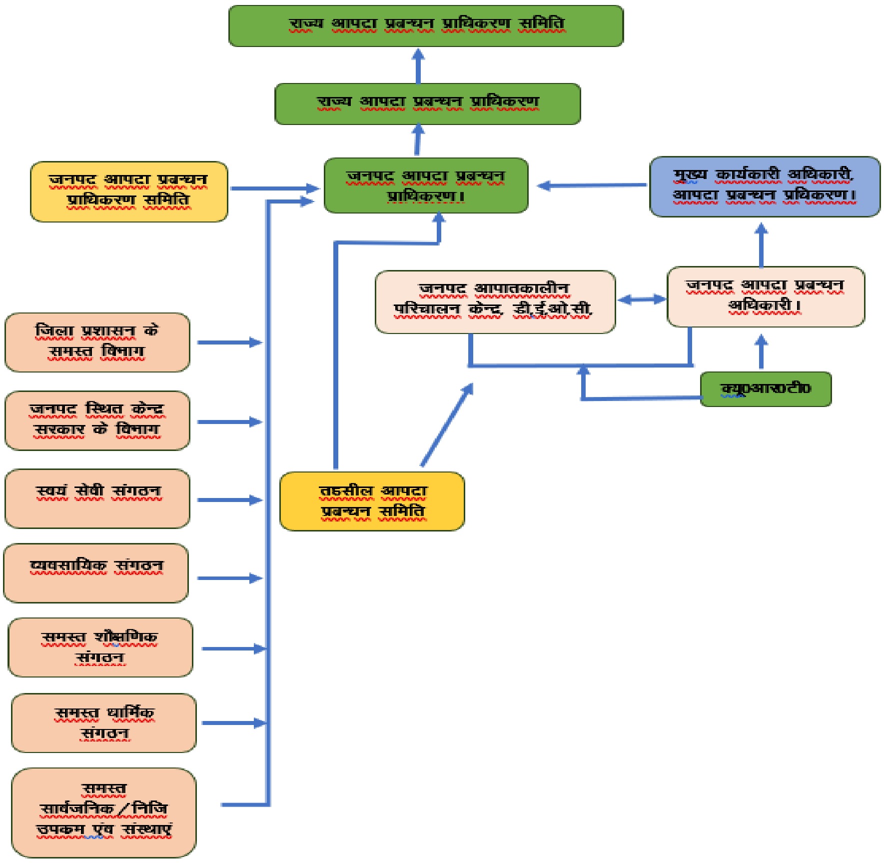

District-level disaster management arrangements

3.2 जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नप्रकार अधिसूचित है–

क्र.सं	पदनाम	कार्यालय	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष	05942–235684	8630493648
2	जिला पंचायत अध्यक्ष सह अध्यक्ष	05942–235014	9927340744
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदस्य	05942–235586	9411112712
4	मुख्य विकास अधिकारी सदस्य	05942–248311	9545653702
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी	–	9411181108
6	मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य	05942–235285	9927213807
7	**अधिशासी अभियंता, प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0 सदस्य**	**05942–235572**	6397431385

DDMA Nainital Structure

3.3 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्वः–

- जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
- जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अध्यतन रखना।
- जनपद मे आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
- जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
- जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
- जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।

- जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति मे मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्वलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
- आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्विलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
- जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
- आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
- यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
- जनपद की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
- जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
- जनपद के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
- ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। एसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एंव आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
- जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैछिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
- संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
- जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विधालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारीयों के नाम एवं संपर्क नंबरों की अधतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।
- जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अध्यतन करना ।

3.4 तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात् तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद उत्तरकाशी की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया गया है।

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका / पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

Teshil-level disaster management arrangements

3.4 .1 तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य– उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–

- तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
- आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
- आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
- आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों।
- ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
- आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
- आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
- नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
- यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.4.2 आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ– आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के कार्यालयादेश संख्या 5045/ग्प्ट–168 (2004) दिनांक 04.09.2006 के द्वारा जनपद में अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए निम्न प्रकार जनपद आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ (District Hazard Safety Unit) का गठन किया गया है, जो जनपद भूकम्प व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत आदेशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी व आपदा सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जनपद की विशिष्टता आवश्यकता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपने सुझाव प्रदान करेगी।

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, नैनीताल	संयोजक
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	सदस्य
4	अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, नैनीताल	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल	सदस्य
6	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	सदस्य

3.4.3 आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0)– जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुँच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वास्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

3.4.4 तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल– जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का गठन किया जाता है:–

3.4.5 ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति– जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0/जू0हा0/इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं0 दल/यु0मं0 दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए0एन0एम0/आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि/भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

Village level Disaster Management Committee

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

3.5 जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

3.5.1 वनाग्नि धटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766/एफ0आर0डी0सी0/2002 दिनांक, 11.1.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी	सदस्य
5	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक
3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
5	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
7	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो	सदस्य

Block Level Forest Fire Control Committee

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्कतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

3.5.2 वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन– वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

Van panchayat Level Forest Fire Control Committee

उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

I. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
II. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
III. लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
IV. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
V. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

3.5.3 आपदा कि स्थिति में त्वरिय कार्यवाही एंव प्रतिवादन हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का विवरण–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के तहत निम्न अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो भविष्य में आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी व विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण/पुर्ननिर्माण करेंगे –

क्र.सं.	विभाग	नामित विभागीय नोडल अधिकारी	नाम	मोबाईल नं0
1	पुलिस	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	श्री मंजूनाथ टी0सी0	05942–235730 9411112712
2	वन	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग	श्री आकाश गंगवार	05942–236790, 237927 7579105560
3	विकास	मुख्य विकास अधिकारी	श्रीमती अनामिका	248311, 9545653702
4	राजस्व	प्रभारी अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/मुख्य राजस्व लेखाकार	श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी/श्रीमती याचना कोरंगा	9410771899, 7668640678/ 7017426745
5	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ0 हरीश पंत	235285, 9927213807
6	शिक्षा	मुख्य शिक्षा अधिकारी	श्री गोविन्द राम जैसवाल	248469, 8800589095
7	परिवहन	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	डॉ0 गुरूदेव सिंह	260207, 8191054500

क्र.सं.	विभाग	नामित विभागीय नोडल अधिकारी	नाम	मोबाईल नं0
8	पशुपालन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	डा0 डी0सी0 जोशी	248367, 9412944175
9	पूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी	श्री मनोज वर्मन	235770, 9412910041
10	विद्युत	अधिशासी अभियंता, पावर कॉरपोरेशन, नैनीताल	श्री सुरेन्द्र कुमार सेहगल	235524, 9412093102
11	लो0नि0वि0	अधीक्षण अभियन्ता, II'nd वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल	श्री मनोहर सिंह धर्मशस्तु	235728, 232030 8755846037
12	सिंचाई	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल	श्री डी0के0 सिंह	235192, 9411173158
13	जल निगम	अधिशासी अभियंता, जल निगम नैनीताल	श्रीमती पल्लवी चौधरी	235741, 9917371674
14	जल संस्थान	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान नैनीताल	श्री रमेश सिंह गर्ब्याल	9412085082
15	वैकल्पिक ऊर्जा	परियोजना अधिकारी, (उरेडा)	श्री एस0आर0 गौतम	05946—221537 8941043531
17	राष्ट्रीय राजमार्ग	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी	श्री अशुतोश	7457000129
18	बैंकिग	लीड बैंक प्रबन्धक	श्री बी0एस0 चौहान	8477009544
19	दूरसंचार	उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0	श्री रोहित शर्मा	05946—222000 9478757700
20	कृषि	मुख्य कृषि अधिकारी	श्रीमती ऋतु कुकरेती सिंह	248313, 9639243493 9557899720
21	सूचना	जिला सूचना अधिकारी	श्री गिरजा शंकर जोशी	235605, 9548870020
22	ग्राम पंचायत	जिला पंचायतराज अधिकारी	श्री सुरेश बानी	248368, 9456768818
23	समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण अधिकारी	श्री विश्वनाथ गौतम	248431, 9837393583

क्र.सं.	विभाग	नामित विभागीय नोडल अधिकारी	नाम	मोबाईल नं0
24	उद्यान	जिला उद्यान अधिकारी	श्रीमती भावना जोशी	247266, 8192939276
25	पर्यटन	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी	श्री अतुल भंण्डारी	235337, 7895737015
26	शहरी विकास	नगर आयुक्त नगर निगम, हल्द्वानी/काठगोदाम अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल	श्री पारितोश वर्मा श्री रोहिताश शर्मा	05946–220035, 9412923570 05942–235153, 7983691974
27	ग्रामीण निर्माण	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग	श्री कमलेश जोशी	248396, 9412436014
28	युवा कल्याण	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	श्री प्रतीक जोशी	248481, 9548298997
29	होमगार्ड	जिला कमाडेण्ट, होमगार्ड	श्रीमती प्रतिमा	284034, 9415343751
30	अग्निशमन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद नैनीताल	श्री गौरव किरार	235626, 9411113485
31	जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	श्री सुरेश बानी	248368, 9456768818
32	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	जिला कार्यक्रम अधिकारी	श्रीमती अनुलेखा बिष्ट	248322, 9456324670

District Level Nodal Officers and Contact no

3.6– जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल (डी0ई0ओ0सी0)–

District Emergency Operation Center Nainital (DEOC)-

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है जिसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना विवरण संकलित किया जाता है।

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में 01 सेटेलाइट फोन, 01–पुलिस वायरलेस सेट, वन विभाग वायरलेस सेट तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर निम्नवत हैं–

Phone: + 91 – 05942-231178, 231179, 231181, 1077 (Toll free),

Mobile.: + 8272080884 (Airtel)

Mail Id: deocnainital@gmail.com

जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा भारतीय मौसम विभाग की वैबसाईड से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी सम्बन्धितों/मीडिया तथा जनसामान्य हेतु प्रचारित किया जााता है।

- ❖ परिचालन केन्द्र में जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, एवं ग्राम प्रधान की सूचि संकलित की गयी हैं, जिससे आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- ❖ विभिन्न मार्गों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। मानसून अवधि में अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., पी.एम.जी.एस.वाई. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा संसाधनों की सूची उपलब्ध है। मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।
- ❖ जनपद में एस0डी0आर0एफ0, अर्ध सैनिकबल, सेना, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर प्रशिक्षित टीमें एवं जनपदीय अधिकारियों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट गाईड तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष सहित सूची उपलब्ध है।
- ❖ आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये है। उनके कॉर्डीनेटस् कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।
- ❖ आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा दैनिक रूप से वर्षा, नदियों का डिस्चार्ज, मौसम की स्थिति, जनपद के समस्त मार्गो की स्थिति, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति की सूचना संकलित कर दैनिक रूप से आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा उच्चाधिकारीयों को प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों को यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुये नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

3.7 जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौस सिस्टम कि संरचना एंव दायित्व– जनपद में संभावित आपदाओं के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों को सम्पन्न करने हेतु इंसिडेंट रिस्पौंस टीम का गठन किया गया है। अतः किसी आपदा के घटित होने पर सम्बन्धित तहसील एवं जनपद स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम क्रियाशील किया जाएगा।

District-level Incident Response System

Incident Response System (IRS)- District Nainital

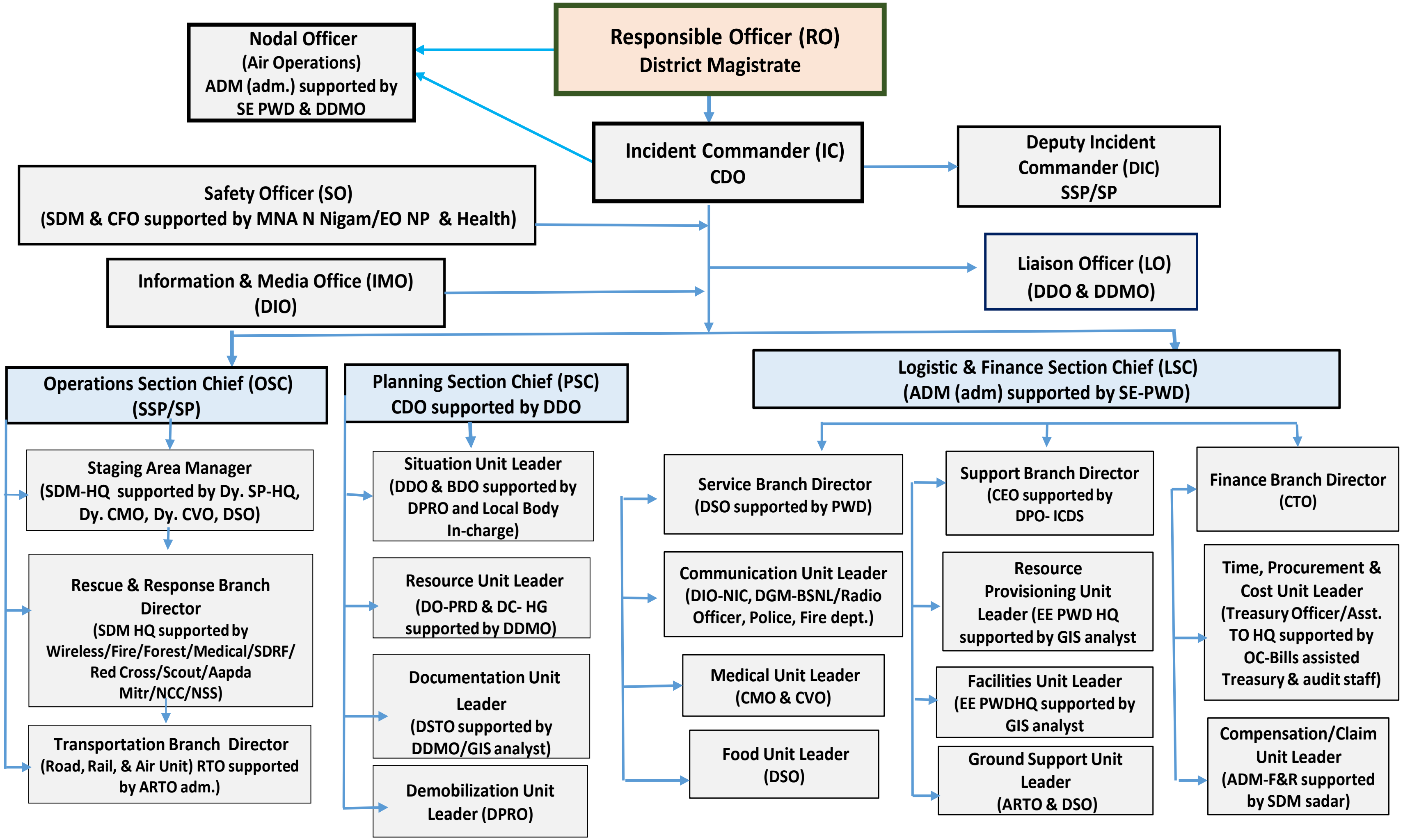

3.7.1 जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौस सिस्टम

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 594/XVIII-B-1/2025-15(05)/2025 दिनॉक 09 जून, 2025 के द्वारा जारी अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 53, वर्ष 2005) की धारा 6 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा Incident Response System-IRS हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य में राज्य, जनपद एवं तहसील स्तर पर IRS का गठन किया गया है।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत गठित जनपद स्तर एवं तहसील स्तर Incident Response System-IRS सरंचना/प्रणाली में नामित अधिकारी एवं उनके कार्यदायित्वों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
	कमांड स्टाफ (Command Staff)			
1	जिम्मेदार/ उत्तरदायी अधिकारी Responsible Officer, (RO)	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी	▪ समग्र प्रभारी। ▪ आपातकालीन स्थिति में समयबद्ध रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय स्थायी आदेश जारी करना। ▪ आवश्यकतानुसार मुख्यालय स्तर पर Incident Response System (IRS) को सक्रिय करना। ▪ आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायुसेना आदि से सहायता तथा अन्य संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना।
2	घटना प्रभारी Incident Commander (IC)	मुख्य विकास अधिकारी	अपर जिलाधिकारी	▪ खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियाँ सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना। ▪ उच्चाधिकारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना। ▪ घटना की नियंत्रण अवधि तथा व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये समुचित Incident Response System (IRS) प्रणाली/संगठन स्थापित करना। ▪ उपयुक्त स्थान पर Incident Commander (IC) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना। ▪ यह सुनिश्चित करना कि Incident Action Plan (IAP) तैयार हो गया हैं। ▪ Incident Action Plan (IAP) को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना। ▪ सभी अनुभाग प्रमुखों के साथ नियमित अंतराल में योजना बनाने हेतु बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। ▪ मीडिया को सूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत करना। ▪ यथोचित समय पर Incident Response Team (IRT) को विघटित करने की संस्तुति करना। ▪ Responsible Officer के मार्गदर्शन में घटना से

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
				सम्बन्धित सभी कार्यों की सुचारू रूप से क्रियान्वित करना।
3	उप घटना प्रभारी Deputy Incident Commander (DIC)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपजिलाधिकारी, सहयोग– विकासखण्ड अधिकारी	▪ घटना प्रभारी Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य/दायित्वों का संपादन। ▪ स्थायी पदग्राही की अनुपस्थिति में घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के रूप में कार्य करेंगे।
4	सूचना एवं मीडिया अधिकारी Information & Media Officer (IMO)	जिला सूचना अधिकारी	सहायक सूचना अधिकारी	▪ घटना प्रभारी के अनुमोदन से घटना के सम्बन्ध में सूचनाओं को तैयार करना एवं मीडिया एवं अन्य एजेंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना। ▪ आकस्मिक आपदा की स्थिति में जब Incident Response Team (IRT) पूर्णरूप से सक्रिय न हो, लिए गए निर्णयों एवं निर्गत दिशा–निर्देश को लिपिबद्ध करना एवं Incident Response Team (IRT) के सक्रिय होने पर Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग सेक्शन को उपलब्ध कराना। ▪ घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का अनुश्रवण और समीक्षा करना जो घटना के संबंध में योजना बनाने में लाभकारी हों। ▪ सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना।
5	समन्वय अधिकारी Liaison Officer	जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	जिला विकास अधिकारी सहयोग–सहायक अभियंता और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	▪ विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना। ▪ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंयियों के साथ समन्वय स्थापित करना। ▪ सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनों के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ साझा करना। ▪ घटना प्रभारी के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना। ▪ प्रत्येक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना।
6	सुरक्षा अधिकारी Safety Officer	उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहयोग मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और	सम्बन्धित एस0एच0ओ0/ एस0ओ0 सहयोग– अग्निशमन अधिकारी, वन और स्वास्थ्य विभाग	▪ प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना। ▪ सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से Incident Action Plan (IAP) की समीक्षा करना। ▪ यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना। ▪ क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना।

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
		स्वास्थ्य विभाग		
7	नोडल अधिकारी, हेली सेवा Nodal Officer (Air Operation)	अपर जिलाधिकारी सहयोग अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	अपर जिलाधिकारी, सहयोग– तहसीलदार और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	▪ एयर ऑपरेशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना। ▪ Incident Action Plan (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना। ▪ Incident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई संचालन और लैडिंग कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना। ▪ एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षाशं/देशान्तर) आदि दिए जा सकें। ▪ वायु सेना और राज्य प्राधिकारियों से समनवय स्थापित कर हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्ता का निर्धारण करना। ▪ हवाई यातायात नियंत्रण और ग्राउंड सपोर्ट स्टॉफ के साथ हवाई संचालन और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संवाद बनाए रखना। ▪ आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में Incident Commander (IC) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग प्रमुख Logistic Section Chief (LSC) की सहायता करना। ▪ हवाई संचालन गतिविधियों पर Responsible Officer (RO) को रिपोर्ट करना। ▪ Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना।
8	परिचालन अनुभाग प्रमुख Operation Section Chief (OSC)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सम्बन्धित सी0ओ0 पुलिस	▪ घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड आूपरेशन का प्रबन्धन करना। ▪ संगठनात्मक अवययों की तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवक्षण करना। ▪ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना। ▪ प्रत्येक संचालन अवधि के प्रारम्भ में Operation Section (OS) के कार्मिकों को जानकारी देना। ▪ यथाआश्यकता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना। ▪ समय–समय पर Incident Commander (IC) से परामर्श करना तथा उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना। ▪ Operation Section Chief (OSC) की सहमति से

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
				अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार मांग प्रस्तुत करना एवं उसकी आपूर्ति सुनिश्चित् करना। ▪ सम्बन्धित प्राधिकारियों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना तथा उसे बनाए रखना।
	(क) स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक Staging /Area Manager (SAM)	उप जिलाधिकारी मुख्यालय, सहयोग– उप–पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी	सम्बन्धित अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहयोग– विकासखण्ड अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, विद्युत विभाग, पशुचिकित्सक/ विकासखण्ड अधिकारी।	▪ यथोचित खाके के साथ Staging Area (SA) स्थापित करना। ▪ प्राप्त संसाधनों के भण्डारण एवं प्रेषण को व्यवस्थित करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार उनका प्रेषण करना। ▪ सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुख को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना। ▪ यथोचित (चेक–इन फंक्शन) स्थापित करना। ▪ सुनिश्चित करना कि Incident Command Post (ICP) और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे–विभिन्न स्टेजिंग एरिया, घटना बेस कैम्प, राहत शिविर आदि के साथ संचार स्थापित हो गया हैं। ▪ संसाधनों के उपलब्धता बनाये रखना तथा Planning Section (PS) और Logistic Section (LS) को संसाधनों की स्थिति प्रदान करना। ▪ Incident Commander (IC) के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग (डिमोबिलाइज) क्षेत्र को निष्क्रिय करना।
	(ख) बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक Rescue & Response Branch Director (RRBD)	उप जिलाधिकारी (मुख्यालय) सहयोग– वायरलैस अधिकारी/ अग्निशमन और आपातकालीन संवायें/वन/ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/ एस0डी0आर0एफ0/रेडक्रांस/भारत स्काउट गाइड/आपदा मित्र/ एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0	सम्बन्धित तहसीलदार, सहयोग– एस0डी0आर0एफ/अग्निशमन अधिकारी और वन एवं आपातकालीन विभाग।	▪ Operation Section Chief (OSC) की पर्यवेक्षण में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। ▪ Operation Section Chief (OSC) द्वारा अपेक्षित योजना बैठकों में प्रतिभाग करना। ▪ अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना। ▪ प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौपना। ▪ शाखा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ▪ अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना। ▪ Incident Action Plan (IAP) में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो, अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में Operation Section Chief (OSC) को रिपोर्ट करना। ▪ विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन स्ट्राइक टीम और टॉस्क फोर्स सहायता उपलब्ध करना। ▪ सुनिश्चित करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और Operation Section Chief (OSC) को प्रेषित करें। ▪ Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
	(ग) परिवहन शाखा (सडक, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक Transport Branch (Road, Rail, Water & Air Unit) Director (TBD)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहयोग–उप परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	निदेशक/अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन	▪ सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न परिचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना। ▪ आवश्यक संसाधनों के लिए Logistics Section (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना। ▪ संसाधनों/आवश्यकताओं की तैनाती/मांग के समय, आवश्यकतानुसार सहायता के लिये रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना। ▪ सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई हैं। ▪ हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना। ▪ परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को अवगत कराना। ▪ यथावश्यकता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना। ▪ किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना। ▪ सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
योजना अनुभाग (Planning Section)				
9	योजना अनुभाग प्रमुख Planning Section Chief (PSC)	मुख्य विकास अधिकारी सहयोग– जिला विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी।	▪ घटना प्रभारी के परामर्श से Incident Action plan (IAP) की योजना बनाने व उसको तैयार करने के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना। ▪ यह सुनिश्चित करना कि जब Planning Section (PS) सक्रिय नही हुआ हो, तो अचानक आपदाओं के दौरान लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमांड स्टाफ) से प्राप्त किए जाएं और आईएपी में शामिल किए जाएं। ▪ मौसम, पर्यावरणीय विशाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में सम्बन्धित विभागों व अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के शासकीय डाटा बैंक होना चाहिए, जहाँ से उन्हें गतिमान किया जा सके। ▪ सुनिश्चित करना कि घटना स्थिति सारांश भरा गया है और Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित कर लिया गया हैं। ▪ सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (प्रभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी हैं। ▪ घटना प्रभारी और संचालन अनुभाग प्रमुख के परामर्श

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
				से Incident Response System (IRS) संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना। ▪ घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना। ▪ घटना की सम्भावना पर आवधिक पूर्वानुमान प्रदान करना। ▪ घटना की अवस्था में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना। ▪ घटना प्रभारी पोस्ट पर घटना स्थिति सारांश संकलित और प्रदर्शित करना। ▪ घटना मोबिलाइजेशन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की देखरेख करना। ▪ दिवस ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। ▪ सुनिश्चित करना कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड एकत्रित व यूनिट लॉग में अनुरक्षित कर लिया गया हैं।
	(क) परिस्थिति इकाई प्रमुख Situation Unit Leader (SUL)	जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी सहयोग– जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी।	खण्ड विकास अधिकारी, सहयोग–जिला पंचायत राज अधिकारी और सम्बन्धित स्थानीय निकाय	▪ घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना। ▪ घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) तथा Planning Section Chief (PSC) और घटना कमांडर को सूचित करना। ▪ स्थिति और संसाधन स्टेटस रिर्पोट तैयार करना और आवश्यकतानुसार प्रसारित करना। ▪ यथावश्यकता प्रतिक्रियादाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाये प्रदान करना। ▪ अपेक्षित जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र आदि के साथ Incident Action Plan (IAP) की बैठक में प्रतिभाग करना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना।
	(ख) संसाधन इकाई प्रमुख Resource Unit Leader (RUL)	जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहयोग– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	तहसीलदार	▪ घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक ओर सहायक) को बनाए रखना व प्रदर्शित करना। ▪ उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची संकलित करना। ▪ विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित और स्थापित करना। ▪ योजना अनुभाग प्रमुख (पी0एस0सी0) और घटना कमांडर को समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी देना। ▪ आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जाँच के लिए Operation Section (OS) की विभिन्न सक्रिय शाखा ओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबंधित अनुभाग को भेजना।

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
	(ग) प्रलेखन इकाई प्रमुख Documentation Unit Leader (DUL)	जिला सांख्यिकी अधिकारी, सहयोग– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/ जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक	खण्ड शिक्षा अधिकारी सहयोग– तहसीलदार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी	▪ सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी की खरीद कर ली गई है तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को प्रेषित कर दी गयी है। ▪ घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टों को संकलित करना। ▪ सटीकता और पूर्णता के लिए रिकार्ड और विभिन्न Incident Response System (IRS) फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा (Scrutinise) करना। ▪ उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिश्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया हैं। ▪ घटना उपरांत विश्लेषण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना। ▪ सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना।
	(घ) वियोजन इकाई प्रमुख Demobilization Unit Leader (DUL)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सी0डी0पी0ओ0	▪ घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना (Incident Demobilisation Plan) तैयार करना। ▪ अधिशेष (Surplus) संसाधनों की पहचान करना और Planning Section Chief (PSC) के परामर्श से एक अस्थाई Incident Demobilization Plan (IDP) तैयार करना और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना। ▪ सभी अनुभागों के परामर्श से अनुभागों, शाखा ओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना और इसे Planning Section (PS) को भेजना। ▪ Logistic Section (LS) के परामर्श से Incident Demobilization (ID) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना। ▪ Incident Demobilization Plan (IDP) को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना। ▪ Incident Demobilization (ID) की प्रगति के संबंध में Planning Section Chief (PSC) को अवगत कराना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
लॉजिस्टिक अनुभाग (Logistics Section)				
10	लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख Logistics Section Chief (LSC)	अपर जिला अधिकारी सहयोग– अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, जनपद	सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल द्वारा नामित इक्सईएन विद्युत आपूर्ति अधिकारी,	▪ स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, शिविर, राहत शिविर, हेलीपैंड आदि की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना। ▪ Incident Action Plan (IAP) के विकास और क्रियान्वयन में प्रतिभाग करना। ▪ संबन्धित वित्तीय मामलों के संबंध में Responsible

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
		प्रशासन।	सहायक अभियंता जल संस्थान, सहायक अभियंता पेयजल निगम	Officer (RO) और Incident Commander (IC) को सूचित करना। ▪ यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक कार्यभार सूची (प्रभागीय/समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उततरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दी गई हैं। ▪ यथावश्यकता अग्रिम फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना। ▪ शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को ब्रीफ करना। ▪ स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना। ▪ अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना और Responsible Officer (RO) तथा Incident Commander (IC) के परामर्श से उनकी अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। ▪ दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। ▪ शाखा ओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा संपादित की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड एकत्र करना और इकाई लॉग में रखा जाना सुनिश्चित करना।
	(क) सेवा शाखा निदेशक Services Branch Director (SBD)	जिला आपूर्ति अधिकारी, सहयोग– लोक निर्माण विभाग	विकासखण्ड अधिकारी सहयोग–आपूर्ति निदेशक	▪ Logistic Section Chief (LSC) की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा सहयोग का प्रबंध करना। ▪ शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा–संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाइयों का प्रबन्ध व पर्यवेक्षण करना। ▪ आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व Logistic Section (LS) के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना। ▪ Incident Action Plan (IAP) के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना। ▪ Logistic Section Chief (LSC) को समय–समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबन्धित अनुभागों को प्रेषित करना।
	संचार इकाई प्रमुख Communication Unit Leader (CUL)	जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0) सहयोग– डी0जी0एम0/बी0एस0एन0एल0, रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारी	सम्बन्धित एस0डी0ओ0 या बी0एस0एन0एल0 के वरिष्ठ अधिकारी	▪ Service Brance Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना। ▪ यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना। ▪ सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण व नेटवर्क क्रियाशील हैं। ▪ क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना। ▪ विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखा ओं, इकाइयों और उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए एक संदेश केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा उनका रिकार्ड बनाए रखना।

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
				▪ सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। ▪ केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना।
	चिकित्सा इकाई प्रमुख Medical Unit Leader (MUL)	मुख्य चिकित्साधिकारी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	चिकित्साधिकारी एंचार्ज / बी0वी0ओ0 / पी0एच0सी0 / पशु चिकित्सालय	▪ Service Branch director (SBD) के निदेशक में कार्य करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार चिकित्सा योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना। ▪ Service Branch Director (SBD) और Logistice Section Chief (LSC) को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि को लेकर Operation Section के अनुरोधों का प्रतिउत्तर देना। ▪ चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना, जिन्हें जरूरत के समय Mobilize किया जा सके। ▪ सभी चिकित्सा टीम लीडर्स को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	खाद्य इकाई प्रमुख Food Unit Leader (FUL)	जिला आपूर्ति अधिकारी	विकासखण्ड अधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक	▪ Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना। ▪ भोजन की आपूर्ति करना:– ▪ Incident Command Post (ICP) शिविरों, घटना बेस, Stanging Area (SA) आदि में Incident Response Team (IRT) के कार्मिक और अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों को। ▪ भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन का निर्धारण करना, तथा Service Branch Director (SBD) एवं LSC को सूचित करना। ▪ संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	सहयोग शाखा निदेशक Support Branch Director (SBD)	मुख्य शिक्षा अधिकारी (सी0ई0ओ0), सहयोग–जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता सिंचाई	▪ Logistic Section Chief (LSC) के पर्यवेक्षण में कार्य करना और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और ग्राउंड सपोर्ट इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ▪ अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक उपकरणों व संसाधनों की अधिप्राप्ति (Procurement) व प्रेषण करना। ▪ Logistic Section (LS) की योजना बैठक में प्रतिभाग करना। ▪ सुनिश्चित करना कि शाखा से सम्बन्धित संगठनात्मक कार्यभार सूची उसके अधीन समस्त इकाइयों में प्रसारित कर दी गयी हैं।

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
				▪ कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना। ▪ संपादित किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
	संसाधन प्रावधानीकरण इकाई प्रमुख Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, सहयोग–जिला जी0आई0एस0, विशलेषक	कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग / सीडीपीओ	▪ स्पोर्टस् ब्रांच निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करना। ▪ कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना। ▪ घटना की प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित सभी आपूर्तियों को प्राप्त करना व सुरक्षित रखना। ▪ आपूर्ति और उपकरणों की सूची बनाए रखना। ▪ उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना। ▪ गैर–विस्तारीत आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग की व्यवस्था करना। ▪ Logistic Section (LS) की योजना बैठक में भाग लेना। ▪ उपलब्ध और प्रेषित की गई आपूर्ति के 'प्रकार' और 'मात्रा' की निगरानी करना। ▪ यथावश्यकता अतिरिक्त मानव संसाधन सहायकता की मांग करना। ▪ निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांस निदेशक को भेजना।
	सुविधा इकाई प्रमुख Facilities Unit Leader (FUL)	लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, सहयोग–जिला जी0आई0एस0, विश्लेषक	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग / सम्बन्धित बी0ई0ओ0	▪ घटना सुविधाओं जैसे, घटना शिविर राहत शिविर, आईसीपी, आदि का लेआउट और सक्रियण (Activation) तैयार करना और प्रतिक्रियादाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। ▪ सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करना। ▪ Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना। ▪ अनुभाग की योजना बैठक में प्रतिभाग करना, Logistic Section Chief (LSC) के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना। ▪ Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख Ground Support Unit Leader (GSUL)	अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी।	सम्बन्धित एस0डी0ओ0 वन / ए0डी0ओ0 पंचायत	▪ Support Branch Director (Su.BD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना। ▪ Transport Branch (Road, rail, Water & Air Unit) Director (TBD) को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना। ▪ यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो Transport Branch (Road, rail, Water & Air Unit) Director (TBD) के माध्यम से आवश्यक जमीन समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) की व्यवस्था करना और मुहैया कराना। ▪ धटना प्रबन्धन के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
				मरम्मत सेवाएं प्रदान करना। ▪ घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना। ▪ सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवाक्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना। ▪ Support Branch Director (Su.BD) के परामर्श से विमान सहित सभी अन्य परिवहन के लिए ईधन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना तथा उनको सक्रिय करना। ▪ आवंटित, उपलब्ध, ऑफ रोड या सेवा से बाहर संसाधनों की सूची बनाना। ▪ अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। ▪ Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Support Branch Director (Su.BD) को प्रेषित करना।
	वित्त शाखा निदेशक Finance Branch Director (FBD)	कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय, सहयोग– बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टॉफ।	सम्बन्धित कोषाधिकारी / उप–कोषाधिकारी	▪ Logistic Section Chief (LSC) के अधीन कार्य करना। ▪ योजना बैठकों में भाग लेना। ▪ Incident Action Plan (IAP) के अनुसार Mobilize किये जाने, खरीदे जाने या किराये पर लिए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करना। ▪ वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना। ▪ किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान हेतु रिकार्ड रखना। ▪ Demobilization सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधियों की लागत की जाँच एवं संवीक्षण करना, लागत प्रभावशीतला का विश्लेषण करना तथा Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना। ▪ सुनिश्चित करना कि घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व दस्तावेज उचित रूप से तैयार, पूर्ण है तथा उपयुक्त Section Chief (SC) और Branch Director (BD) द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं। ▪ घटना से संबन्धित सभी वित्तीय मुद्दों पर Logistic Section Chief (LSC) या Incident Commander (IC) को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो। ▪ Incident Response Systtem (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और संम्बन्धित अनुभागों को भेजना।
	समय, अधिप्राप्ति, लागत इकाई प्रमुख	कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय,	सम्बन्धित आर0के0 (रजिस्ट्रार कानूनगो)	▪ किराए पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित करना कि इसे दैनिक आधार पर सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया हैं। ▪ सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर	तहसील स्तर	दायित्व
	Time Procurement & Cost Unit Leader (TPCUL)	सहयोग–बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टॉफ।		उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जाँच करना। ▪ विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना। ▪ Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना। ▪ उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती हैं। ▪ प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों का अंतिम प्रसंस्करण करना और Finance Branch Director (FBD), Logistics Section Chioef (LSC), Incident Commander (IC) के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना। ▪ बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं पर Finance Branch Diorector (FBD) को ब्रीफ करना। ▪ लागत विश्लेषण रिपोर्ट Cost Analysis Report के आधार पर Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना। ▪ Finance Branch Director (FBD) को लागत बचत की सिफारिशें करना।
	मुआवजा / दावा इकाई प्रमुख Compensation/Claim Unit Leader (CCUL)	अपर जिलाधिकारी सहयोग– आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर।	सम्बधित तहसीलदार	▪ सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना। ▪ मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, संवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना और बनाए रखना। ▪ दावों और मुआवजे के भुगतान के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना। ▪ Incident Response System (IRS) अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा उसे Finance Branch Director (FBD) को भेजना।

IRS Format District Nainital

S.No.	IRS Position	Designation of Officers	Officer Name	Mobile No
1	**Responsible Officer (RO)**	District Magistrate	Sri Lalit Mohan Rayal	7017691205
2	**Incident Commander (IC)**	Chief Development Officer (CDO)	Sri Arvind Pandey	9411111390
3	**Deputy Incident Commander (DIC)**	Senior Superintendent of Police/SP	Sri Sri Manju Nath TC Sri Jagdish Chandra	9411112712 9411110152
4	**Information & Media Officer (IMO)**	District Information Officer	Sri Girija Shankar Joshi	9548870020
5	**Liaison Officer (LO)**	District Development Officer & DDMO	Sri Gopal Giri	9412925575

S.No.	IRS Position	Designation of Officers	Officer Name	Mobile No
6	**Safety Officer (SO)**	Sub-Divisional Magistrate & Chief Fire Officer supported by Mukhya Nagar Adhikari, Nagar Nigam/EO Nagar Palika & Health Dept.	Sri Nawajis Khalik	7500363822
			Sri Gaurav Kirar	8552998783 9411332222
			Sri Paritosh Verma/ Sri Rohitash Sharma	9412923570 7983691974
			Dr. T.K. Tamta	9412924957
7	**Nodal Officer (Air Operations)**	ADM (Admin) assisted by Superintendent Engineer, PWD, DDMO	Sri Vivek Rai Sri M.S. Dharamsattu	9411102121 9458318888 8755846037
8	**Operation Section Chief**	Senior Superintendent of Police/SP	Sri Manju Nath TC Sri Jagdish Chandra	9411112712 9411110152
	(a) Staging Area Manager	SDM (HQ) supported by- DySP HQ, DyCMO, Dy CVO, DSO	Sri Nawajis Khalik	7500363822
			Dy SP HQ	
			Dr. Shewta Bhandari	6397294536
			Dr. P. S. Hyanki	6398683757
			Sri Manoj Barman	9412910041
	(b) Rescue & Response Branch Director	SDM (HQ) supported by- Wireless Officer/Fire Service/Forest/Medical/SDRF/Red Cross/ Bharat Scout Guide/Aapda Mitra/NCC/NSS	Sri Nawajis Khalik	7500363822
	(c) Transport Branch Director (Road, Rail, Water & Air Unit)	RTO, Haldwani supported by- ARTO (Admin.)	Sri Gurudev Singh	8191054500
			Sri B.K. Singh	9837941680
9	**Planning Section Chief**	CDO supported by- DDO	Smt. Arvind Pandey Sri Gopal Giri	9411111390 9412925575
	(a) Situation Unit Leader	DDO & BDO supported by- DPRO and incharge of local body	Sri Gopal Giri Sri Harshit Garg Sri Suresh Baini	9412925575 8445615213 9456768818
	(b) Resource Unit Leader	District Youth Welfare Officer, District Commandant Homeguard supported by DDMO	Sri Prateek Joshi Smt. Pratima	9548298997 9415343751
	(c) Documentation Unit Leader	DEStO supported by DDMO & GIS Analyst	Sri Mukesh Negi Smt. Deepa Bisht	7500858662 9756819006

S.No.	IRS Position	Designation of Officers	Officer Name	Mobile No
	(d) Demobilization Unit Leader	DPRO	Sri Suresh Baini	9456768818
10	**Logistic Section Chief**	ADM (admin.) supported by- SE PWD	Sri Vivek Rai Sri M.S. Dharamsattu	9411102121 9458318888 8755846037
	(a) **Service Branch Director**	DSO supported by- PWD	Sri Manoj Barman	9412910041
	(i) Communication Unit Leader	Dist. Informatics Officer (NIC) supported by- DGM- BSNL, Radio Officer, Police & Fire Officer.	Sri Rajesh Tewari All concern officers	8755939980
	(ii) Medical Unit Leader	CMO & CVO	Dr. Harish Pant Dr. D.C. Joshi	9927213807 9412944175
	(iii) Food Unit Leader	DSO	Sri Manoj Barman	9412910041
10	**(b) Support Branch Director**	CEO supported by- DPO- ICDS	Sri Govind Ram Jaiswal Smt. Anulekha Bisht	8800589095 9456324670
	(i) Resource Provisioning Unit Leader	EE PWD HQ supported by- GIS Analyst	Sri Ratnesh Saxena Smt. Deepa	6397431385 9756819006
	(ii) Facilities Unit Leader	EE PWD HQ supported by- GIS Analyst	Sri Ratnesh Saxena Smt. Deepa	6397431385 9756819006
	(iii) Ground Support Unit Leader	ARTO, Haldwani & DSO	Sri B.K.Singh Sri Manoj Barman	9837941680 9412910041
11	**Finance Branch Director**	Chief Treasury Officer/Senior Treasury Officer	Sri Kamlesh Bhandari	9557319149
	(i) Time, Procurement & Cost Unit Leader	Treasury Officer/Asst. Treasury Officer (HQ) supported by- Officer in Charge, Bills assisted by Treasury & audit staff	Sri Murlidhar Arya	8909734900
	(ii) Compensation/ Claim Unit Leader	ADM (F/R) (officer in Charge- Disaster Mg.) supported by SDM Sadar	Sri Shailendra Singh Negi Sri Nawajis Khalik	9410771899 7668640678 7500363822

<u>IRS Format</u>- <u>Tehsil Level</u>

District Nainital.

S.N.	IRS Position	Designation of Officers
1	**Responsible Officer (RO)**	District Magistrate
2	**Incident Commander (IC)**	ADM
3	**Deputy Incident Commander**	SDM supported by BDO
4	**Information & Media Officer (IMO)**	Assistant Information Officer
5	**Liaison Officer**	BDO supported by AE & DDMO
6	**Safety Officer**	Concerned SHO/SO (police) supported by Fire Officer, Forest & Health dept
7	**Nodal Officer (Air Operations)**	ADM (Admin) assisted by Tehsildar & DDMO
8	**Operation Section Chief**	Concerned CO police
	Staging Area Manager Response Branch Director	Concerned EE PWD supported by BDO, Dist. Nodal Officer – Electricity dept./ Vet. doctor/BDO
	(d) Rescue & Response Branch Director	Concerned Tehsildar supported by SDRF/Fire officer & Forest dept. & available emergency dept.'s SDM (HQ)
	(e) Transport Branch Director (Road, Rail, Water & Air Unit)	Director/ARTO- Enforcement
9	**Planning Section Chief**	BDO
	(e) Situation Unit Leader	BDO supported by- DPRO & Concerned local body
	(f) Resource Unit Leader	Tehsildar
	(g) Documentation Unit Leader	Block Education officer supported by Rev. officer nominated by Tehsildar
	(h) Demobilization Unit Leader	CDPO
10	**Logistic Section Chief**	Concerned EE pwd, EE electricity supply nominated by UPCL, AE jal Sansthan, AE peyjal nigam
	(a) Service Branch Director	BDO supported by Supply Inspector
	(i) Communication Unit Leader	Concerned SDO or senior officer of BSNL in tehsil .
	(ii) Medical Unit Leader	Medical officer in charge/BVO/PHC/Vet. hospital
	(iii) Food Unit Leader	BDO/Supply Inspector
10	**(b) Support Branch Director**	Block Ed. Officer & AE- Irrigation
	(iv) Resource Provisioning Unit Leader	JE PWD/CDPO
	(v) Facilities Unit Leader	AE PWD/Concerned Block Ed. Officer
	(vi) Ground Support Unit Leader	Concerned SDO- Forest/ADO- Panchayat

S.N.	IRS Position		Designation of Officers
11		**Finance Branch Director**	Concerned Treasury Officer/Sub-Treasury Officer
	(iii)	**Time, Procurement & Cost Unit Leader**	Concerned RK (registered kanungo)
	(iv)	**Compensation/ Claim Unit Leader**	Concerned Tehsildar

पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी नोडल ऐजेन्सी

क्र.सं.	घटना का प्रकार	पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी ऐजेन्सी	सम्पर्क विवरण
1	भूकंप	N - (IMD) Indian Meteorological Department S - USDMA/SEOC D- DDMA/ DEOC	011-24344599 SEOC – 8218867005 seoc.dmmc@gmail.com 05942 – 231178/79/81 deocnainital@gmail.com
2.	भूस्खलन	N- (GSI) Geological Survey of India S- ULLMC Dehradun D- DEOC	0172-2622529/ IP 10013 or 10014. ocbis.helpdesk@gsi.gov.in ULMMC - 8228867005 ulmmc.uk@gmail.com 05942 – 231178/79/81 deocnainital@gmail.com
3	भारी वर्षा/वर्फवारी	N- (IMD) Indian Meteorological Department S- IMD Dehradun/USDMA D- DEOC	011-24344599 SEOC – 8218867005 seoc.dmmc@gmail.com 05942 – 231178/79/81
4	बाड/त्वरित बाड़	N- (CWC) Central Water Commission/IMD Indian Meteorological Department S - USDMA D – Irrigation/ DEOC	011-26187232 Secy-cwc@nic.in SEOC – 8218867005 seoc.dmmc@gmail.com 05942 – 231178/79/81
5	एवलांच	Snow & Avalanche Study Establishment	+011-26562122/25/33/44, director.dgre.gov.in
6	फारेस्ट फायर	S – Forest Fire Alert System 3.0 D – Forest Département	naina peak- 941034892 dfonainital@gmail.com
7	महामारी	S- Health and Family Welfare Department of Uttarakhand D – Health Department	0135-2608763@0135-2608646 dghealth.uttarakhand@gmail.com
8	डेम/जलाशय टूटना	D – UJVNL/SJVNL	8958406520 barrage304@gmail.com 177 266 0002 /177 266 0003 sectt.cmd@sjvn.nic.in

अध्याय 04

आपदा जोखिम न्यूनीकरण

सैन्डाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 04 विशिष्ट प्राथमिकताऐं तय की गई हैं:–

- ✓ आपदा जोखिम के बारे में समझदारी विकसित करना
- ✓ आपदा जोखिम प्रबधन हेतु प्रशासकीय तंत्र का क्षमता वृद्धि
- ✓ आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश

4.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (V) तथा धारा 32 (क)(I) में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जनपद में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरों को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

4.1.1 संरचनात्मक उपायों– जनपद के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जनपद में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृ ष्टि से अनुकूल बनाया जाना शामिल है।

<u>बलियानाला भूस्खलन क्षेत्रः संरचनात्मक उपाय</u>

नैनीताल नगर में हरिनगर क्षेत्र स्थित बलियानाला भूस्खलन के Long Term उपचार हेतु M/s Genstru एवं IIT Roorkee द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्राविघानों को सम्मिलित करते हुए कार्य योजना तैयार की गयी थी उक्त योजना की स्वीकृत लागत 298.93 करोड़ है। कार्य प्रारम्भ की तिथि फरवरी, 2024 एवं समाप्ति की निर्धारित तिथि जनवरी, 2027 हैं। संपादित किये जा रहे है विभिन्न कार्यों में Micropile, Self driven anchors, Grouting, Shotcrete, Reporfiling एवं RCC Structures सम्मिलित हैं।

4.1.2 गैर संरचनात्मक उपायों– के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित नीतिगत निर्णयों को समुदाय स्तर पर लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमों/सुरक्षा कोड का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुश्रवण विधि स्थापित करना, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार एवं अन्य साधनों से जन जागरूकता शामिल है।

आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण नैनीताल द्वारा आयोजित आपदा प्रबन्धन जनजागरूकता, अभिमुखीकरण, क्षमता निर्माण एवं वनाग्नि नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरणः

जुलाई, 2020 से फरवरी, 2026 तक

विद्यालय स्तरीय– आपदा प्रबन्धन जनजागरूता प्रशिक्षण

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण नैनीताल द्वारा, जनपद में 01 दिवसीय विद्यालयी जनजागरूकता, आपदा राहत प्रबन्धन पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण खोज एवं बचाव, राहत सम्बन्धित व्याख्यान व डेमोन्स्ट्रेशन अभियान कार्यक्रम आयोजित किये गये है। जनपद में कुल 28 विद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया हैं। प्रशिक्षण शिविरों में विद्यार्थियों को जनपद में विद्यमान व संभावित प्राकृतिक आपदाओं (भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना, त्वरित बाढ़, वनाग्नि आदि) के प्रकार, कारण, पूर्व तैयारी, रोकथाम, न्यूनीकरण एवं सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी गई। आपदा के समय राहत, खोज, बचाव से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सुरक्षित निकास, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, प्राथमिक चिकित्सा व त्वरित राहत कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सामुदायिक सहभागिता विषयों पर चर्चा व डेमोन्स्ट्रैशन एक्सरसाइस (इम्प्रोबाइज स्ट्रेचर बनाना) गॉठें एवं फंदे,/अभियान का संचालन/प्रदर्शन किया गया।

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालयों का नाम	विकासखंण्ड
1	20–24 जुलाई, 2020	होमगार्ड़/पी0आर0डी0 ट्रेनिंग	नैनीताल
2	27–31 जुलाई, 2020	होमगार्ड़/पी0आर0डी0 ट्रेनिंग	रामगढ़
3	03–04 सितम्बर, 2021	रा0इ0का0, नैनीताल	भीमताल
4	06–07 सितम्बर, 2021	रा0बा0इ0का0, खुर्पाताल	भीमताल
5	08–09 सितम्बर, 2021	रा0बा0इ0का0, नैनीताल	भीमताल
6	15–16 सितम्बर, 2021	रा0बा0इ0का0, भवाली	भीमताल
7	20–21 सितम्बर, 2021	रा0इ0का0, रातीघाट	श्री कैंचीधाम
8	22–23 सितम्बर, 2021	रा0इ0का0, रामगढ़	रामगढ़
9	24–25 सितम्बर, 2021	रा0इ0का0, नथुवाखान	रामगढ़
10	27–28 सितम्बर, 2021	रा0इ0का0, कोटाबाग	कोटाबाग
11	04–05 अक्टूबर, 2021	रा0इ0का0, कालाढूंगी	कोटाबाग
12	07–08 अक्टूबर, 2021	रा0इ0का0, खैरना	श्री कैंचीधाम
13	16 जून, 2022	एन0सी0सी0 (गर्ल्स) ट्रेनिंग	सुयालबाड़ी, रामगढ़
14	04 जुलाई–13 जुलाई, 2022	एन0सी0सी0 ट्रेनिंग	रानीबाग

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालयों का नाम	विकासखंण्ड
15	14 जुलाई, 2022	एन0जी0ओ0 ट्रेनिंग	खुटानी, भीमताल
16	18 जुलाई–24 जुलाई, 2022	एन0सी0सी0 ट्रेनिंग	रानीबाग
17	20 अगस्त, 2022	एन0जी0ओ0 ट्रेनिंग	पदमपुरी, धारी
18	22 सितम्बर, 2022	एन0जी0ओ0 ट्रेनिंग	कोटाबाग
19	03 अक्टूबर, 2022	एन0सी0सी0 ट्रेनिंग	रानीबाग
20	11 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, पटवाडांगर	भीमताल
21	12 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, भीमताल	भीमताल
22	13 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, ज्योलीकोट	भीमताल
23	19 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, रौशिल	भीमताल
24	20 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, हैड़ाखान	भीमताल
25	21 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, अमिया	भीमताल
26	22 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, दोगड़ा	भीमताल
27	26 सितम्बर, 2023	रा0इ0का0, भूमियाधार	भीमताल
28	28 सितम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, जलालगाँव	भीमताल
29	29 सितम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, मेहरागाँव	भीमताल
30	30 सितम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, ओखलढूंगा	भीमताल
31	05 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, सुन्दरखाल	धारी
32	06 अक्टूबर, 2023	एन0सी0सी0, रानीबाग	नैनीताल
33	09 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, धानाचूली	धारी
34	10 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, पदमपुरी	धारी
35	11 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, गुनियालेख	धारी
36	13 अक्टूबर, 2023	भा0श0सै0वि0 नैनीताल	अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस
37	25 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, खनस्यू	ओखलकाण्डा
38	26 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, पतलोट	ओखलकाण्डा

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालयों का नाम	विकासखंण्ड
39	27 अक्टूबर, 2023	रा0इ0का0, ओखलकाण्डा	ओखलकाण्डा
40	31 अक्टूबर, 2023	रा0उ0मा0वि0 मेहरागाँव	भीमताल
41	02 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, सौड़	कोटाबाग
42	03 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, बगड़	कोटाबाग
43	04 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, बानना	भीमताल
44	06 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, मंगोली	भीमताल
45	07 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, कस्यालेख	धारी
46	08 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, जंगलियागाँव	भीमताल
47	16 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, भौंसा	भीमताल
48	17 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, ऊँचाकोट	बेतालघाट
49	18 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, धनियाकोट	बेतालघाट
50	20 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, सिमलखा	बेतालघाट
51	21 नवम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, रानीबाग	भीमताल
52	22 नवम्बर, 2023	रा0इ0का0, चौरलेख	धारी
53	28 नवम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, रामगढ़	रामगढ़
54	02 दिसम्बर, 2023	रा0इ0का0, चॉफी	रामगढ़
55	04 दिसम्बर, 2023	रा0इ0का0, प्यूड़ा	रामगढ़
56	07 दिसम्बर, 2023	रा0इ0का0, जौरासी	रामगढ़
57	11 दिसम्बर, 2023	रा0इ0का0, मौना	रामगढ़
58	12 दिसम्बर, 2023	रा0इ0का0, ढोकाने	रामगढ़
59	21 दिसम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, सतबूंगा	रामगढ़
60	23 दिसम्बर, 2023	रा0इ0का0, नथूवाखान	रामगढ़
61	28 दिसम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, कूल	रामगढ़
62	29 दिसम्बर, 2023	रा0उ0मा0वि0, क्वारब	रामगढ़

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालयों का नाम	विकासखंण्ड
63	18 जनवरी, 2024	रा0उ0मा0वि0, प्रेमपुर लोसज्ञानी	हल्द्वानी
64	19 जनवरी, 2024	रा0इ0का0, लामाचौड़	हल्द्वानी
65	23 जनवरी, 2024	रा0इ0का0, बनभूलपुरा	हल्द्वानी
66	24 जनवरी, 2024	रा0इ0का0, राजपुरा	हल्द्वानी
67	27 जनवरी, 2024	रा0इ0का0, हरिपुरा जमनसिंह	हल्द्वानी
68	29 जनवरी, 2024	रा0इ0का0, फूलचौड़	हल्द्वानी
69	30 जनवरी, 2024	राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज, हल्द्वानी	हल्द्वानी
70	01 फरवरी, 2024	रा0इ0का0, हल्दूचौड़	हल्द्वानी
71	03 फरवरी, 2024	रा0उ0मा0वि0, देवलचौड़	हल्द्वानी
72	05 फरवरी, 2024	रा0इ0का0, मोहान	रामनगर
73	06 फरवरी, 2024	रा0इ0का0, क्यारी	रामनगर
74	07 फरवरी, 2024	रा0उ0मा0वि0, धौलाखेड़ा	हल्द्वानी
75	08 फरवरी, 2024	रा0उ0मा0वि0, चिल्किया	रामनगर
76	12 फरवरी, 2024	रा0इ0का0, रामनगर	रामनगर
77	13 फरवरी, 2024	रा0उ0मा0वि0, मोटाहल्दू	हल्द्वानी
78	28 मार्च, 2024	राजकीय पॉलीटैक्निक, भीमताल	भीमताल
79	03 अप्रैल, 2024	रा0अ0प्र0सं0, हल्द्वानी	हल्द्वानी
80	07 मई, 2024	पी0एन0जी0, पी0जी0कॉ0, रामनगर	रामनगर
81	24 मई, 2024	एन0जी0ओ0 ट्रैनिंग, चॉफी	भीमताल
82	02 मई, 2024	न्याय पंचायत, घोड़ाखाल	भीमताल
83	02 मई, 2024	न्याय पंचायत, नैकाना	रामगढ़
84	07 मई, 2024	न्याय पंचायत, चिल्किया	रामनगर
85	07 मई, 2024	न्याय पंचायत, छोई	रामनगर
86	08 मई, 2024	न्याय पंचायत, गिनती गाँव	कोटाबाग

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालयों का नाम	विकासखंण्ड
87	09 मई, 2024	न्याय पंचायत, सांगुड़ी गाँव	भीमताल
88	14 मई, 2024	न्याय पंचायत, अमगढ़ी	रामनगर
89	24 मई, 2024	न्याय पंचायत, अल्चौना	भीमताल
90	07 जनवरी 13 जनवरी, 2025	एन0सी0सी0, ट्रेनिंग, रानीबाग	हल्द्वानी
91	29 मार्च, 2025	पी0एन0जी0 पी0जी0 कॉलेज	रामनगर
92	29 अप्रैल, 2025	न्याय पंचायत, स्यात	कोटाबाग
93	04 मई, 2025	न्याय पंचयात, खुर्पाताल	भीमताल
94	02 मई, 2025	न्याय पंचायत, डोला	कोटाबाग
95	15 मई, 2025	न्याय पंचायत, गरमपानी	रामगढ़
96	16 मई, 2025	न्याय पंचायत, सुयालबाड़ी	रामगढ़
97	17 मई, 2025	न्याय पंचायत, सांगुड़ी गॉव	भीतमाल
98	20 मई, 2025	न्याय पंचायत, रामगढ़	रामगढ़
99	22 मई, 2025	न्याय पंचायत, बैलपडाव	रामनगर
100	04 जून, 2025	एन0सी0सी0, ट्रेनिंग, रानीबाग	भीमताल
101	03 अक्टूबर, 2025	रा0उ0मा0वि0मल्ला रामगढ़	रामगढ़
102	04 अक्टूबर, 2025	रा0बा0इ0का0, रामगढ़	रामगढ़
103	06 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0, मुक्तेश्वर	रामगढ़
104	08 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 ढिकुली	रामनगर
105	09 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 छोई	रामनगर
106	11 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 मोहान	रामनगर
107	13 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 धानाचूली	धारी
108	15 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 गुनियालेख	धारी
109	16 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 सुन्दरखाल	धारी
110	24 अक्टूबर, 2025	रा0इ0का0 पतलोट	धारी

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालयों का नाम	विकासखंण्ड
111	03 नवम्बर, 2025	रा0इ0का0 कस्यालेख	धारी
112	04 नवम्बर, 2025	रा0बा0इ0का0 भटेलिया	धारी
113	19 नवम्बर, 2025	रा0इ0का0 बगड	कोटाबाग
114	21 नवम्बर, 2025	रा0इ0का0 बजौनियाहल्दू	कोटाबाग
115	22 नवम्बर, 2025	रा0बा0इ0का0 कोटाबाग	कोटाबाग
116	09 दिसम्बर, 2025 से (15.12.2025)	युवा आपदा मित्र एन0सी0सी0 ट्रेनिंग	रानीबाग
117	16 जनवरी, 2026	एम०बी०इ०का० हल्द्वानी	हल्द्वानी
118	17 जनवरी, 2026	एम०जी०इ०का० हल्द्वानी	हल्द्वानी
119	19 जनवरी, 2026	न०नि०इ०का०काठगोदाम	हल्द्वानी
120	20 जनवरी, 2026	रा0बा0इ0का0 चोरगलिया	हल्द्वानी
121	21 जनवरी, 2026	खालसा न०नि०क०इ०का० हल्द्वानी	हल्द्वानी
122	22 जनवरी, 2026	ललित आर्य म०इ०का० हल्द्वानी	हल्द्वानी
123	24 जनवरी, 2026	रा0बा0इ0का0 कालाढूंगी	कोटाबाग
124	27 जनवरी, 2026	रा0इ0का0 कोटाबाग	कोटाबाग
125	28 जनवरी, 2026	रा0इ0का0 लाखनमण्डी	हल्द्वानी
126	29 जनवरी, 2026	रा0इ0का0 लालकुँआ	हल्द्वानी
127	30 जनवरी, 2026	न०नि०इ०का०काठगोदाम	हल्द्वानी
128	31 जनवरी, 2026	रा0इ0का0 हल्दूचौड	हल्द्वानी
129	02 फरवरी, 2026	रा0बा0इ0का0 कालाढूंगी	कोटाबाग
130	04 फरवरी, 2026	रा0इ0का0 कोटाबाग	कोटाबाग
131	05 फरवरी, 2026	रा0इ0का0 बेलपढ़ाव	कोटाबाग
132	06 फरवरी, 2026	रा0इ0का0 सौड़	कोटाबाग
133	09 फरवरी, 2026	एस0ओ0एस0 विलेज	भीमताल

वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत न्यायपंचायतवार वनाग्नि प्रशिक्षण

क्र.सं.	दिनांक	न्याय पंचायत का नाम	विकासखण्ड
1	02 मई, 2024	न्याय पंचायत, घोड़ाखाल	भीमताल
2	02 मई, 2024	न्याय पंचायत, नैकाना	रामगढ़
3	07 मई, 2024	न्याय पंचायत, चिल्किया	रामनगर
4	07 मई, 2024	न्याय पंचायत, छोई	रामनगर
5	08 मई, 2024	न्याय पंचायत, गिनती गाँव	कोटाबाग
6	09 मई, 2024	न्याय पंचायत, सांगुड़ी गाँव	भीमताल
7	14 मई, 2024	न्याय पंचायत, अमगढ़ी	रामनगर
8	24 मई, 2024	न्याय पंचायत, अल्चौना	भीमताल
9	29 अप्रैल, 2025	न्याय पंचायत, स्यात	कोटाबाग
10	04 मई, 2025	न्याय पंचयात, खुर्पाताल	भीमताल
11	02 मई, 2025	न्याय पंचायत, डोला	कोटाबाग
12	15 मई, 2025	न्याय पंचायत, गरमपानी	रामगढ़
13	16 मई, 2025	न्याय पंचायत, सुयालबाड़ी	रामगढ़
14	17 मई, 2025	न्याय पंचायत, सांगुड़ी गॉव	भीतमाल

SATELLITE PHONE LIST

क्र.सं.	उपकरण का नाम	फोन नं	आवंटित तहसील का नाम
1	सैटेलाईट फोन	8991112969, 8991112970	आपातकालीन परिचालन केन्द्र नैनीताल में अवस्थित
2		8991119811	नैनीताल
3		8991119812, 8991118147	कोश्याकुटौली
4		8991119813	बेतालघाट
5		8991112028	धारी
6		8991119815	रामनगर
7		8991119816	हल्द्वानी
8		8991119817	कालाढूंगी
9		8991119818	लालकुआँ
10		8991120788, 8991119814,	खनस्यू SDRF
11		8991120785	मुक्तेश्वर पुलिस SDRF
12		8991120787	रामगढ़ पुलिस SDRF
13		8991120784	बेतालघाट थाना SDRF

4.2 आपदा जोखिम को न्यूनीकरण उपाय–

- राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का जनपद में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीन व्यवस्था–आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों तथा गाइड लाइन पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास एंव अघतन करना।
- विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को जनपद के आपदा जोखिम मानकों के अनुरूप विकसित करना।
- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभागीय योजनाओं का खतरों के परिप्रेक्ष्य मे ंजिले के संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका को चिन्हित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तथा समय सीमा तय करना।

- विभागीय योजनाओं के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एकीकरण के लिए लगातार मॉनिट्रिंग एवं विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुंनिश्चित करवाना।

4.3 राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना

(Departmental Disaster Management Plan)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जनपद के सभी शासकीय विभाग, जनपद स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना

सहित विभागीय व जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी :–

- जनपद आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान तथा कार्ययोजना।
- विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क नम्बर।
- आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विभाग के नियंत्रण की जानकारी रखना।
- अन्य विभागों/संस्थाओं आदि से आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु समन्वय कर योजना विकसित करना।

अध्याय 05

आपदा तैयारी विश्लेषण

आपदा प्रबंधन में संचार प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भंडारण सुविधाएँ, परिवहन सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, आपातकालीन भंडार (खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, पानी आदि), अग्निशमन केंद्र, शरण स्थल (बाढ़, चक्रवात आदि के लिए), गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और स्वयंसेवकों की उपलब्धता, आपदा प्रतिक्रिया दल एवं योजनाओं की उपलब्धता जैसे संसाधनों का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। इन सभी कारकों को मजबूत करने से आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है।

सक्षम प्रशासनिक तंत्र द्वारा पूर्व चेतावनी जारी कर आपदा से होने वाले सम्भावित जन–धन की हानि को कम किये जाने में सहायक है। पूर्व चेतावनी का मुख्य उद्देश्य जन–जीवन, सम्पत्तियों एवं पर्यावरण की रक्षा करना तथा आपदा के पश्चात् सामदाय के बुनियादी जरूरतों को सामान्य करना है।

पूर्व–तैयारी के महत्वपूर्ण तत्व

आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं अन्य सम्बन्धित कार्य की प्रभावशीलता पूर्व में की गई समुचित तैयारी पर निर्भर करता है। इन तैयारियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है:–

- स्थानीय दलों का गठन एवं उनकी क्षमता वृद्धि ।
- जनपद के समस्त संबन्धित विभागों की विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना।
- अनुभाग एवं जिला स्तर पर इंसिडेंट रिस्पौंस टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण ।
- जनपद एवं तहसील स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना व संचालन।
- आपदा की स्थिति में अबाधित संचार व्यवस्था की पूर्व तैयारी ।
- आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों का चिंहांकन एवं उनकी तैयारी ।
- राहत स्थलों का चिंहांकन तथा उनकी तैयारी ।
- आपदा हेतु संवेदनशील वर्गों की पहचान एवं उनके संरक्षण की विशेष योजना।
- जनपद में संभावित खतरों के प्रतिक्रिया हेतु अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन।

पूर्व चेतावनी की तैयारी का उदे्श्य उन प्रभावित लोगों के बचाव का है जिन्हें आपदा से प्रभावित होने की सम्भावना है।

5.1– आपदा प्रतिकिया में शामिल हितधारकों की पहचान– आपदा प्रतिक्रिया में हितधारकों (Stakeholders) की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपदा के समय त्वरित और समन्वित प्रयास किए जा सकें। नैनीताल जिले में आपदा प्रबंधन के तहत निम्नलिखित प्रमुख हितधारकों की पहचान की जाती है:

1. प्रशासनिक हित**धारक**

- **जिला प्रशासन (District Administration)**– जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप–जिला मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार आदि।

- **पुलिस विभाग** – कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात प्रबंधन और राहत कार्यों में सहयोग।
- **राजस्व विभाग** – नुकसान का आकलन, राहत और मुआवजा वितरण।
- **नगरपालिका/ग्राम पंचायत** – स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास कार्य।

2. आपातकालीन सेवाएँ

- **अग्निशमन विभाग (Fire Services)** – आगजनी, गैस रिसाव और अन्य आपातकालीन स्थितियों में सहायता।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** – घायलों का उपचार, अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)** – खोज एवं बचाव कार्य।
- **सेना, नौसेना एवं वायुसेना** – विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्यों में सहयोग।

3. गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और स्वयंसेवी संस्थाएँ

- रेड क्रॉस, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन जैसी संस्थाएँ।
- स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और नागरिक समूह राहत और पुनर्वास में सहायता कर सकते हैं।
- NGO समन्वय केंद्र (NGO Coordination Cell) का गठन किया जाना चाहिए।

4. बुनियादी सेवाएँ और आपूर्ति श्रृंखला हितधारक

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दृ खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
- जल निगम एवं विद्युत विभाग – पेयजल और बिजली आपूर्ति की बहाली।
- परिवहन विभाग – राहत सामग्री और लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करना।
- भंडारण और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ दृ खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण।

5. सामुदायिक भागीदारी

- स्थानीय स्वयंसेवक (Volunteers) – युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, और छात्रों की भागीदारी।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) – राहत कार्यों और खाद्य आपूर्ति में सहायता।
- धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन – राहत कार्यों में सहायता और आश्रय व्यवस्था।

6. **विशेष समूहों के लिए सहायता**

- विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता संगठन – सहायक उपकरण और विशेष सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- बाल संरक्षण संगठन – अनाथ और प्रभावित बच्चों के लिए सहायता।

5.1.1 विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response) : - आपदा के समय विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities & PwDs) की निकासी और सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। नैनीताल जिले में भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए, विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

1 विकलांग व्यक्तियों की पहचान और डेटा संग्रह

- प्रत्येक गाँव/शहर में विकलांग व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार करना।

- उनके स्वास्थ्य स्थिति, विशेष आवश्यकताओं, सहायक उपकरणों की उपलब्धता को सूचीबद्ध करना।
- यह डेटा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन के साथ साझा किया जाए।

2 चेतावनी प्रणाली (Warning System) का विशेष प्रावधान

- श्रवण बाधित (Hearing Impaired) व्यक्तियों के लिए दृश्य चेतावनी (साइरन, एलईडी संकेतक, टेक्स्ट मैसेज, फ्लैश लाइट इत्यादि)।
- दृष्टिहीन (Visually Impaired) व्यक्तियों के लिए ऑडियो अलर्ट सिस्टम।
- चलने–फिरने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता दल।

3 विकलांग व्यक्तियों की प्राथमिक निकासी (Priority&Based Evacuation)

- पहले उन विकलांग व्यक्तियों को निकाला जाए जो गंभीर रूप से अशक्त हैं या जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत है।
- निकासी मार्गों को पहले से चिह्नित और सुगम बनाया जाए।
- निकासी केंद्रों (Evacuation Centers) को विकलांग अनुकूल (Barrier&Free) बनाया जाए।

4 सुरक्षित पुनर्वास केंद्रों का प्रबंधन

- अस्थायी पुनर्वास केंद्र विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाए जाएँ।
- सुरक्षित पेयजल, शौचालय, रैंप और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

5 पुनर्वास सहायता और पुनर्निर्माण में समावेशिता

- विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देना।
- नए भवनों और सार्वजनिक स्थलों को "सुगम्यता मानकों" (Accessibility Standards) के अनुसार बनाया जाए।

6 सरकारी योजनाएँ और सहयोग

- राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) के माध्यम से वित्तीय सहायता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत विकलांग अनुकूल घरों का निर्माण।
- मुख्यमंत्री राहत कोष और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत विशेष सहायता।
- स्वास्थ्य और पुनर्वास केंद्रों में निःशुल्क चिकित्सा और उपकरण प्रदान करना।
  तकनीकी समाधानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

7 आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System)

- मोबाइल ऐप और SMS अलर्ट जो विकलांग अनुकूल हों।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रेडियो प्रसारण और टेलीविजन पर विजुअल अलर्ट।
- स्मार्ट होम डिवाइसेज (Smart Home Devices) जो चेतावनी संकेतों को अनुकूलित करें।

8 विशेष वाहन और परिवहन व्यवस्था

- व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन (Accessible Transport Vehicles)।
- विशेष रूप से डिजाइन किए गए आपातकालीन वाहन जिनमें रैंप और लिफ्ट की सुविधा हो।
- सरकारी बसों और ट्रेनों में विकलांगों के लिए सुरक्षित और सुगम स्थान सुनिश्चित करना।

5.2 विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन– आपदा प्रबंधन के तहत नैनीताल जिले में प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning), खोज एवं बचाव (Search & Rescue), निकासी (Evacuation) और नुकसान मूल्यांकन (Damage & Loss Assessment) जैसी गतिविधियों के लिए विशेष टीमों की स्थापना की जानी चाहिए।

Table 5.1 Formation of teams for effective and rapid response, Dist. Nainital

टीम का नाम	मुख्य कार्य	उत्तरदायी विभाग
प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning) टीम	➢ मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय। ➢ भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी घटनाओं की निगरानी। ➢ साइरन, रेडियो, SMS, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को सचेत करना। ➢ स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत को जानकारी देना।	➢ मौसम विभाग (IMD) और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)। ➢ जिला प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग। ➢ स्थानीय पंचायत सदस्य और सामुदायिक स्वयंसेवक। ➢ मीडिया और संचार एजेंसियों के प्रतिनिधि।
खोज और बचाव (Search & Rescue) टीम	➢ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की खोज और बचाव। ➢ रस्सी, नाव, ड्रोन और अन्य उपकरणों का उपयोग करना। ➢ SDRF, NDRF, सेना और पुलिस के साथ समन्वय। ➢ घायलों को प्राथमिक उपचार और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।	➢ NDRF और SDRF के सदस्य। ➢ पुलिस, होम गार्ड और अग्निशमन विभाग। ➢ स्थानीय स्वयंसेवक और प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन कार्यकर्ता। ➢ रेड क्रॉस और अन्य छळc के स्वयंसेवक।
निकासी (Evacuation) टीम	➢ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित निकासी। ➢ विकलांग, बच्चे और बुजुर्गों को प्राथमिकता देना। ➢ निकासी केंद्रों की स्थापना और सुविधाएं उपलब्ध कराना। ➢ परिवहन व्यवस्था (बस, ट्रक, हेलिकॉप्टर) की देखरेख।	➢ पुलिस और जिला प्रशासन। ➢ ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और स्वयंसेवक। ➢ नगर निगम, ट्रांसपोर्ट विभाग और रेलवे अधिकारी। ➢ गैर सरकारी संगठन (NGO)।
क्षति और हानि मूल्यांकन (Damage & Loss Assessment) टीम	➢ आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण। ➢ जनहानि, संपत्ति और कृषि को हुए नुकसान का आकलन। ➢ मुआवजा और पुनर्वास योजना के लिए रिपोर्ट तैयार करना। ➢ पुनर्निर्माण और मरम्मत की योजना बनाना।	➢ राजस्व विभाग और जिला प्रशासन। ➢ PWD(लोक निर्माण विभाग) और सिंचाई विभाग के इंजीनियर। ➢ कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारी। ➢ स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पालिका) के प्रतिनिधि। ➢ NGO और सामाजिक कार्यकर्ता।

5.3 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना– जिले में आपदा प्रबंधन को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS & Incident Response System) को सक्रिय किया जाता है। यह प्रणाली तेजी से निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और समन्वित कार्रवाई में मदद करती है।

IRS सक्रिय करने की प्रक्रिया:

1. **घटना प्रतिक्रिया टीम (IRT) का गठन:**
   - जिला, उप–मंडल, तहसील और ब्लॉकस्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मियों की IRT गठित की जाती है।
   - हर टीम में इंसीडेंट कमांडर (IC), ऑपरेशन, प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्शन होते हैं।
2. **इंसीडेंट कमांडर (IC) की नियुक्ति:**
   - आपदा के प्रकार और स्तर के आधार पर संबंधित अधिकारी को इंसीडेंट कमांडर (IC) नियुक्त किया जाता है।
   - IC विभिन्न एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
3. **आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियण:**
   - जिले का आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) IRS टीम को निर्देशित करता है।
   - EOC से संचार प्रणाली, राहत कार्य और संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है।
4. **IRS के तहत विभिन्न टीमें सक्रिय करना**:
   - खोज और बचाव (Search & Rescue) टीम
   - निकासी (Evacuation) टीम
   - चिकित्सा और राहत (Medical & Relief) टीम
   - संपत्ति और क्षति मूल्यांकन (Damage & Loss Assessment) टीम
   - लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला (Logistics & Supply Chain) टीम
5. **अन्य ऐजेन्सियों से सहायता और समन्वय**:
   - आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, NDRF, SDRF, सेना, वायुसेना, NGO आदि से सहायता प्राप्त करना।
   - संसाधनों (भोजन, पानी, दवाइयां, वाहन आदि) की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5.4 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया– आपदा प्रबंधन के दौरान बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं प्रोटोकॉल:

1. **आवश्यकता का आकलन**:
   - जिला प्रशासन द्वारा आपदा की तीव्रता और आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है।
   - खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता, बचाव उपकरण, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया जाता है।
2. **संबंधित एजेंसियों से संपक**:
   - भारत सरकार और राज्य सरकार से वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता की मांग।
   - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) से परिवहन, ऊर्जा आपूर्ति और संचार सहायता प्राप्त करना।

- अन्य राज्यों की सरकारों से राहत और बचाव में सहयोग की अपील।

3. **विशेष बचाव दल की सहायता:**
   - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF से प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने का अनुरोध।
   - भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से विशेष परिस्थितियों (बाढ़, भूकंप, भूस्खलन) में एवाक्यूएशन (निकासी), हेलीकॉप्टर सहायता और चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना।
   - केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता लेना।
4. **गैर–सरकारी संगठनों (NGO) और स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी:**
   - रेड क्रॉस, कारितास इंडिया, सेव द चिल्ड्रन, ऑक्सफैम जैसी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय NGOs से राहत सामग्री, खाद्य आपूर्ति, टेंट और दवाइयों की व्यवस्था करना।
   - स्थानीय स्वयंसेवी समूहों और धर्मार्थ संगठनों को राहत कार्यों में शामिल करना।
5. **संपर्क और समन्वय:**
   - आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से सभी एजेंसियों के साथ रियल–टाइम कम्युनिकेशन बनाए रखना।
   - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वायरलेस नेटवर्क और सैटेलाइट संचार के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
   - सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

5.5 लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन– आपदा प्रबंधन के दौरान संसाधनों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडारण व्यवस्था की समय–समय पर जांच और प्रमाणन किया जाता है।

मुख्य प्रक्रियाएँ

1. **आपदा से पूर्व संसाधनों की जांच और सत्यापन:**
   - आपदा से पहले सभी उपकरणों, आपूर्ति भंडार और अन्य आवश्यक संसाधनों का निरीक्षण किया जाता है।
   - खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, पेयजल, ईंधन, जनरेटर, टेंट, कंबल, रस्सियां और प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता की जांच की जाती है।
   - परिवहन और संचार सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
2. **उपकरणों और संसाधनों का परीक्षण एवं प्रमाणन:**
   - खोज और बचाव उपकरणों जैसे कि हाइड्रोलिक कटर, ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरा, नाव और जीवन रक्षक जैकेट की कार्यक्षमता का परीक्षण।
   - संचार प्रणालियों (वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन, साइरन सिस्टम) की जांच और सत्यापन।
   - चिकित्सा उपकरणों (एंबुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार किट) का परीक्षण।
   - विद्युत आपूर्ति (जनरेटर, बैकअप पावर सिस्टम) की उपलब्धता और संचालन क्षमता की समीक्षा।
3. **भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला की जाँच:**
   - राहत सामग्री के गोदामों का भौतिक निरीक्षण।
   - खाद्य सामग्री, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच।

- लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए परिवहन वाहनों (ट्रक, हेलीकॉप्टर, नाव) की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की जांच।

4. **सामग्री वितरण प्रणाली की प्रक्रिया:**
   - आपातकालीन स्थिति में आपूर्ति वितरण की प्रक्रिया का परीक्षण।
   - राहत शिविरों, अस्पतालों और प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करना।
   - एनजीओ, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय निकायों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को प्रभावी बनाना।
5. **नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण:**
   - प्रशासनिक अधिकारियों, बचाव दल और स्वयंसेवकों को उपकरणों के उपयोग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का प्रशिक्षण।
   - वार्षिक/ अर्ध–वार्षिक ड्रिल और मॉक ड्रिल के माध्यम से वास्तविक स्थिति के लिए तैयार रहना।

5.6 चेतावनी प्रणाली का परीक्षण– आपदा प्रबंधन में समय पर और सटीक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) का कार्यशील होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समय–समय पर सभी संचार और चेतावनी प्रणालियों का संचालन परीक्षण (Operational Testing) किया जाता ळें

चेतावनी प्रणाली के परीक्षण की प्रक्रिया:

1. **संचार एवं चेतावनी प्रणालियों का मूल्यांकन:**

- आपातकालीन सायरन, वायरलेस संचार, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट फोन और मोबाइल अलर्ट सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच।
- मौसम विभाग (IMD), भूकंप चेतावनी प्रणाली, बाढ़ निगरानी केंद्र, भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली आदि से जुड़े संचार तंत्र की समीक्षा।

2. **समय–समय पर चेतावनी प्रणालियों का संचालन परीक्षण:**

- आपदा संभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल और सायरन टेस्टिंग करना।
- समुदाय को सचेत करने और अंतिम छोर तक चेतावनी पहुंचाने की क्षमता का परीक्षण।
- आपातकालीन संदेशों, SMS अलर्ट, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन स्क्रोलिंग) का ट्रायल रन।

3. **समुदाय आधारित चेतावनी तंत्र:**

- स्थानीय प्रशासन, पंचायत, एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से समुदाय को चेतावनी प्रणाली से जोड़ना।
- ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर चेतावनी संचार टीम का गठन एवं प्रशिक्षण।

4. **प्रणालीगत सुधार एवं समीक्षा:**

- परीक्षण के बाद मिली कमियों और त्रुटियों की पहचान कर आवश्यक सुधार लागू करना।
- तकनीकी अद्यतन और नई तकनीकों का समावेश करना (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम पूर्वानुमान)।
- चेतावनी संचार के लिए बहुस्तरीय (Multi–संलमतमक) प्रणाली विकसित करना, जिससे सूचना अधिक प्रभावी और तीव्र गति से फैलाई जा सके।

5.7 जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) का परीक्षण– जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (District Emergency Operations Centre & EOC) किसी भी आपदा प्रबंधन प्रणाली का मस्तिष्क

(Brain Center) होता है। यह आपदा के दौरान संचार, समन्वय और निर्णय लेने की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए, इसका नियमित संचालन परीक्षण (Operational Testing) करना अत्यंत आवश्यक है।

EOC के परीक्षण की प्रक्रिया:

1. संचालन क्षमता का मूल्यांकन:

- EOC की कार्यक्षमता का परीक्षण, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी तकनीकी उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा सर्वर और पावर बैकअप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
- EOC की भौतिक संरचना (भवन, संचार कक्ष, आपातकालीन मीटिंग हॉल) का निरीक्षण।

2. संचार प्रणाली की जांच:

- आपातकालीन संचार नेटवर्क (Wireless, Satellite Phone, Radio, Internet, Mobile Networks) की क्षमता का परीक्षण।
- ईमेल अलर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सूचना प्रसारण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
- मौसम विभाग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF/SDRF) और अन्य संबंधित एजेंसियों से रियल–टाइम संपर्क का परीक्षण।

3. निर्णय लेने की क्षमता का आकलन:

- आपदा के दौरान त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया का मॉक ड्रिल द्वारा परीक्षण।
- फील्ड टीमों को निर्देश देने और जमीनी स्तर पर सूचना संकलन करने की क्षमता की समीक्षा।
- डिजिटल मैपिंग और GIS सिस्टम के उपयोग की प्रभावशीलता को परखना।

4. समन्वय और सूचना प्रवाह का परीक्षण:

- EOC और जिला प्रशासन के बीच समन्वय की समीक्षा।
- सभी हितधारकों (सरकारी विभाग, NGOs, स्वयंसेवी समूहों, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाओं) के साथ समन्वय का परीक्षण।
- मल्टी–एजेंसी रिस्पॉन्स (Multi Agency Response) की दक्षता का आकलन।

5. तकनीकी अद्यतन और सुधार:

- परीक्षण के बाद यदि किसी संचार प्रणाली या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें सुधारने की योजना तैयार करना।
- तकनीकी उपकरणों का अद्यतन (Upgradation) और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रबंधन योजनाओं (DMPs) को अद्यतन कर नए सीख लिए गए सुधारों को शामिल करना।

5.8 मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण– मौसमी आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, तटीय कटाव, जंगल की आग और बिजली गिरने से पूर्व सुरक्षा संरचनाओं और आवश्यक सुविधाओं का पूर्व निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

1. **संरचनात्मकता की जाँच** – भवनों, पुलों, सड़कों, जल आपूर्ति प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे की जाँच करना।
2. **जल निकासी व्यवस्था** – वर्षा ऋतु से पहले जल निकासी प्रणाली की सफाई और मरम्मत सुनिश्चित करना।
3. **विद्युत एवं यांत्रिक प्रणालियाँ** – विद्युत ट्रांसफार्मर, जनरेटर, पाइपलाइनों और मशीनरी की स्थिति का निरीक्षण करना।
4. **सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन** – आग बुझाने के उपकरण, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा करना।

5.9 जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान– आपदा प्रबंधन में कमांड और समन्वय की प्रभावी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से उत्तरकाशी जैसे आपदा–प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। इस संदर्भ में, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पांस टीम – QRT) की पहचान और तैनाती सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।

त्वरित प्रतिक्रिया दलों की भूमिका – त्वरित प्रतिक्रिया दल आपदा के समय तुरंत सक्रिय होकर राहत और बचाव कार्यों का संचालन करते हैं। इन दलों की प्रमुख भूमिकाएँ इस प्रकार है–

1. **आपदा स्थल पर त्वरित पहुँच** – प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द पहुँचना और स्थिति का मूल्यांकन करना।
2. **बचाव और राहत कार्य** – प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और आवश्यक आपूर्ति वितरित करना।
3. **संवाद और समन्वय** – प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
4. **संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी** – संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना और आपदा पूर्व तैयारियों को लागू करना।
5. **संचार और सूचना प्रबंधन** – राहत एवं बचाव कार्यों की रिपोर्टिंग, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी एकत्र करना और आवश्यक संसाधन जुटाना।

त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान – जनपद नैनीताल में आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन किया जाता है, जिनमें शामिल है–

1. **राज्य और जिला स्तरीय एजेंसियाँ:**
   - राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)
   - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
   - उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA)
   - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), नैनीताल
2. **स्थानीय प्रशासन और सुरक्षाबल:**
   - जिला प्रशासन द्वारा गठित आपदा प्रतिक्रिया इकाइयाँ
   - पुलिस और होमगार्ड
   - अग्निशमन विभाग

3. **स्वास्थ्य और चिकित्सा दल:**

- एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा इकाइयाँ
- चिकित्सकीय आपातकालीन दल
- स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस टीम

4. **ग्राम स्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया दल:**

- स्थानीय स्वयंसेवी संगठन (NGOs)
- आपदा मित्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित नागरिक
- ग्राम प्रहरी और पंचायत स्तर की आपदा प्रबंधन समितियाँ

5. **अन्य सहायता समूह:**

- नागरिक सुरक्षा दल
- राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करने वाले स्वयंसेवक समूह

कमांड और समन्वय तंत्र–आपदा के दौरान जनपद नैनीताल में कमांड और समन्वय के लिए निम्नलिखित संरचना लागू की जाती है:

जिला नियंत्रण कक्ष (Emergency Operation Center & EOC):

- यह 24•7 कार्यरत रहता है और आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं का समन्वय करता है।

संयुक्त कमान केंद्र (Unified Command Center):

- इसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल होते हैं।

फील्ड–लेवल कमांड पोस्ट:

- प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए त्वरित प्रतिक्रिया दलों के लिए अस्थायी कमांड केंद्र स्थापित किए जाते हैं।

5.10 गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय– आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये संगठन राहत, पुनर्वास, जागरूकता और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशासन का सहयोग करते हैं। इनकी क्षमताओं की पहचान, जिम्मेदारियों का आवंटन और प्रभावी समन्वय आपदा प्रबंधन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है।

1. NGOs और अन्य हितधारकों की प्रमुख भूमिकाएँ एवं क्षमताएँ

(क) NGOs की क्षमताएँ और योगदान – गैर–सरकारी संगठन अपने विशेषज्ञता और संसाधनों के आधार पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में सहायता करते हैं।

NGO Type and Work Area

NGO का प्रकार	मुख्य क्षमतायें
राहत एवं पुनर्वास संगठन	भोजन, पानी, आश्रय और दवाइयों की आपूर्ति
स्वास्थ्य और चिकित्सा संगठन	प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा शिविर, मानसिक स्वास्थ्य सहायता
शिक्षा एवं बाल कल्याण संगठन	अनाथ बच्चों की देखभाल, शिक्षा केंद्रों की स्थापना
प्रशिक्षण एवं जागरूकता संगठन	आपदा पूर्व तैयारी, समुदायों को प्रशिक्षण देना
पर्यावरण एवं पुनर्निर्माण संगठन	पर्यावरण संरक्षण, पुनर्निर्माण, जल संरक्षण

(ख) अन्य हितधारकों की भूमिका – आपदा प्रबंधन में कई अन्य एजेंसियाँ और समूह भी शामिल होते हैं:

Other stake Holders and Role

हितधारक	मुख्य जिम्मेंदारियां
सरकारी एजेंसियाँ (DDMA, NDRF, SDRF)	समन्वय, राहत और बचाव कार्य
स्थानीय प्रशासन (नगर निगम, ग्राम पंचायतें)	आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना
स्वयंसेवक समूह और नागरिक सुरक्षा संगठन	खोज और बचाव कार्य, प्राथमिक सहायता
धार्मिक और सामाजिक संगठन	राहत सामग्री वितरण, आश्रय व्यवस्था
कॉर्पोरेट सेक्टर (CSR कार्यक्रमों के माध्यम से)	वित्तीय सहायता, संसाधनों की आपूर्ति

2. जनपद नैनीताल में कार्य करने वाले NGOs का विवरण

NGOs working in the District Nainital

क्र.सं.	संस्था का नाम/पता	विकासखण्ड
1	पर्यावरण एवं जन कल्याण समिति ग्राम बण्डिया किच्छा पो एवं तहसील किच्छा उधमसिंह नगर।	भीमताल–1
2	शिवांश ग्रामीण विकास समिति ग्राम गॉजा पो0ओ0 ज्योलीकोट नैनीताल।	धारी
3	हिमालयाज कन्जर्वेशन एण्ड इनवायरमेंटल सोसायटी ग्राम आवलोकोट पो॰ कोटाबाग नैनीताल।	कोटाबाग
4	आदर्श महिला सेवा समिति तल्ली बमोरी मुखानी हल्द्वानी।	भीमताल–2
5	प्रयास ट्रस्ट रामगढ़ रोड भवाली नैनीताल।	रामगढ़

क्र.सं.	संस्था का नाम/पता	विकासखण्ड
6	प्रगतिशील संस्था प्रगतिशील ग्रामीण युवा छात्र कल्याण समिति इन्द्रानगर न. –1 बिन्दुखत्ता लालकुऑं, नैनीताल।	रामनगर
7	सामाजिक जागृति संस्था फतेहपुर हल्द्वानी नैनीताल	बेतालघाट
8	हिमालयन पब्लिक स्कूल सोसायटी सुयालगाड़ नैनीताल	ओखलकांडा
9	मित्र संस्था रतन कुंज पाण्डे निवास हल्द्वानी	हल्द्वानी

5.11 जन हानि प्रबंधन (Mass Casualty Management) –

आपदा की स्थिति में जिले के चिन्हित क्षेत्रीय अस्पतालों, निजी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सक्रिय कर दिया जाएगा।

उपलब्ध तैयारियां:

- **नोडल अधिकारी:** जिले के CMO और MS होंगे, जिनका सहयोग 108 सेवा, रेड क्रॉस, पुलिस, होम गार्ड्स और अन्य एजेंसियां करेंगी।
- **चिकित्सा सुविधाएं:** जिले के क्षेत्रीय अस्पतालों के साथ–साथ अन्य निजी अस्पताल, CHC और PHC को आपदा के दौरान चालू किया जाएगा।
- **मानव संसाधन:** जिले में उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मियों में जनरल सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नर्स, आशा कार्यकर्ता, ANM, मेडिकल संस्थानों के वरिष्ठ छात्र, पशु चिकित्सक, कान–नाक–गला (ENT) विशेषज्ञ और बिस्तर क्षमता शामिल हैं।
- **रक्त आपूर्ति:** क्षेत्रीय अस्पतालों को ब्लड बैंकों और रक्तदाताओं की सूची द्वारा समर्थन दिया जाएगा।
- **उपकरण उपलब्धता:** चिकित्सा विभागों या अन्य एजेंसियों के पास स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, एक्स–रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य आपातकालीन उपकरण उपलब्ध हैं।

5.12 राहत, भोजन और पानी

नोडल अधिकारीरू जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होगा, जिसे राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का समर्थन प्राप्त होगा।

5.13 आश्रय/ चिकित्साध राहत शिविर

नोडल अधिकारी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) होगा, जिसमें राजस्व, DRDA (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी), शिक्षा विभाग जैसे प्रमुख हितधारक शामिल होंगे।

संभावित स्थान: राहत शिविरों की स्थापना के लिए निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित किया गया है:

- विद्यालय
- सामुदायिक आश्रय स्थल
- पार्किंग क्षेत्र
- खुले मैदान

5.14 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System & EWS)

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया का मुख्य आधार है। इसका उद्देश्य आवश्यक सावधानियां और कार्रवाई करके जोखिम को कम करना है। चेतावनी जितनी जल्दी मिलेगी, नुकसान उतना ही कम होगा।

प्रभावी और समयबद्ध प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए इसे उन उपकरणों से जोड़ा जाना आवश्यक है जो समय रहते सटीक जानकारी प्रदान कर सकें।

EWS के चार प्रमुख तत्व:

1. जोखिम का ज्ञान (आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान और उनका विश्लेषण)।
2. तकनीकी निगरानी और चेतावनी सेवा (आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग)।
3. अर्थपूर्ण चेतावनियों का प्रसार (रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, लाउडस्पीकर, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार)।
4. जन जागरूकता और आपदा से निपटने के लिए तैयारी (समुदाय को प्रशिक्षित करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना)।

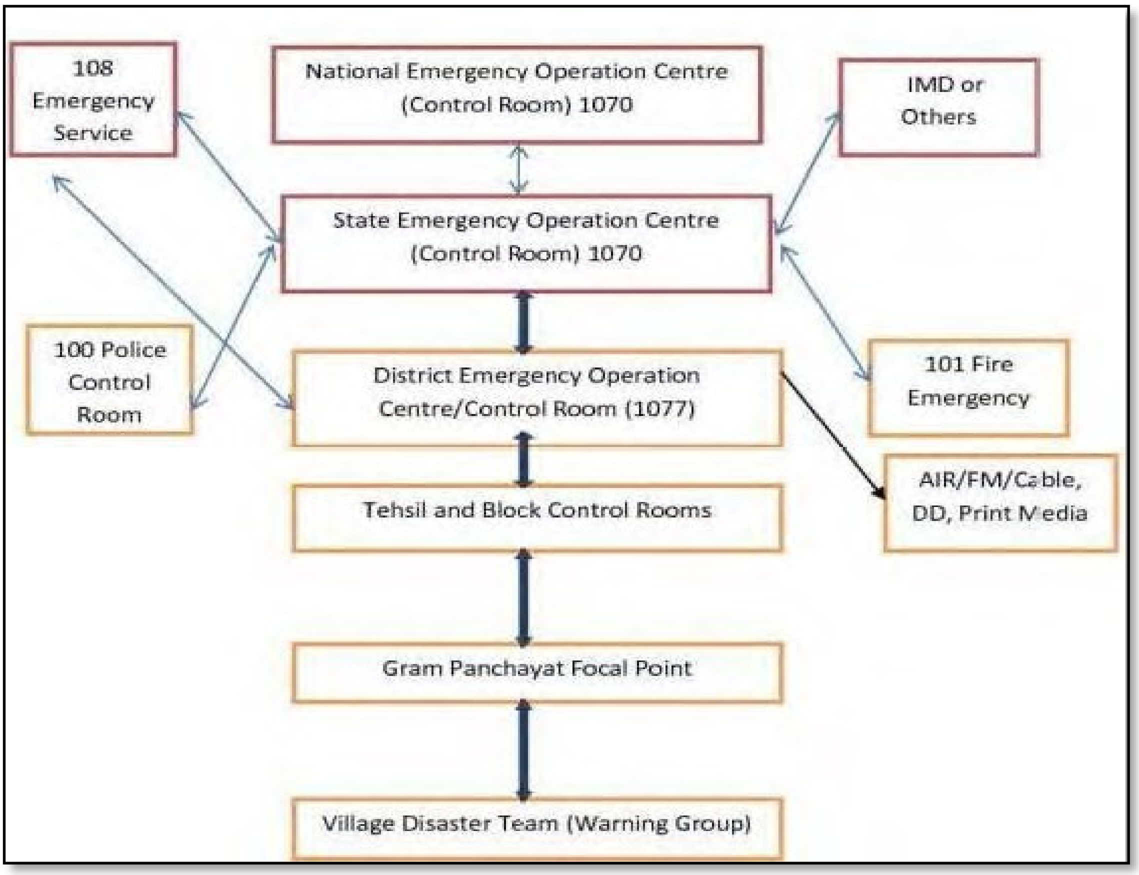

Figure 5.1 Early warning and dissemination

5.15 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी

- विकलांग व्यक्तियों को अक्सर आपदा के दौरान नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली संभावित समस्याओं और उठाए जाने वाले संभावित उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है, ताकि प्रतिक्रिया और निकासी के दौरान उपयुक्त तैयारी की जा सकेरू
- विकलांग व्यक्तियों के सहयोगी स्टाफ को आपदा के दौरान प्रतिक्रिया और निकासी से संबंधित प्रशिक्षण देना।
- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सीटी (whistle) प्रदान करना, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में संकेत दे सकें।
- सभी सरकारी भवनों में निकासी मार्गों के स्पष्ट चिह्न (मार्किंग) करना।
- चलने–फिरने में अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों (जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी आदि) की खरीद।
- चित्र कार्डों (Picture Card) का उपयोग करके भोजन, पानी, शौचालय, दवाओं आदि की जरूरतों को संप्रेषित करने की व्यवस्था।
    - बौद्धिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों से निपटने के लिए खोज और बचाव टीमों का विशेष प्रशिक्षण।
    - सार्वभौमिक डिजाइन (न्दपअमतेंस क्मेपहद) का उपयोग करके आश्रयों की तैयारी, जैसे हैंडरेल, रैंप आदि की स्थापना।
    - शिविर स्थलों की बाड़बंदी करना या असुरक्षित क्षेत्रों को घेरना।
    - शरण प्रबंधन (Shelter Management) से जुड़े कर्मचारियों और स्वयंसेवकों में जागरूकता बढ़ाना।
    - महिला स्वयंसेवकों और टास्क फोर्स सदस्यों को प्रशिक्षित करना, ताकि वे विकलांग महिलाओं की सहायता कर सकें।
    - विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा की निगरानी करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करना।

5.16 आईआरएस (IRS) को सक्रिय करना

- आईआरएस संगठन (Incident Response System & IRS) क्षेत्र में घटना प्रतिक्रिया टीमों (प्त्ज्े) के माध्यम से कार्य करता है। हमारी प्रशासनिक संरचना और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप, उत्तरदायी अधिकारी (त्व्) को राज्य और जिला स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन (Incident Response Management) का समग्र प्रभार सौंपा गया है।
- हालांकि, त्व अपने कर्तव्यों को घटना कमांडर (प्ब्) को सौंप सकता है, जो आगे प्त्ज्े के माध्यम से घटना का प्रबंधन करेगा।
- IRTs को पहले से ही राज्य, जिला, उप–विभाग और तहसील ब्लॉक स्तर पर नामित किया जाएगा।
- प्रारंभिक चेतावनी मिलने पर त्व तुरंत प्त्ज्े को सक्रिय करेगा।
- यदि बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपदा आ जाती है, तो स्थानीय प्त्ज तत्काल प्रतिक्रिया देगा और आवश्यकतानुसार त्व से आगे की सहायता के लिए संपर्क करेगा।

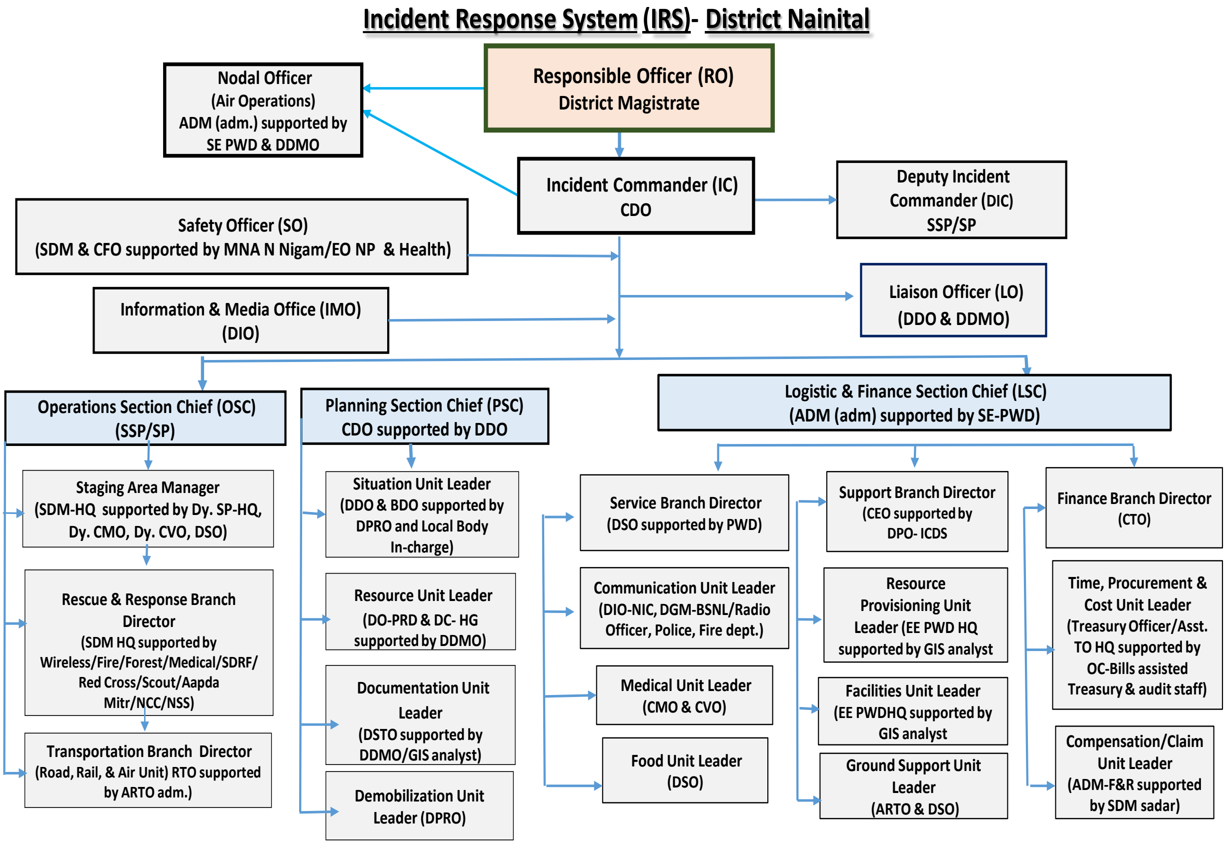

Figure 5.2 IRS Organization of Disrict Nainital

5.17 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया:

- सशस्त्र बल नागरिक प्रशासन की सहायता के अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेते हैं और "सेवा परमो धर्म" के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं।
- आपदा के दौरान, रक्षा सेवाएं केंद्र सरकार के अनुमोदन और आदेश के बाद सहायता प्रदान करती हैं। यदि आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है और सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना संभव नहीं होता, तो स्थानीय सैन्य अधिकारी सहायता प्रदान कर सकते हैं, और इसकी रिपोर्ट संबंधित सेवा मुख्यालय को देनी होती है।

2. सहायता माँगने की प्रक्रिया:

- यदि कोई राज्य अपने संसाधनों से आपदा से निपटने में असमर्थ होता है, तो वह भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध कर सकता है।
- राज्य के मुख्य सचिव आपातकालीन सहायता के लिए सीधे अनुरोध कर सकते हैं, जैसे कि हवाई सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता।

3. सशस्त्र बलों से अपेक्षित सहायता:

- राहत कार्यों के लिए संचार प्रणाली और तकनीकी जनशक्ति प्रदान करना।

- खोज, बचाव और राहत कार्यों में सहायता।
- चिकित्सा सहायता प्रदान करना और घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
- राहत सामग्री के परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स समर्थन।
- राहत शिविर स्थापित करना और संचालित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की मरम्मत करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता करना।
- सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता के समन्वय में सहयोग करना।

4. आपदा राहत संचालन:

- स्थानीय कमांडर आपदा राहत कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उच्च मुख्यालय को देना आवश्यक है।
- सहायता प्रदान करने के बाद, जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आती है, सेना की सेवाओं को शीघ्र वापस ले लिया जाना चाहिए।
- प्रभावी संचार प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5. सेना, वायुसेना और नौसेना की सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- स्थानीय प्रशासन को पहले अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए, उसके बाद ही सेना से सहायता माँगनी चाहिए।
- जिला कलेक्टर राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकताओं से अवगत कराएगा।
- यदि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने में असमर्थ होता है, तो मुख्य सचिव रक्षा मंत्रालय से सहायता की माँग करेगा।

REQUISITION FOR AIR FORCE HELICOPTER

District Disaster Management Authority, Nainital.

District Disaster Management Authority, Nainital, Uttarakhand-263002		Phone: + 91 - 05942-231178/79/81, 1077 (Toll free), DEOC, UKI Mobile.: + 91 8433092458 (Off) FAX Mail Id: deocnainital@gmail.com

Letter No - ……../DDMA/2024 **Date**

REQUISITION FORMAT

To,

Joint Secretary Air,
Department of Military Affairs, New Delhi
Government of India
Email- tandh@nic.in
Telephone**-011-20863703, Fax no- 011-20863758**

Details of Incident:

Description of Incident/s		**Time of incident**
Place of Incident	**Tehsil/s**	**District/s**

Type of Support Required:

Reconnaissance	**Evacuation**
Foreigners	**Transport of dead bodies**
Transportation & Supplies	

Details of Coordinates of Helipad:

Coordinates of Incident site		**Coordinates of Nearest Helipad Mori**	
	Latitude-		-
	Longitude-		-
Dimension of Helipad/air field		**Altitude/ Elevation**	
Refueling arrangements			
Details of another Helipad Coordinate:			
		Latitude-	
		Longitude-	

District Contact Details:

District Magistrate	
Name:	Mobile Number:
Telephone Number:	Fax Number:
Satellite Phone Number:	Wireless availability:

Sr. Superintendent / Superintendent of police	
Name:	Mobile Number:
Telephone Number:	Fax Number:
Satellite Phone Number:	Wireless availability:

Local Contact of the Affected Area:

SDM Haldwani	
Name:	Mobile Number:
Telephone Number:	Fax Number:
Satellite Phone Number:	Wireless availability:

State contact details for coordination:

Secretary, Department of Disaster Management	
Name:	Mobile Number:
Telephone Number:	Fax Number:
Satellite Phone Number:	Wireless availability:

Contact Person -

(…………………….)
Chairperson, DDMA/
District Magistrate, Nainital

Copy forwarded for information:

1. **MOD** New Delhi, 011-23012380, Email-defsecy@nic.in
2. **MHA**, Control room, New Delhi-011-23093054,
   Email-iocdm.mha@nic.in
3. **NDMA,** Control room, New Delhi, Phone: 011-26701728
   Email-ndmacontrolroom@gmail.com
4. **NERC** Control Room, Phone: 011-23438252,
   Email- dresponse-nerc@gov.in
5. **Air Force,** Vayu Bhawan, New Delhi
   Email: tandh@nic.in Phone: 011-23014424(T), 011-23017627(F).
6. **DIG ITBP,** Seemadwar, Indra Nagar, Dehradun, Uttarakhand
   Email: itcellddn@itbp.gov.in , 0135-2760406 (F).
7. **DIG S.S.B,** FTR Ranikhet, Almora, Uttarakhand, -
   Email- control-ftrrkt-ssb@nic.in
   Control Room: 05966-222205(F), 9412081813 (M).
8. **Commandant 8th Bn NDRF**, Kamla Nehru Nagar Ghaziabad, UP
   Email- up08-ndrf@nic.in,
   Reception: 0120-2766012 (F), 0120-2766618 (T).
9. **Commandant 15th BN NDRF,** Shahkari Chini Mill Gadarpur, Uttarakhand.
   Email-co15.ndrf@gov.in, 05949-231199 (T), 9990936318 (M)

Chairperson, DDMA/
District Magistrate, Nainital

5.18 चेतावनी प्रणाली की परिचालन जाँच

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। यह योजना के अनुसार कार्यों की निगरानी करता है और राज्य मुख्यालय, गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित करता है।

5.19 आपातकालीन संचालन केंद्र की परिचालन जाँच

आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) की सुविधाओं और उपकरणों की मासिक रूप से जाँच की जाती है।

5.20 सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का मौसमी निरीक्षण

विभिन्न विभागों और संगठनों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक रूप से और विशेष रूप से बारिश व बर्फबारी के मौसम से पहले संसाधनों और उपकरणों की जाँच करें।

5.21 गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय

नैनीताल जिले के गैर सरकारी संगठनों को समय–समय पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान कर सकें।

5.22 संसाधन जुटाना

आपदा के बाद संसाधनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस स्थिति में, जिला प्रशासन निजी और सार्वजनिक संसाधनों को अधिकरण कर सकता है।

5.23 वीआईपी यात्राओं की व्यवस्था

वीआईपी की यात्रा बचाव कार्यों को बाधित कर सकती है। अतः उनकी यात्रा को न्यूनतम किया जाना चाहिए। यदि यात्रा आवश्यक हो, तो इसका समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

5.24 सामुदायिक तैयारी

स्थानीय समुदायों को आपदा के लिए तैयार करना आवश्यक है ताकि वे प्रशासन के आने से पहले ही उचित कदम उठा सकें।

5.25 मीडिया प्रबंधन/सूचना प्रसार

मीडिया को नियमित रूप से घटनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।

5.26 ज्ञान प्रबंधन

सभी विभागों की संसाधन सूची को एकत्रित कर इसे "भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क" (IDRN) पर अपलोड किया जाएगा।

5.27 आईडीआरएन (India Disaster Resource Network)

आईडीआरएन एक ऑनलाइन संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहायता प्रदान करती है।

5.28 हितधारकों की भागीदारी

होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संगठनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5.29 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP)

निजी क्षेत्र को आपदा प्रबंधन में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।

5.30 विद्यालयों की तैयारी

विद्यालयों में आपदा से बचाव के उपाय एंव जन जागरूकता के अर्न्तगत नियमित रूप से मॉक ड्रिल कराई जाती है।

अध्याय 06

प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास

6.1– दृष्टिकोण – क्षमता विश्लेषण के लिए दृष्टिकोण को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक नीतियों और अत्याधुनिक स्तर के साथ बहु–स्तरीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रशिक्षण उन हितधारकों को लक्षित करना चाहिए जो अध्याय 2 में पहचाने गए क्षमता अंतरालों को भरने के लिए जिम्मेदार हैं। इन प्रशिक्षणों का लाभ जिले की स्थानीय क्षमता से उठाया जाना चाहिए ताकि विभिन्न कार्यक्रमों को सुगम बनाया जा सके। ये प्रशिक्षण प्रतिक्रिया और शमन–केंद्रित दृष्टिकोण दोनों को अपनाते हुए जिले की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होने चाहिए।

6.2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिले को आपदाओं के प्रति सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर कार्य करेगा:

- **जन जागरूकता और संवेदनशीलता:** प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, प्रिंट मीडिया, जन संचार माध्यमों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता को जागरूक करना।
- **नियमित मॉक ड्रिल का आयोजन:** स्कूलों और सरकारी भवनों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- **जनभागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम:** विभिन्न उपमंडलों में मैराथन, नारा लेखन, चित्रकला प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित करना ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें भाग ले सकें।
- **निर्माण विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण:** राजमिस्त्री और इंजीनियरों के लिए आपदा–रोधी भवन निर्माण का विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री का वितरण:** सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता सामग्री का वितरण करना।
- **हितधारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण:** राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित करना।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना:** यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गाँव/पंचायत में सक्रिय आपदा प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन कार्यबल मौजूद हो।
- **सभी विभागों में आपदा प्रबंधन योजना:** यह सुनिश्चित करना कि सभी विभागों के पास सक्रिय आपदा प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन कार्यबल हो।
- **संसाधनों की सूची को अद्यतन करना:** सभी विभागों की संसाधन सूची को वर्ष में कम से कम दो बार अपडेट करना।

6.2.1 सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण – जिला स्तर पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण (DDMA), गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखं प्रशासन अकादमी, नैनीताल, आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के समन्वय में किया जाएगा।

Table 6.1 Trainings to be conducted under capacity building

क्र.सं.	विषय	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
			बुनियादी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला		
1	आपदा प्रबंधन बुनियादी प्रशिक्षण	जिला सभागार	जिला प्रशासन एवं केंद्र शासन के जिले में स्थित विभागों के नोडल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य	एक दिवसीय	सुविधानुसार
2	आपदा प्रबंधन कार्यशाला		स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि आदि		नवम्बर द्वितीय सप्ताह
3	इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम (IRS)		जनपद IRS दल	दो दिवसीय	अप्रैल

Table 6.2 Special Trainings to be conducted under capacity building

क्र. सं.	विषय	प्रशिक्षण संचालित करने वाला विभाग	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
1	इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम (IRS)	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण। / ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति	तहसील मुख्यालय	तहसील मुख्यालय IRS दल	दो दिवसीय	मार्च
2	बाढ़ खोज एवं बचाव तकनीक	एस0डी0आर0एफ0 /आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	तहसील मुख्यालय	आपदा मित्र एंव स्थानीय खोज एवं बचाव दल	एक दिवसीय	जून
3	प्राथमिक उपचार	रेड क्रॉस/ आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	आपदा संभावित क्षेत्र	स्थानीय दल एवं वॉलंटियर	एक दिवसीय	जून
4	अग्नि दुर्घटना से बचाव	फॉयर सर्विस/वन विभाग।	जिला मुख्यालय	जिला होम गार्ड बल/नगर पालिक/ पुलिस विभाग/वन विभाग	एक दिवसीय	फरवरी
5	भूकंप रोधी निर्माण तकनीक	लोक निर्माण विभाग	जिला मुख्यालय	भवन एवं ब्रिज निर्माण एजेंसी	दो दिवसीय	जुलाई

6.2.2 सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ

सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण गतिविधियाँ मुख्य रूप से गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), निजी क्षेत्र, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और DDMA नैनीताल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में आयोजित की जाएंगी। आपदाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के अलावा, ध्यान मुख्य रूप से सामुदायिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा।

DDMA स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों जैसे होम गार्ड्स, नेहरू युवा केंद्र (NYKs), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), रेड क्रॉस, युवा क्लब, स्वयं सहायता समूह (SHGs), सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs), गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि के साथ समन्वय करेगा। ये संस्थाएँ बड़े पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मीडिया भी लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है।

सामुदायिक स्तर पर कौशल विकास को सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत किया जा सकता है ताकि समुदाय को आपदाओं से सुरक्षित रखने की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित करेंगे। गाँव स्तर पर क्षमता निर्माण में आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) बनाना, टास्क फोर्स और आपदा प्रबंधन समितियों का गठन और उनका कार्यान्वयन शामिल होगा। लोगों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा:

- आपदा प्रबंधन की मूलभूत जानकारी
- प्राथमिक चिकित्सा तकनीक
- राहत और बचाव कार्य
- स्वच्छता तकनीक

इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों के कौशल को उन्नत करने के लिए तकनीकी संस्थानों के माध्यम से एक संस्थागत दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी ताकि सुरक्षित निर्माण पद्धतियाँ सुनिश्चित की जा सकें।

Table 6.3 Proposed Public Awareness Programme

क्र.सं.	विषय	विवरण	प्रस्तावित समय	विभाग
भूकंप जन–जागरूकता कार्यक्रम				
1	भूकंप पूर्व तैयारी ब्रोशर का वितरण	जनपद में जोन IV अंतर्गत समस्त तहसीलों के राजकीय उच्तर विधालयों, राजकीय कार्यालयों, पंचायत भवन	Training calender programme is being prepared for the year	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण नैनीताल
2	भूकंप से बचाव विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन	जनपद में जोन IV के अंतर्गत आने वाली समस्त तहसीलें		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से स्थानीय एनजीओ
3	भूकंप से बचाव विषय पर साइकिल रैली	जनपद एंव तहसील मुख्यालय		शिक्षा / पर्यटन विभाग
4	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	विद्यालय, सरकारी भवन आदि		एस0डी0आर0एफ0 / जनपद आप्रदा प्रबन्धन प्राधिकरण
5	दीवार लेखन / बैनर के माध्यम से सुरक्षा निर्देश	जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों के दीवारों पर		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
अग्नि आपदा संभावित समुदाय के जन–जागरूकता कार्यक्रम				
1	अग्नि आपदा तैयारी ब्रोसर का वितरण	जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन	Training calender programme is being prepared for the year	शिक्षा, पंचायतराज, अग्निशमन तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
2	चौपाल / विचार विमर्श	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		
3	बचाव संबंधी जानकारी	जनपद मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम एंव तहसील स्थित पंचायत भवन		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय
4	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय
प्राथमिक उपचार हेतु समुदाय के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम				
1	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय	Training calender programme is being prepared for the year	स्वस्थ विभाग / SDRF/NDRF/ जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

6.3– मॉक ड्रिल का आयोजन– जिले में आपदा प्रबंधन हेतु की गई पूर्व तैयारी की आपदा के समय प्रभावशीलता की जांच हेतु मॉक अभ्यासों का आयोजन वार्षिक कैलेंडर अनुसार किया जाय।

Table 6.4 Proposed Mock Drill

क्र.सं.	संस्था एवं आयोजन स्थल	अभ्यास/ड्रिल का विषय	रिर्माक
संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ड्रिल (समय सारणी संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित की जाएगी।)			
1	समस्त शैक्षणिक संस्थाएं	अग्नि सुरक्षा, भूकंप सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, खोज एवं बचाव तकनीक, घायलों का परिवहन एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित अन्य आकस्मिक स्थितियां आदि।	डी0डी0एम0ए0 नैनीताल के सहयोग से शैक्षणिक संस्था द्वारा नियमित ड्रिल हेतु समय–सारणी तय की जाएगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा।
2	समस्त शासकीय अस्पताल।	अग्नि सुरक्षा, भूकंप सुरक्षा एवं अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित अन्य आकस्मिक स्थितियां ।	अस्पतालों द्वारा नियमित ड्रिल हेतु समय–सारणी तय की जाएगी तथा जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा।

6.4– मॉकड्रिल हेतु अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा– जनपद के संभावित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा की जाने वाली आपेक्षित कार्यवाही निम्ननुसार होगी।

Table 6.5 The required actions to be taken by the departments.

बाढ़		
क्र.सं.	**दल**	**अपेक्षित कार्यवाही**
1	**चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल**	जन सामान्य को उचित एवं प्रभावशाली रूप से चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
2	**चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम**	चिकित्सा कैंप तथा इसमे आवश्यक उपचार, दवाई व अन्य सामाग्री का प्रदर्शन। घायलो का चिन्हिकरण, पंजीयनएवं चिकित्सीय परिवहन सहायता का प्रदर्शन।
3	**सिविल डिफेन्स टास्क फोर्स**	आपदाग्रस्त क्षेत्र मे काम कर रही सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित कर राहत, बचाव, मलबा हटाना, चिकित्सा आदि के स्थापन मे सहयोग का प्रदर्शन।
4	**पशु चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम**	आपदा क्षेत्र मे पशु चिकित्सा राहत हेतु मेडिकल जांच केंद्र, रिलीफ कैंप,पंजीयन,चिकित्सीय परिवहन सहायता एवं समुचित उपचार, दवाई आदि उपलब्ध कराने का प्रदर्शन।
5	**रोगी परिवहन व्यवस्था स्ट्राइक टीम**	आपदा क्षेत्र मे घायलो एवं अति घायलो का नजदीक अस्पतालो, कैंपो एवं अन्य मुख्य चिकित्सीय संस्थानो तक परिवहन का प्रदर्शन।
अग्नि दुर्घटना		
1	**स्थानीय दल**	100, 101 एवं 1077 पर सूचित करने का प्रदर्शन
2	**वाटर सप्लाई टास्क फोर्स**	फायर नियंत्रण हेतु जल की स्थानीय स्तर पर अबाधित आपूर्ती का प्रदर्शन।
3	**खोज एवं बचाव टास्क फोर्स**	आपदा में फसें लोगों के सुरक्षित निष्क्रमण का प्रदर्शन

4	**चिकित्सा राहत व्यवस्था**	प्रभावित लोगों को सही तकनीक का प्रदर्शन करते हुए प्राथमिक चिकित्सा तथा गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजने का प्रदर्शन
5	**पॉवर सप्लाई व्यवस्था स्ट्राइक फोर्स**	पॉवर सप्लाई व्यवस्था बंद तथा चालू करने का प्रदर्शन
	भूकंप	
1	**चेतावनी प्रसारण तहसील स्तरीय स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
2	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
3	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।
4	**चिकित्सा प्रबंधन**	अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करना एवं घायलो कात्वरित इलाज का प्रदर्शन। सीपीआर का प्रदर्शन। बेंडेजिंग की विधियाँ।
5	**अग्नि शमन**	अग्नि शमन का प्रदर्शन
6	**मलबा निष्कर्मण**	मलबा हटाने का प्रदर्शन
7	**कानून व्यवस्था**	कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशों का प्रदर्शन
8	**चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
9	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
10	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।

अध्याय 07

प्रतिक्रिया एंव राहत उपाय

<u>प्रतिक्रिया एंव राहत कार्यों के महत्वपूर्ण तत्व</u>

1. प्रभावी चेतावनी प्रसारण एवं संबंधितों को घटना की तत्काल सूचना ।
2. राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया हेतु स्थानीय एवं विभागीय दलों की तत्पर क्रियाशीलता ।
3. घटना प्रबंधन के स्थिति की रिपोर्टिंग तथा विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉस टीमों की तदनुसार क्रियाशीलता ।
4. इंसिडेंट एक्शन प्लान अनुसार संसाधनों का आवश्यकता आंकलन एवं डिप्लोयमेंट (Deployment) ।
5. इंसिडेंट एक्शन प्लान (Incident Action Plan) के अनुसार इंसिडेंट रिस्पौंस टीमों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वयन ।
6. आपदा प्रभावित दिव्यांग एवं अन्य संवेदनशील वर्गों का संरक्षण।
7. जनशिकायत निवारण ।

7.1 प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और मूल्यांकन –

आपदा के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए बहु–आपदा प्रतिक्रिया योजना (Multi&Hazard Response Planning) को लागू किया जाता है। यह योजना विभिन्न प्रकार की संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व–तैयारी, तत्काल मूल्यांकन, राहत कार्यों की योजना और संसाधनों की तैनाती पर केंद्रित होती है।

इस योजना के तहत प्रशासनिक इकाइयों, आपातकालीन सेवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों को समन्वयित ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

7.1.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs) –

आपदा के तुरंत बाद क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Rapid Damage and Needs Assessment & RDNA) करना आवश्यक होता है ताकि राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इस मूल्यांकन के तहत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है

1. प्राथमिक मूल्यांकन (Initial Assessment)

- प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण (Aerial Survey) और स्थलीय निरीक्षण (Ground Inspection) करना।
- कितने लोगों को तत्काल बचाव और राहत की आवश्यकता है, इसकी गणना।
- आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यकताओं का आंकलन।

2. जनहानि और संपत्ति का आकलन (Casualty and Damage Assessment)

- कितने लोगों की मृत्यु, घायल और लापता होने की सूचना एकत्र करना।
- कितने घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं।
- कौन–कौन से संसाधन तत्काल पुनःस्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे बिजली, जल आपूर्ति और संचार।

3. प्रभावित जनसंख्या की प्राथमिक आवश्यकताएँ (Immediate Needs of Affected Population)

- पीने के पानी और स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण।
- चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और आवश्यक दवाओं का आकलन।
- भोजन, राशन और अन्य जीवनरक्षक आपूर्ति की जरूरतों की पहचान।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों और राहत सामग्री वितरण की योजना बनाना।

4. दीर्घकालिक पुनर्वास आवश्यकताएँ (Long&term Rehabilitation Needs)

- प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए आश्रय पुनर्निर्माण योजना बनाना।
- सड़कों, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की रणनीति तैयार करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए रोजगार एवं आजीविका पुनर्वास कार्यक्रम लागू करना।

7.1.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart)

आपदा प्रतिक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart) का उपयोग किया जाता है। यह चार्ट विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय को दर्शाता है।

Table 8.1 Response Flow Chart

चरण	मुख्य गतितिधियां
आपदा चेतावनी जारी करना (Warning Dissemination)	• मौसम विभाग, भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान और अन्य एजेंसियों से अलर्ट प्राप्त करना। • स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत एजेंसियों को सूचना देना। • चेतावनी संदेश को स्थानीय भाषा में आम जनता तक पहुँचाना।
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक (Emergency Coordination Meeting)	• जिला कलेक्टर (DDMA अध्यक्ष) द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाना। • विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, शिक्षा, नगर पालिका, जल आपूर्ति आदि) के अधिकारियों से समन्वय करना। • उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकतानुसार राहत प्रयासों को निर्देशित करना।

चरण	मुख्य गतितिधियां
बचाव और राहत कार्यों की शुरुआत (Activation of Rescue and Relief Operations)	• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) पुलिस, होम गार्ड्स और सेना को सक्रिय करना। • बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवकों, छळ्ब्, रेडक्रॉस, सिविल डिफेंस, स्थानीय संगठनों की मदद लेना। • राहत शिविरों की स्थापना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
प्रभावित क्षेत्र का त्वरित सर्वेक्षण और मूल्यांकन (Rapid Damage Assessment)	• प्रभावित जनसंख्या का आकलन और उनकी आवश्यकताओं का दस्तावेजीकरण। • प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्था की बहाली। • बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए संसाधनों की तैनाती।
राहत सामग्री का वितरण (Relief Distribution)	• भोजन, पानी, दवाइयाँ, कपड़े, टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुएँ वितरित करना। • प्रभावित समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएँ और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना।
पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों की योजना (Rehabilitation & Reconstruction Planning)	• दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाएँ बनाना। • क्षतिग्रस्त संरचनाओं (घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि) के पुनर्निर्माण की योजना बनाना। • भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए स्थायी आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ लागू करना।

7.1.3 चेतावनी और सतर्कता (Warning and Alert)

आपदा प्रबंधन में चेतावनी और सतर्कता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय पर दी गई चेतावनी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने का मौका मिलता है।

7.1.3.1 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems)

गाँव और जिला प्रशासन के बीच एक द्वि–दिशात्मक संचार प्रणाली (Two&Way Communication System) स्थापित की जाएगी, जिससे किसी भी संभावित आपदा की सूचना तेजी से साझा की जा सके।

इस प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख तत्व होंगे:

- **गाँव स्तर पर:** पंचायत, ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, और स्थानीय रेडियो।
- **जिला स्तर पर**: जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), मौसम विभाग, और अन्य सरकारी एजेंसियाँ।
- **संवाद के माध्यम:** मोबाइल संदेश, रेडियो, टेलीविजन, लाउडस्पीकर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

- **सूचना प्रवाह:** गाँव से प्राप्त जानकारी को जिला प्रशासन तक पहुँचाना और जिला प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी को गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना।

7.1.3.2 चेतावनी प्रसार (Warning Dissemination)

आपदा की चेतावनी को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे:

1. **चेतावनी अनुवाद:**
    - चेतावनी संदेशों को स्थानीय भाषा में अनुवाद कर जनता को स्पष्ट और सरल भाषा में जानकारी दी जाएगी।
2. **वितरण के माध्यम:**
    - **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:** टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया (WhatsApp, Twitter, Facebook] आदि)।
    - **प्रिंट मीडिया:** अखबार, पर्चे, पोस्टर।
    - **सीधे संचार माध्यम**: लाउडस्पीकर, ग्राम पंचायत बैठकें, मुनादी।
    - **आपातकालीन संदेश सेवा**: मोबाइल संदेश (SMS, IVRS, आपदा अलर्ट ऐप्स)।
3. **गाँव और जिला प्रशासन के बीच समन्वय**:
    - गाँव के प्रतिनिधियों को पहले सतर्क कर, उन्हें जनता तक संदेश पहुँचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
    - प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड टीमों को भेजकर सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति को चेतावनी मिल चुकी हो।
4. **चेतावनी वापसी (Withdrawal of Warning)**:
    - जब आपदा का खतरा समाप्त हो जाए, तब क्क्ड। द्वारा आधिकारिक रूप से चेतावनी वापसी (All Clear Signal) जारी किया जाएगा।
    - यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग अफवाहों पर विश्वास न करें और आधिकारिक सूचना का ही पालन करें।

इस तरह की प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और चेतावनी प्रसार प्रणाली से आपदाओं के दौरान जनहानि और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है।

7.1.4 जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक

आपदा के दौरान त्वरित निर्णय लेने और समन्वय स्थापित करने के लिए जिला संकट प्रबंधन समूह (Crisis Management Group & CMG) की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति, विद्युत विभाग, NGO, और अन्य संबंधित संस्थाएँ शामिल होती हैं।

बैठक के प्रमुख कार्य

1. आपदा की स्थिति का आकलन करना और आवश्यक कार्रवाई की योजना बनाना।
2. आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय करना और उनकी जिम्मेदारियाँ तय करना।
3. बचाव और राहत कार्यों का समन्वय करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
4. जनता को सटीक सूचना देना और अफवाहों को रोकने के लिए उपाय करना।

5. राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करना और आवश्यक सहायता प्राप्त करना।

7.1.5 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियकरण

आपातकालीन संचालन केंद्र (Emergency Operations Centre & EOC) आपदा प्रबंधन का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, जिसे आपदा के दौरान सक्रिय किया जाता है।

EOC की प्रमुख भूमिकाएँ:

- **24x7 निगरानी और समन्वय:** आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखना और आवश्यक निर्देश जारी करना।
- **संचार और सूचना प्रबंधन:** रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और सैटेलाइट संचार के माध्यम से सूचना का आदान–प्रदान।
- **बचाव और राहत कार्यों की निगरानी:** विभिन्न राहत एजेंसियों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- **सूचना का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना:** प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित कर उच्च अधिकारियों और जनता को सूचित करना।
- **संसाधनों की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करना:** खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, शरण स्थल, पानी, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

7.1.6 संसाधनों का संचालन (Resource Mobilization)

आपदा के दौरान आवश्यक संसाधनों की त्वरित उपलब्धता और उनके प्रभावी उपयोग के लिए संसाधन संचालन (Resource Mobilization) किया जाता है।

संसाधन संचालन की प्रक्रिया:

1. **उपलब्ध संसाधनों की पहचान और सूची तैयार करना:** सरकारी और निजी संस्थानों से उपलब्ध संसाधनों (वाहन, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, आश्रय स्थल, उपकरण आदि) की सूची बनाना।
2. **विभिन्न विभागों से समन्वय:** स्वास्थ्य, पुलिस, नगर निगम, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन और अन्य विभागों के संसाधनों को आपदा क्षेत्र में भेजना।
3. **स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र से सहयोग:** राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सामाजिक संगठनों और उद्योगों से सहायता प्राप्त करना।
4. **संसाधनों का समान वितरण:** प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, पानी, कपड़े, दवाइयाँ और अन्य राहत सामग्रियों का वितरण।
5. संसाधनों का त्वरित परिवहन: हेलीकॉप्टर, ट्रक, नाव और अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करके राहत सामग्री को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचाना।

7.1.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना (Seeking External Help for Assistance)

आपदा की गंभीरता को देखते हुए, यदि जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहरी सहायता (External Assistance) माँगी जाती है।

बाहरी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **राज्य सरकार से संपर्क:** जिला प्रशासन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राज्य सरकार को स्थिति की जानकारी देता है और अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करता है।

2. **राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), सेना, वायुसेना, नौसेना, और अर्धसैनिक बलों से बचाव और राहत कार्यों के लिए सहयोग लिया जाता है।
3. **गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र की सहायता:** बड़े पैमाने पर राहत कार्यों में NGOs, रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ (UNICEF, WHO), धर्मार्थ संगठन और कॉरपोरेट सेक्टर (CSR पहल) से सहायता ली जाती है।
4. **अंतरराष्ट्रीय सहायता:** यदि आपदा का प्रभाव बहुत व्यापक है और राष्ट्रीय स्तर की सहायता भी अपर्याप्त साबित होती है, तो भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र, विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर सकती है।
5. **अतिरिक्त आपूर्ति और उपकरण:** दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, पेयजल, टेंट, जनरेटर, मेडिकल किट, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक राहत सामग्रियों की आपूर्ति बाहरी एजेंसियों से सुनिश्चित की जाती है।

इस प्रकार, बाहरी सहायता प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों को तेजी से संचालित करने और आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7.1.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल

(Psycho & Social Care of Affected Population)

आपदा के बाद, प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) जैसी मानसिक समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल (Psycho-Social Care) बेहद आवश्यक होती है।

मानसिक और सामाजिक देखभाल के प्रमुख पहलू:

1. **मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उपलब्धता:**मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित काउंसलरों को राहत शिविरों में तैनात किया जाता है।
2. **व्यक्तिगत और समूह परामर्श (Counseling):** मानसिक आघात से उबरने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं।
3. **विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सहायता:** शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।श्रवण, दृष्टि और चलने–फिरने में असमर्थ लोगों के लिए विशेष काउंसलिंग और समर्थन दिया जाता है।
4. **बच्चों और वृद्धजनों के लिए सहायता:** बच्चों को उनकी सामान्य दिनचर्या में वापस लाने के लिए मनोरंजन और खेल–कूद गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वृद्धजनों के लिए चिकित्सा और भावनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5. **सामुदायिक सहयोग:** NGOs, सामाजिक संगठन और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ताकि प्रभावित लोगों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिल सके।
6. **धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:** लोगों को भावनात्मक राहत देने के लिए प्रार्थना सभाएँ, आध्यात्मिक सत्र और सामाजिक मेल–मिलाप की व्यवस्था की जाती है।
7. **नौकरी और पुनर्वास सेवाएँ:** रोजगार और आजीविका बहाली के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकें।

7.1.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report)

आपदा के तुरंत बाद, स्थिति का तेजी से मूल्यांकन (Rapid Assessment) करना आवश्यक होता है ताकि प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को सही दिशा में संचालित किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report) तैयार की जाती है।

Table 8.2 Main points of First Assessment Report

विषय	मुख्य बिंदु	उत्तरदायी विभाग / एजेंसी
आपदा की प्रकृति और स्तर	आपदा का प्रकार (भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि) और प्रभावित क्षेत्र का विस्तार	मौसम विभाग, भूगर्भीय संस्थान
जनहानि और संपत्ति का नुकसान	मृतकों, घायलों और लापता लोगों की संख्या, क्षतिग्रस्त मकान, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि	पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम
मौजूदा संसाधन और बचाव कार्य	राहत सामग्री (भोजन, पानी, दवाइयाँ), प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF द्वारा किए गए प्रयास	NDRF, SDRF, पुलिस, NGO
प्राथमिक आवश्यकताएँ	चिकित्सा सेवाएँ, आश्रय, बिजली, यातायात की स्थिति	स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग
भविष्य की रणनीति	राहत और पुनर्वास कार्यों की योजना, सरकार और अन्य एजेंसियों को सिफारिशें	राज्य सरकार, NDMA, DDMA

7.1.10 मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचना प्रसार

(Media Management / Coordination / Information Dissemination)

1. मीडिया प्रबंधन (Media Management) मीडिया प्रबंधन का अर्थ है विभिन्न मीडिया संसाधनों (अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि) का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। इसमें शामिल होते हैं:

- **योजना और रणनीति बनाना** – सही समय और सही माध्यम का चयन करना।
- **संपर्क और नेटवर्किंग** – पत्रकारों, मीडिया हाउस और इन्फ्लुएंसर्स के साथ अच्छे संबंध बनाना।
- **सामग्री निर्माण और प्रस्तुति** – प्रेस रिलीज, वीडियो, ग्राफिक्स, और ब्लॉग पोस्ट तैयार करना।
- **मीडिया निगरानी** – मीडिया रिपोर्टिंग और ब्रांड छवि पर नजर रखना।

2. समन्वय (Coordination) समन्वय का मतलब है विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म, संगठनों और टीमों के बीच तालमेल बैठाना ताकि सूचना प्रभावी ढंग से संचारित हो। इसमें मुख्यतः शामिल हैं:

- **मीडिया एजेंसियों के साथ तालमेल** – प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू और मीडिया कवरेज का आयोजन।
- **आंतरिक और बाहरी संचार** – टीम के भीतर और बाहरी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सूचना प्रवाह सुनिश्चित करना।
- **इवेंट मैनेजमेंट** – प्रचार अभियानों (उंतामजपदह बंउचंपहदे) और प्रेस मीटिंग्स का आयोजन।

3. सूचना प्रसार (Information Dissemination) सूचना प्रसार का अर्थ है सही जानकारी को सही समय पर सही लोगों तक पहुँचाना। इसमें शामिल हैं:

- **डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग** – फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि का प्रभावी उपयोग।
- **प्रेस विज्ञप्ति और समाचार लेख** – अखबार, पत्रिकाओं और न्यूज चौनलों में जानकारी प्रकाशित करना।
- **ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापन** – डिजिटल विज्ञापन, पोस्टर, बैनर और टीवी कमर्शियल्स के माध्यम से सूचना फैलाना।

7.1.11 एसओपी (SOPs) का विकास

एसओपी का अर्थ है मानक संचालन प्रक्रिया, जो किसी कार्य को व्यवस्थित, कुशल और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करता है। आपातकालीन सहायता कार्य (Emergency Support Functions - ESFs) से जुड़े एसओपी यह सुनिश्चित करते हैं कि आपात स्थिति में सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से और समन्वित रूप से संचालित हों।

एसओपी विकास के प्रमुख चरण:

1. **आवश्यकताओं का निर्धारण** – ESFs के तहत कौन–कौन से कार्य आवश्यक हैं, उनकी पहचान करना।
2. **संबंधित विभागों और एजेंसियों की भागीदारी** – पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, संचार, परिवहन आदि से समन्वय करना।
3. **प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण** – प्रत्येक कार्य के लिए चरण–दर–चरण गाइडलाइन तैयार करना।
4. **प्रशिक्षण और परिक्षण (Drills & Training)** – सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन एसओपी का पालन कर सकें।
5. **समीक्षा और अद्यतन** – समय–समय पर एसओपी को संशोधित और अपडेट करना।

चेकलिस्ट का विकास – चेकलिस्ट सुनिश्चित करती हैं कि किसी कार्य के सभी महत्वपूर्ण चरण पूरे किए गए हैं। ESFs से संबंधित चेकलिस्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी और प्रभावशीलता लाने में मदद करती हैं।

आपदा प्रबंधन से संबंधित चेकलिस्ट:

- खतरे की सूचना प्रणाली कार्यरत है या नहीं?
- आपातकालीन संचार प्रणाली सक्रिय है या नहीं?
- सभी राहत सामग्री उपलब्ध है या नहीं?
- मेडिकल और बचाव टीम को सूचित किया गया है या नहीं?
- लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है या नहीं?

प्रारूपों का विकास

- **आपातकालीन रिपोर्ट प्रारूप** – घटना, समय, स्थान, प्रभावित क्षेत्र का विवरण।
- **राहत सामग्री वितरण प्रारूप** – किस क्षेत्र में, कितनी मात्रा में सहायता भेजी गई।
- **संपर्क सूची प्रारूप** – सभी संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों और स्वयंसेवकों की जानकारी।

7.1.12 रिपोर्टिंग (Reporting)

रिपोर्टिंग का अर्थ है आपातकालीन स्थिति या किसी घटना से संबंधित सूचना का सही और प्रभावी संकलन, विश्लेषण और संचार करना। यह विभिन्न हितधारकों (सरकार, एजेंसियाँ, मीडिया, जनता आदि) को त्वरित और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करता है।

7.1.12.1 सूचना प्रबंधन (Information Management)

सूचना प्रबंधन का उद्देश्य सही, सटीक और अद्यतन जानकारी को संग्रहीत, विश्लेषण और साझा करना है।

मुख्य चरण:

1. **डेटा संग्रहण** – फील्ड रिपोर्ट, सर्वेक्षण, तकनीकी उपकरणों (GIS ड्रोन, सेंसर) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
2. **डेटा सत्यापन** – प्राप्त जानकारी की पुष्टि करना ताकि कोई गलत सूचना न फैले।
3. **डेटा विश्लेषण** – स्थिति की गंभीरता को समझकर त्वरित निर्णय लेने के लिए डेटा को प्रोसेस करना।
4. **सूचना का वितरण** – आवश्यक एजेंसियों, प्रशासकों और मीडिया को सही समय पर जानकारी भेजना।

7.1.12.2 स्थिति रिपोर्ट (Situation Reports & SITREP)

स्थिति रिपोर्ट (SITREP) किसी आपदा, संकट या घटना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी देने वाला दस्तावेज होता है।

मुख्य बिंदु:

- **घटना का विवरण** – क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ?
- **प्रभाव का आकलन** – कितने लोग प्रभावित हुए, क्या नुकसान हुआ?
- **प्रतिक्रिया और बचाव कार्य** – क्या कार्रवाई की जा रही है, किन संसाधनों की जरूरत है?
- **आगे की योजना** – संभावित खतरे और आवश्यक कदम।
- **संलग्न साक्ष्य** – नक्शे, ग्राफ, चित्र, आँकड़े आदि।

7.1.12.3 मीडिया रिलीज (Media Release)–

मीडिया रिलीज का उद्देश्य जनता और हितधारकों को अधिकृत और सटीक जानकारी प्रदान करना है, जिससे गलत सूचना न फैले और लोगों में जागरूकता बनी रहे।

मुख्य तत्व:

- **शीर्षक** – प्रमुख समाचार बिंदु को उजागर करना।
- **सरकारी / प्रशासनिक वक्तव्य** – अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी।
- **तथ्य और आँकड़े** – घटनास्थल की स्थिति, प्रभावित लोगों की संख्या, राहत प्रयास।
- **संपर्क जानकारी** – हेल्पलाइन नंबर, राहत केंद्रों का विवरण।

7.1.13 विमोचन और समापन (Demobilization and Winding Up)

आपदा प्रबंधन या किसी आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के सफलतापूर्वक निष्पादन के बाद विमोचन और समापन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसका उद्देश्य संसाधनों को वापस लेना, सभी गतिविधियों को औपचारिक रूप से समाप्त करना और भविष्य के लिए सीखना होता है।

7.1.13.1 दस्तावेजीकरण (Documentation) – दस्तावेजीकरण का मतलब है कि संपूर्ण प्रतिक्रिया और राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, जिससे भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने में सहायता मिल सके।

मुख्य तत्व:

- **घटना का पूरा विवरण** – कब, कहाँ, और कैसे घटना घटी?
- **प्रतिक्रिया और राहत कार्य** – कौन–कौन से कदम उठाए गए, कौन–सी एजेंसियाँ शामिल थीं?
- **चुनौतियाँ और समाधान** – किन दिक्कतों का सामना हुआ और उन्हें कैसे हल किया गया?
- **संपर्क और संसाधनों की जानकारी** – किन संसाधनों और व्यक्तियों ने मदद की?
- **डेटा और आँकड़े** – प्रभावित लोगों की संख्या, वितरित राहत सामग्री, बचाए गए लोगों की संख्या आदि।

7.1.13.2 सफलता की कहानियाँ (Success Stories) – सफलता की कहानियाँ उन घटनाओं या प्रयासों को उजागर करती हैं, जिनसे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए और जीवन प्रभावित हुए।

महत्व

- सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ।
- नीतिगत सुधारों के लिए प्रभावी उदाहरण।
- भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोगी रणनीतियाँ।

7.1.13.3 भविष्य के लिए सबक (Lessons for Future)

यह अनुभाग भविष्य की आपातकालीन तैयारियों (Disaster Preparedness) और रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए पिछले अनुभवों से मिली सीख पर केंद्रित होता है।

महत्वपूर्ण सीख:

- बेहतर संचार प्रणालीरू कई बार गलतफहमियों के कारण प्रतिक्रिया में देरी होती है, जिसे सुधारने की जरूरत है।
- राहत सामग्री की त्वरित उपलब्धतारू राहत सामग्री का बेहतर स्टॉक और वितरण प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- तकनीकी उन्नति का उपयोगरू ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य तकनीकों का अधिक उपयोग करना।
- सामुदायिक प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को बचाव कार्यों और आपातकालीन योजनाओं की ट्रेनिंग देना। इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधाररू भूकंप–रोधी भवनों और मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता

7.2 जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) का विकास

जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) एक योजना दस्तावेज होता है जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया उपाय (Response Measure) के लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसे कब पूरा करना है और उसमें कौन–कौन से प्रमुख हितधारक (Stakeholder) शामिल होंगे।

1. प्रत्येक प्रतिक्रिया उपाय के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स विकसित करना (Evolving Responsibility Matri for Each Response Measure within a Time Frame)

मुख्य उद्देश्य:

- **सुस्पष्ट जिम्मेदारी** – यह तय करना कि कौन–सा विभाग या एजेंसी किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- **समय सीमा निर्धारण** – हर कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना।
- **संसाधन आवंटन** – कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, वित्तीय सहायता और उपकरणों की पहचान करना।
- **समन्वय सुनिश्चित करना** – सभी हितधारकों के बीच तालमेल बनाकर कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करना।

Responsibility Matrix for Disaster Response Plan

प्रतिक्रिया उपाय	मुख्य उत्तरदायी एजेंसी	सर्पोटिंग ऐजेंसी	समय सीमा
आपातकालीन अलर्ट जारी करना	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	मौसम विभाग,	पुलिस 1 घंटा
राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन,	एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन	12 घंटे
घायलों को चिकित्सा सहायता	स्वास्थ्य विभाग	रेड क्रॉस, स्थानीय अस्पताल	6 घंटे
परिवहन और निकासी (Evacuation)	पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग	नगर निगम, स्वयंसेवी संगठन	8 घंटे
खाद्य और पेयजल वितरण	आपूर्ति एवं खाद्य विभाग	एनजीओ, रेड क्रॉस	24 घंटे

2. प्रमुख हितधारकों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix for Major Stakeholders) – आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया कार्यों में विभिन्न सरकारी विभाग, गैर–सरकारी संगठन (NGOs), निजी कंपनियाँ, स्थानीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ शामिल होती हैं। प्रत्येक हितधारक की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक होता है।

महत्वपूर्ण हितधारकों की भूमिका:

हितधारक (Stakeholders)	मुख्य भूमिका
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	नीति निर्माण, दिशा–निर्देश तैयार करना
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना लागू करना
जिला प्रशासन (District Administration)	स्थानीय स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित करना
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)	बचाव और राहत अभियान चलाना
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ	निकासी, कानून–व्यवस्था बनाए रखना
स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सुविधा,	एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराना
नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग	अस्थायी शिविर, जल आपूर्ति, साफ–सफाई सुनिश्चित करना
NGOs और स्वयंसेवी संगठन	राहत सामग्री वितरित करना, पुनर्वास कार्यों में सहायता करना
मीडिया एवं संचार एजेंसियाँ	सही सूचना प्रसारित करना, अफवाहों को रोकना
स्थानीय समुदाय	प्रशासन की मदद करना, प्राथमिक प्रतिक्रिया देना

7.2.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स

इस जिम्मेदारी मैट्रिक्स का उपयोग उन आपदाओं के लिए किया जाता है जिनमें पूर्व चेतावनी (Early Warning) उपलब्ध होती है, जैसे चक्रवात (Cyclone), बाढ़ (Flood), सुनामी (Tsunami), आदि। इस तालिका में आपातकालीन प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में समयबद्ध गतिविधियाँ, जिम्मेदार विभाग/एजेंसी और उनके कार्य शामिल होते हैं।

Responsibility Matrix by Time Frame

समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदार विभाग / एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
D–72 Hr (आपदा से 72 घंटे पहले)	प्रारंभिक चेतावनी जारी करना	मौसम विभाग (IMD), SDMA, NDMA	संभावित खतरे के बारे में सूचना देना
D-48 Hr (आपदा से 48 घंटे पहले)	जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान	जिला प्रशासन, नगर निगम	संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार करना
D-24 Hr (आपदा से 24 घंटे पहले)	लोगों को सतर्क करना और सुरक्षित स्थानों पर भेजना	पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पंचायतें	सुरक्षित स्थानों पर निकासी (Evacuation) शुरू करना
D-0 Hr (आपदा घटित होने का समय)	आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू करना	NDRF, SDRF, पुलिस, दमकल विभाग	बचाव और राहत कार्य शुरू करना
D+15 Min (आपदा के 15 मिनट बाद)	प्रारंभिक क्षति रिपोर्ट तैयार करना	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीम	प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिक रिपोर्टिंग
D+30 Min (आपदा के 30 मिनट बाद)	हेल्पलाइन और संचार प्रणाली सक्रिय करना	आपदा प्रबंधन विभाग, टेली कम्युनिकेशन	आपातकालीन संपर्क केंद्र सुचारू करना
D+1 Hr (आपदा के 1 घंटे बाद)	घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देना	स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस, एम्बुलेंस सेवा	घायलों को अस्पताल पहुँचाना
D+2 Hr (आपदा के 2 घंटे बाद)	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन, नगर निगम, SDRF	आपदा प्रभावितों के लिए टेंट, भोजन और पानी की व्यवस्था
D+3 Hr (आपदा के 3 घंटे बाद)	सड़क मार्ग और संचार बहाल करना	लोक निर्माण विभाग (PWD), टेलीकॉम एजेंसिया	बाधित मार्ग खोलना, मोबाइल नेटवर्क सुधारना
D+6 Hr (आपदा के 6 घंटे बाद)	भोजन, पानी और दवा वितरण करना	आपूर्ति विभाग, NGO, रेड क्रॉस	राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयाँ वितरित करना
D+12 Hr (आपदा के 12 घंटे बाद)	विस्तृत क्षति मूल्यांकन	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	नुकसान का आकलन करना और राहत की योजना बनाना
D+24 Hr (आपदा के 24 घंटे बाद)	पुनर्वास योजना तैयार करना	राज्य सरकार, NDRF,SDRF, पुनर्वास एजेंसियाँ	बेघर हुए लोगों के लिए पुनर्वास योजनाएँ लागू करना

7.2.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती

कुछ आपदाएँ अचानक घटित होती हैं, जिनके लिए कोई पूर्व चेतावनी (Early Warning) नहीं होती, जैसे भूकंप (Earthquake), भूस्खलन (Landslide), बिजली गिरना (Lightning)आग (Fire), और फ्लैश फ्लड (Flash Floods)। ऐसे मामलों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक होती है, ताकि जान–माल का नुकसान कम से कम हो।

Responsibility Matrix by Time Frame

समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदार विभाग / एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
D+15 Min (आपदा के 15 मिनट बाद)	प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट जारी करना	जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग	संबंधित एजेंसियों को सूचित करना, आपातकालीन अलर्ट जारी करना
D+30 Min (आपदा के 30 मिनट बाद)	प्राथमिक बचाव अभियान शुरू करना	NDRF, SDRF, पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य विभाग	घायलों की प्राथमिक चिकित्सा, जीवित लोगों की खोज
D+1 Hr (आपदा के 1 घंटे बाद)	घायलों को अस्पताल पहुँचाना	स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस सेवा, रेड क्रॉस	घायलों को निकटतम चिकित्सा केंद्र ले जाना
D+2 Hr (आपदा के 2 घंटे बाद)	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन, नगर निगम, NGO	विस्थापित लोगों के लिए आश्रय, भोजन और पानी की व्यवस्था
D+3 Hr (आपदा के 3 घंटे बाद)	प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग	क्षति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना
D+6 Hr (आपदा के 6 घंटे बाद)	संचार और परिवहन मार्ग बहाल करना	PWD, टेलीकॉम एजेंसियाँ	टूटी हुई सड़कों और बाधित मोबाइल नेटवर्क की मरम्मत
D+12 Hr (आपदा के 12 घंटे बाद)	बचाव और पुनर्वास योजना बनाना	राज्य सरकार, पुनर्वास एजेंसियाँ	पुनर्वास योजना तैयार करना, लॉन्ग–टर्म सहायता की व्यवस्था

अध्याय 08

आपदा पुनर्निर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय

बिल्डिंग बैक बेटर (बीबीबी) एक रणनीति है जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के दृष्टिगत समुदायों के लोगों के लिए जोखिम को कम करना है। बीबीबी दृष्टिकोण आपदा जोखिम में कमी के उपायों को बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और आजीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पुनरोद्धार में एकीकृत करता है।

8.1 पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण– आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों (तालिका 8.1) द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- जनहानि क्षति आंकलन
- पशुधन क्षति आंकलन
- सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- संवेदनशील वर्गों (दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

8.2 पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व– आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

Table 8.1 Sector-specific approach and processes for Reconstruction, Rehabilitation and Recovery

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
1	पंचायत राज एवं विकास विभाग	• ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना। • जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण। • राजस्व इभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण। • क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।। • कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही। • दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण। • मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
2	राजस्व विभाग	• क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन। • शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण। • क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग। • संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन। • आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के समाबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।
3	कृषि विकास विभाग	• फसलो की क्षति का आकलन करना। • क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना। • फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था। • कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना। • बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना। • सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार। • क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।
4	पुलिस विभाग	• कानून व्यवस्था बनाए रखना। • अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।
5	वन विभाग	• वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।
6	मत्स्य विभाग	• आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन। • स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना। • मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।
7	सहकारिता विभाग	• कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।
8	शिक्षा विभाग	• विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मरम्मत का कार्य। • विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था। • विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।
9	सांख्यकी विभाग	• आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभ्हिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।
10	स्वास्थ्य विभाग	• महामारी फैलने वाली बीमारियोंध्संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण। • स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना। • संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना। • संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना। • स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय।

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
		• आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना। • चिकित्सा एवं घायलोंधविकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11	नगरीय निकाय	• आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन • शुद्ध पेयजल की व्यवस्था • आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।
12	जनसम्पर्क कार्यालय	• आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना। • आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
13	पूर्ति विभाग	• मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण। • खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण • दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण।
14	लोक निर्माण विभाग	• अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई। • गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना। • क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना। • संवेदनशीलधआपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना। • क्षतिग्रस्त सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुलधपुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन . • संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहूँचा है, उनको यथा संभव दूर करना।
15	सिंचाई विभाग	• सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी। • जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन। • संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण। • बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य।
16	यू.पी.सी.एल.	• क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य। • उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मरधपोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना। • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना। • क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।
17	पशुपालन विभाग	• पशुधन क्षति आंकलन • आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण • सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था। • मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना।
18	भारत संचार निगम लिमिटेड	• संचार व्यवस्था क्षति आंकलन. • संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
19	जल संस्थान	• नगर निगमध्नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन • प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था। • राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
20	समाज कल्याण विभाग	• आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता • कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत त्ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना। • आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।
21	महिला एंव बाल विकास विभाग	• स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार आल्याण के साथ समन्वय • महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

8.3– क्षति आंकलन प्रक्रिया– क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जावेगी तथा इन कार्यो को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जायेगा।

वर्ष 2025–26 मानसून सत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति क्षति का विवरण,

क्र०स०	विभाग का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/ योजनाओं की संख्या	तत्कालीन कार्यो हेतु वांछित धनराशि (लाख रू० में)	पुनर्निर्माण हेतु वांछित धनराशि (लाख रू० में)	कुल वांछित धनराशि (लाख रू० में)	प्रभावित क्षेत्र/नाम/ जनसंख्या
1	**उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल**	**52**	8.94	100.10	109.04	पाईप लाईन/स्त्रोत क्षति, पेयजल अस्थाई रूप से सुचारू
2	**उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी**	**6**	0.85	8.85	9.70	विभिन्न ग्रामों के 610 लोग प्रभावित
3	**उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर**	**3**	2.2	16.7	18.90	बागजाला ग्राम प्रभावित एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षति
4	**उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल (नैनीताल)**	**53**	7.27	92.83	100.10	भीमताल, ओखलकाण्डा के गॉव प्रभावित
5	**विद्युत वितरण खण्ड, नैनीताल**	**5**		22.07	22.07	36 विद्युत पोल, 12 ग्राम/क्षेत्र प्रभावित
6	**विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी (नगरीय)**	**8**		72.67	72.67	कुल 75 गॉव प्रभावित है।17 विद्यत पोल क्षतिग्रस्त Infrastrucure Damage, supply restored

क्र.स.	विभाग का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/ योजनाओं की संख्या	तत्कालीन कार्यो हेतु वांछित धनराशि (लाख रू. में)	पुननिर्माण हेतु वांछित धनराशि (लाख रू. में)	कुल वांछित धनराशि (लाख रू. में)	प्रभावित क्षेत्र/नाम/ जनसंख्या
7	प्रान्तीय खण्ड , लोनिवि, नैनीताल	**7**	21.00	68.00	89.00	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र प्रभावित
8	निर्माण खण्ड, लोनिवि नैनीताल	**17**	0.00	460.10	460.10	42 गॉव प्रभावित है
9	निर्माण खण्ड, लोनिवि, हल्द्वानी	**4**	11.00	10.52	21.52	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र प्रभावित
10	अस्थाई खण्ड, लोनिवि, भवाली	**1**	18.90	117.13	136.03	ब्लाक भीमताल, धारी , ओखलकाण्डा के विभिन्न ग्राम
11	निर्माण खण्ड, लोनिवि, रामनगर	**29**	18.82	229.50	248.32	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र प्रभावित
12	पी0एम0जी0एस0वाई, काठगोदाम	**18**	27.5	136.00	163.50	38 ग्राम अन्तर्गत 15770 लोग प्रभावित है।
13	पी0एम0जी0एस0वाई, हल्द्वानी	**8**	217.00	557.00	774.00	3520 लोग प्रभावित
14	पी0एम0जी0एस0वाई, ज्योलीकौट	**16**	19.720	37.620	57.34	22 ग्राम प्रभावित है।
15	सिंचाई विभाग, नैनीताल	**62**	-	153.72	153.72	नहरें एवं बेड क्षति, 15214 लोग प्रभावित
16	सिंचाई विभाग, हल्द्वानी	**31**	19.50	110.00	129.50	33475 लोग प्रभावित
17	सिचाई विभाग, रामनगर	**60**		140.59	140.59	नहर क्षति कार्य/बाढ कार्य
18	पशुपालन विभाग, नैनीताल	**1**	2.50	2.50	5.00	चारदिवारी की क्षति
19	विकास खण्ड, बेतालघाट	**1**	3.00	5.00	8.00	ग्राम पंचायत धारी
20	विकास खण, कोटबाग	**2**	0.75	2.75	3.50	60 परिवार प्रभावित
21	शिक्षा विभाग, नैनीताल	**50**	371.56	1190.00	1561.56	01 आवास (मुख्य शिक्षाधिकारी) एवं 49 विद्यालयों की मरम्मत
22	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	**5**	-	16.70	16.70	वन मार्ग/पुलिया अन्य प्रभावित
23	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	**1**	-	8.00	8.00	3 क्षेत्र/ग्राम प्रभावित
कुल		**440**	**750.51**	**3558.35**	**4308.86**	

8.3.1– क्षति आंकलन प्रपत्र– आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.4– लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य– आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु तालिका–8.1 में उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

● **मुफ्त खाद्यान्न का वितरण :** प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

● **राहत वितरण :** क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड / ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

● **क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण :** संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे,तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।

● **महामारी की रोकथाम :** आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

● **जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था :** जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्थासंबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

8.5– दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां– दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाए बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा।

जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधी संरचनात्मक कार्ययोजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

अध्याय 09

डीडीएमपी के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ– भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं:

1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)() के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशा–निर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशा–निर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा "गंभीर" मानी जाती हैं।

3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes & CSS) के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इन फंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (mitigation) और पुनर्स्थापन (restoration) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा संकटों से प्रभावित हैं।

9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

1. जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF)

- धारा 48 के तहत जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह कोष जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इस कोष का संचालन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2. जिला आपदा शमन कोष (DDMF)

- धारा 48 के तहत जिला स्तर पर आपदा शमन (mitigation) कोष की स्थापना की जाएगी।

9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ

- धारा 40 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अपने आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार करनी होंगी।
- प्रत्येक विभाग को वित्तीय प्रावधानों का अनुमान लगाकर उन्हें अपने वार्षिक बजट और चल रही योजनाओं में शामिल करना होगा।

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से परामर्श कर शमन परियोजनाओं (mitigation projects) के लिए उपयुक्त वित्त पोषण एजेंसियों की पहचान करनी होगी।

9.4 टेक्नो–फाइनेंशियल प्रणाली (Techno & Financial Regime)

- सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
- इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे:
- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिम बीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होम लोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

9.5 अन्य वित्तीय विकल्प

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुनर्स्थापन कार्यों में किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाएँ तलाशी जाएँगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंतर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का विवरण।

लाख रू० में

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	शेष धनराशि
1	राज्य आपदा मोचन निधि	2250.00	602	1873.195	376.805

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	शेष धनराशि
1	अनटाईड फण्ड	100.00	10	100.00	0.00

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	शेष धनराशि
1	**Non-SDRF**	300.00	28	268.71	31.29

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	शेष धनराशि
1	आपदा न्यूनीकरण निधि	100.00	10	100.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण					
क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत (Recovery and Reconstruction)	2100.00	877	2099.998	0.002

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	अनटाईड फण्ड (Untied Fund)	400.00	33	400.0000	0.0000

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	Non-SDRF	300.00	27	300.00	0.00

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	आपदा न्यूनीकरण निधि (11-DMF)	145.00	14	145.000	0.000

वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण।

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत (Recovery and Reconstruction)	44,00,00,000	945	32,95,74,000	11,04,26,000

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	अनटाईड फण्ड (Untied Fund)	1,00,00,000	12	97,77,339	2,22,661

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	Non-SDRF	2,00,00,000	15	1,65,00,000	35,00,000

क्र.सं.	मद	प्राप्त धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	शेष धनराशि (लाख रू० में)
1	आपदा न्यूनीकरण निधि (11-DMF)	2,00,00,000	31	1,99,99,999	1

अध्याय 10

जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा

10.1 परिचय

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद नैनीताल जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

10.2 DDMP के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), नैनीताल प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हितधारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, नैनीताल निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा
  - ❖ धारा 31, उपधारा (4) दृ जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
  - ❖ धारा 31, उपधारा (7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

10.3 DDMP की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, नैनीताल हर छह महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- ये विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (recommendations) देंगे।

10.4 आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।
- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।

- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन बैठकों और हितधारकों से परामर्श करके करेगा।

10.5 DDMP के अद्यतन (Updation) का समय निर्धारण –

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगारू

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।
3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।

अपडेटेड DDMP डेटा को जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची (DDMRI)।
- मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर (DDMRI)।
- पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन (SOPs और चेकलिस्ट के माध्यम से)।
- प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- आपदा की घटनाओं में बदलाव।
- संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग।
- जनसंख्या संरचना में बदलाव।
- भू–राजनीतिक (Geo&political) माहौल में बदलाव।

क्र.स.	माह	प्रस्तावित गतिविधियां
01	अक्टूबर	जीवन रेखीय विभागों द्वारा DDMP की समीक्षा
02	अक्टूबर – नंवबर	DDMA को सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण
03	नंवबर – दिसंबर	संशोधनों का सभी हितधारकों में वितरण
04	दिसंबर – जनवरी	SDMA को अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण/अपडेटेड योजना को DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड करना

10.6 DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

- प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

10.7 मॉक ड्रिल (Mock Drills) का आयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act, 2005) की धारा 30 (2) (X) के अनुसार:

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।
- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे।

इसी तरह, DM Act, 2005 की धारा 30 (2) (XI) यह निर्धारित करती है कि:

- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

मॉक ड्रिल्स के उद्देश्य:

1. आपदा से निपटने की तैयारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
2. कमियों की पहचान और उनका सुधार।
3. सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और समुदायों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना।
4. आपदा प्रबंधन योजना (DDMP), आपातकालीन सहायता कार्य (ESFs) और मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) की प्रभावशीलता की जांच।
5. सीखे गए पाठों के आधार पर योजना में आवश्यक संशोधन करना।
6. आपदा के दौरान एवं पुनर्प्राप्ति चरण में त्वरित, संगठित और बेहतर प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना।

10.7.1 जिले में मॉक ड्रिल आयोजित करने की जिम्मेदार संस्थाएँ

स्तर 1: जिला स्तर

जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन जिलाधिकारी, नैनीताल एंव अपर जिलाधिकारी नैनीताल

कि जिम्मेदारी होगी। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), पुलिस अधीक्षक (SP), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), जिला परिषद अध्यक्ष, और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

अन्य प्रतिभागी:

- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल
- लोक निर्माण विभाग (PWD), UPCL), जल संस्थान/जल निगम
- राजस्व विभाग
- उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार, खंड अधिकारी
- नगर परिषद/ नगरपालिका
- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि – सरपंच, ग्राम सेवक
- दमकल विभाग
- होम गार्ड्स और स्वयंसेवक
- जिला जनसंपर्क अधिकारी (DPRO)
- परिवहन विभाग
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
- अर्धसैनिक बल

- सेना
- एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0

स्तर 2: उप–मंडल (Sub-Divisional) स्तर

उपजिलाधिकारी (SDM) को तहसील स्तर पर मॉक अभ्यास (Mock Exercise) कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

स्तर 3: खंड (Block) स्तर

- खंड विकास अधिकारी (BDO) खंड स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

स्तर 4: पंचायत स्तर

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान (Pradhan) की होगी।
- प्रत्येक गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (Village Disaster Management Committee) इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करेगी।

स्तर 5: विभागीय स्तर

- संबंधित विभागोंध इकाइयों के विभागाध्यक्ष (HODs) अपने–अपने विभागों में ऑन–साइट और ऑफ–साइट मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे।
- इन मॉक ड्रिल्स को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा।

10.7.2 मॉक ड्रिल आयोजित करने की अनुसूची

- जिला प्रशासन वर्ष में दो बार अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित करेगा।
- यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए आवश्यक होगी।

पहली मॉक ड्रिल:

- पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले आयोजित की जाएगी।
- मार्च या अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाएगा, जो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

दूसरी मॉक ड्रिल:

- अंतरराष्ट्रीय दशहरा महोत्सव (International Dussehra) से पहले आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य विभागों की कार्यक्षमता की जांच करना है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके।

सभी स्तरों पर मॉक ड्रिल का आयोजन:

- उल्लिखित सभी स्तरों (जिला, उप–मंडल, ब्लॉक, पंचायत, और विभागीय स्तर) पर हर छह महीने में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन और सुधार करना होगा।

अध्याय 11

डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

जिला और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय उचित आपदा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी हितधारक विभागों और स्थानीय निकायों जैसे पीडब्ल्यूडी, आई एंड पीएच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अग्निशमन और होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, यूपीसीएल, रेड क्रॉस, नगर निगम, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ) और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ अंतर–विभागीय और अंतः–विभागीय समन्वय की आवश्यकता होती है। ये साझेदारियां यह सुनिश्चित करती हैं कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था के प्रत्येक स्तर को प्रभावी योजना, सेवाएं, सूचना और संसाधनों के समन्वय के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।

पूर्व–आपदा समन्वय–

- न्यूनतम वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और लाइन विभागों, तहसीलों और उप–मंडलों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाएगी।
- बैठक के एजेंडे में प्रत्येक विभाग की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें एसएआर (खोज और बचाव) उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता और नियमित अद्यतन शामिल होगा।

आपदा चरण में समन्वय

- आपदा के दौरान फोन या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से समन्वय करना संभव नहीं होता, इसलिए जिले के सभी लाइन विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों को आपदा के तुरंत बाद जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) में रिपोर्ट करना होगा।
- नुकसान/क्षति का आकलन डीईओसी में किया जाएगा और डीसी (उत्तरदायी अधिकारी – आरओ) विभिन्न हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में उनके संसाधनों और कार्य बलों को तैनात करने का निर्देश देगा।
- पूर्व–निर्धारित स्थानों पर राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे।

आपदा के बाद समन्वय

- आपदा के बाद के चरण में, आरओ संबंधित विभागों से जल, खाद्य आपूर्ति, सड़कों, कानून और व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी लेगा।

जिले का डीडीएमपी एक तीन–स्तरीय आपदा प्रबंधन समन्वय प्रणाली है, जो नीचे से ऊपर (बॉटम–टू–टॉप) दृष्टिकोण पर आधारित है, अर्थात तहसील स्तर, उप–मंडल स्तर और जिला स्तर। यह प्रणाली सहायता और समर्थन के प्रगतिशील वृद्धि को सक्षम बनाती है।

11.1 अंतः–विभागीय समन्वय (Inter Departmental Coordination)- प्रत्येक हितधारक विभाग, जैसे पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यूपीसीएल, अग्निशमन और होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, रेड क्रॉस, अपने विभागीय स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी करेगा।

यह समितियां त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेंगी, जिनमें विभाग की आपदा प्रबंधन तैयारियों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही, समिति उन उपायों को निर्धारित करेगी जो उनकी क्षमताओं में मौजूद कमियों को कम करने के लिए आवश्यक हैं और उनका उचित रिकॉर्ड भी रखेगी।

11.2 एनजीओ, सीबीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र

एनजीओ और सीबीओ की जमीनी स्तर पर समुदायों से मजबूत जुड़ाव आपदा जोखिम और संवेदनशीलता पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, हितधारक समूहों की क्षमता को मजबूत करने, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण से संबंधित उभरती चिंताओं को संबोधित करने में एनजीओ स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अन्य देशों में अपनाई गई अच्छी प्रथाओं के आधार पर नवीन दृष्टिकोणों को पेश कर सकते हैं।

एनजीओ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाताओं से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से एकीकृत और समन्वित करके जोखिमग्रस्त समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक समन्वय बना सकते हैं।

- ❖ डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जिले में कार्यरत एनजीओ और सीबीओ का उचित रिकॉर्ड रखेगा और उनके उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण करेगा।
- ❖ डीडीएमए एनजीओ, सीबीओ और एसएचजी के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
- ❖ डीडीएमए एनजीओ, सीबीओ और एसएचजी की वार्षिक बैठक बुलाएगा, जिसमें उनके संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा। इस बैठक का समन्वय नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11.3 तहसील/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर समन्वय तंत्र

इस व्यवस्था में कई प्रमुख प्रबंधन और समन्वय संरचनाएं शामिल हैं। व्यवस्थाओं के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं-

(अ) तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां अपने क्षेत्राधिकार के तहत आपदा न्यूनीकरण, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति से संबंधित सभी उपायों की योजना बनाने, संगठित करने, समन्वय करने और कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ब) तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) आपदा प्रबंधन समूहों का समर्थन करते हैं और आपदा संचालन के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधनों और सेवाओं का समन्वय करते हैं।

(स) जिला प्रशासन की कार्यात्मक एजेंसियां, डीडीएमए और डीईओसी विशिष्ट खतरों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती हैं और आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करती हैं।

11.3.1 उप–मंडल स्तर पर समन्वय तंत्र– संस्थागत तंत्र के अनुसार, उप–मंडलीय अधिकारी (सिविल) त्रैमासिक बैठक बुलाएगा, जिसमें उप–मंडल स्तर की आपदा प्रबंधन समिति आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगी और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाएगी। अध्यक्ष स्थिति की रिपोर्ट डीडीएमए को देगा और यदि आवश्यक हो, तो संसाधनों की मांग भेजेगा।

11.3.2 जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली– जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (डीसी) जिला प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है और डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का अध्यक्ष होता है, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है। उन्हें जिले में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अधिकारी नामित किया गया है। जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की भूमिका आपदा के प्रकार

और प्रकृति के आधार पर तय की जाएगी। डीडीएमए के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संबंधित सदस्यों से परामर्श के बाद पहले से निर्धारित की जाएंगी।

11.3.3 तहसील स्तर पर समन्वय तंत्र– संस्थागत तंत्र के अनुसार, तहसीलदार त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें तहसील स्तर की आपदा प्रबंधन समिति तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगी और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाएगी।

11.3.4 स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं– स्थानीय स्तर पर समुदाय अपनी आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभाते हैं। तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर अतिरिक्त संसाधन, सहायता, सहयोग और विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। स्थानीय सरकार आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख प्रबंधन एजेंसी होती है। स्थानीय सरकार स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के माध्यम से समन्वित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण प्राप्त करती है।

11.3.5 समुदाय के साथ समन्वय तंत्र (Coordination mechanism with the community) –

समुदाय का समन्वय ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

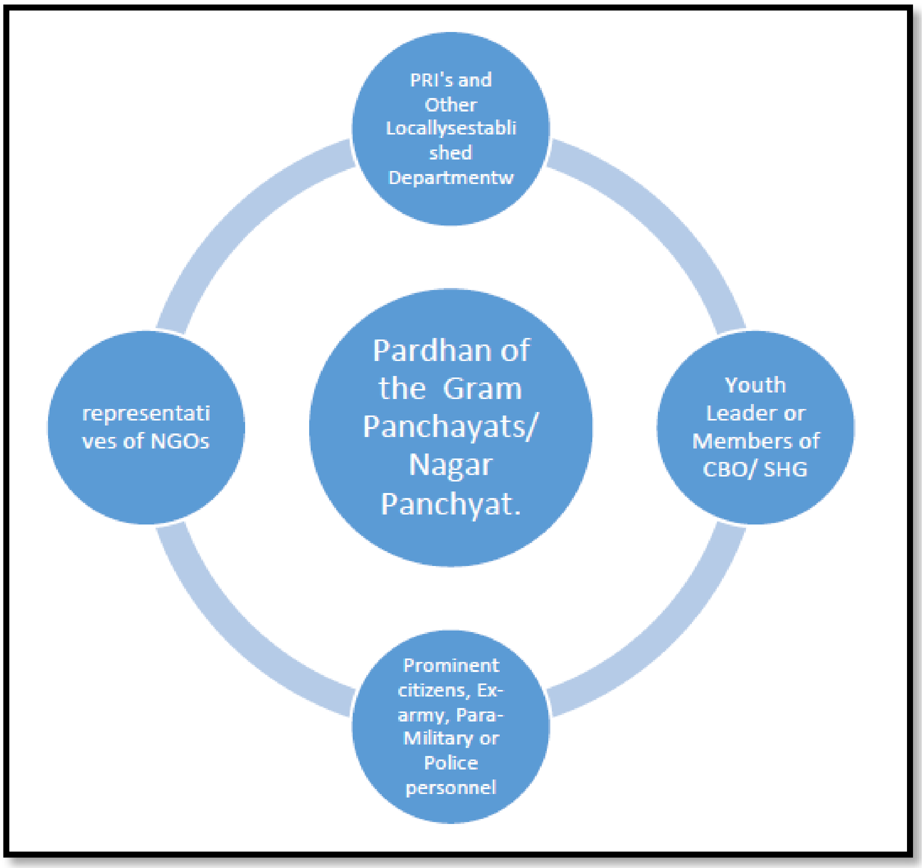

Figure 11.1: Disaster management committee at Village level

उल्लेखित समितियों को ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है।

11.3.6 स्थानीय समिति की बैठकों की आवृत्ति– स्थानीय समिति की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार उस विशेष समय और स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए, जो समूह के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय समिति के अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी यदि:

- उस जिले की जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा, जिसमें स्थानीय समिति स्थित है, या स्थानीय समिति के कुल सदस्यों के आधे से अधिक (एक–तिहाई से अधिक) सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध किया जाए।

- स्थानीय सरकार को अपने क्षेत्र के लिए एक स्थानीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए।
- आपदा प्रबंधन और आपदा संचालन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक समर्थन सेवाओं की पहचान करना और संबंधित जिला प्राधिकरण को सलाह प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय को किसी आपदा की प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, उससे निपटने और पुनर्प्राप्ति के तरीकों के बारे में जागरूकता हो।
- जिला प्राधिकरण द्वारा तय की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के तहत क्षेत्र में आपदा संचालन का प्रबंधन करना।
- आपदा संचालन से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और संबंधित जिला प्राधिकरण को सिफारिशें देना।
- उन संसाधनों की पहचान करना और उनका समन्वय करना, जिनका उपयोग आपदा संचालन के लिए किया जा सकता है।
- आपदा की स्थिति में स्थानीय समिति के भीतर और संबंधित जिला प्राधिकरण तथा अन्य स्थानीय समितियों के साथ संचार प्रणाली की स्थापना और समीक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में आपदा से संबंधित जानकारी तुरंत संबंधित जिला प्राधिकरण को दी जाए।
- स्थानीय सरकारी क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं की आकस्मिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
- स्थानीय प्राधिकरण के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41 में पाई जा सकती है।

11.4 अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय –

डीडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए पड़ोसी जिलों के प्राधिकरणों के साथ वार्षिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें नियमित समन्वय के माध्यम से मौजूदा कमियों को कम करने पर चर्चा की जाएगी।

डीडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) या अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेगा, ताकि अन्य जिलों और राज्य प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।

अध्याय 12

मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) और चेकलिस्ट

निम्नलिखित एसओपी तत्काल कार्रवाई का मार्गदर्शन करने और इसे शुरू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और जिला प्रशासन स्थिति के विकास के अनुसार इन कार्रवाइयों की सीमा को प्रारंभ करेगा, बढ़ाएगा और विस्तारित करेगा।

12.1 प्रारंभिक चेतावनी प्रबंधन

कार्य	उत्तरदायित्व
प्रारंभिक चेतावनी हेतु इनपुट स्रोत: IMD, CWC, MHA / NDMA / SDMA नियंत्रण कक्ष, GSI, हिम और हिमस्खलन अध्ययन केंद्र	DEOC
प्रारंभिक चेतावनी की सूचना DDMA के अध्यक्ष और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, ADM, SDM, Dy SPs को दें	DEOC
प्रारंभिक चेतावनी को प्रभागों, ब्लॉकों और पंचायतों तक प्रसारित करें	ADM/SDM, पुलिस अधीक्षक
सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर चेतावनी संकेत प्रसारित करें	जिला सूचना अधिकारी
आधिकारिक जिला वेबसाइट पर आपदा डैशबोर्ड स्थापित करें	जिला सूचना अधिकारी
लाउडस्पीकर लगे वाहनों के माध्यम से समुदायों/जनता/ग्रामवासियों को आपदा चेतावनी की सूचना दें	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी
मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में पीए सिस्टम का उपयोग करके आसन्न आपदाओं की घोषणा करें	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी
शैक्षणिक संस्थानों को प्रारंभिक चेतावनी की जानकारी साझा करें और आवश्यकता पड़ने पर बंद करने के निर्देश दें	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी

12.2 प्रारंभिक चेतावनी मिलने पर निकासी (Evacuation)

कार्य	उत्तरदायित्व
प्रारंभिक चेतावनी हेतु इनपुट स्रोत IMD, CWC, MHA MHA/NDMA/ SDMA नियंत्रण कक्ष, GSI, हिम और हिमस्खलन अध्ययन केंद्र से जानकारी प्राप्त करें	DEOC
प्रारंभिक चेतावनी की सूचना क्क्ड। के अध्यक्ष और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, ADM, SDM, SP को दें	DEOC

स्थिति का मूल्यांकन करने और यह निर्णय लेने के लिए कि क्या विशेष समुदायों/जनसंख्या को निकाला जाना चाहिए, बैठक आयोजित करें	DDMA
निकासी संबंधी निर्णय संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों को सूचित करें	DDMA
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना	संबंधित SDM और तहसीलदार
कानून–व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों की घेराबंदी के लिए टीमें तैनात करें	पुलिस अधीक्षक
निकासी मार्ग, आश्रय स्थल और अन्य लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाएँ स्थापित करें	राजस्व विभाग
सूचना डेस्क स्थापित करें	राजस्व विभाग
हेल्पलाइन नंबर स्थापित करें	BSNL

12.3 बिना प्रारंभिक चेतावनी के निकासी (Evacuation)

कार्य	उत्तरदायित्व
DEOC को सक्रिय करें	DEOC
आपदा घटना की सूचना DDMA के अध्यक्ष और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, ADM, SDM], SP को दें	DEOC
स्थिति का मूल्यांकन करने और यह निर्णय लेने के लिए कि क्या विशेष समुदायोंध्जनसंख्या को निकाला जाना चाहिए, बैठक आयोजित करें	DDMA
निकासी संबंधी निर्णय संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों को सूचित करें	DDMA
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना	संबंधित SDM और तहसीलदार
कानून–व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों की घेराबंदी के लिए टीमें तैनात करें	पुलिस अधीक्षक
निकासी मार्ग, आश्रय स्थल और अन्य लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाएँ स्थापित करें	राजस्व विभाग
सूचना डेस्क और हेल्पलाइन स्थापित करें	राजस्व विभाग

12.4 खोज और बचाव (Search and Rescue)

कार्य	उत्तरदायित्व
DEOC को सक्रिय करें	DEOC
DDMA आपदा स्थिति की समीक्षा करे और संभावित आपदा के मद्देनजर खोज और बचाव टीमों को तैनात करने का निर्णय ले	DDMA
जिला स्तर की खोज और बचाव टीमों को चिन्हित स्थानों पर तैनात करें	DDMA
खोज और बचाव के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दलों	जिला अग्निशमन अधिकारी
होम गार्ड्स बचाव टीमों को तैनात करें	जिला कमांडेंट / होम गार्ड्स
NDRF की माँग करें	DDMA
स्थल पर समन्वय तंत्र स्थापित करें	ADM / SDM
विभिन्न टीमों के लिए खोज और बचाव क्षेत्रों की जिम्मेदारी निर्धारित करें	ADM / SDM
खोज और बचाव संसाधनों के लिए स्टेजिंग एरिया स्थापित करें	ADM / SDM
बचाव कर्मियों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और स्वच्छता सुविधाओं सहित शिविर स्थापित करें	ADM / SDM
कानून–व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों की घेराबंदी के लिए टीमें तैनात करें	पुलिस अधीक्षक
निकटतम हेलीपैड की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि यह संचालन योग्य स्थिति में है	ADM / SDM
Triage स्थापित करें (घायलों को प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकृत करना)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)/चिकित्सा अधिकारी (MO)
गंभीर रूप से घायल लोगों का परिवहन करें	CMO / MO / 108 एम्बुलेंस सेवा/रेड क्रॉस
प्राथमिक उपचार के लिए ऑनसाइट चिकित्सा शिविर या मोबाइल शिविर स्थापित करें	CMO / MO
सूचना डेस्क और मृत शरीर की पहचान की व्यवस्था करें	ADM / SDM
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाए	संबंधित SDM और तहसीलदार

भीड़ नियंत्रण, मार्ग प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, सूचना प्रबंधन आदि सहायक कार्यों के लिए स्वयंसेवकों को तैनात करें	ADM / SDM
संकुचित स्थानों में फंसे पशुओं का बचाव करें	सहायक निदेशक – पशुपालन विभाग

12.5 राहत संचालन (Relief Operations)

कार्य	उत्तरदायित्व
उपखंड/ब्लॉकध्तहसील स्तर पर राहत आवश्यकताओं का आकलन करें (भोजन, पानी, आश्रय, स्वच्छता, कपड़े, बर्तन, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ)	ADM / SDM
उपयुक्त और सुरक्षित स्थानों की पहचान कर राहत शिविर स्थापित करें	ADM / SDM / तहसीलदार
राहत शिविरों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था स्थापित करें	UPCL
राहत शिविरों और प्रभावित समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें	पुलिस अधीक्षक
राहत शिविरों और अन्य प्रभावित समुदायों में पर्याप्त जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करें	EE Jalsansthan/Nagar palika/Panchyat/ Sulabh
जल शुद्धिकरण संयंत्र या अन्य सुविधाएँ स्थापित करें ताकि तत्काल जल आपूर्ति सुनिश्चित हो	जल निगम / जल संस्थान
प्रभावित समुदायों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएँ	जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO)
दुर्गम क्षेत्रों में हवाई मार्ग से सूखा और टिकाऊ खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षित पेयजल पहुँचाएँ	DM / ADM / SDM
आपदा के कारण खोई हुई आवश्यक वस्तुएँ जैसे बर्तन आदि प्रदान करें	ADM / SDM
प्रभावित समुदायों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करें	जल निगम / जल संस्थान
अस्थायी शिविरों सहित आवश्यक आश्रय व्यवस्था करें	ADM / SDM / तहसीलदार
राहत शिविरों और प्रभावित समुदायों में चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित करें	CMO / MO / रेड क्रॉस / 108 एंबुलेंस
रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए उचित टीकाकरण की व्यवस्था करें	CMO / MO

राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन की व्यवस्था करें	CMO / MO
राहत शिविरों में बच्चों के लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री सुनिश्चित करें	DSO
राहत शिविरों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें	DSO
गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करें	CMO / MO
NGO की भागीदारी सुनिश्चित करें और उनके साथ समन्वय करें	SDM / तहसीलदार
भेदभाव को रोकने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें	SDM / ADM / तहसीलदार
प्रभावित समुदायों के लिए दैनिक आवश्यक वस्तुओं (भोजन, दवाएँ, उपभोक्ता सामग्री आदि) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें	ADM / SDM / DSO
प्रभावित समुदायों को मौसम, लिंग और संस्कृति के अनुकूल पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध कराएँ, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करें	ADM / SDM / DSO
राहत सामग्री के परिवहन के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा सुनिश्चित करें	RTO
राहत लाभार्थियों और वितरण की समुचित रिकॉर्डिंग और दस्तावेजीकरण करें	ADM / SDM / तहसीलदार
मौसम की स्थिति के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त हीटिंग सुविधाएँ सुनिश्चित करें	DFO
रसोई के लिए जलाऊ लकड़ी, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम उत्पाद (POL) की आपूर्ति करें	DSO / DFO
अनुग्रह भुगतान (Ex&Gratia Payment) का रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण करें	ADM / SDM / तहसीलदार
घायल पशुओं को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान करें	पशु चिकित्सा अधिकारी
आवश्यकतानुसार पशु आश्रयों की स्थापना करें	पशुपालन विभाग
पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें	पशुपालन विभाग
आवश्यकतानुसार पशु कल्याण बोर्ड और नागरिक समाज संगठनों (NGOs) की भागीदारी सुनिश्चित करें	पशुपालन विभाग
प्रभावित लोगों के लिए नकदी निकासी हेतु बैंकिंग सुविधाएँ स्थापित करें	लीड बैंक

12.6 आवश्यक सेवाओं की बहाली (Restoration of Essential Services)

कार्य	उत्तरदायित्व
मलबा हटाने और सड़क मार्ग की सफाई के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	SE / EE – PWD
मलबा हटाने और सड़क मार्ग की सफाई के लिए उपकरणों से सुसज्जित टीमें गठित करें	SE / EE – PWD
विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	SE / EE – UPCL
विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमों का गठन करें	SE / EE – UPCL
जल आपूर्ति बहाल करने के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	जल निगम / जल संस्थान
जल आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमों का गठन करें	जल निगम / जल संस्थान
दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	BSNL
दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए टीमों का गठन करें	BSNL
महत्वपूर्ण स्थानों पर दूरसंचार सेवाओं की त्वरित बहाली के लिए अस्थायी / पोर्टेबल एक्सचेंज स्थापित करें	BSNL
सड़क नेटवर्क की बहाली के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	SE / EE – PWD
सड़क नेटवर्क की बहाली के लिए टीमों का गठन करें	SE / EE – PWD
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क की बहाली के लिए टीमों का गठन करें	SE / EE – ग्रामीण विकास विभाग
जहाँ पुल क्षतिग्रस्त हो गए हों, वहाँ बेली ब्रिज (Bailey Bridges) / अस्थायी सड़क संपर्क स्थापित करने के लिए सेना / SDMA के साथ समन्वय करें	DM / ADM

12.7 मृत शरीरों का निपटान (Dead Body Disposal Actions)

कार्य	उत्तरदायित्व
गांवध्वार्ड स्तर पर मृत शरीरों की पहचान हेतु समिति का गठन	एडीएम/एसडीएम/नगरीय निकाय (ULB)
मृत शरीर इन्वेंटरी रजिस्टर में प्राप्त शवों का विवरण दर्ज करना, व्यक्तिगत पहचान संख्या आवंटित करना, फोटो खींचना, और मृत शरीर पहचान प्रपत्र भरना	तहसीलदार/एसडीएम
मृत शरीरों की पहचान करना और निकटतम परिजनों को सौंपना	गांव स्तर/वार्ड स्तर समिति
अज्ञात मृत शरीरों को नजदीकी अस्पताल या जिला/उपखंड/ब्लॉक स्तर के शवगृह में ले जाना	एसडीएम/एडीएम
पहचान स्थापित करने हेतु सार्वजनिक घोषणा करना	एसडीएम/एडीएम
पहचाने गए मृत शरीरों को निकटतम परिजनों को सौंपना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
अज्ञात मृत शरीरों के मामले में दृ सूची तैयार करना, व्यक्तिगत पहचान संख्या देना, फोटो खींचना, फिंगर प्रिंट लेना, यदि संभव हो तो डीएनए सैंपल लेना, और मृत शरीर पहचान प्रपत्र भरना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
रिकॉर्ड की गई जानकारी को फॉरेंसिक जानकारी के रूप में सुरक्षित रखना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
बिना दावे वाले / अज्ञात मृत शरीरों का धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ समन्वय करना और उनका सहयोग प्राप्त करना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) के शवों को रासायनिक या एम्बाल्मिंग विधियों से संरक्षित करना, फिर उन्हें शव थैलियों या ताबूतों में उचित लेबलिंग के साथ रखना, और विदेश मंत्रालय, संबंधित देशों के वाणिज्य दूतावासों तथा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं को सौंपने एवं परिवहन हेतु तैयार करना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार

12.8 पशु शवों का निपटान (Carcass Disposal)

कार्य	उत्तरदायित्व
प्राप्त पशु शवों का विवरण दर्ज करना	एसडीएम/एडीएम/ तहसीलदार/पटवारी
पशुओं के मालिकों की पहचान कर पशु शव सौंपना	एसडीएम/एडीएम/ तहसीलदार/पटवारी
अज्ञात पशु शवों का फोटो लेना, यदि संभव हो तो निपटान से पहले	एसडीएम/एडीएम/ तहसीलदार/पटवारी
अज्ञात या बिना दावे वाले पशु शवों को निपटान के लिए निर्धारित स्थल तक पहुँचाना	सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग
दफनाए गए या सौंपे गए पशु शवों का रिकॉर्ड बनाए रखना	एसडीएम/एडीएम/ तहसीलदार/पटवारी
पशु शवों को दफनाने या कम्पोस्टिंग करने हेतु सुझाए गए दिशानिर्देशों का पालन करना	एसडीएम/एडीएम/ तहसीलदार/पटवारी / पशुपालन विभाग

12.8.1 पशु शवों के निपटान के लिए दिशा–निर्देश

दफनाने के लिए दिशा–निर्देश (Guidelines for Burial)

- दफनाने की प्रक्रिया को संभव हो तो सबसे दूरस्थ क्षेत्र में किया जाना चाहिए।
- दफन क्षेत्र को कुओं, झरनों और अन्य जल स्रोतों से कम से कम 300 फीट नीचे की ओर स्थित किया जाना चाहिए।
- किसी भी दफन क्षेत्र को धाराओं या तालाबों से 300 फीट के भीतर या ऐसी मिट्टी में नहीं बनाया जाना चाहिए जो अक्सर बाढ़ग्रस्त रहती हो (जैसा कि देश की मिट्टी सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया हो)।
- गड्ढे या खाई की तली भूजल स्तर से कम से कम 4 से 6 फीट ऊपर होनी चाहिए।
- गड्ढों या खाइयों की गहराई लगभग 4 से 6 फीट होनी चाहिए और इसकी ढलान स्थिर होनी चाहिए, जो 1 फुट ऊँचाई पर 1 फुट चौड़ाई से अधिक तीव्र न हो।
- पशु शवों को गड्ढे या खाई में समान रूप से इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि उनकी अधिकतम मोटाई 2 फीट से अधिक न हो। शव के ऊपर और चारों ओर कम से कम 3 फीट की ढकाई होनी चाहिए। ढकाव इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वर्षा का पानी गड्ढे से बाहर बह सके।
- यदि खाइयाँ खुली छोड़ी गई हों तो उनकी तली को ढलान दी जानी चाहिए और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सतही जल को खाई में जाने से रोका जाना चाहिए।
- दफन क्षेत्रों की नियमित जांच होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की धँसावट या गड्ढों को भरा जाना चाहिए।

12.8.2 कम्पोस्टिंग के लिए दिशा–निर्देश (Guidelines for Composting)

- ऐसे स्थल का चयन करें जो अच्छी तरह से जलनिकासी वाला हो, और जल स्रोतों, सिंकहोल्स, मौसमी रिसाव क्षेत्रों या अन्य जल–संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों से कम से कम 300 फीट दूर हो।
- 24 इंच मोटी एक परत बिछाएँ जिसमें भारी, अवशोषक, जैविक सामग्री हो जिनके टुकड़े लगभग 4 से 6 इंच लंबे हों। लकड़ी की चिप्स या भूसे का उपयोग किया जा सकता है। आधार इतना बड़ा होना चाहिए कि शव के चारों ओर 2 फीट की जगह हो।
- पशु को इस परत के केंद्र में रखें। रूमेन (पेट) को चीर दें ताकि गैस से फटने या दुर्गंध की समस्या न हो और कवर सामग्री उड़ न जाए।
- यदि रक्त या शरीर के तरल पदार्थ अधिक मात्रा में हों, तो अवशोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री मौजूद होनी चाहिए। एक अवसाद (गड्ढा) बनाएं जहाँ रक्त को अवशोषित किया जा सके, और फिर उसे ढक दें। अगर रक्त फैल जाए, तो उसे खुरचकर वापस ढेर में डाल दें।
- शव को सूखी, उच्च–कार्बन सामग्री जैसे कि पुरानी साइलैज, आरा–बुरादा, या सुखी बिछावन से ढक दें। कुछ अर्ध–ठोस गोबर डालने से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि सभी अवशेष अच्छी तरह से ढके हों ताकि बदबू न फैले, गर्मी उत्पन्न हो और कुत्ते या अन्य जानवर पास न आएं।
- ढेर को 4 से 6 महीनों तक ऐसे ही रहने दें, फिर जाँच करें कि शव पूरी तरह सड़ चुका है या नहीं।
- तैयार कम्पोस्ट को अगली बार के लिए फिर से उपयोग किया जा सकता है या बड़े हड्डी के टुकड़े निकालकर खेतों में डाला जा सकता है।
- साइट की सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे गंध कम होती है, जानवर दूर रहते हैं, और आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बने रहते हैं।

नोट: जिन पशुओं में तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी के लक्षण हों, जो क्वारंटीन के दौरान मरे हों, या जिन्हें एंथ्रेक्स हुआ हो – उन्हें कम्पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए।

12.9 सूचना और मीडिया प्रबंधन

कार्य	उत्तरदायित्व
आपात संचालन केंद्र (EOC) या उपायुक्त कार्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करना	जिलाधिकारी
प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
प्रेस विज्ञप्ति के समय का निर्धारण करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय और आवृत्ति का निर्धारण करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)

निर्धारित स्थान और समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
वरिष्ठ अधिकारियों से मीडिया की बातचीत के लिए समय निर्धारित करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
आपदा स्थल पर मीडिया के दौरे के दौरान लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
आपदा प्रतिक्रिया से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स की निगरानी करना और आवश्यक कार्रवाई करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)

12.10 सूचना प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश (Guidelines for Information Management)

- सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर चेतावनी संकेतों को तुरंत फ्लैश करें।
- आपदा से संबंधित आवश्यक जानकारी को समन्वयित, संग्रहीत, प्रक्रिया, रिपोर्ट, और प्रदर्शित करें।
- प्रमुख सरकारी एजेंसियों को निरंतर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएँ।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सटीक जानकारी प्रदान करें, ताकि जनता को आसानी से और सही तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके।
- सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क को नियमित अंतराल पर स्थिति के अपडेट दें।
- आम जनता को आपदा की स्थिति के बारे में निरंतर और सटीक रूप से अवगत कराते रहें।
- सभी संबंधित एजेंसियों और जनता के बीच उपयोगी जानकारी प्रसारित करने के लिए उपयुक्त ग्राफिक्स और चित्र विकसित करें।
- संबंधित राज्य/जिले से आपदा के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने हेतु तैयार प्रारूप (formats) प्रदान करें, जिससे कि सटीक संप्रेषण सुनिश्चित हो सके।
- सभी प्रतिक्रिया / राहत और पुनर्प्राप्ति उपायों का दस्तावेजीकरण करें।
- आपदा की प्रारंभिक प्रतिक्रिया अवधि के दौरान हर 3–4 घंटे में स्थिति रिपोर्ट तैयार करें, और उसके बाद प्रतिदिन एक या दो बार रिपोर्ट तैयार करें।

वीआईपी दौरे का प्रबंधन (VIP Visit Management)

कार्य	उत्तरदायित्व
वीआईपी दौरे की सूचना प्राप्त करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
वीआईपी के स्वागत की व्यवस्था करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
वीआईपी दौरे के लिए विस्तृत योजना और मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम तैयार करना उपायुक्त	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
वीआईपी को प्रस्तुत करने हेतु नवीनतम विस्तृत जानकारी युक्त फोल्डर तैयार करना	जिलाधिकारी/सूचना अधिकारी
वीआईपी दौरे के प्रत्येक स्थल जैसे अस्पताल, आपदा प्रभावित समुदाय, राहत शिविर आदि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना	जिलाधिकारी
पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करना	पुलिस अधीक्षक
वीआईपी दौरे से संबंधित प्रोटोकॉल जैसे एंबुलेंस, फायर टेंडर, सुरक्षा एवं एस्कॉर्ट को सक्रिय करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
आवश्यकतानुसार खुफिया विभाग, एसपीजी और एनएसजी के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करना	पुलिस अधीक्षक
वीआईपी तथा उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के विश्राम एवं ठहरने की उचित व्यवस्था करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
आपदा स्थलों के दौरे की व्यवस्था एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
आवश्यक होने पर हेलीपैड की उपलब्धता सुनिश्चित करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की व्यवस्था करना	सूचना अधिकारी

12.11 राहत शिविरों की स्थापना

पृष्ठभूमि: राहत शिविर प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शिविर में निवास करने वाले लोगों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिविर से जुड़े कई पहलुओं और हितधारकों को समावेशी रूप से शामिल करता है।

स्थिति की संभावनाएँ (Situation Assumptions):

1. प्रभावित लोगों का एकत्रीकरण और शिविर में उनका कल्याण।
2. शिविर में संघर्ष/दंगे, स्थान की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

3. जीवन रेखा संसाधनों (पानी, भोजन, बिजली आदि) की अनुपलब्धता हो सकती है।

नोडल एजेंसी: राजस्व विभाग

सहायक एजेंसियाँ : लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य विभाग (Health Department), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राहत शिविर की स्थापना:

- जब राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उपायुक्त (DC) या SDO (C) जिला/उपमंडल आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार पूर्वनिर्धारित स्थान पर राहत शिविर स्थापित करने का आदेश देते हैं।
- यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नया स्थान चुनना पड़े, तो निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए
- शिविर को प्राथमिकता अनुसार किसी मौजूदा भवन (जैसे सामुदायिक भवन) में स्थापित किया जाना चाहिए।
- यह स्थान भूस्खलन, बाढ़ आदि के खतरे से मुक्त और सुरक्षित होना चाहिए।
- यह स्थान यदि संभव हो तो मोटर वाहनों द्वारा सुलभ होना चाहिए।
- पर्याप्त सड़क, पार्किंग और जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।
- यह क्षेत्र मलेरिया जैसी स्थानिक बीमारियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- शिविर के स्थान के बारे में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और प्रभावित लोगों को सीधे शिविर में लाया जाना चाहिए।
- आपातकालीन राहत सामग्री जैसे कि पीने का पानी, भोजन, बिस्तर (गद्दे, चादरें और कंबल), शिशु आहार, मच्छर भगाने की दवा आदि शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  - शिविर में तुरंत कंट्रोल रूम/हेल्प डेस्क स्थापित की जानी चाहिए।

आवास (Shelter):

- आवास ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त सुरक्षा मिल सके।
- पर्याप्त गर्माहट, ताजी हवा, सुरक्षा और निजता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो सके।
- टेंट आपस में बहुत समीप न बनाए जाएँ, बल्कि उनके बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए ताकि निजता बनी रह सके।
- टेंट या कमरों के वितरण में विधवाओं, महिला मुखिया परिवारों, दिव्यांगों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिविर का सामान्य प्रशासन (General Administration of the Camp)

- एक उत्तरदायी अधिकारी को शिविर अधिकारी (Camp Officer) के रूप में जिलाधिकारी (DM) द्वारा नामित किया जाना चाहिए, जो राहत शिविर के सामान्य प्रबंधन के लिए अंततः उत्तरदायी होगा।
- वह शिविर में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा/करेगी।
- एक हेल्प डेस्क/नियंत्रण कक्ष/ अधिकारी कक्ष नामित किया जाना चाहिए, जहाँ शिविर निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

शिविर में मूलभूत सुविधाएँ (Basic Facilities)

प्रकाश व्यवस्था और जनरेटर सेट:

- एक तकनीकी व्यक्ति, अधिमानतः बिजली विभाग या PWD (इलेक्ट्रिकल) से, शिविर के अंदर और आसपास उचित प्रकाश व्यवस्था और जनरेटर सेट के संचालन एवं रख–रखाव की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कमरs/टेंट में एक बड़ी मोमबत्ती और एक माचिस की डिब्बी दी जानी चाहिए।
- शिविर में पर्याप्त संख्या में पेट्रोमैक्स या आपातकालीन लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- शौचालय और जल स्रोत तक पहुँचने वाले रास्तों को अच्छी तरह से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

जल सुविधाएँ: (Water Facilities)

- पीने के पानी, शौचालय, स्नान, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए आवश्यक कुल पानी की मात्रा का आकलन कर उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- जल संस्थान विभाग/जल निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिविर में जल आपूर्ति की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग स्नान कक्ष बनाए जाने चाहिए।

स्वच्छता, भोजन – भंडारण एवं वितरण, वस्त्र: (Sanitation, Food- Storage & Distribution, Clothing)

शौचालय:

- शौचालय शिविर/टेंटध्कमरे से न्यूनतम 10 मीटर और अधिकतम 50 मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए।
- ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर आदि की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रखी जानी चाहिए।

भोजन – भंडारण एवं वितरण:

- यथासंभव और उपलब्ध स्थान के अनुसार पका हुआ भोजन एक ही हॉल या स्थान पर परोसा जाए ताकि सफाई, स्वच्छता, कचरे का निपटान और व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।
- भोजन स्थानीय संस्कृति और समुदाय की खाद्य आदतों के अनुसार होना चाहिए। ग्रामीण लोग ब्रेड और मक्खन को पसंद नहीं कर सकते।
- बिस्कुट, टिनबंद खाद्य सामग्री, रेडी–टू–ईट भोजन, नूडल्स आदि का वितरण करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक्सपायरी डेट से पहले हों।
- महिलाओं, दुर्बल और वृद्धजनों के लिए राहत सामग्री प्राप्त करने हेतु अलग कतारें होनी चाहिए।

वस्त्र:

- शिविर में लोगों को मौसम से सुरक्षा हेतु पर्याप्त वस्त्र प्रदान किए जाने चाहिए।
- सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त वस्त्र उपलब्ध कराए जाएं।
- महिलाओं और किशोरियों को आवश्यक सेनेटरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

चिकित्सा सुविधाएँ और मनो–सामाजिक सहयोग:

- एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को 24 घंटे ड्यूटी पर रोटेशन में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- चिकित्सा टीम के लिए एक अलग कक्ष या टेंट उपलब्ध होना चाहिए।
- प्रत्येक सप्ताह शिविर में निवास करने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए।
- साँप के काटने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी–वेनम इंजेक्शन का पर्याप्त भंडारण होना चाहिए।

- मानसिक और भावनात्मक सहयोग के लिए परिवार को एक साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि मानसिक सहारा सबसे अच्छा परिवार से ही मिलता है।

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग और वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था:

- आपदा के समय महिलाएँ अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान कर उचित उपाय किए जाने चाहिए।
- एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रसूति विशेषज्ञ को मौजूद रखना चाहिए ताकि मातृत्व और बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो सके।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को समय पर सभी आवश्यक टीके लगाए जाएं।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महिलाओं की एक सतर्कता समिति गठित की जाए।
- शिविर में महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाए, जो महिलाओं की शिकायतों को दर्ज करे और उन्हें हल करे।
- महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के अपहरण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

कीट नियंत्रण:

- कीट और चूहे शिविरों में आमतौर पर होते हैं, जो बीमारियाँ फैलाते हैं और खाद्य सामग्री को नष्ट करते हैं।
- मच्छरों और अन्य उड़ने वाले कीटों से बचाव के लिए फॉगिंग करवाई जानी चाहिए।
- कचरे को अलग–अलग करना और रोजाना एकत्रित करना सुनिश्चित किया जाए।

सुरक्षा:

- शिविर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। शिविर के युवाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।
- पुलिस कर्मियों की रोटेशन ड्यूटी लगाई जाए।
- शिविर के गेट और चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाए।

मनोरंजन, विश्राम और IEC कार्यक्रम:

- साहित्यिक क्लब या संगठन पुस्तकें और पत्रिकाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं।
- शिविर के लोगों को व्यस्त रखने के लिए मनोरंजन और विश्राम की सुविधाएँ दी जाएं।
- छोटे बच्चों के लिए ICDS परियोजना अधिकारियों की मदद से अस्थायी आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए जाएं।
- शिविर में स्वयंसेवकों की मदद से अस्थायी स्कूल शुरू किए जाएं। SSA द्वारा मुफ्त किताबें, स्टेशनरी, शिक्षा मित्र आदि उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- प्रतिष्ठित NGO को भी शिविर में अस्थायी स्कूल चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

Annex Details as per Chapter No.

I. जनपद का ऐतिहासिक परिचय

उत्तराखण्ड राज्य का हृदय–नैनीताल जनपद विभिन्न छोटी–बड़ी झीलों के कारण प्रसिद्ध है। नीलमणि नयनाभिराम इसी ताल के सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणीय घाटी में बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब व कैसे अस्तित्व में आया इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्तय और पुलक नाम के तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे, उन्हीं के योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर था परन्तु ये नाम बाद में लुप्त हो गया और कालान्तर में इसे ही नैनीताल के नाम से जाने जाना लगा। झील के चारों ओर नैसर्गिक सुषमा से सुशोभित घने वन थे। जिनमें अनेक प्रकार के वन्य जन्तु और पंछी स्वच्छन्द विचरण करते थे। इस क्षेत्र के ग्रामवासी वर्ष में केवल एक बार देवी भगवती की पूजा के लिए इस पवित्र स्थान को आया करते थे।

सन् 1839 में जब एक अंग्रेज घुमक्कड़ पी0 बैरन ने अपनी यात्रा के दौरान यहॉ का मनोरम दृश्य देखा तो देखते ही रह गये। तत्पश्चात बैरन द्वारा किये गये प्रचार के फलस्वरूप नैनीताल लोकप्रिय होने लगा और यहां पर नगर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सन् 1847 तक यहॉ अनेक मकान, चर्च और बाजार बन चुके थे। जिसमें स्थानीय निवासियों एवं अग्रेजों का आधिपत्य था।

सन् 1857 में जब क्रान्ति की आग तराई–भावर तक पहुंच गई तो नैनीताल, अग्रेजों का शरणार्थी कैम्प बन गया। क्रान्ति के बाद नैनीताल को नार्थ पैन्टर्न प्रोविन्स का मुख्यालय बना दिया गया और यहॉ पर सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण किया गया।

सन् 1880 में यहॉ एक बडा भू–स्खलन हुआ जिसमें लगभ 151 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सन् 1882 में काठगोदाम से रेल सेवा प्रारम्भ की गई। सन् 1915 में नैनीताल तक के मोटर मार्ग का निर्माण कर लिया गया। मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त तो यहॉ पर रिहायसी मकानों और होटलों की भरमार हो गयी और शनैः–शनैः नैनीताल न केवल एक भव्य पर्यटन केन्द्र बल्कि शासकीय मुख्यालय और शिक्षा का केन्द्र भी बन गया। नगर के चारों ओर नैनापीक (2,611 मी0), लड़ियाकाण्डा (2,281मी0), डोरोथी सीट (2,292 मी0), स्नोव्यू (2,270 मी0), किलबरी (2,194 मी0) हनुमानगड़ी (1,951 मी0), राजकीय वेधशाला (1,951 मी0), खुर्पाताल (1,635 मी0) पर्यटन स्थल, प्रकृति की जनपद को अनुपम देन है।

नैनीताल के पास ही सुन्दर दृश्यों और पहाड़ी फलों का केन्द्र भवाली स्थित है। भीमताल, नौकुचियाताल और सात ताल तैराकी, बोटिंग और पर्यटकों के लिए स्वर्णिम दृश्य उपस्थित करते है। कैची नाम का स्थान नीम करौली महराज के आश्रम के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ और मुक्तेश्वर सेब के उद्यानों और जादुई नगरी से शोभित है। कालाढूंगी और कार्बेट पार्क प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम से जुडे है। यहॉ स्थित कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा वन विहार जिसका क्षेत्रफल 5,258 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन् 1938 में हुई थी।

अग्रेजों द्वारा नैनीताल को ग्रीष्म कालीन राजधानी बनाने के बाद रामगढ़ क्षेत्र में ब्रिटेन की तरह के फल एवं आलू का उत्पादन आरम्भ किया गया। यह जनपद के कृषि एवं आर्थिक विकास की पहली कड़ी थी। कालान्तर में जनपद का आर्थिक विकास स्वतन्त्रता के पश्चात हुआ, जब भावर और तराई के जंगलों की भूमि सरकार द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को आवंटित की गयी।

II. प्रशासनिक ढांचा

जनपद नैनीताल में 105 पटवारी क्षेत्र सम्मिलित हैं। जनपद की पर्वतीय क्षेत्र में तहसील नैनीताल, धारी, कोश्यॉकुटौली, बेतालघाट व खनस्यू क्षेत्र सम्मिलित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 74,053 हैक्टेयर व मैदानी क्षेत्र

में तहसील हल्द्वानी, रामनगर, लालकुँआ, कालाढुँगी का क्षेत्र सम्मिलित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 26,224 हैक्टेयर है। सम्पूर्ण जनपद 9 तहसीलों– नैनीताल, कोश्याकुटौली, धारी, बेतालधाट व खनस्यू पर्वतीय तहसीलें तथा हल्द्वानी, कालाढॅगी, लालकुआं व रामनगर तराई भावर की तहसीलें है। इसके अतिरिक्त जनपद में सामुदायिक विकास कार्य संचालन 8 विकास खण्डों में भी बाटां गया हैं, जो कि धारी, खन्स्यू, ओखलकांण्ड़ा, रामगढ़, बेतालघाट, भीमताल, हल्द्वानी, कोटाबाग व रामनगर हैं।

जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था

परगने	**06 (नैनीताल, हल्द्वानी, श्रीकैंची धाम, धारी, कालाढूंगी, रामनगर)**
विकास खण्ड	**08** (भीमताल, बेतालघाट, धारी, ओखलकाण्डा, रामगढ़ कोटाबाग, रामनगर, हल्द्वानी)
तहसील	**09** (नैनीताल, धारी, श्रीकैंची धाम, बेतालघाट, खनस्यू, हल्द्वानी, लालकुऑ, कालाढूंगी, रामनगर)
उप तहसील	**01** (रामगढ़)
पुलिस थाने	**10** (थाना बेतालघाट, थाना मुक्तेश्वर, थाना भीमताल, थाना तल्लीताल, थाना कालाढूॅगी, थाना मुखानी, थाना काठगोदाम, थाना बनभूलपुरा, थाना चोरगलिया, थाना खनस्यॅू)
कोतवाली	**04** (मल्लीताल, भवाली, रामनगर, हल्द्वानी)
पुलिस चौकी	**38**
ग्राम पंचायतों की संख्या	**478**
न्याय पंचायतों की संख्या	**44**
कानूनगो क्षेत्र	**14**
पटवारी क्षेत्र	**105**
राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल ग्राम **1147**, कुल राजस्व ग्राम–**1134** आबाद ग्राम– **1050**, गैर आबाद ग्राम–**52**, आबाद वन ग्राम– **45**

जनपद में 06– परगना, 09– तहसीलें, 01– उप तहसील, 08– विकास खण्ड, 478– ग्राम पंचायतें, कुल राजस्व ग्राम– 1134, कुल ग्राम 1147, आबाद ग्राम– 1050, गैर आबाद– ग्राम 52, आबाद– वन ग्राम 45

तहसीलें– 09 उप तहसील– 01

क्रमांक	तहसील	कुल राजस्व ग्राम
1.	नैनीताल	163
2.	हल्द्वानी	212
3.	रामनगर	137

4.	कालाढूंगी	119
5.	श्री कैचीधाम	120
6.	धारी	96
7.	खन्स्यू	97
8.	बेतालघाट	72
9.	लालकुँआ	48
10.	रामगढ़ (उप तहसील)	70
योग	10	1134

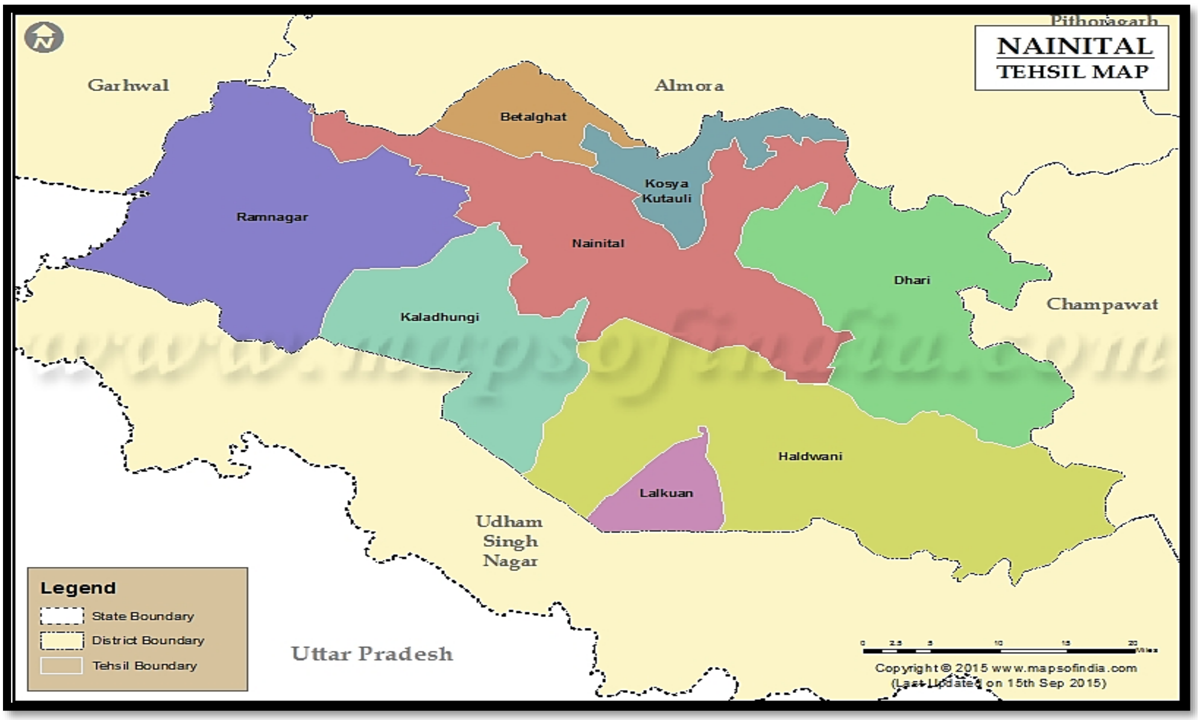

Tehsil map of Nainital district

<u>जनपद की तहसील, विकास खण्ड, थाने व चौकियां तथा संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र</u>

तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	थानों का नाम	चौकियों का नाम	संसदीय क्षेत्र	विघान सभा क्षेत्र
हल्द्वानी	हल्द्वानी	कोतवाली हल्द्वानी	1. भोटिया पड़ाव 2. टी0पी0 नगर 3. मंगल पड़ाव	नैनीताल–उधमसिंह नगर	59–हल्द्वानी

लालकुआँ	हल्द्वानी	कोतवाली लालकुआँ	–	नैनीताल–उधमसिंह नगर	56–लालकुआँ
रामनगर	रामनगर	कोतवाली रामनगर	1. बाजार 2. पीरूमदारा 3. मालधनचौड़ 4. ढेला गर्जिया		गढ़वाल
नैनीताल	भीमताल	कोतवाली मल्लीताल	–	नैनीताल–उधमसिंह नगर	58–नैनीताल
नैनीताल	भीमताल	कोतवाली भवाली	1. खैरना 2. रामगढ़	नैनीताल–उधमसिंह नगर	58–नैनीताल
बेतालघाट	बेतालघाट	थाना बेतालघाट	–	नैनीताल–उधमसिंह नगर	58–नैनीताल
नैनीताल	धारी	थाना मुक्तेश्वर	1. धारी 2. धानाचूली	नैनीताल–उधमसिंह नगर	58–नैनीताल
नैनीताल	भीमताल	थाना भीमताल	–	नैनीताल–उधमसिंह नगर	57–भीमताल
नैनीताल	भीमताल	थाना तल्लीताल	1. ज्योलिकोट	नैनीताल–उधमसिंह नगर	57–भीमताल
कालाढूंगी	कोटाबाग	थाना कालाढूंगी	1. बैलपड़ाव 2. कोटाबाग	नैनीताल–उधमसिंह नगर	60–कालाढूंगी
हल्द्वानी	हल्द्वानी	थाना मुखानी	1. लामाचौड़	नैनीताल–उधमसिंह नगर	59–हल्द्वानी
हल्द्वानी	हल्द्वानी	थाना काठगोदाम	1. हैड़ाखान	नैनीताल–उधमसिंह नगर	59–हल्द्वानी
हल्द्वानी	हल्द्वानी	थाना बनभूलपुरा	–	नैनीताल–उधमसिंह नगर	59–हल्द्वानी
हल्द्वानी	हल्द्वानी	थाना चोरगलिया	1. हंसपुरखत्ता	नैनीताल–उधमसिंह नगर	59–हल्द्वानी
खनस्यूं	ओखलकाण्डा	थाना खनस्यूं	1. ओखलकाण्डा	नैनीताल–उधमसिंह नगर	

विकास खण्ड– 08

(क) विकास खण्डों का सामान्य विवरण–

क्र.सं.	विकास खण्ड	जिला मुख्यालय से दूरी किमी.	कुल राजस्व ग्राम	कुल ग्राम पंचायतें	क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में
1.	भीमताल	22	112	59	94
2.	रामगढ़	58	130	56	142
3.	धारी	30	46	34	104
4.	बेतालघाट	62	133	68	143
5.	ओखलकाण्डा	72	107	73	167
6.	कोटाबाग	63	115	38	133
7.	रामनगर	65	231	53	144
8.	हल्द्वानी	45	252	69	153
	योग	——	1126	450	1080

(ख) विकास खण्डों का जनसंख्यावार विवरण

क्र.सं.	विकास खण्ड	जनसंख्या (कुल)	पुरूष	महिलायें
1.	भीमताल	52,043	27,002	25,041
2.	रामगढ़	39,830	20,483	19347
3.	धारी	30,346	15,604	14,742
4.	बेतालघाट	41,535	20,417	21,118
5.	ओखलकाण्डा	48,337	24,331	24,006
6.	कोटाबाग	63,283	32,196	31,087
7.	रामनगर	81,557	42,044	39,513
8.	हल्द्वानी	2,11,804	1,12,259	99,545
	योग	**5,68,735**	**2,94,336**	**2,74,399**

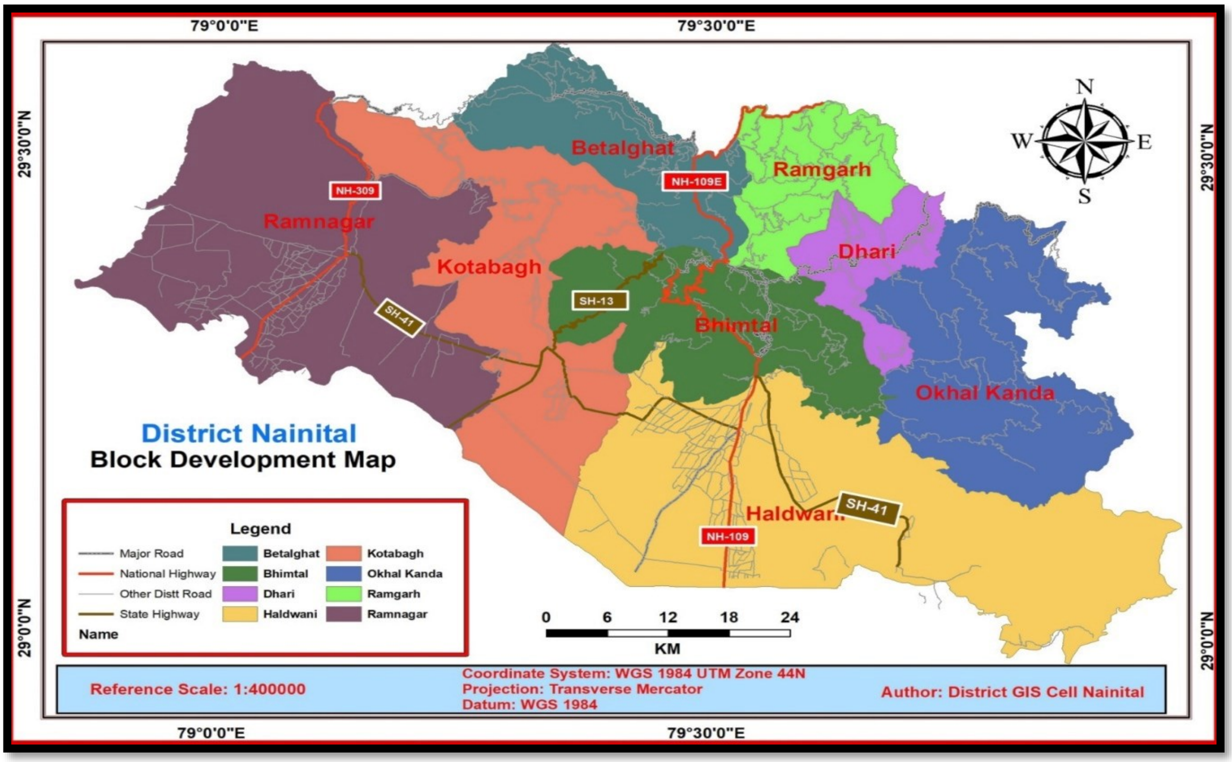

District Nainital- Block Development Map

<u>विकास खण्डवार ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत एवं पंचायत घर</u>

विकासखण्ड	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	पंचायतघर	जिला मुख्यालय से विकास खण्ड की दूरी, कि.मी. में
भीमताल	07	60	50	22 कि.मी.
रामगढ़	06	59	49	58 कि.मी.
धारी	03	34	24	30 कि.मी.
बेतालघाट	06	78	68	62 कि.मी.
ओखलकाण्डा	06	75	62	72 कि.मी.
कोटाबाग	06	59	46	63 कि.मी.
रामनगर	04	53	40	65 कि.मी.
हल्द्वानी	05	60	35	45 कि.मी.
योग जनपद	**43**	**478**	**374**	

विकास खण्डवार विवरण

विकासखण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री
भीमताल	394.26	9424	52,043	27,002	25,041
रामगढ़	101.28	7977	39,830	20,483	19347
धारी	238.69	6632	33,162	17,126	16,036
बेतालघाट	144.09	8577	41,535	20,417	21,118
ओखलकाण्डा	161.5	8004	48,337	24,331	24,006
कोटाबाग	149.70	11653	63,283	32,196	31,087
रामनगर	106.67	14366	81,557	42,044	39,513
हल्द्वानी	190.00	19261	2,11,804	1,12,259	99,545
योग जनपद	1486.19	**85894**	**571551**	**295858**	**275693**

विकासखण्ड मुख्यालय से ग्रामों की दूरी का विवरण

विकास खण्ड	01 कि.मी. से कम	01–03 कि.मी.	03–05 कि.मी. से अधिक	05 कि.मी. से अधिक	कुल योग
धारी	0	01	04	36	41
ओखलकाण्डा	01	01	0	73	75
हल्द्वानी	0	04	09	47	60
बेतालघाट	01	01	03	70	75
कोटाबाग	01	05	04	45	55
रामनगर	0	07	18	108	133
रामगढ़	03	03	0	53	59
भीमताल	0	06	03	51	60
योग जनपद	06	28	41	483	558

नगर निगम एवं पालिका परिषद्

क्र. सं.	नगर पालिका परिषद	क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में	जिला मुख्यालय से दूरी किमी.
1.	नगर निगम, हल्द्वानी	10.62	45
2.	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	11.73	01
3.	नगर पालिका परिषद, भवाली	1.28	11
4.	नगर पालिका परिषद, रामनगर	2.41	65
5.	नगर पालिका परिषद, भीमताल	3.95	22
6	नगर पालिका परिषद, कालाढुंगी	4.29	35

नगर पंचायतें

क्र.सं.	नगर पंचायत	क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में	जिला मुख्यालय से दूरी किमी.
1.	नगर पॅचायत, लालकुँआ	4.25	55

छावनी परिषद

क्र.सं.	छावनी परिषद	क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में	जिला मुख्यालय से दूरी किमी.
1.	छावनी परिषद, नैनीताल	3.38	01

नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का विवरण

क्र.सं.	नाम	कुल वार्ड की संख्या	सम्बन्धित तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार		
					पुरूष	महिला	योग
1	**नगर निगम हल्द्वानी**	60	हल्द्वानी	10.62	121409	110686	232095
2	नगर पालिका परिषद् नैनीताल	15	नैनीताल	11.73	21648	19729	41377
3	नगर पालिका परिषद्	07	नैनीताल	1.28	3304	3005	6309

	भवाली						
4	नगर पालिका परिषद् रामनगर	20	रामनगर	2.41	28386	26401	54787
5	नगर पालिका परिषद् भीमताल	09	भीमताल	18.6	4157	3565	7722
6	नगर पंचायत लालकुऑ	07	लालकुऑ	4.25	4190	3454	7644
7	नगर पालिका परिषद् कालाढूंगी	07	कालाढूंगी	2.35	3983	3628	7611
योग		125		**51.24**	**187077**	**170468**	**357545**

प्रशासनिक व्यवस्था

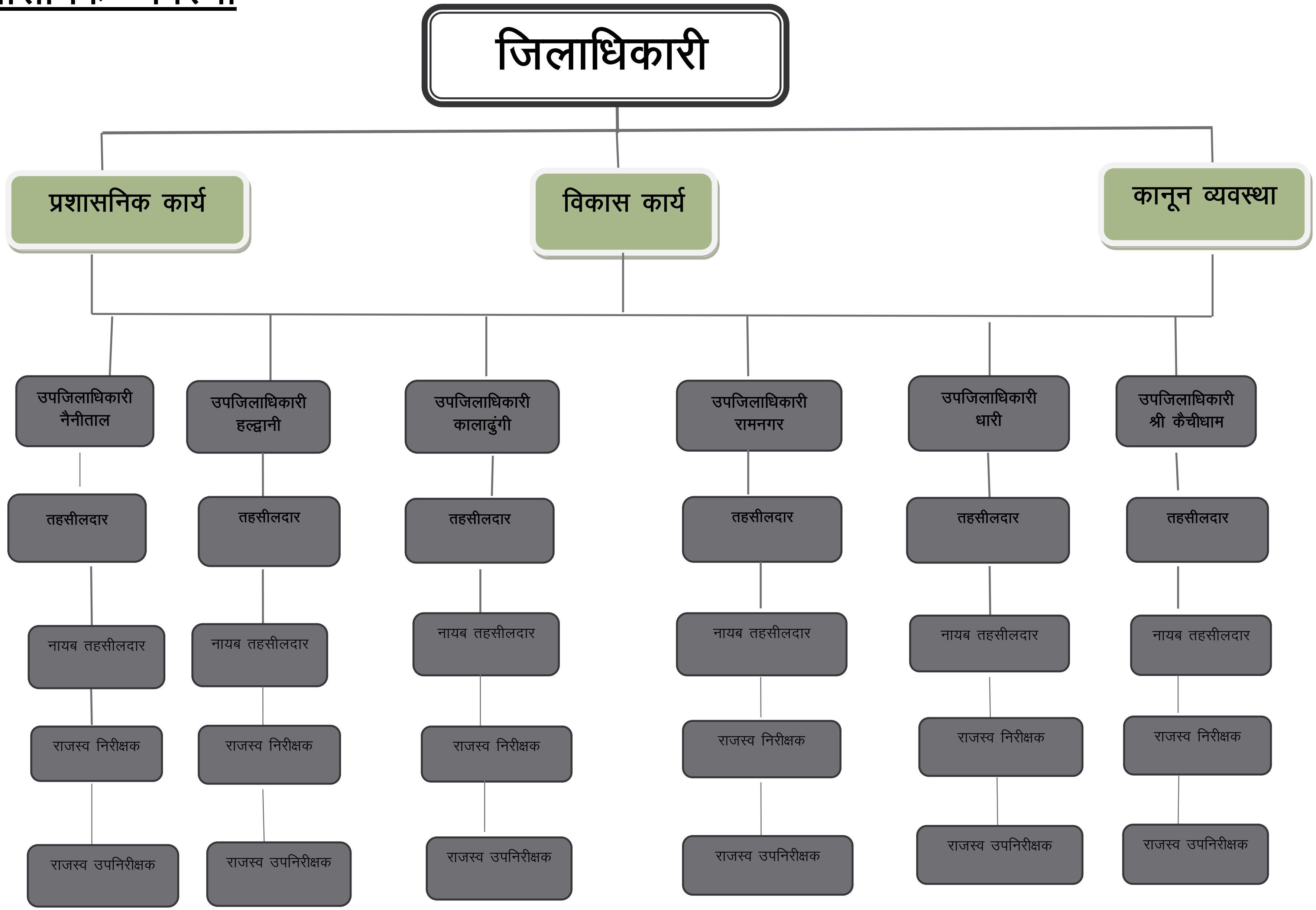

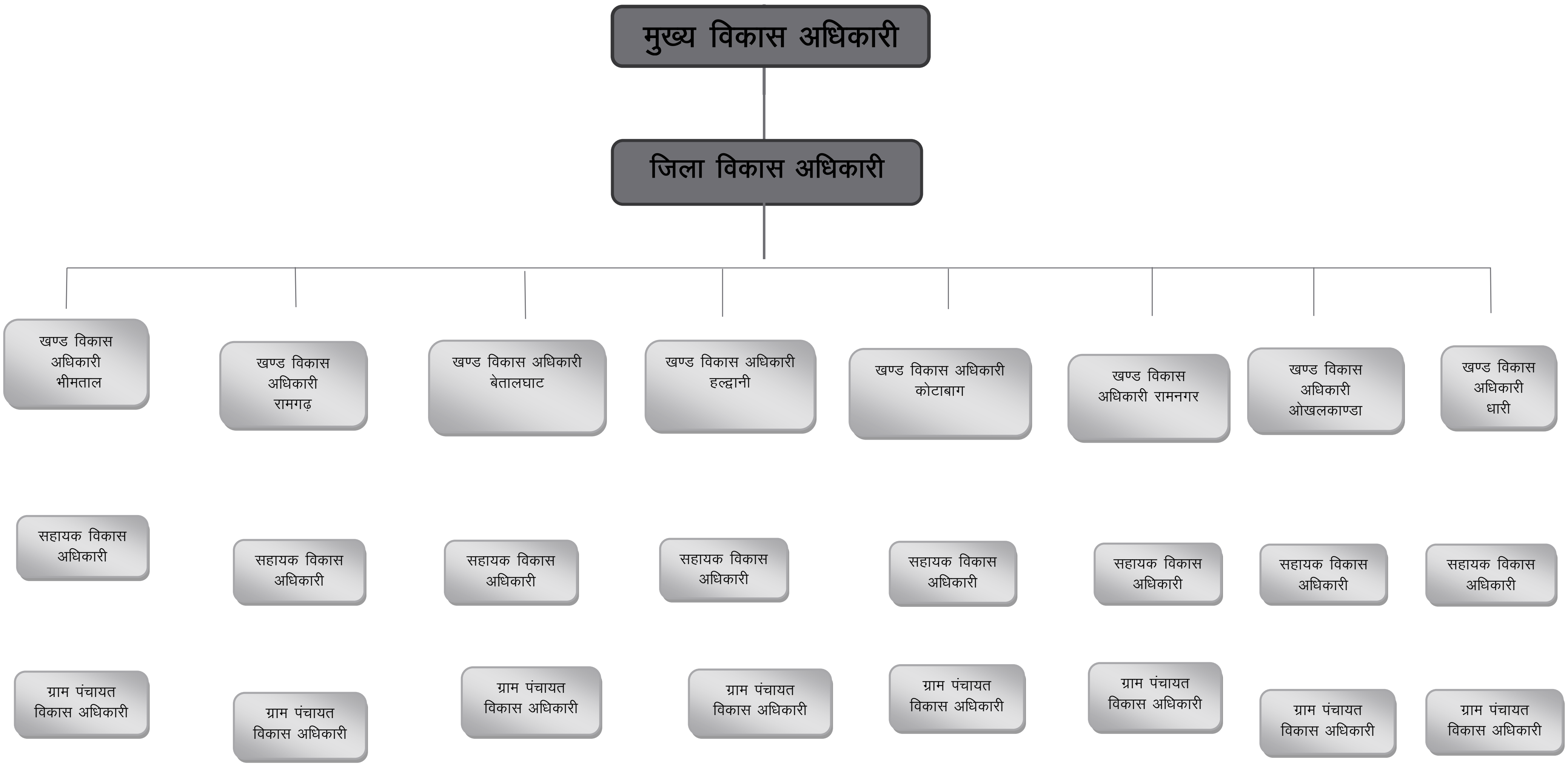
मुख्य विकास अधिकारी
जिला विकास अधिकारी
खण्ड विकास अधिकारी भीमताल
खण्ड विकास अधिकारी रामगढ़
खण्ड विकास अधिकारी बेतालघाट
खण्ड विकास अधिकारी हल्द्वानी
खण्ड विकास अधिकारी कोटाबाग
खण्ड विकास अधिकारी रामनगर
खण्ड विकास अधिकारी ओखलकाण्डा
खण्ड विकास अधिकारी धारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

TEHSIL MAPS

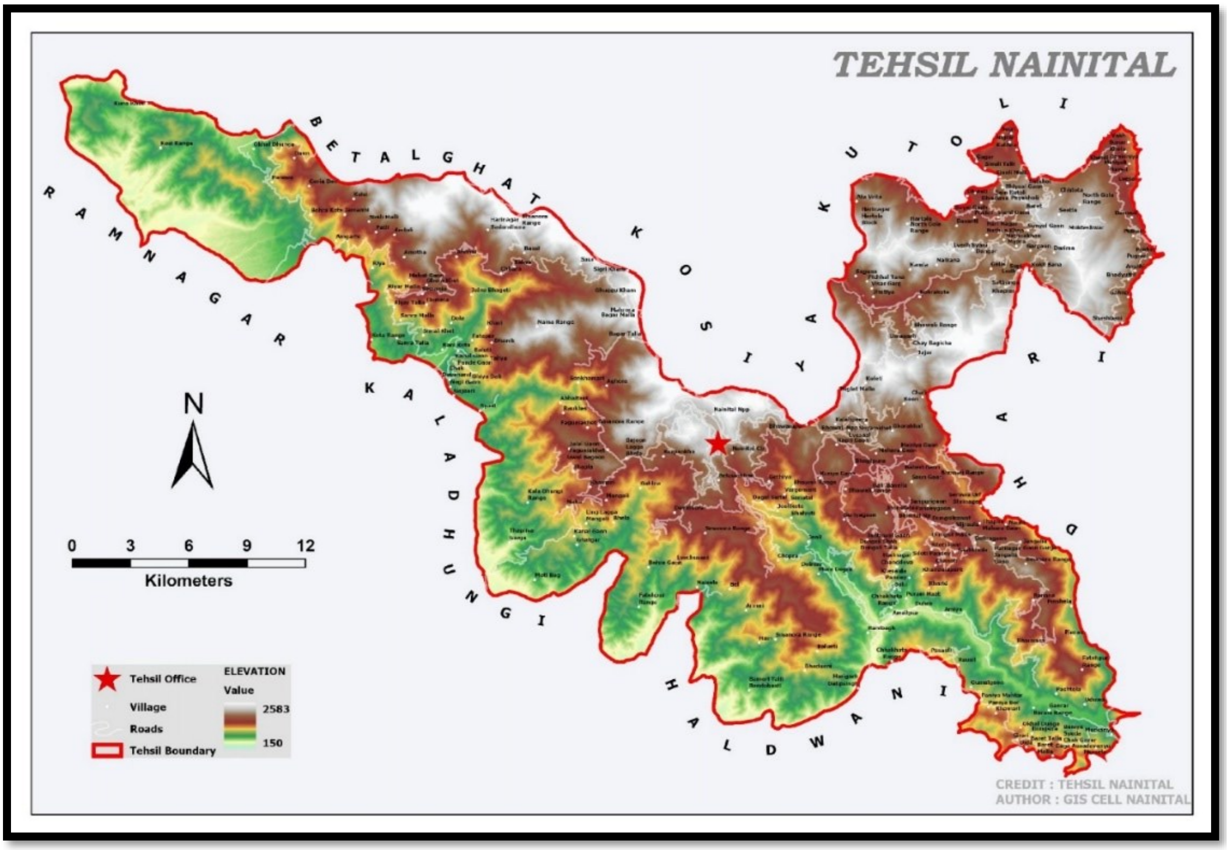
TEHSIL NAINITAL
BETALGHAT
KOSIYAKUTOLI
RAMNAGAR
KALADHUNGI
HALDWANI
DHARI
N
0 3 6 9 12
Kilometers
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
CREDIT : TEHSIL NAINITAL
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

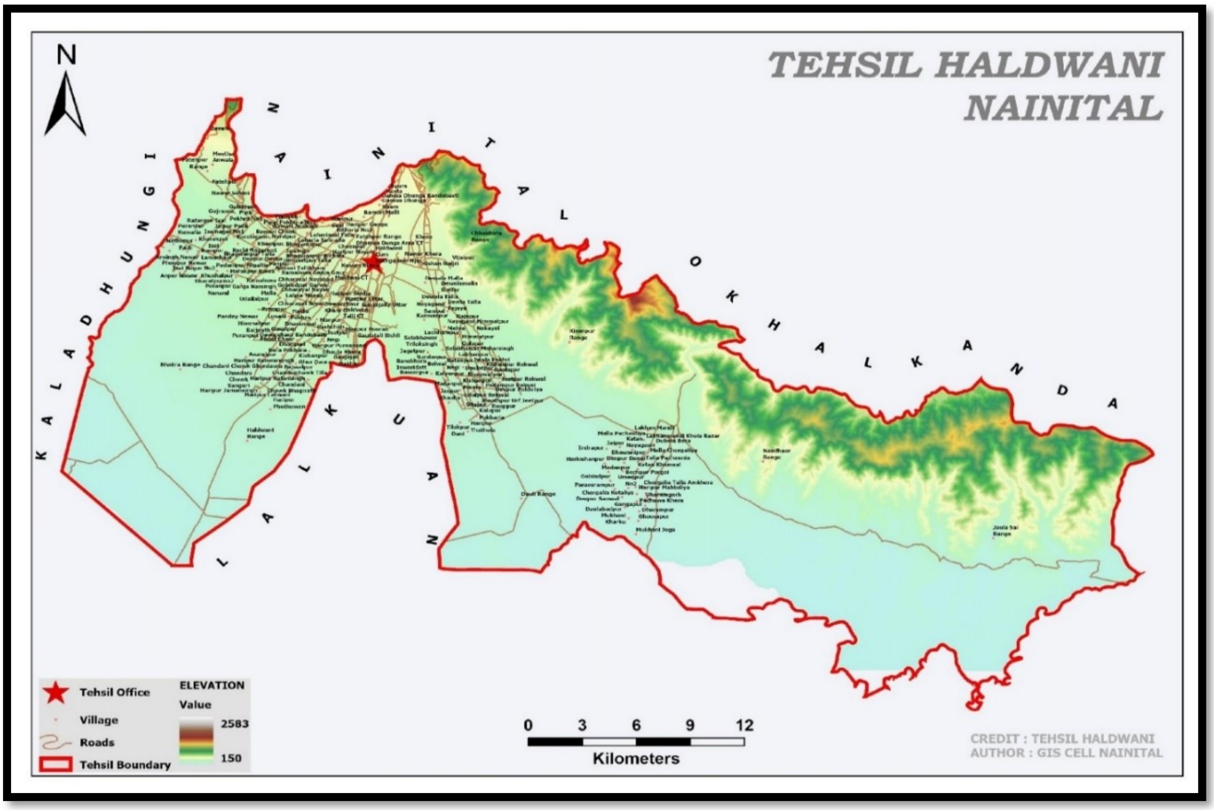
TEHSIL HALDWANI
NAINITAL
N
KALADHUNGI
NAINITAL
OKHALKANDA
LALKUAN
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
0 3 6 9 12
Kilometers
CREDIT : TEHSIL HALDWANI
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

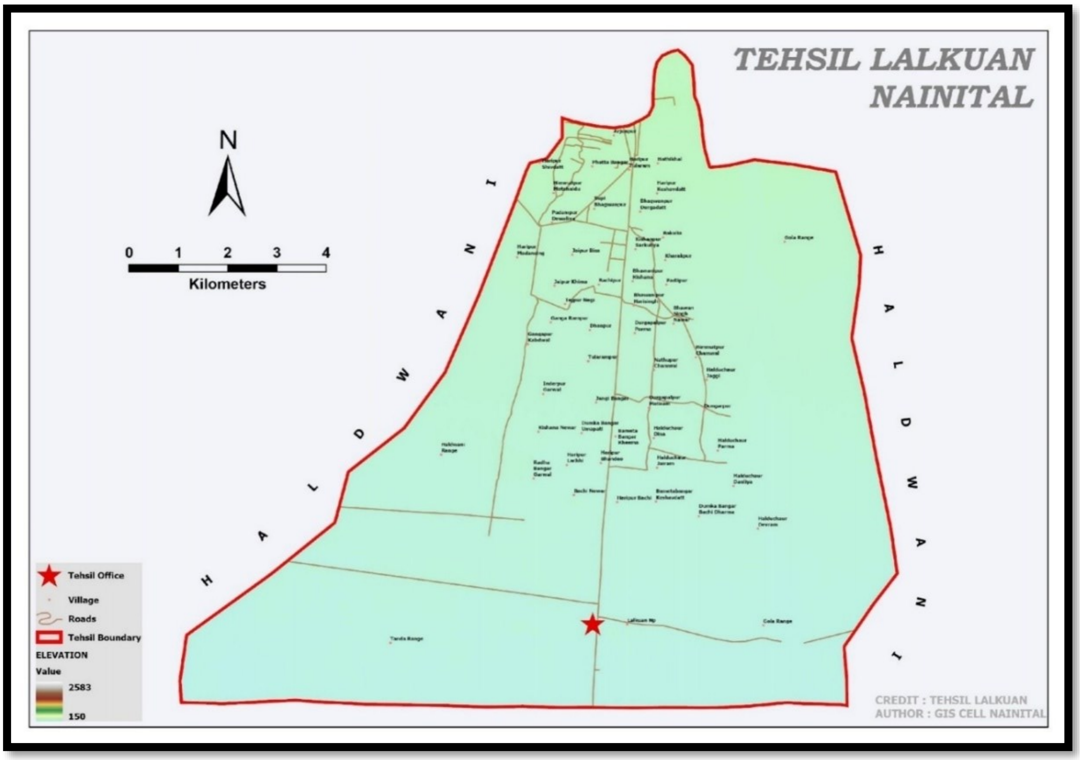
TEHSIL LALKUAN
NAINITAL
N
0 1 2 3 4
Kilometers
HALDWANI
HALDWANI
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
CREDIT : TEHSIL LALKUAN
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

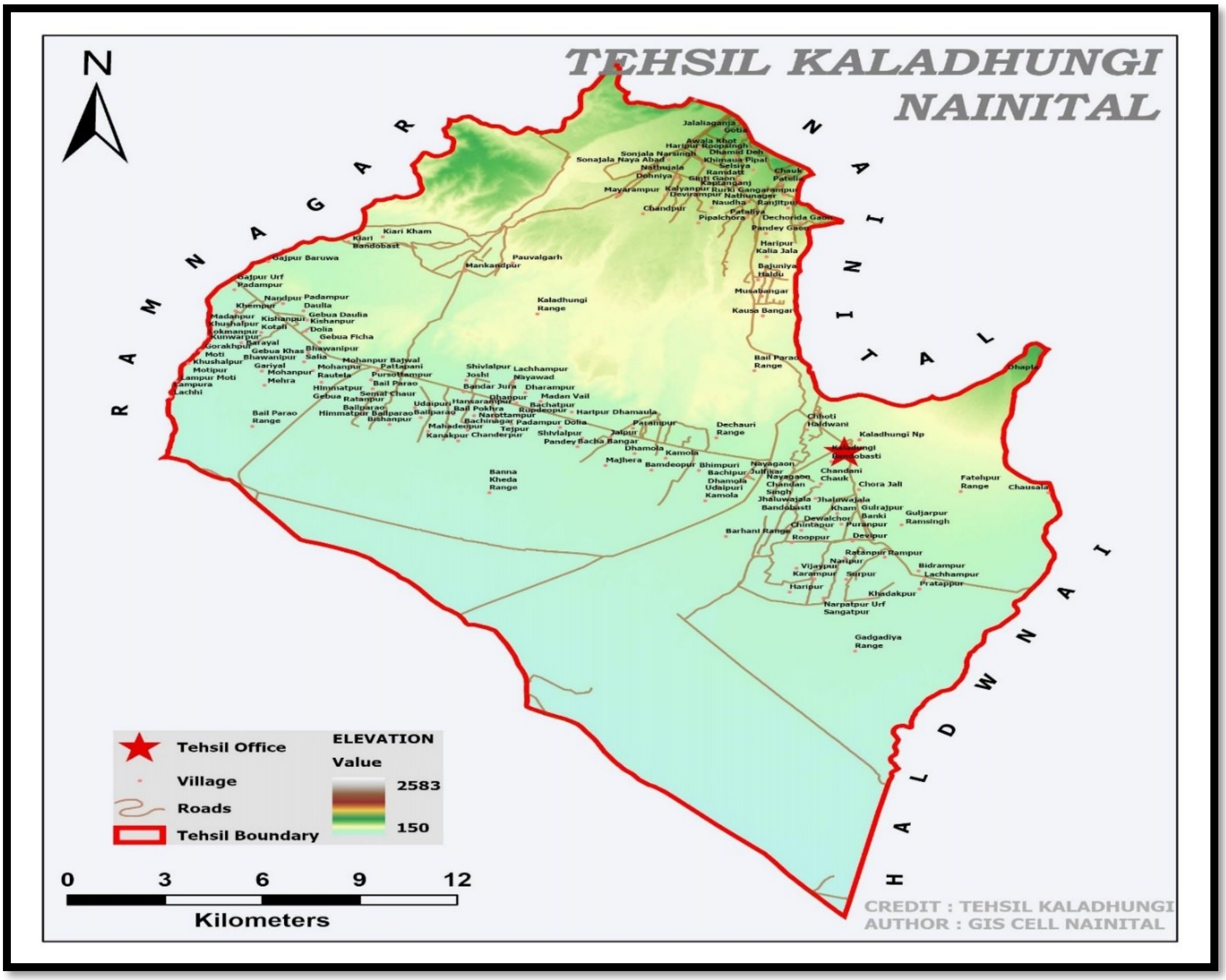
TEHSIL KALADHUNGI
NAINITAL
N
RAMNAGAR
NAINITAL
HALDWANI
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
0 3 6 9 12
Kilometers
CREDIT : TEHSIL KALADHUNGI
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

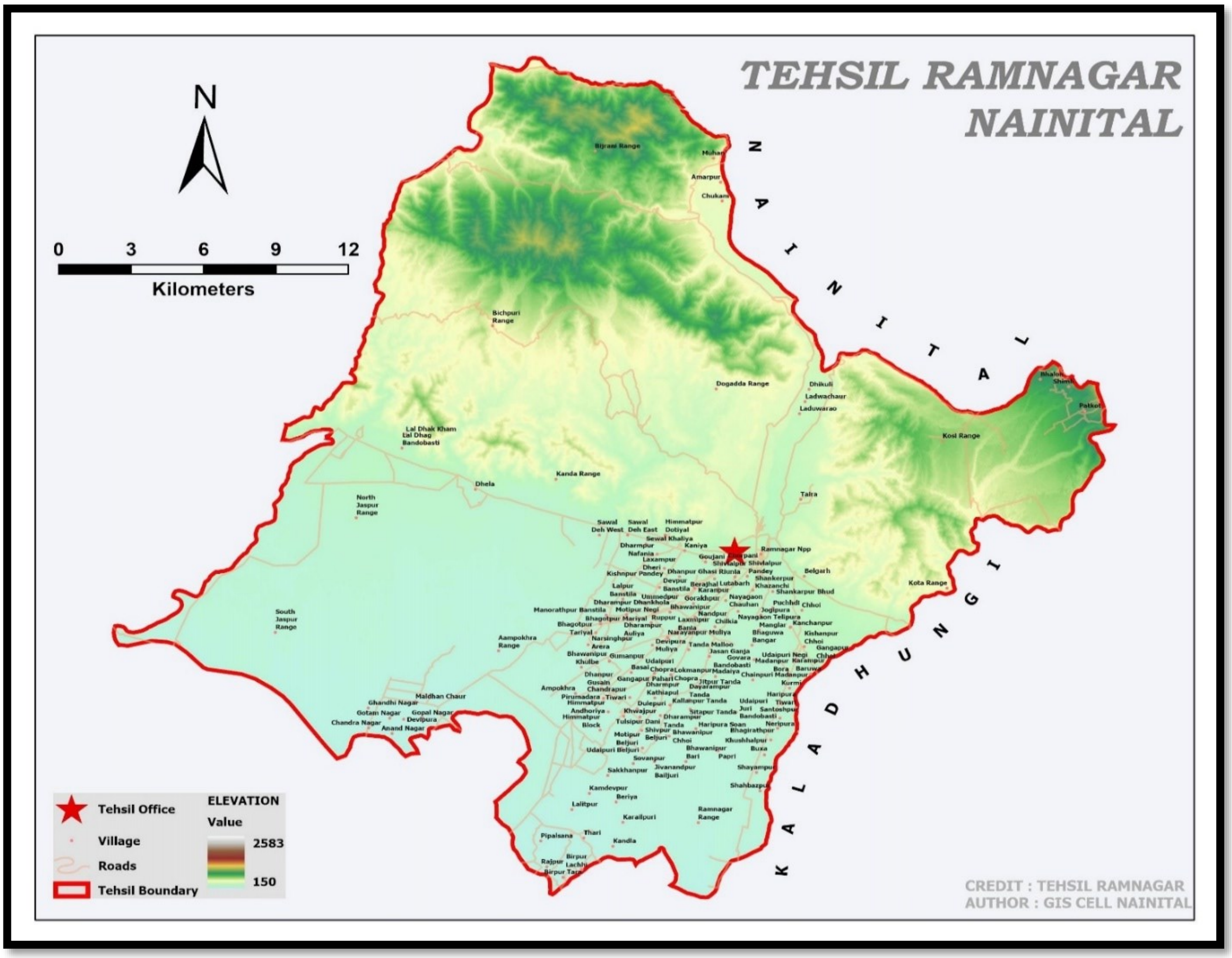
TEHSIL RAMNAGAR
NAINITAL
N
0 3 6 9 12
Kilometers
NAINITAL
KALADHUNGI
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
CREDIT : TEHSIL RAMNAGAR
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

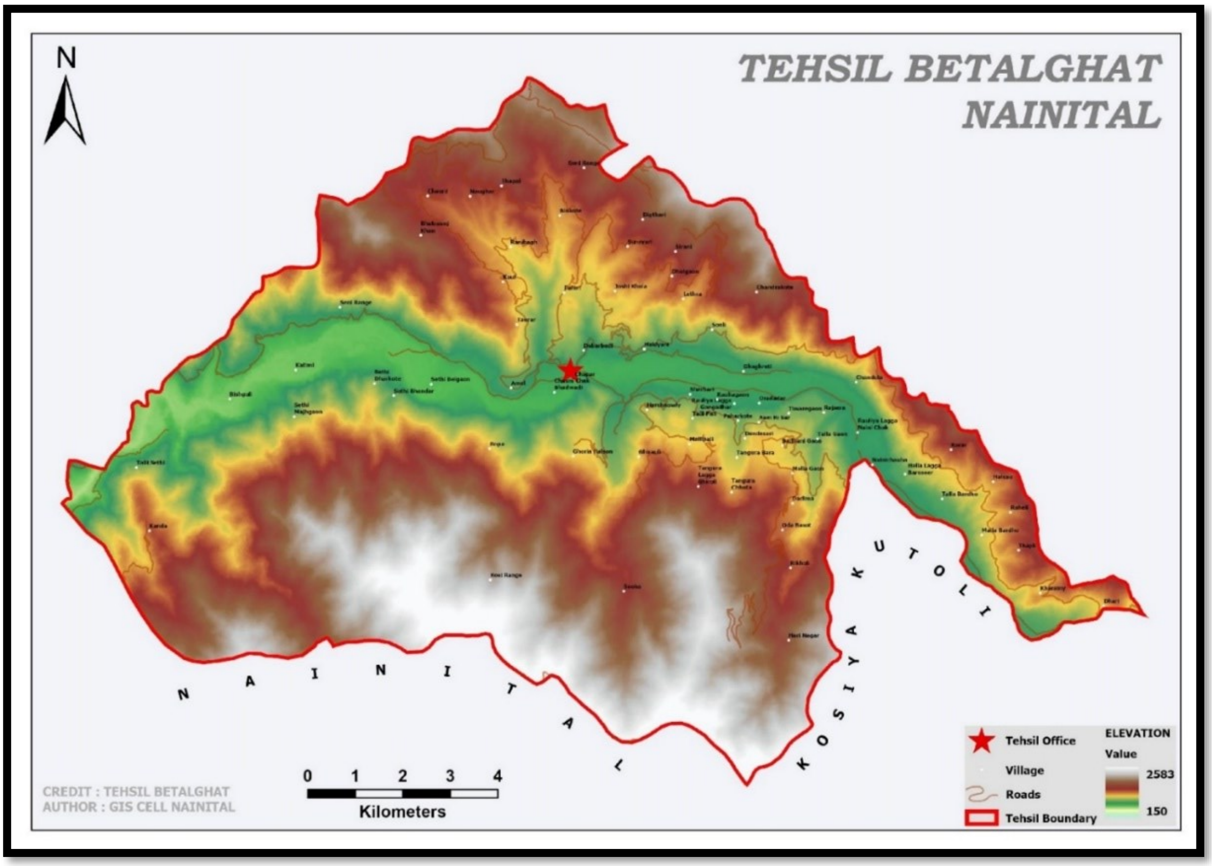
TEHSIL BETALGHAT
NAINITAL
N
NAINITAL
KOSIYA KUTOLI
0 1 2 3 4
Kilometers
CREDIT : TEHSIL BETALGHAT
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150

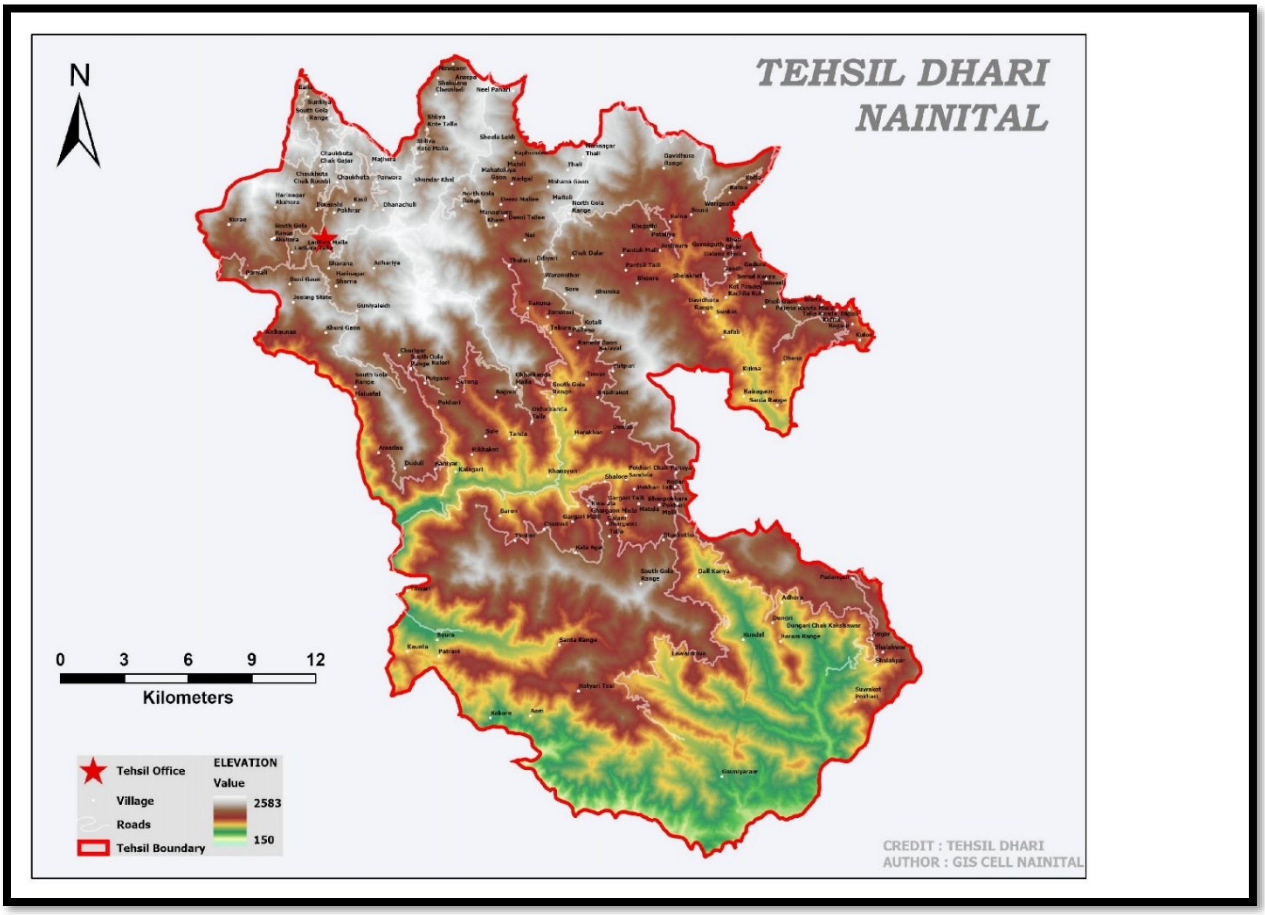
TEHSIL DHARI
NAINITAL
N
0 3 6 9 12
Kilometers
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
CREDIT : TEHSIL DHARI
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

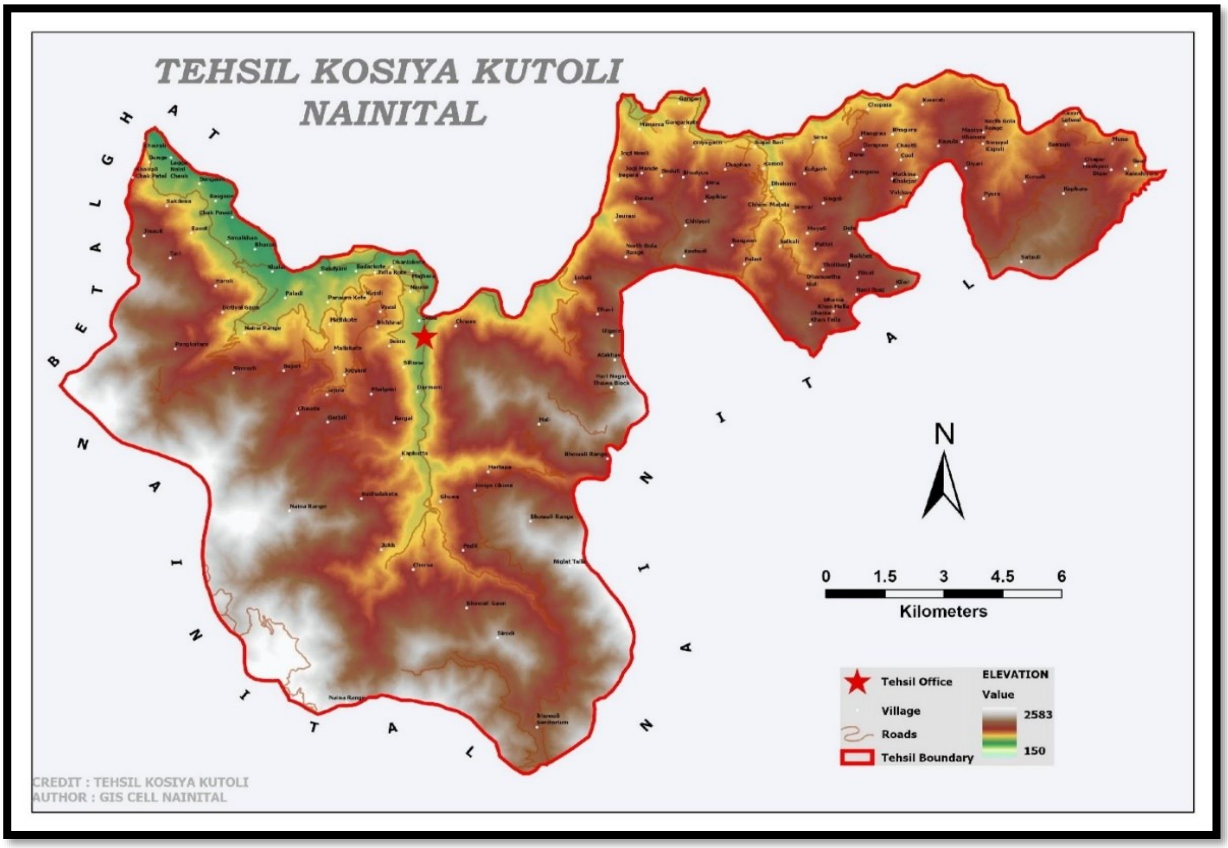
TEHSIL KOSIYA KUTOLI
NAINITAL
BETALGHAT
NAINITAL
NAINITAL
NAINITAL
N
0 1.5 3 4.5 6
Kilometers
Tehsil Office
Village
Roads
Tehsil Boundary
ELEVATION
Value
2583
150
CREDIT : TEHSIL KOSIYA KUTOLI
AUTHOR : GIS CELL NAINITAL

नैनीताल नगर अन्तर्गत नालों का विवरण

प्राकृतिक जल ड्रेनेज/संग्रहण प्रणाली

क्र.सं.	नाले की स्थिति	लम्बाई	समागम स्थल
1.	अ) नैनीताल–अल्मोड़ा रोड गौरी निवास के निकट 203 मी. ब) 03 शाखा एं 479 मी.	0.682	माल रोड
2.	अ) रामसे अस्पताल 387 मी. ब) 03 शाखा एं 187 मी.	0.574	माल रोड
3.	अ) रामसे अस्पताल 375 मी. ब) 01 शाखा 51 मी.	0.426	माल रोड
4.	अ) मंगला कोठी 256 मी. ब) 02 शाखा एं 169 मी.	0.425	माल रोड
5.	जिला बोर्ड कार्यालय 114 मी.	0.114	माल रोड
6.	अ) बिरला स्कूल 488 मी. ब) 06 शाखा एं 592 मी.	1.080	माल रोड
7.	अ) बिरला स्कूल 450 मी. ब) 01 शाखा 185 मी.	0.635	चीना रोड, नाला सं0 6
8.	अ) बिरला स्कूल 479 मी. ब) 01 शाखा 46 मी.	0.525	चीना रोड, नाला सं0 6
9.	अ) बिरला स्कूल 461 मी.	0.560	चीना रोड,
10.	अ) मालवीय कम्पाउण्ड 125 मी.	0.207	माल रोड
11.	अ) बिरला स्कूल 747 मी.	0.772	माल रोड
12.	मालवीय कम्पाउण्ड 246 मी.	0.246	माल रोड
13.	अ) बिरला स्कूल 795 मी.	1.740	माल रोड
14.	अ) बिरला स्कूल 722 मी. ब) 05 शाखा एं 602 मी.	1.324	माल रोड
15.	अ) महारानी कोठी 155 मी. ब) 04 शाखा एं 377 मी.	0.532	माल रोड

16.	अ) बिरला चूंगी 680 मी. ब) 08 शाखा एं 908 मी.	1.588	**माल रोड**
17.	अ) बिरला स्कूल 130 मी. ब) 03 शाखा एं 120 मी.	0.250	**रातिघाट**
18.	अ) स्नो व्यू 781 मी. ब) 12 शाखा एं 1333 मी.	2.114	**माल रोड**
19.	ओल्ड गवर्मेंट हाउस 120 मी.	0.120	**रातिघाट**
20.	अ) स्नो व्यू 770 मी. ब) 16 शाखा एं 1267 मी.	2.037	**माल रोड**
21.	अ) अल्मा हाउस 1019 मी. ब) 15 शाखा एं 2228 मी.	3.247	**माल रोड**
22.	अल्मा हाउस 125 मी.	0.125	**रातिघाट**
23.	अ) एन.टी.के.पी. मोटर रोड, स्नो व्यू से नैनादेवी मंदिर 1.52 किमी. ब) 19 शाखा एं 1.625 किमी	3.145	**नैनादेवी मंदिर के निकट–झील**
24.	अ) एन.टी.के.पी. मोटर रोड के नीचे पवैलियन होटल के ऊपर 585 मी. ब) 04 शाखा एं 255 मी.	0.84	**नाला सं. 23, नैनीताल क्लब चौराहे के निकट**
25.	अ) सैनिक स्कूल हाई कोर्ट से प्रारम्भ 700 मी. ब) 02 शाखा एं 260 मी.	0.960	**नाला सं. 26, टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय**
26.	अ) नैना शिखर लैण्डस्लाइड क्षेत्र से प्रारम्भ, पन्त सदन के दायीं ओर 1350 मी. ब) 02 शाखा एं 75 मी.	1.425	**नाला सं. 23, टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय निकट**
27.	मेलरोस कम्पाउण्ड से प्रारम्भ 180 मी.	0.180	**सूखताल झील**
28.	ऐशडेल कम्पाउण्ड से प्रारम्भ 450 मी.	0.450	**सूखताल झील**
29.	ए.टी.आई. से प्रारम्भ 465 मी.	0.465	**सूखताल झील**
30.	नैना शिखर लैण्डस्लाइड क्षेत्र से प्रारम्भ, ओक पार्क की ओर 1220 मी.	1.22	**सूखताल झील**
31.	नैना शिखर लैण्डस्लाइड क्षेत्र से प्रारम्भ, ओक पार्क की ओर	0.550	**सूखताल झील**

	550 मी.		
32.	नैना शिखर लैण्डस्लाइड क्षेत्र से प्रारम्भ,ओक पार्क की ओर 90 मी.	0.090	**नाला सं0 31**
33.	विश्वविद्यालय कार्यालय से प्रारम्भ 765 मी.	0.765	**नाला सं0 34**
34.	अ) अयर्पथ एवरफोली मोदी भवन से प्रारम्भ 910 मी. ब) 12 शाखा एं 540 मी.	1.450	**नाला सं. 23,**
35.	अयर्पथ एवरफोली मोदी भवन से प्रारम्भ 390 मी.	0.390	**नाला सं. 23,**
36.	अ) ऐरोमा होटल, आर्यपथ (नाला सं. 37) से प्रारम्भ 270 मी. ब) 02 शाखा एं 60 मी.	0.330	**नाला सं. 35**
37.	मल्लीताल पम्पहाउस के ऊर से प्रारम्भ (नाला सं.38),240 मी.	0.240	**नाला सं. 23, पम्प हाउस**
38.	इण्डक्लिफ रोड के ऊपर से प्रारम्भ (नाला सं. 39), 120 मी.	0.120	**नाला सं. 23, मस्जिद के निकट**
39.	अ) अयर्पथ हिल गर्ने हाउस(नाला सं. 43) से प्रारम्भ 510 मी. ब) 12 शाखा एं 1570 मी.	2.080	**नाला सं. 23, तिब्बत मार्केट के निकट**
40.	अ) नैनी रिट्रीट होटल के नीचे(नाला सं. 44)से प्रारम्भ 90 मी ब) 01 शाखा 300 मी.	0.390	**नाला सं. 23, तिब्बत मार्केट के निकट**
41.	अ) गोइन्का निवास, आर्यपथ हिल (नाला सं. 45) से प्रारम्भ, 550 मी. ब) 01 शाखा 250 मी.	0.800	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
42.	गोइन्का निवास, आर्यपथ हिल (नाला सं. 59) से प्रारम्भ, 180 मी.	0.180	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
43.	शेरवुड कालेज (नाला सं. 46) से प्रारम्भ, 300 मी.	0.300	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
44.	अ) शेरवुड कालेज (नाला सं. 47) से प्रारम्भ, 395 मी. ब) 02 शाखा एं 90 मी.	0.480	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
45.	डी.एस.बी. परिसर (नाला सं. 60) से प्रारम्भ, 100 मी.	0.100	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
46.	अ) ड्रम हाउस (नाला सं. 48) से प्रारम्भ, 380 मी. ब) 03 शाखा एं 125 मी.	0.505	**माल रोड–दक्षिणी, झील**

47.	अ) सन्नी बैंक के नीचे से रॉक हाउस (नाला सं. 49) से प्रारम्भ, 360 मी. ब) 04 शाखा एं 280 मी.	0.640	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
48.	अ) ड्रम हाउस से लन्गुम हास्टल (नाला सं. 58) से प्रारम्भ, 320 मी. ब) 02 षाखा एं 70 मी.	0.390	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
49.	अ) सेंट मैरी स्कूल (नाला सं. 55) से प्रारम्भ, 280 मी. ब) 01 शाखा 40 मी.	0.320	**माल रोड–दक्षिणी, झील**
50.	सेंट मैरी गेट से फेरी हॉल(नाला सं. 54)से प्रारम्भ, 1200 मी.	1.200	**बलिया नाला**
51.	अ) क्रेगलैण्ड हास्टल (नाला सं. 50) से प्रारम्भ, 2300 मी. ब) 15 शाखा एं 5840 मी.	8.140	**बलिया नाला**
	योग	**47.468 (किमी)**	

School Disaster Management Plan

समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य– NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

Guidelines for School Disaster Preparedness

- *School Disaster Management Plan*

1. Formation of School Disaster Management Committee

   Members: CRC, Trustee, Principal, Vice principal, BEO, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, students, and other Departmental officers.

2. Orientation program for SDMC, School teachers & Students.

3. Formation of School Disaster Management Teams

   Detail of Teams:

   (a) Early warning & Communication
   (b) Search & Rescue
   (c) First Aid
   (d) Evacuation Team
   (e) Awareness Generation Team

   Members: Trustee, Principal, Vice principal, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, One or Two students.

4. Mapping Exercises:
    (a) Hazard, Risk & Vulnerability mapping of school
    (b) Resource mapping of school
    (c) Evacuation mapping of school
5. Resources availability in school
6. Emergency contact details
7. Training for SDMTs
8. Awareness Generation related activities:
    (a) Drawing competition & exhibitions on disasters
    (b) Essay competition
    (c) Vorkuta sprdha (Speech)
    (d) Debate
    (e) Rally
    (f) Play/Street play
    (g) Do's & Don'ts painting about Earthquake, Flood, Road Accident, Fire, Industrial Accident etc. on main wall of school
    (h) Do's & Don'ts speaking by students in morning/ Noon pray of school.
9. Mock Drill

क्र. स.	**विभागों के नाम**	**फोन न0**
1	राज्य कन्ट्रोल रूम	
2	जनपद कन्ट्रोल रूम	
3	अग्निशमन	
4	पुलिस चौकी/थाना	
5	एम्बुलेंस	
6	कार्यालय जिलाधिकारी	
7	उप जिलाधिकारी कार्यालय	
8	नजदीकी चिकित्सालय	
9	मुख्य चिकित्सा केन्द्र	
10	विकास खण्ड अधिकारी	
11	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	
12	नागरिक सुरक्षा संगठन	

विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना–

योजना बनाने की तारीख –

विद्यालय का नाम –

पता –

विकास खण्ड –

तहसील –

जनपद –

नगर पालिका वार्ड संख्या-

1. नक्शा स्कूल –

   1.1 जोखिम एवं घातकता चित्रण

   1.2 संसाधन चित्रण एवं सुरक्षित मार्ग

   1.3 निष्कासन चित्रण

विद्यार्थियो की संख्या कक्षावार –

क्र.सं.	कक्षा	बालक	बालिका	विकंलाग	संख्या
1	1-5				
2	6-12				
		कुल			

एन. सी. सी छात्रः

स्काउट एंव गाइडः

एन.एस.एस. छात्रः

2. विद्यालय का विवरण –

कक्षो की कुल संख्या	पक्के कक्षों की संख्या	टिन की छत वाले कक्षों की संख्या	खपरैल/छप्पर की छत वाले कक्षों की संख्या

2.1 मुख्य सड़क से दूरी –

2.2 अग्निशमन केन्द्र से दूरी –

2.3 पुलिस चौकी/थाने से दूरी –

2.4 जिला मुख्यालय से दूरी –

2.5 निकटतम बाजार से दूरी –

2.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी –

2.7 सीढ़ीयो की संख्या:

2.8 बाहर जाने के रास्तो की संख्या:

3. संसाधन सूची –

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नही	संख्या	दूरी
1	हैण्ड पम्प				
2	वाटर सप्लाई				
3	अग्नि शमन यन्त्र				
4	खेल का मैदान				
5	छत पर आने जाने के लिए पक्की सीढ़ीयॉ				
6	लकड़ी की सीढ़ीयॉ				
7	पानी के पाइप				
8	मोटी रस्सियॉ				
9	टेलीफोन				
10	फैक्स				
11	इन्टरनेट				
12	छायादार वृक्ष				
13	विद्यालय से बाहर निकलने हेतु गेट				
14	प्राथमिक चिकित्सा किट				
15	रेडियो सेट एंव टेलीविजन सैट				
16	जनरेटर				
17	पम्पसेट				
18	पैटोमैक्स				
19	गैस लाइट				
20	सौर उर्जा के उपकरण				
21	जीप/बस/अन्य वाहन				

4. विद्यालय के आसपास सुरक्षित स्थान पर अस्थाई आश्रय के लिए स्थान –

5. विद्यालय के आसपास सामुदायिक संगठन –

6. वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते –

7. खतरे के स्थान से दूरी –

संख्या	खतरा	विद्यालय से दूरी	टिप्पणी
1	नदी		
2	तटबन्ध		
3	बॉध/पुल		
4	चट्टान		
5	बिजली के खम्बे / हाईटेंशन वायर		
6	पानी की टंकियो से		
7	बड़े पेड़ो से		
8	खड़ी चट्टानो से		
9	खतरनाक भवनों से		
10	राष्ट्रीय राजमार्गो से		

8 विद्यालय सुरक्षा योजना –

8.1 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति

क्र.सं.	नाम	पता	दूरभाष संख्या
1			
2			

8०2 विद्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानो का चिन्हीकरण –

क्र.सं.	स्थलों का नाम	कक्षा भवन से दूरी

8.3 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के परामर्श से विद्यालय का जोखिम एवं घातकता विश्लेषण

क्र.सं.	विद्यालय में अवस्थित सेवायें/संरचनाएं	आपदा (जिनसे सेवाएं/संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं)			
		भूकम्प (हां/नहीं)	भू–स्खलन (हां/नहीं)	बाढ़ (हां/नहीं)	अग्निकांड (हां/नहीं)
1	भवन अवसंरचना				
2	पेयजल				
3	विद्युत व्यवस्था				
4	दूरसंचार व्यवस्था				
5	सड़क/पहुँच मार्ग				
6	अन्य				

8.4 विभिन्न आपदा राहत दल

क– निष्कासन दल –

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ख – प्राथमिक चिकित्सा दल –

1			
2			

ग – खोज व बचाव दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ध – जागरूकता (Awareness) दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्राओं के नाम
1			
2			

(प्रधानाचार्य का नाम, सील व हस्ताक्षर)

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चेक लिस्ट

क्र.सं.	सूची	हॉ/नही	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ीयॉ आने–जाने में बाधा रहित हैं ?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है ?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं ?		
4	क्या कहीं पे बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं ?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ?		
6	क्या खिड़की और बालकनी ढके हैं ?		
7	क्या विद्यालय में बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते हैं ?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित हैं ?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ?		
10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (Fire Extinguisher) कार्य करने की स्थिति में है ?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की थैली पर्याप्त मात्रा में है ?		

12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है ?		
13	क्या विद्यालय में पानी के पाइप हैं ?		
14	क्या विद्यालय में पानी का पंप है ?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ?		
16	क्या सीढ़ीयॉ हमेशा प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये हैं ?		
17	विद्यालय भवन की आयु ?		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं ?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य हैं ?		
20	विद्यालय से बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है ?		
21	क्या चेतावनी साईन बोर्ड लगे हैं ?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्राकर की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे हैं ?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या समीप कोई बहुमंजिली भवन है ?		

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

1–सामान्य परिचय :

ग्राम पंचायत	
ग्राम प्रधान का नाम व दूरभाष	
ग्राम विकास अधिकारी का नाम व दूरभाष नं0	
राजस्व उपनिरीक्षक का नाम व दूरभाष नं0	
तहसील	
विकासखण्ड	

2–सामान्य सूचनायें :

कुल परिवारों की संख्या		स्कूलों में छात्र संख्या	
कुल जनसंख्या		पंचायत सदस्यों की संख्या	
पुरूष		जन संचार का माध्यम	
महिलायें		भवनों की संख्या	

पशुधन की संख्या		मुख्य पैदावार	
साक्षरता केन्द्र/प्रौढ़ शिक्षा		विकलांगों की संख्या	
स्कूलों की संख्या विवरण		कुल तोको की संख्या एवं नाम	

3–शिक्षण संस्थान एवं छात्रों का वर्गीकरण :

आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रों की संख्या	आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रो की संख्या
4–6		13–16	
7–12		16 से अधिक	

4–जनसंख्या :

SC		ST		OBC		GEN		Total	
महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष

5–भौगोलिक विवरणः

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे0)	कृषि योग्य भूमि (हे0)	वन भूमि (हे0)	चारागाह (हे0)	बंजर व अन्य भूमि (हे0)

6–जीविकापार्जन का विवरण :

जीविकापार्जन के तरीके	**लोगों की संख्या**	**परिवारों की संख्या**
कृषि		
खेतीहर मजदूर		
अन्य मजदूर		
दस्तकारी		
छोटा–मोटा व्यवसाय		
नौकरी		
अन्य		

7–संसाधन सूची :

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नहीं	सड़क मार्ग से दूरी	सम्पर्क व्यक्ति का दूरभाष नं0
1	विकासखण्ड कार्यालय				
2	ग्राम पंचायत कार्यालय				
3	संसाधन केन्द्र				
4	ऑगनवाड़ी				
5	बालवाड़ी				
6	विद्यालय–प्राथमिक				
7	माध्यमिक				
8	अन्य–संकुल भवन, मंदिर, मस्जिद				
9	दूरभाष सुविधा				
10	आवश्यक सामग्री की दुकान				
11	पोस्ट ऑफिस				
12	थाना / आउटपोस्ट				
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान				
14	स्वास्थ्य सुविधाऐ : स्वास्थ्य केन्द्र, (उप), प्रा0स्वा0 केन्द्र, ए0एन0एम0 / आशा आर0एम0पी0 अन्य				
15	दूरदर्शन / रेडियो				
16	सड़क				
17	पशु चिकित्सा केन्द्र				
18	दुग्ध–सहकारी संघ				
19	स्वयंसेवी संस्थाएं / संगठन				
20	अन्य				

8–गॉव के संगठन :

संख्या	संगठन के प्रकार	सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1	महिला मंगल दल		
2	युवक मंगल दल		

9–संकट/संवेदनशीलता का आंकलन : आपदा का इतिहास (पिछले 20 वर्ष का)

संख्या	आपदा	वर्ष	क्षति का विवरण				
			जनहानि	पशुहानि	फसल	भवन	सार्वजनिक सम्पत्ति
1	शीतलहर						
2	ओलावृष्टि						
3	बादल फटना						
4	आकाशीय विद्युत						
5	बाढ़						
6	भूकम्प						
7	भूस्खलन						
8	आगजनी						
9	बर्फवारी						
10	सूखा						
11	अन्य						

10–आपदा का मौसमी बारम्बारता :

संख्या	आपदा	माह			
		जनवरी–मार्च	अप्रैल–जून	जुलाई–सितम्बर	अक्टूबर–दिसम्बर
1	शीतलहर				
2	ओलावृष्टि				
3	बादल फटना				
4	आकाशीय विद्युत				

5	बाढ़				
6	भूकम्प				
7	भूस्खलन				
8	आगजनी				
9	बर्फवारी				
10	सूखा				
11	अन्य				

11—खतरे के स्थान से दूरी :

संख्या	खतरा	गॉव से दूरी	टिप्पणी
1. 2. 3. 4. 5.	नदी तटबन्ध बॉध / पुल भूस्खलन का स्थान अन्य		

12—जोखिम समूह आंकलन :

क्र.सं.	जोखिम समूह	संख्या	टिप्पणी
1.	गर्भवती महिला / दूध पिलाती माताएँ		
2	पॉच वर्ष से कम आयु के बच्चे		
3.	वृद्ध / लाचार		
4.	अकेली / विधवा महिलाएँ		
5.	अपंग / विकलांग		
6.	बीमार / रोगी		
7.	छप्पर / मिट्टी के घर		
8.	बॉध के पास के घर		
9.	अन्य		

13—विद्युत आपूर्तिः

14—जलापूर्ति :

15—संचार व्यवस्था :

16—स्वास्थ्य केन्द्र :

17–यातायात के साधनः

18–आपदा पूर्व तैयारीः

(क) सुरक्षित स्थान(ख) सूचना तंत्र.(ग) आश्रय स्थल की सूचनाः–

19–ग्रामस्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों की सूचीः

क्रं सं.	नाम	उम्र	पिता/पति का नाम	राजस्व ग्राम/तोक	शैक्षिक योग्यता	पद/व्यवसाय	दूरभाष	हस्ताक्षर

20–ग्राम की आम सभा से सहमति प्रस्तावः

राजस्व उपनिरीक्षक का नाम	ग्राम विकास अधिकारी का नाम	ग्राम प्रधान का नाम
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

बाढ़ चौकियों का विवरण

वर्षाकाल के दृष्टिगत तहसीलवार गठित

आपदा कन्ट्रोल रूम/बाढ़ चौकियाँ

तहसील– नैनीताल

क्र0सं0	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ चौकी के प्रभारी का नाम	दूरभाष नम्बर
1	पटवारी चौकी चाँफी	श्री पूजा सिंह, राजस्व उपनिरीक्षक चॉफी	7302203565
2	रा0प्रा0वि0 तल्ला गेठिया	श्री राकेश सिंह कठायत पट्टी भवाली	9756514744
3	पंचायत घर अमिया	श्रीमती चन्द्रा नाथ पट्टी पूर्वी छःखाता	9639421165
4	रा0उ0मा0वि0 कूणखेत	श्री यशपाल सिंह बिट पट्टी अमगढ़ी	7579297903
5	पटवारी चौकी रामगढ	श्री प्रकाश देवतल्ला पट्टी रामगढ	7983055860
6	पटवारी चौकी पिनरों	श्री शिव सिंह चौहान पट्टी पिनरों	9012813171

तहसील हल्द्वानी

क्र०सं०	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष/ बाढ़ चौकी का नाम	प्रभारी का नाम/ मो0नं0	बाढ़ चौकी में नियुक्त सहायकों का नाम/ मों0नं0	बाढ़ चौकी से सम्बन्धित प्रभावित ग्राम	विवरण
1	फतेहपुर, प्रा0पा0 फतेहपुर	श्री सुरेन्द्र सिंह रा0उप0नि0 6396420699	1. कु0 अनीता पाण्डे रा0उप0नि0 9634609987 2. श्री दीपक सिंह ग्रा0वि0अधि 8006076851 3. श्री संजय जोशी ग्रा0पं0वि0अधि0 8864821479	1.गुजरौड़ा 2.फतेहपुर 3.जयपुर पाडली 4.रतनपुर ईसाई 5.ईसाईनगर नं0 1 6.लामाचौड़ खास	भाखड़ा नदी से प्रभावित ग्राम
2	किसान सेवा सहकारी समिति कुवंरपुर	श्री संजय तिवारी रा0 उप0 नि0 6397514856	1.कु0 दीक्षा मेहता रा0उप0नि0 7535086844 2–श्री पीताम्बर आर्या ग्रा0पं0वि0अधि0 – 9997900007 3–कु0 मीनाक्षी रा0उप0नि0 9761710499	1.नवाड़खेड़ा 2.देवलातल्लासिमलार 3.गजेपुर 4.लछमपुर 5.किशनपुर रैक्वाल 6.जीतपुर रैक्वाल 7.गंगापुर गौलापार 8.रैखाल खत्ता	सूखी नदी से प्रभावित ग्राम
3	चोरगलिया, सिंचाई डांक बंगला चोरगलिया	श्रीमती मीना कोहली रा0उप0नि0 8171134958	1–श्री चन्द्रशेखर रा0उप0नि0 7456820188 2– श्री पवन रावत ग्रा0पं0वि0अधि0 9410587569 3– श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0वि0अधि0 9690692371	1.दुबैलबेरा 2.मल्ला चोरगलिया 3.चोरगलिया तल्ला आमखेड़ा 4.चोरगलिया कुटलिया 5.मुखानी खड़कू 6.मुखानी जोगा	नंधौर नदी से प्रभावित ग्राम
4	तहसील कार्यालय हल्द्वानी मुख्यालय	श्री दयाल चन्द्र मिश्रा नायब तहसीलदार	1–श्री दुर्योधन सिंह पंचपाल	1.दमुवाढूँगा खाम 2.दमुवाढूँगा बन्दोबस्ती	कलसिया नाला, रकसिया

	05946– 250138	8266948965	8057889927 2–श्री अरून वर्मा रा0उप0नि0 9410360582 3–रणवीर सिंह रा0उप0नि0 6395823911 4–अरूण कुमार देवरानी रा0उप0नि0 8218656313 05–कु0 गीता जोशी रा0उप0नि0	3.बमौरी मल्ली 4.बमौरी तल्ली बन्दोबस्ती 5.जवाहरज्योति, दमुवाढूंगा 6.बिठौरिया नं0 1 7.हरिपुर गांगू 8.हरिपुर शील 9.बिठौरिया नं0 2 10.बजूनिया हल्दू 11.चीनपुर 12.हरिनगर 13.कुसुमखेड़ा 14.छड़ायल नायक 15.छड़ायल सुयाल 16.हिम्मतपुर मल्ला 17.हिम्मतपुर तल्ला 18.हरिपुर नायक 19.गोविन्दपुर गरवाल 20.मुखानी 21.प्रेमपुर लोस्यानी 22.जौलासाल उर्फ करायल 23.हिम्मतपुर बैजनाथ 24.आनन्दपुर	नाला एवं जवाहर ज्योति नाले से प्रभावित ग्राम एवं बरसाती नहर से प्रभावित क्षेत्र

तहसील लालकुंआ

क्र0सं0	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ चौकी के प्रभारी का नाम	दूरभाष नम्बर
1	बाढ़ चौकी जयपुर	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	मो0न0– 9536096443
2	बाढ़ चौकी हाथीखाल–	श्री विरेन्द्र चन्द्र ,	मो0न0– 8954502022
3	बाढ़ चौकी मोटाहल्दू–	प्रभारी श्री विरेन्द्र चन्द्र	मो0न0– 895450202
4	बाढ़ चौकी लालकुऑ,	कु0 पूजा रानी	मो0न0– 9997233552

तहसील – खनस्यू

राजस्व निरीक्षक **चौगढ के मुख्यालय** में बाढ़ नियन्त्रण चौकी स्थापित की गयी है।

तहसील कालाढूंगी

क्र0सं0	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ चौकी में सम्मिलित ग्राम	बाढ़ चौकी में नियुक्त रा0उ0नि0	सड़क पर पड़ने वाले नाले जहाँ रोड़ अवरूद्ध होने की सम्भावना हैं
1	सिंचाई डाक बंगला बेलपड़ाव	बैलपड़ाव, पत्तापानी, गैबुआ खास, मदनपुर, गैबुआ फीचा, खेमपुर, नन्दपुर, कुंवरपुर, बन्दरजूडा, हिम्मतपुर बैलपड़ाव, शिवलालपुर जोशी, विजयपुर धमोला, चन्द्रपुर, हिम्मतपुर गैबुआ	1. श्री तारा चन्द्र घिल्डियाल रा0उ0नि0 2. श्री आशुतोष चन्द्र रा0उ0नि0	कालीगाढ़ तथा नौलीगाढ़ नाला तथा करकट नाला से लगे गाँवों हेतु बाढ़ चौकी निर्मित है इस नदी से मार्ग अवरूद्ध नही होता हैं।
2	आदर्श विद्यालय रा0इ0का0 कोटबाग	आंवलाकोट, सोनजाला नरसिंह गौतिया, जललियागाजा, गिन्तीगांव, रूडकी, गंगारामपुर, पतलिया, नाथूनगर, नौदा, खिमुवापीपल पाण्डेगांव, दैचोरी देगांव, सेलसिया, सोनजाला, नयाबाद, नाथूजाला	1. श्री पंकज बन्दूडी 2. श्री अभय कुमार	दाबका नदी से लगे गाँवों हेतु बाढ़ चौकी निर्मित है इस नदी से मार्ग अवरूद्ध नहीं होता हैं।
3	बाढ़ चौकी पंचायत घर विदरामपुर	रामपुर, विदरामपुर, देवीपुर, पूरनपुर, गुलजारपुर रामसिंह, रूपपुर, सूरपुर, खड़कपुर, चिन्तपुर, विजयपुर	1. श्री कमलेश पन्त रा0उ0नि0 2. श्रीमती पुष्पा भण्डारी रा0उ0नि0	निहाल नाला, से लगे गाँवों हेतु बाढ़ चौकी निर्मित है इस नदी से मार्ग अवरूद्ध नही होता हैं।
4	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष तहसील कालाढूंगी (05942–242222)	तहसील कालाढूंगी	श्री फैजान खान राजस्व निरीक्षक कालाढूंगी	बाढ़ से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर जिलाधिकारी महोदय को सूचना प्रेषण करने के लिए सम्बन्ध में

तहसील– बेतालघाट

क्र0सं0	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ चौकी के प्रभारी का नाम	दूरभाष नम्बर
1	रा0प्रा0वि0 मल्लाबर्धो	श्री सुरेश सनवाल पट्टी मल्लाकोश्या	9410965171
2	ए0एन0एम सेन्टर तिवाड़ीगॉव	श्रीमती प्रेमा बिष्ट पट्टी मल्लीपाली	8601857042
3	रा0प्रा0वि0 दाड़िमा	श्री सागर बधानी पट्टी ऊँचाकोट	8755360432
4	ए0एन0एम0 सेन्टर मल्लीसेठी	प्रीति पट्टी मल्लीसेठी	6396310766

तहसील रामनगर

क्र0सं0	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ चौकी में सम्मिलित ग्राम	बाढ़ चौकी में नियुक्त रा0उ0नि0	सड़क पर पडने वाले नाले जहाँ रोड अवरूद्ध होने की सम्भावना हैं
1	रा0प्रा0वि0 छोई	मदनपुर बोरा, किशनपुर छोई, सन्तोशपुर, बेलगढ़, कंचनपुर, गंगापुर, छोई, गजपुर बडुवा, खुशालपुर, लामपुर लच्छी, गोरखपुर मोती, गजपुर उर्फ पदमपुर।	श्री मनोज रावत	दाबका नदी से लगे गावों हेतु बाढ़ चौकी निर्मित है इस नदी से मार्ग अवरूद्ध नही होता है।
2	रा0प्रा0वि0 मोहान	चुकम, मोहान, अमरपुर।	श्री राहुल आर्या	1 मजार नाला 2. ढुंगारोली नाला 3. करौजिया नाल 4. तल्ला पनोद 5. मल्ला पनोद, 6. धनगडी नाला
3	रा0इ0का0 ढैला	ढैला।	श्री दीपक नेगी	ढैला नदी, रप्पटा, कशेरूवा नाला
4	रा0इ0का0 देवीपुरा	आनन्दनगर, गोपालनगर, गॉधीनगर, देवीपुरा।	श्री गोविन्द सिंह अधिकारी	ढैला नदी
5	रा0उ0मा0वि0 सेमलखलिया	सावल्दे, सेमलखलिया, देवीपुर बांसटीला, कानियाँ, लछमपुर ठेरी।	सुश्री मुन्नी कुमल्टा	1. देवी स्त्रोत 2. सावल्दे स्त्रोत
6	रा0प्रा0वि0 गौजानी	चोरपानी, गौजानी।	सुश्री निर्मला गैडा	1. चोरपानी नाला 2. गौजानी नाला
7	रा0प्रा0वि0 क्यारी बन्दोबस्ती	क्यारी खाम, क्यारी बन्दोबस्ती।	श्री गिरिश चन्द्र दुर्गापाल	खिचड़ी एवं भद्रगड़ी नाला

तहसील श्री कैंचीधाम

क्र0सं0	बाढ़ चौकी का नाम	प्रभारी का नाम	मोबाइल नम्बर	बाढ़ चौकी अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र
1	राजस्व उपनिरीक्षक चौकी, बारगल (रामगाड़)	मौ0 शकील रा0उ0नि0 पाडली श्री रविचन्द्र पाण्डे रा0उ0नि0 बारगल	9639616060 9458119498	पट्टी पाडली का समस्त क्षेत्र पट्टी बारगल का समस्त क्षेत्र
2	तहसील मुख्यालय श्री कैचीधाम	श्री महफूज हसन, राजस्व लेखाकर श्री लाल सिंह बोरा संग्रह अमीन	9639333362 9456397785	तहसील श्री कैंची धाम क्षेत्र समस्त ग्राम

3	राजस्व निरीक्षक चौकी छड़ा	श्री विजय सिंह रा0उ0नि0 मझेड़ा	8006068564	पट्टी मझेड़ा का समस्त क्षेत्र
4	राजस्व उपनिरीक्षक चौकी, धनियाकोट (डोलकोट)	श्री कमल चन्द्र जोशी रा0उ0नि0 सिमलखॉ	9536174308	पट्टी धनियाकोट एवं पट्टी सिमलखॉ का समस्त क्षेत्र
5	राजस्व उपनिरीक्षक चौकी सुयालबाड़ी	श्री पूरन चन्द्र सनवाल रा0उ0नि0 तल्ली कुटौली श्री नितीन कुमार निगम रा0उ0नि0 सुयालबाड़ी सुश्री रूपा भारती रा0उ0नि0 वेड़ूली	9412164988 9808117983 6397406402	पट्टी तल्ली कुटौली का समस्त क्षेत्र समस्त सुयालबाड़ी का क्षेत्र पट्टी बेड़ुली का क्षेत्र
6	राजस्व उपनिरीक्षक चौकी, मौना	श्रीमती पूजा आर्या रा0उ0नि0 प्यूड़ा	7248473454	पट्टी मौना व प्यूड़ा का समस्त क्षेत्र

तहसील धारी

क्र0 सं0	**बाढ़ चौकी/बाढ़ चौकी के क्षेत्र**	**बाढ़ चौकी प्रभारी का नाम व पदनाम**	**मोबाईल नम्बर**
1	ढोलीगॉव – मल्लीरौ तल्लाकाण्डा, ढोलीगॉव, एवं पतलिया, कोटला, कटना, वारी, सूनी गॉव	श्री प्रमोद कुमार ढोलीगांव रा0उ0नि0	9897090954
2	पहाड़पानी – नाई, पतलिया कोटला, कटना वारी, सूनी, चौभेसी	श्रीमती मीनाक्षी भट्ट चौभेसी रा0उ0नि0	9675934070
3	धारी – सुन्दरखाल, पूर्वीआगर, सरना	श्री अमित शाह रा0उ0नि0 सरना	9410337554
4	च्यूरीगाड़ – बबियाड के समस्त ग्राम	श्री गंगा दत्त पलडिया रा0उ0नि0 च्यूरीगाड़	7088539072
5	तहसील धारी के ग्राम	श्री नरेश वर्मा रा0नि0 धारी	7300899188

राहत शिविर का विवरण

तहसीलवार– चिन्हित राहत शिविरों (133) का विवरण (विद्यालय, विश्रामगृह, मैदान, पार्क)

तहसील नैनीताल

1. जी0जी0आई0सी0 नैनीताल
2. पूर्णानन्द इंटर कॉलेज, चॉफी
3. लीलावती इंटर कॉलेज, भीमताल
4. जी0आई0सी0, तल्ला रामगढ
5. जी0 आई0सी0, हैडाखान
6. रा॰प्रा॰ वि॰ बेलुवाखान
7. रा॰प्रा॰ वि॰ भांकर
8. जू॰हा॰ भांकर
9. जू॰हा॰ बिजरौली
10. रा॰प्रा॰वि॰ पाण्डेगॉव
11. जू॰हा॰ मलुवाताल
12. रा॰उ॰ मा॰वि॰ जंगलियागाव
13. रा॰ इ॰का॰ ज्योलीकोट
14. जू॰हा॰ गेठिया

तहसील रामनगर

1. राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रामनगर
2. राजकीय इण्टर कालेज, रामनगर
3. किसान इण्टर कालेज पीरूमदारा
4. राजकीय इण्टर कालेज, थारी
5. प्रा0पा0 छोई खुला मैदान।
6. प्रा0पा0 मोहान मंदाल रेंज के फोरेस्ट कम्पाउण्ड
7. रा0इं0का0 ढैला का खुला मैदान
8. प्रा0पा0 गाधीनगर
9. रा0उ0मा0वि0 समेलखलिया
10. प्रा0पा0 गौजानी का खुला मैदान
11. प्रा0वि0 बन्दोबस्ती का खुला मैदान
12. रा॰प्रा॰वि॰ हरिनगर
13. रा॰उ॰मा॰वि॰ चुकुम
14. रा॰उ॰मा॰वि कुनखेत
15. जू॰हा॰ कुनखेत
16. जू॰हा॰ सुन्दरखाल
17. पी0एन0जी0पी0जी0कालेज, रामनगर
18. पी0डब्ल्यू0डी गैस्ट हाउस, रामनगर
19. रैन बसेरा, गैस गोदाम नगर पालिका परिषद्, रामनगर
20. कन्वेशन सेंटर, सावल्दे पश्चिम रामनगर
21. वन विश्राम भवन रामनगर
22. पी0डब्ल्यू0डी विश्राम भवन रामनगर
23. पी0डब्ल्यू0डी विश्राम भवन गर्जिया
24. गर्जिया फॉरेस्ट हाउस
25. निरीक्षण भवन तुमडियाडाम

तहसील हल्द्वानी

1. एम0बी0 इंटर कालेज हल्द्वानी
2. एच0एन0 इंटर कॉलेज हल्द्वानी

3. महात्मा गाधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी
4. पूरन सिह मोहन सिह इंटर कॉलेज कुवरपुर गौलापार
5. लाखन मंडी इंटर कॉलेज चोरगलिया
6. नगर निगम इण्टर कॉलेज काठगोदाम
7. राजकीय इन्टर कालेज लामाचौड़
8. महाकाली बैंकट हॉल खेड़ा
9. लक्ष्मी बैंकट हॉल नियर ब्लांक कार्यालय हल्द्वानी
10. तिरूपती बैंकट हॉल निकट पनचक्की चौराहा दमुवाढूंगा
11. रैन बसेरा राजपुरा
12. मंगलम बैंकट हॉल रामपुर रोड देवलचौड़ खाम

<u>तहसील धारी</u>

1. रा0. इंटर कॉलेज ढोलीगाव
2. खीमराम रा0 इंटर कॉलेज पहाडपानी
3. जू॰हा॰ पहाडपानी
4. रा0. इंटर कॉलेज गुनियालेख
5. रा0. इंटर कॉलेज पदमपुरी
6. रा0. इंटर कॉलेज भीडापानी
7. रा0. इंटर कॉलेज जोस्यूडा
8. रा0. इंटर कॉलेज बबियाड
9. आगर इंटर कॉलेज आगर, पोखराड।
10. जू॰ हा॰ मज्यूली
11. रा॰प्रा॰वि॰ कफरौली
12. जोलपोखरी
13. रा॰प्रा॰वि॰ पतलिया
14. जू॰हा॰ पतलिया
15. रा॰प्रा॰वि॰हरिनगर अक्सौडा
16. लोक निर्माण विभाग, बबियाड
17. लोक निर्माण विभाग, पदमपुरी
18. लोक निर्माण विभाग, कसियालेख
19. लोक निर्माण विभाग, पहाड़पानी
20. वन विश्रामगृह, पहाड़पानी

<u>तहसील कालाढूंगी</u>

1. राज0इं0कॉ0 कालाढूगी
2. राज0कन्याइं0कॉ0, कालाढूंगी
3. राज0इं0कॉ0, बैलपड़ाव
4. राज0कन्याइं0कॉ0, बैलपडाव
5. आदर्श विद्यालय राज0इं0कॉ0, कोटाबाग
6. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बैजूनिया हल्दू
7. सिंचाई डाक बंगला, बैलपड़ाव
8. आई0आर0बी0 कैम्प बैलपड़ाव
9. वन विश्राम गृह चूनाखान

<u>तहसील श्री कैंची धाम</u>

1. रा0इं0का0 ढोकाने
2. रा0इं0कालेज, जौरासी
3. रा0.इंटर कालेज, लोहाली
4. रा0.इंटर कालेज खैरना।

5. रा0.इंटर कालेज धनियाकोट
6. रा0.इंटर कालेज सिमलखॉ
7. रा॰प्रा॰वि॰ सिमलखॉ
8. रा0.इंटर कालेज रातीघाट
9. रा॰प्रा॰वि॰ रातीघाट
10. कन्या जू0 हा0 सुयालबाडी
11. कन्या जे0 हा0 मनर्सा
12. उ0मा0वि0 बिचखाली
13. रा॰इ॰का॰उंचाकोट
14. रा॰क॰जू॰हा॰उॅचाकोट
15. राजकीय इण्टर कालेज, गरजोली
16. राजकीय इण्टर कालेज, ताड़ीखेत।
17. लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन चौपड़ा
18. लोक निर्माण विभाग डाक बंगला, रातीघाट *(क्षतिग्रस्त)*
19. वन विश्राम गृह कैची (मल्ला निगलाट)
20. वन विश्राम गृह किलबरी (बुढलाकोट)

<u>तहसील बेतालघाट</u>

1. राजकीय इं॰कॉलेज बेतालघाट
2. राजकीय इं॰कॉलेज हल्सूकोरण
3. राजकीय इं॰कॉलेज उॅचाकोट
4. राजकीय इं॰कॉलेज जीतुवापीपल
5. राजकीय इं॰कॉलेज तल्लीसेठी
6. लो0नि0वि0 विश्राम गृह बेतालघाट

<u>तहसील लालकुआं</u>

1. रा0प्रा0वि0 खुरियाखत्ता
2. राजकीय इण्टर कालेज लालकुआं
3. आदर्श राजकीय इण्टर कॉलेज हल्दूचौड
4. आदर्श इण्टर कालेज संजयनगर बिन्दुखत्ता
5. हाट कालिका इण्टर कालेज तिवारीनगर बिन्दुखत्ता
6. जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जड़ सैक्टर कार रोड बिन्दुखत्ता
7. अम्बेडकर पार्क
8. एन०डी० तिवारी बारात घर लालकुओं।
9. गॉधी पार्क
10. प्राचीन हनुमान मन्दिर,
11. वन विभाग विश्राम गृह, लालकुआं
12. लो0नि0वि0 विश्राम गृह,
13. विश्राम भवन सोयाबीन फैक्ट्री हल्दूचौड़।
14. रेलवे कालौनी के रेलवे मनोरंजन स्थान के फिल्ड

<u>तहसील खनस्यूॅ</u>

1. रा0. इंटर कॉलेज पतलोट
2. रा0. इंटर कॉलेज खनस्यूॅ
3. रा0. इंटर कॉलेज ओखलकाण्डा

<u>दैवीय आपदा के समय संवेदनशील ग्रामों में निवास करने वालों ग्राम वासियों को ठहराने की व्यवस्था हेतु विद्यालयों की सूची</u>

तहसील का नाम	स्वेदनशील ग्रामों की सूची		उन विद्यालयो के नाम जहां आपदा की स्थिति में इन ग्रामों में को ठहराया जा सकता हैं
धारी	1	मज्यूली	जू॰ हा॰ मज्यूली
	2	कफरौली	रा.प्रा.वि॰ कफरौली
			जोलपोखरी
	3	पतलिया	रा.प्रा.वि॰ पतलिया
			जू.हा॰ पतलिया
			रा.इ॰ का॰ पहाडपानी
	4	हरिनगर	रा.प्रा.वि.हरिनगर अक्सौडा
			जू.हा॰ पहाडपनी
रामनगर	1	चुकम	रा.प्रा.वि॰ हरिनगर
			रा.उ.मा.वि॰ चुकुम
			रा.उ.मा.वि कुनखेत
			जू.हा॰ कुनखेत
	2	सुन्दरखाल	जू.हा॰ सुन्दरखाल
श्री कैंची धाम	1	बुढलाकोट का तोक ठेकला	रा.इ.का॰ रातीघाट
	2	पट्टी पाडली ग्राम जसियाधूना	रा.इ.का॰ रातीघाट
			रा.प्रा.वि॰ रातीघाट
	3	पटटी ग्राम सोनगॉव का चक मलियागांव	रा.इ.का.उंचाकोट
			रा.क.जू.हा.उॅचाकोट
			रा.प्रा.वि॰ उॅचाकोट
			रा.प्रा.वि॰ सिमलखॉ
	4	पट्टी सिमलखॉ	रा.इ॰ का सिमलखॉ
नैनीताल	1	बेलुवाखान	रा.प्रा॰ वि॰ बेलुवाखान
	2	पाण्डेगांव भॉकर	रा.प्रा॰ वि॰ भांकर
			जू.हा॰ भांकर
			जू.हा॰ बिजरौली
			रा.प्रा.वि॰ पाण्डेगॉव
	3	मलुवाताल	जू.हा॰ मलुवाताल
			रा.उ॰ मा.वि॰ जंगलियागाव
	4	खूपी	रा॰ इ.का॰ ज्योलीकोट
			जू.हा॰ गेठिया

Helipads Data

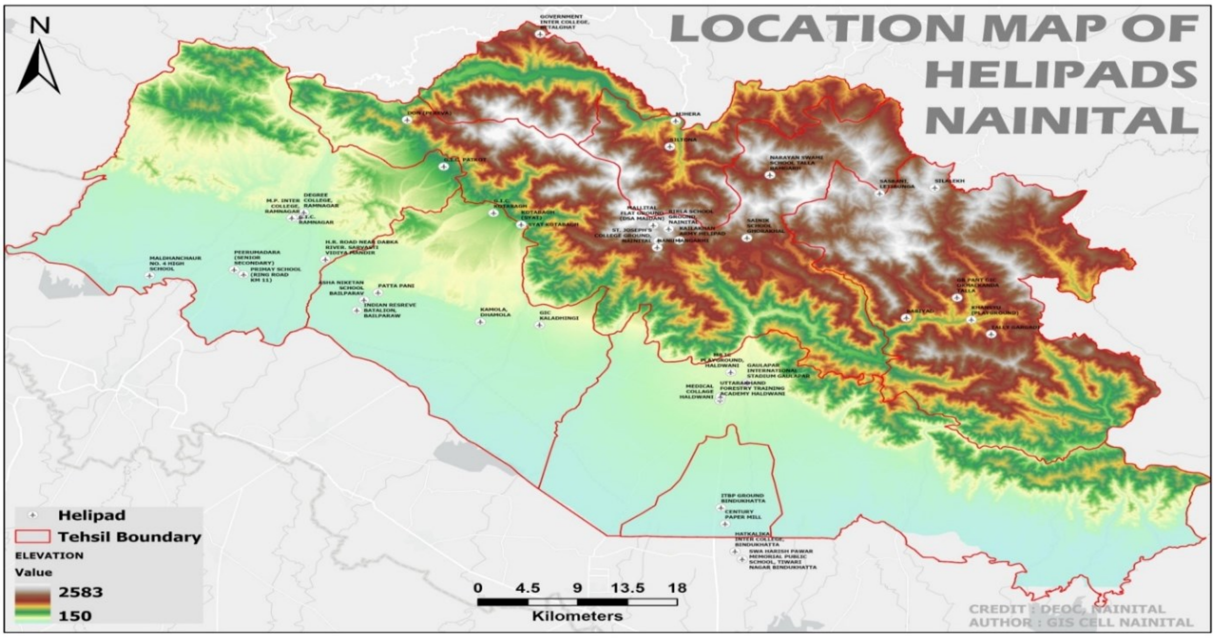

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	2	3	4	5
1	बिड़ला स्कूल मैदान, नैनीताल	29^{0} 23’ 13.334” N	79^{0} 28’ 7.692” E	अस्थाई
2	सेन्ट जोसेफ कॉलेज मैदान , नैनीताल	29^{0} 22’ 27.652” N	79^{0} 27’ 35.255” E	अस्थाई
3	मल्लीताल फ्लैट मैदान (डी0एस0ए0 मैदान)	29^{0} 23’ 28.2” N	79^{0} 27’ 15.90” E	अस्थाई
4	कैलाखान आर्मी हैलीपैड	29^{0} 22’ 29.689” N	79^{0} 28’ 44.188” E	**स्थाई**
5	हनुमान गढ़ी	29^{0} 22’ 1.6” N	79^{0} 27’ 30.2” E	अस्थाई

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	मझेड़ा	29^{0} 30' 02.8" N	79^{0} 28' 22.4" E	अस्थाई
2	सिल्टोना	29^{0} 27' 47.2" N	79^{0} 27' 20.8" E	अस्थाई
3	रीठा	29^{0} 28' 17.8" N	79^{0} 37' 11.8" E	अस्थाई
4	राजकीय इण्टर कालेज बेतालघाट	29^{0} 33' 12.4" N	79^{0} 20' 22.8" E	अस्थाई
5	ससबनी, लेटीबूंगा	29^{0} 26' 13.6" N	79^{0} 39' 41.9" E	अस्थाई
6	नारायण स्वामी स्कूल तल्ला रामगढ़	29^{0} 26' 50.05" N	79^{0} 33' 44.68" E	अस्थाई

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	भीमताल (विकास भवन भीमताल का मैदान)	29^{0} 24' 45" N	79^{0} 33' 07"E	अस्थाई
		हैलीपैड हेतु, उचित स्थान उपलब्ध नही है।		
2	खनस्यूँ (खेल का मैदान)	29^{0} 17' 28.39"N	79^{0} 45' 7.69"E	अस्थाई
3	ओखलकाण्डा (विकास खण्ड कार्यालय)	29^{0} 19' 1.2"N	79^{0} 40' 59.8"E	अस्थाई
4	पहाडपानी	29^{0} 25' 35.5"N	79^{0} 42' 37.5"E	अस्थाई
5	टयुवा/दुदली	29^{0} 18' 4.03"N	79^{0} 40' 8.5"E	अस्थाई
6	सिलालेख	29^{0} 26' 6.9" N	79^{0} 43' 05"E	अस्थाई
7	बबियाड़	29^{0} 17' 34.7"N	79^{0} 41' 36"E	अस्थाई
8	तल्ली गरगड़ी	29^{0} 16' 22.5" N	79^{0} 46' 17.8"E	अस्थाई
9	नौकुचियातातल	29^{0} 19' 25.6"N	79^{0} 34' 58.6"E	**स्थाई**

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	गौलापार अन्तराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार	29^{0} 13' 15"N	79^{0} 32' 38"E	**स्थाई**
2	वानिकी प्रषिक्षण अकादमी हल्द्वानी	29^{0} 12' 21.5"N	79^{0} 31' 17.4"E	अस्थाई
3	मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	29^{0} 12' 21.50" N	79^{0} 31' 17.40"E	अस्थाई
4	एम0बी0 इण्टर कालेज, प्लेग्राउण्ड, हल्द्वानी	29^{0} 13' 52.94"N	79^{0} 31' 43.93"E	अस्थाई
5	राजकीय इण्टर कालेज, कालाढूँगी	29^{0} 16' 51.90"N	79^{0} 21' 1.00"E	अस्थाई
6	हाटकालिका इण्टर कालेज, बिन्दुखत्ता	29^{0} 2' 9.30"N	79^{0} 32' 6.20"E	अस्थाई
7	सेंच्यूरी पेपर मिल	29^{0} 03' 45"N	79^{0} 31' 36"E	अस्थाई
8	श्रीलंका टापू खुरजियाखेत बिन्दुखत्ता	29^{0} 00' 40.22"N	79^{0} 34' 22.02"E	अस्थाई
9	स्व0 हरीष पवार मैमोरियल पब्लिक स्कूल तिवारी नगर बिन्दुखत्ता	29^{0} 01' 39.12"N	79^{0} 33' 30"E	अस्थाई
10	हाट कालिका इण्टर कालेज बिन्दुखत्ता	29^{0} 02' 9.30"N	79^{0} 32' 6.20"E	अस्थाई
11	आई0टी0बी0पी0 ग्राउण्ड बिन्दुखत्ता	29^{0} 08' 9.43"N	79^{0} 52' 19"E	अस्थाई

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	2	3	4	5
1	एम0पी0 इन्टर कॉलेज	29^0 23' 40" N	79^0 07' 35" E	अस्थाई
2	मालधनचौड–4 हाईस्कूल	29^0 20' 00" N	79^0 59' 28" E	अस्थाई
3	पीरूमदारा (किसान इन्टर कालेज)	29^0 20' 10" N	79^0 03' 53" E	अस्थाई
4	जी0आई0सी0, रामनगर	29^0 23' 41" N	79^0 07' 10" E	अस्थाई
5	डॉन (परेवा)	29^0 30' 33" N	79^0 13' 24" E	अस्थाई
6	छोई (सरस्वती विद्या मन्दिर)	29^0 21' 02" N	79^0 09' 00" E	अस्थाई
7	डिग्री कॉलेज, रामनगर	29^0 24' 04" N	79^0 07' 48" E	अस्थाई
8	अमगढ़ी (बोहराकोट रोड)	29^0 28' 27" N	79^0 14"29" E	अस्थाई
9	कोटाबाग (स्यात)	29^0 23' 25" N	79^0 19' 55" E	अस्थाई
10	कमोला धमोला	29^0 17' 00" N	79^0 17' 40" E	अस्थाई
11	पत्तापानी	29^0 18' 11" N	79^0 18' 13" E	अस्थाई
12	पाटकोट जी0आई0सी0	29^0 27' 02" N	79^0 15' 32" E	अस्थाई
13	जी0आई0सी0, कालाढूंगी	29^0 16' 50" N	79^0 21' 06" E	अस्थाई
14	जी0आई0सी0, कोटाबाग	29^0 24' 00" N	79^0 18' 13" E	अस्थाई
15	आशा निकेतन स्कूल बैलपडाव (बैलपड़ाव– बन्नाखेड़ा मार्ग किमी0 01)	29^0 18' 20" N	$79^0$11' 18" E	अस्थाई
16	इंडियन रिजर्व बटालियन, बैलपड़ाव	29^0 17' 39" N	79^0 10'46" E	अस्थाई

सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, ज्योलीकोट

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई / अस्थाई
1	2	3	4	5
1	सैनिक स्कूल घोडाखाल	29^0 22' 42.1" N	79^0 32' 30.9" E	**स्थाई**

संवेदनशील स्थान- हैलीकॉप्टर लैण्डिंग स्थानों के को–आडिनेट्स

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई / अस्थाई
1	2	3	4	5
1	मल्लीताल फ्लैट मैदान (डी0एस0ए0 मैदान) नैनीताल	29^0 23’ 28.2” N	79^0 27’ 15.90” E	अस्थाई

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई / अस्थाई
1	2	3	4	5
1	मझेड़ा	29^0 30' 02.8" N	79^0 28' 22.4" E	अस्थाई
2	राजकीय इण्टर कालेज बेतालघाट	29^0 33' 12.4" N	79^0 20' 22.8" E	अस्थाई
3	ससबनी, लेटीबूंगा	29^0 26' 13.6" N	79^0 39' 41.9" E	अस्थाई
4	नारायण स्वामी स्कूल तल्ला रामगढ़	29^0 26' 50.05" N	79^0 33' 44.68" E	अस्थाई

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	2	3	4	5
1	खनस्यूॅ (खेल का मैदान)	29^0 17’ 28.39” N	79^0 45’ 7.69” E	अस्थाई
2	ओखलकाण्डा (विकास खण्ड कार्यालय)	29^0 19’ 1.2” N	79^0 40’ 59.8” E	अस्थाई
3	पहाडपानी	29^0 25’ 35.5” N	79^0 42’ 37.5” E	अस्थाई
4	टपुवा/दुदली	29^0 18’ 4.03” N	79^0 40’ 8.5” E	अस्थाई
5	सिलालेख	29^0 26’ 6.9” N	79^0 43’ 05” E	अस्थाई
6	बबियाड़	29^0 17’ 34.7” N	79^0 41’ 36” E	अस्थाई
7	तल्ली गरगड़ी	29^0 16’ 22.5” N	79^0 46’ 17.8” E	अस्थाई

नर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	2	3	4	5
1	मालधनचौड–4 हाईस्कूल	29^0 20' 00" N	79^0 59' 28" E	अस्थाई
2	डॉन (परेवा)	29^0 30' 33" N	79^0 13' 24" E	अस्थाई
3	कोटाबाग (स्यात)	29^0 23' 25" N	79^0 19' 55" E	अस्थाई

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी

क्र0सं0	स्थल का नाम	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	स्थाई/अस्थाई
1	श्रीलंका टापू खुरजियाखेत बिन्दुखत्ता	29^0 00’ 40.22” N	79^0 34’ 22.02” E	अस्थाई

ESOURCE INVENTORY

जनपद नैनीताल के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित उपकरण का विवरण

क्र0 सं0	श्रेणी–1		श्रेणी–2		श्रेणी–3		विभाग का नाम
	क्रियाशील उपकरण (नाम/प्रकार/मॉडल)	संख्या	मरम्मत योग्य उपकरण (नाम/प्रकार/मॉडल)	संख्या	पूर्णतः अनुपयोगी उपकरण (नाम/प्रकार/मॉडल)	संख्या	
1	1. Movable Trolly (विद्युत परिवर्तक सहित) 2. उपखण्डवार विभागीय वाहन (विद्युत लाईन के पेट्रोलिंग हेतु) क्षतिग्रस्त विद्युत परिवर्तकों को बदलने हेतु भण्डार केन्द्र में विभिन्न क्षमता के परिवर्तन।	04 नग 03 नग	समय–समय पर निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों एवं लाईनों की मरम्मत/बदलने का कार्य किया जाता हैं।		शून्य		**विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल**
2	1- Transformer, Movable Trolly- 2. विभिन्न क्षमता के परिवर्तक, केबिल कन्डक्टर, पोल मय सम्बन्धित सामग्री के स्टोर सेन्टर, हल्द्वानी में उपलब्ध है। **नोटः–** आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य के लिए स्टोर सेन्टर हल्द्वानी क्रम सं0–2 में दी गयी सामग्री उपलब्ध है।	02 नग	———		———		**विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी**
3	1. वुडन कटर 2. टार्च 3. फ्लड लाईट 4. टर्फर 5. ब्रास अर्थ चेन 6. सीढ़ी 7. इंसूलेशन टैस्टर 8. हैलमेट 9. रबर ग्लब्स	05 02 02 05 20 02	1. वुडन कटर	01	————		**विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल**
6	1. ट्रक माउन्टेड वाटर टैंकर 2. ट्रैक्टर चलित वाटर टेंकर 3. हैवी सीवर जैटिंग मशीन	08 02 01	शून्य		शून्य		**उत्राखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी**
7	1. ट्रक माउन्टेड वाटर टेंकर (3.5 KL) 2. ट्रक माउन्टेड वाटर टेंकर सीवर जैटिंग मशीन (3.0 KL) 3. ट्रक माउन्टेड वाटर टेंकर सीवर जैटिंग मशीन (1.0	01 01	शून्य		शून्य		**उत्राखण्ड जल संस्थान, नैनीताल**
8	1. 650 केवीए डीजल जनरेटर सैट 2. स्टैण्डवाई वी0टी0 पम्प सैट	01 06 नग					**उत्राखण्ड जल संस्थान, रामनगर**

	1. वाटर टेंकर 2. पम्प/मोटर सैट 3. डाई सैट, रिंग	0110 नग 15 नग					**उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (ग्रामीण)**
9	1. जे0सी0बी0 मशीन महिन्द्रा 2019 (UK04CA 1836) 2. डम्पर स्वराज माजदा 2024 (UK04CC 2103) 3. एनीमल कैचर स्वराज माजदा 2024 (UK04CC 2102)		शून्य		शून्य		**नगर पालिका परिषद् भीमताल**
10	1- Backhoe loader JCBackhoe No. UK04GA0073 Model-2010 2- Skid loader (Robot) Terex No. UK07GA4620 Model-2023 3- Bolero Camper No. UK07GA3275 Model-2021 4. Hydraulic Excavator (Tata Hitachi) No. Ex110-6814 Model-2015		1- Skid loader (Robot) No. 0683985 Model-2005 (उक्त मशीन में फ्रंट विण्डों ग्लास एवं 02 टायरों की आवश्यकता हैं।)		**1. Air Compressor No. 180/166 Model: 1982** **2. Air Compressor No. 600868 Model: 2006** **3. Tata Truck No. UA 078486 Model: 2005** **4Ū Tipper No. UA C9769 Model: 1988**		**प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल**
11	1. वुड कटर MS 660	01	वुड कटर DCS 7301	01	आयरन कटर	01	**फायर स्टेशन, हल्द्वानी।**
	2. वुड कटर MS 661	01	आयरन कटर TS 420	01	पोल पर्नर लॉग रिच	01	
	3. आयरन कटर TS 420	01			वुडन कटर	02	
	4. इन्फिलेटेड टावर लईट Pelican 9460 RALS	01			इलैक्ट्रिक वुडन कटर	01	
	5. इन्फिलेटेड टावर लईट Pelican 2349 OESCSNS	01			ड्रैगन लाईट	11	
	6. थर्मर इमेंजिग कैमरा TIC 3.3	01					
	7. टावर लाईट ASKA	01					
	8. हाईड्रोलिक कटर	01					
	9. हाईड्रोलिक कटर	01					
	10. लाइफ ब्वॉय	12					
	11. लाइफ जैकेट	10					
	12. थ्रो बैग	08					
	13. रेस्क्यू कांटा	03					

	14. थर्मर इमेजिंग कैमरा	01					
	15. मल्टीपरपज रोप	01					
	16. स्ट्रेचर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग	13					
	17. रेस्क्यू हार्नेस	02					
	18. रेस्क्यू हेलमेट	15					
	19. डोर ब्रेकर	05					
	20. बोल्ट कटर	08					
	21. स्पाइन बोर्ड स्ट्रेचर	09					
	22. ड्रेगन लाईट	09					
	23. रेस्क्यू ग्लब्स	05					
	24. हार्नेस	04					
	25. डिसेंडर	04					
	26. पुल्ली (विभिन्न)	04					
	27. मिटन	04					
	28. जुमार	02					
	29. कैराबाइनर	09					
	30. सीलिंग	02					
	31. नायलॉन रस्सी	09					
12	1. वुड कटर MS 660, MS 661	02	पोल परपज लॉग रिच	01			**फायर स्टेशन, रामनगर।**
	2. वुड कटर DCS 7301	01	बैट्री चलित वुड कटर	01			
	3. आयरन कटर TS 420	02					
	4. पेलिकन लाईट	01					
	5. ट्राईपोर्ट लाईट	01					
	6. इन्फिलेटेड टावर लईट ASKA	02					
	7. माउण्टरिग रोप 100 मीटर	02					
	8. सिगल पुली	04					
	9. टेप सिलिंग	06					
	10. साधारण हैलमेट	10					

	11. रेनसूट/रेनकोट	09					
	12. रैकसेक बैग	02					
	13. हैलमेट बिद टार्च	04					
	14. टेण्डम पुली	03					
	15. मिटन	04					
	16. सीट हार्नेस	06					
	17. डिसेण्डर	05					
	18. जूमार	06					
	19. मल्टी परपज रोप 100 मीटर	01					
	20. रिमोन्ड एरिया लाईट	01					
	21. प्लास्टिक स्ट्रेचर/स्पाईन बोर्ड/फोल्डिंग स्ट्रेचर	04					
13	1. टेलीस्कोपित पोल पर्नर (पेडों की टहनियों की कटिंग हेतु) बैट्री से संचालित	01					**फायर स्टेशन, नैनीताल।**
	2. वुड कटर (बैट्री/पेट्रोल)	03					
	3. डायमण्ड चैन सॉ कटर मेक आई सी	01					
	4. सर्कुलर शॉ/आयरन कटर आयरन/स्टोन टाईप मल्टी पर्पज कटर	03					
	5. कोर्डलैस चेनसॉ (बैट्री से संचालित पेड़ों की टहरियों की कटिंग हेतु)	01					
	6. हाइड्रोलिक रेस्क्यू कटर/स्प्रैडर लुकास–250 एम (हैण्ड प्रेशर टाईप)	01					
	7. हाइड्रोलिक रेस्क्यू स्प्रेडर विद पम्प	01					
	8. हाइड्रोलिक रेस्क्यू कटर विद पम्प	01					
	9. हाइड्रोलिक पावर पम्प	01					
	10. ड्रेगन लाईट	15					
	11. इन्पलैटेड लाईटिंग (टावर टाईप)	01					
	12. रिमोटर एरिया लाईट	01					

	13. स्ट्रेचर (फोल्डिंग टाईप) स्ट्रेचर (स्पाइन बोर्ड)	11					
	14. हैड इमोबिलाईजर	02					
	15. कॉम्बीटूल्स (हैण्ड प्रेशर स्प्रेडर)	01					
	16. रेस्क्यू कांटा	03					
	17. लाईफ सेविंग जैकेट	04					
	18. लाईफब्वॉय	07					
	19. हैल्मेट (साधारण)/ हैल्मेट (मय सर्चहैड टार्च)	14					
	20. मल्टी परपज रोप 100 मी0	04					
	21. कैराबिनर	06					
	22. जुमार	04					
	23. डिसेण्डर	04					
	24. सीट हार्नेस	04					
	25. फुल बॉडी हार्नेस	02					
	26. टेप सिलिंग 08 मी0	01					
	27. मिटन	04					
	28. पुली सिंगल	02					
	29. टैण्डम पुली	02					
	30. रैकसैक (बैग)	02					
	31. रेनसूट	13					
	32. सेफ्टी गूगल्स	02					
	33. रेस्क्यू ग्लब्ज	02					
	34. क्विक रिलीफ रेस्क्यू नाईफ	03					
	35. रेस्क्यू बोट/राफ्ट मय सहवर्ती उपकरण	01 सैट					
	36. रेस्क्यू बूट	04					
14	1. आयरन कटर	01					**पुलिस लाईन नैनीताल**
	2. वुडन कटर	02					
	3. सर्च लाईट	02					
	4. हार्डबोर्ड स्ट्रेचर	02					
	5. वुडन कटर चैन	03					

	6. स्पेयर ब्लैड आयरन	01					
	7. डेड बॉडी बैग	09					
	8. ड्रेगन लाईट	02					
15	1. वाटर लिटिंग पम्प सैट	01					आपदा केन्द्र/ जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल
	2. टेलिस्कोपिक पोल पर्नर	01					
	3. कार्डलैस चैन सॉ	01					
	4. पेट्रोल पावर्ड सकुलर शॉ फार कांसुरेट (ब्लेड)	01					
	5. हाईड्रालिक रेस्क्यू कटर एंड स्प्रीडर	01					
	6. डायमण्ड टिप्पर ब्लैड फार कटिंग आर0सी0सी0	01					
	7. एवरेसिव व्हील फार कटिंग मैटल	03					
	8. वुडिंग कटिंग चैन	03					
	9. स्ट्रेचर स्पाईन हार्ड बोर्ड	02					
	10. हैड इमोवाईजर	02					
	11. रेनकोट	08					
	12. लाईफ सेविंग जैकेट	02					
	13. लाईफ ब्वॉय	02					
	14. ड्रैगन लाईट	02					
	15. हेल्मेट साधारण	08					
	16. रेस्क्यू हैलमेट विथ लाईट	04					
	17. मल्टी परपज रोप	100 मी0					
	18. डबल हैड पावर लाईट (रिमोट)	01					
	19. रैकसैक बैग	02					
	20. मीटन	04 पेयर					
	21. रेनसूट	05					
	22. पुली छोटी	02					
	23. पुली बढ़ी टैन्डम	02					
	24. जुमार	02					

	25. डिसेन्डर फिगर ऑफ एट	04					
	26. टेप सीलिंग	01					
	27. हार्नेस सीट	04					
16	1. रेस्क्यू नाईफ	5					पुलिस विभाग नैनीताल कों पुलिस मुख्यालय देहरादून से प्राप्त आपदा उपकरण का विवरण
	2. ड्रैगन लाईट	13					
	3. स्ट्रैचर विल	9					
	4. विक्टर लोकेशन कैमरा	1					
	5. रोप लाउन्यर	1					
	6. स्पाईन बोर्ड स्ट्रेचर	5					
	7. लाईफ जैकेट	8					
	8. लाईफ ब्वॉय	10					
	9. मल्टीपरपज रोप	200 मी0					
	10. फुल बॉडी हार्नेस	2					
	11. रेस्क्यू हेलमेट	4					
	12. हैड लैम्प	2					
	13. थ्रो बैग	4					
	14. रेस्क्यू कांटा	2					
	15. वुंडन कटर (मकीट)	1					
	16. इलेक्ट्रोलिक आयरन कटर	1					
	17. इलेक्ट्रोलिक वुडन कटर	1					
	18. लोरिंग लाईन	1					
	19. इन्फलिटेड आस्का पावर लाईट	1					
	20. न्यू मैट्रिक एयर प्रेशर बैग सेट	1					
	21. थर्मल इमेजिंग कैमरा	1					
	22. जनरेटर	3					
	23. ट्राईपाड मय लाईट	2					
	24. रोप लेंडर	1					
	25. फावड़ा	3					
	26. बेलचा	1					

	27. गैती	4					
	28. लॉर एक्स	2					
	29. पीकिड आयरन	1					
	30. सेफ्टी टूल विथ हुक	1					

तहसीलो में उपलब्ध उपकरणों की संख्या

क्र.सं.	उपकरण का नाम	कुल	तहसील धारी	तहसील कैंची धाम	तहसील बेतालघाट	तहसील नैनीताल	तहसील हल्द्वानी	तहसील लालकुआ	तहसील रामनगर	तहसील कालाढूगीं
			संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
1	आस्का टावर लाईट	**3**	1	1	—	—	—	—	1	—
2	हाइड्रालिक मल्टी परपस कटर/ डायमेण्ड चेन शॉ	**2**	1	—	—	1	—	—	—	—
3	रॉक ड्रिल डेमोलेशन हेमर विथ जेनरेटर	**1**	—	1	—	—	—	—	—	—
4	कंक्रीट कटर/सर्कुलर शॉ	**1**	—	1	—	—	—	—	—	—
5	इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम विथ जेनरेटर	**1**	1	1	—	—	—	—	—	—
6	आयरन कटर/ सर्कुलर शॉ	**2**	1	—	—	1	—	—	—	—
7	वुड कटर	**8**	1	1	1	1	1	1	1	1
8	गैंती	**32**	3	7	7	3	3	3	3	3
9	बेल्चा	**32**	3	7	7	3	3	3	3	3
10	फावडा	**32**	3	7	7	3	3	3	3	3
11	सब्बल	**40**	3	11	11	3	3	3	3	3
12	कुल्हाडी	**32**	3	7	7	3	3	3	3	3
13	नयलोन तारपलीन	**40**	4	8	8	4	4	4	4	4
14	चार सेल टार्च	**48**	3	15	15	3	3	3	3	3
15	रेन कोट	64	8	8	8	8	8	8	8	8
16	रेन सूट	**80**	7	19	19	7	7	7	7	7
17	मिटन जोडा	**54**	9	16	10	11	—	—	4	4

18	रोप (नायलॉन 11 मी०)	**12**	4	2	—	1	2	2	1	—
19	माउण्टेनियरिंग रोप विद पुली 100 मी.	**24**	6	6	4	4	—	—	2	2
20	पुली	**10**	—	6	—	4	—	—		—
21	टैण्डम पुली	**8**	1	2	1	2	—	—	1	1
22	टेप स्लिंग	**52**	14	16	14	4	—	—	2	2
23	कैराबिनर्स	**82**	12	23	11	20	—	—	8	8
24	हैमर पिटन	**48**	11	11	11	3	3	3	3	3
25	सीट हार्नेस	**34**	8	10	8	4	—	—	2	2
26	बॉडी हार्नेस	**16**	2	4	2	4	—	—	2	2
27	जूमार	**46**	12	8	10	8	—	—	4	4
28	डिसेण्डर	**44**	10	16	10	4	—	—	2	2
29	लाइफ जैकेट	**48**	12	16	12	—	2	6	—	—
30	लाइफ ब्वाय	**3**	—	—	—	—	1	2	—	—
31	ड्रेगन लाइट 50 वाट	**3**	—	1	1	1	—	—	—	—
32	सर्च लाइट/15 वाट	**68**	9	9	7	9	9	7	9	9
33	हैल्मेट बिद टार्च	**46**	15	17	3	5	—	—	3	3
34	स्ट्रैचर	**32**	4	4	4	4	4	4	4	4
5	रकसैक इम्पोर्टेड कैम्प	**8**	1	2	1	2	—	—	1	1
36	त्रिपाल	**40**	5	5	5	5	5	5	5	5
37	वाकी टाकी	**32**	4	4	4	4	4	4	4	4
38	सैटेलाईट फोन	**11**	2	2	1	2	1	1	1	1
39	स्टेटिक वायरलेस सैट	**8**	1	1	1	1	1	1	1	1
40	हैण्ड हेल्ड वायरलेस सैट	**6**	1	1		1	1		1	1

DISASTER DAMAGE- LOSS (2000-2025)

S.NO	Dist.	Year	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	ECONOMICS LOSS / Relief Distributed(RS.)
1	**Nainital**	**2000**	0	0	0	-

2		**2001**	0	0	0	-
3		**2002**	0	0	0	**7,500.00**
4		**2003**	1	0	0	**1,10,000.00**
5		**2004**	0	0	0	-
6		**2005**	0	0	0	-
7		**2006**	0	0	0	-
8		**2007**	0	0	0	-
9		**2008**	0	0	0	-
10		**2009**	2	0	0	**2,25,000.00**
11		**2010**	4	0	0	**25,00,000.00**
12		**2011**	0	0	0	-
13		**2012**	1	0	0	**9,00,000.00**
14		**2013**	2	0	0	**38,70,000.00**
15		**2014**	0	0	0	-
16		**2015**	0	0	0	**3,05,700.00**
17		**2016**	1	0	0	**21,09,500.00**
18		**2017**	1	0	0	**31,88,300.00**
19		**2018**	0	0	0	**9,17,100.00**
20		**2019**	2	0	0	**6,46,600.00**
21		**2020**	4	0	0	**16,03,800.00**
22		**2021**	7	0	0	**1,77,78,700.00**
23		**2022**	0	0	0	-
24		**2023**	1	0	0	**14,66,000.00**
25		**2024**	2	0	0	**8,90,000.00**
26		**2025**	1	0	0	**4,00,000.00**
Total			**29**	**0**	**0**	**3,69,18,200.00**

1- TEHSIL - DHARI

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS / House damage(N0)	ECONOMICS LOSS/ Refief distributed (RS.)	OTHER HAZARDS
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2003	धैना	संख्या– 01, (मृतक–02)	-	-	-	-	मकान पूर्ण–01	110000.0	
2004	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2009	ढोलीगॉव	संख्या– 01, (मृतक–01)					मकान पूर्ण–01	125000.0	
2010	अक्सोडा	संख्या– 01, (मृतक–02)					मकान पूर्ण–01	550000.0	
2011	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2013	कचिलाकोट	संख्या– 01, (मृतक–01)					मकान पूर्ण–01	600000.0	
2014	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-

2018	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2021	थलाड़ी चौखुटा	संख्या– 02, (मृतक–11)					मकान पूर्ण–06	5011400.0	
2022	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
कुल योग		6					10	**6396400.0**	

2- TEHSIL - KHANSHYU

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS / House damage(N0)	ECONOMICS LOSS/ Refief Distributed (RS.)	OTHER HAZARDS
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2009	पोखरी चैक	संख्या– 01,						100000.0	

	सैडूला	(मृतक–01)							
2010	डालकन्या रमैला गॉव	संख्या– 01, (मृतक–01) संख्या–01 (मृतक– 04)					मकान पूर्ण–01	1175000.0	
2011	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2013	ल्वाडडोबा	संख्या– 01, मृतक–06					मकान पूर्ण–01	3200000.0	
2014	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2016	ओखलकाण्डा				संख्या–02, मृतक–02			800000.0	
2017	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
कुल योग		4			2		2	**5275000.0**	

3- TEHSIL - RAMNAGAR

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	RAMNAGAR	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2001		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2002		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2003		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2004		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2005		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2006		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2007		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2008		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2009		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2010		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2011		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2012		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2013		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2014		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2015		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2016		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2017		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2018		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2019		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL

2020		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2021		NIL	NIL	NIL	NIL	ABOUT 4.00 HEC. DUE to FLASH FLOOD	NIL	0.0	NIL
2022		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2023		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2024		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2025		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
कुल योग								**0.0**	

4- TEHSIL - LALKUAN

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	–	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2001		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2002		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2003		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2004		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2005		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2006		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2007		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2008		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2009		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2010		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2011		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL

2012		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2013		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2014		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2015		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2016		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2017		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2018		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2019		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2020		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2021		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2022		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2023		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2024		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2025		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
कुल योग									

5- TEHSIL - KALADHUNGI

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	–	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2001		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2002		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2003		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2004		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL

2005		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2006		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2007		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2008		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2009		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2010		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2011		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2012		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2013		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2014		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2015		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2016		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2017		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2018		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2019		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2020		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2021		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2022		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2023		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2024		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2025		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
कुल योग									

6- TEHSIL - HALDWANI

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	–	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2001		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2002		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2003		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2004		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2005		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2006		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2007		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2008		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2009		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2010		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2011		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2012		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2013		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2014		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2015		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2016		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2017		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2018		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2019		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL

2020		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2021		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2022		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2023		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2024		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
2025		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0.0	NIL
कुल योग									

7- TEHSIL - SRI KAINCHI DHAAM

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS/ House damage ((N0)	ECONOMICS LOSS /Relief Distributed(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2010	छड़ा छियोड़ी	संख्या –01 (मृतक–02)					मकान पूर्ण–02	670000.0	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-

2012	तल्ला निगलाट	संख्या –01 (मृतक–04)	-	-	-	-	-	900000.0	-	
2013	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2014	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2015	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2016	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2017	छड़ा	संख्या –01 (मृतक–05)	-	-	-	-	-	2400000.0	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2020	लोहाली, नौणा, जोगीमाण्डे	संख्या –03 (मृतक–05)	-	-	-	-	-	1400000.0	-	
2021	तल्ला निगलाट सिरोड़ी, चोपड़ा, लोहाली	संख्या –04 (मृतक–05)	-	-	-	-	मकान पूर्ण–01	2150000.0	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
2025	डोलकोट	संख्या –01(मृतक–01)	-	-	-	-	-	400000.0	-	
कुल योग		11					3	**7920000.0**		

8- TEHSIL - NAINITAL

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS/ House damage (N0)	ECONOMICS LOSS/Relief Distributed(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	NAINITAL	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2001		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2002		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2003		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2004		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2005		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2006		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2007		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2008		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2009		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2010		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2011		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2012		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2013		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2014		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2015		-	-	-	-	-	-	0.00	-
2016		संख्या 1 – (मृतकों की संख्या–1)	-	-	-	-	मकान पूर्ण–02 मकान तीक्षण–02	1003800.00	-
2017		-	-	-	-	-	मकान तीक्षण–07	686400.00	-
2018		-	-	-	-	-	मकान तीक्षण–03	305700.00	-

2019		संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 01)	-	-	-	-	मकान तीक्षण–01	544700.00	-
2020		-	-	-	-	-	मकान तीक्षण–01	101900.00	-
2021		संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 8)	-	-	-	-	मकान तीक्षण–54	10617300.00	-
2022			-	-	-	-		0.00	-
2023		संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 2)	-	-	-	-	मकान तीक्षण–05	1466000.00	-
2024		संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 2)	-	-	-	-	मकान तीक्षण–03	790000.00	-
2025		-	-	-	-	-	-	0.00	-
कुल योग		5					78	**15515800.0**	

9- TEHSIL - BETALGHAT

S.NO YEAR WISE	VILLAGE AFFECTED	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS /House damage (N0)	ECONOMICS LOSS/Relief Distributed (RS.)	OTHER HAZARDS
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2002	तोराड़	-	-	-	-	-	1	7500.00	
2003	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-

2006	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2010	ओडाडाडर, पटोडी, तोराड	-	-	-	-	-	3	105000.00	
2011	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2013	चापड़, बिनकोट	-	-	-	-	-	2	70000.00	-
2014	-	-	-	-	-	-		0.00	-
2015	सूखा, च्यूनी, टग्यूड़ा छोटा	-	-	-	-	-	3	305700.00	-
2016	टग्यूड़ा बड़ा, चड्यूला, खैराली	-	-	-	-	-	3	305700.00	-
2017	तल्लीपाली	-	-	-	-	-	1	101900.00	-
2018	मल्लीपाली, अमेल, घिरौली, तल्लागॉव, अमेल, तल्लागॉव	-	-	-	-	-	6	611400.00	-
2019	रोपा	संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 1)					1	101900.00	-
2020	तल्लागॉव, तल्लीसेठी	संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 1)					1	101900.00	-

2021	तल्लागॉव	-	-	-	-	-	0	0.00	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2024	बूंगा, हल्द्यानी	संख्या 1 – (मृतकों की संख्या– 1)					1	100000.00	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
कुल योग		3					21	**1811000.0**	
तहसीलो का महायोग		**29**					114	3,69,18,200.00	

Forest Fire Loss data

S.NO YEAR WISE	Forest Division	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	FOREST FIRE Affected Area (Hect)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	**तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी**	-	-	-			-	-	-	-
2001		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002		-	-	-	1	2.00	-	-	-	-
2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006		-	-	-	8	23.15	-	-	-	-
2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009		-	-	-	1	1.50	-	-	-	-
2010		-	-	-	1	3.00	-	-	-	-
2011		-	-	-	1	1.50	-	-	-	-
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	5	5.85	-	-	-	-
2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016		-	-	-	4	12.00	-	-	-	-
2017		-	-	-	8	10.00	-	-	-	-
2018		-	-	-	5	6.75	-	-	-	-
2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020		-	-	-	14	17.40	-	-	-	-
2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022		-	-	-	11	8.95	-	-	-	-
2023		-	-	-	3	2.35	-	-	-	-
2024		-	-	-	23	45.81	-	-	-	-
2025		-	-	-	1	0.55	-	-	-	-
कुल योग					**86**	**140.81**				

S.NO YEAR WISE	Forest Division	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	FOREST FIRE Affected Area (Hect)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	वन प्रभाग रामनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001		-	-	-	2	4.00	-	-	-	-
2002		-	-	-	4	15.00	-	-	-	-
2003		-	-	-	19	120.50	-	-	-	-
2004		-	-	-	4	6.00	-	-	-	-
2005		-	-	-	7	18.00	-	-	-	-
2006		-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
2007		-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
2008		-	-	-	5	10.00	-	-	-	-
2009		-	-	-	9	17.50	-	-	-	-
2010		-	-	-	6	9.25	-	-	-	-
2011		-	-	-	5	3.50	-	-	-	-
2012		-	-	-	5	3.55	-	-	-	-
2013		-	-	-	8	6.55	-	-	-	-
2014		-	-	-	3	2.13	-	-	-	-

2015		-	-	-	16	21.00	-	-	-	-
2016		-	-	-	39	34.55	-	-	-	-
2017		-	-	-	34	41.95	-	-	-	-
2018		-	-	-	6	5.45	-	-	-	-
2019		-	-	-	67	89.39	-	-	-	-
2020		-	-	-	3	1.60	-	-	-	-
2021		-	-	-	75	78.16	-	-	-	-
2022		-	-	-	30	55.56	-	-	-	-
2023		-	-	-	46	56.24	-	-	-	-
2024		-	-	-	41	54.26	-	-	-	-
2025		-	-	-	18	13.08	-	-	-	-
कुल योग					**454**	**669.22**				

S.NO YEAR WISE	Forest Division	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	FOREST FIRE Affected Area (Hect)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	तराई पश्चिमी रामनगर	-	-	-	0	0	-	-	0	-
2001		-	-	-	0	0.00	-	-	0	-
2002		-	-	-	1	11	-	-	1375	-

2003		-	-	-	2	6.1	-	-	762.5	-
2004		-	-	-	1	2	-	-	0	-
2005		-	-	-	15	34	-	-	4350	-
2006		-	-	-	0	0	-	-	0	-
2007		-	-	-	1	1	-	-	0	-
2008		-	-	-	5	13.75	-	-	0	-
2009		-	-	-	4	4.65	-	-	0	-
2010		-	-	-	1	1	-	-	0	-
2011		-	-	-	0	0	-	-	0	-
2012		-	-	-	5	4.65	-	-	724	-
2013		-	-	-	0	0	-	-	0	-
2014		-	-	-	0	0	-	-	0	-
2015		-	-	-	0	0	-	-	0	-
2016		-	-	-	7	8.61	-	-	0	-
2017		-	-	-	26	31.21	-	-	0	-
2018		-	-	-	5	7	-	-	0	-
2019		-	-	-	23	33.4	-	-	0	-
2020		-	-	-	0	0	-	-	0	-

2021		-	-	-	25	47.14	-	-	25850	-
2022		-	-	-	9	5.35	-	-	5550	-
2023		-	-	-	5	2.95	-	-	500	-
2024		-	-	-	6	5.75	-	-	2000	-
2025		-	-	-	1	0.45	-	-	0	-
कुल योग					**142**	**220.01**			41111.5	

S.NO YEAR WISE	Forest Division	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	FOREST FIRE Affected Area (Hect)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2001		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2002		-	-	-	5	-	-	-	-	-
2003		-	-	-	7	-	-	-	-	-
2004		-	-	-	5	-	-	-	-	-
2005		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2006		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2007		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2008		-	-	-	0	-	-	-	-	-

2009		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2010		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2015		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2016		-	-	-	23	-	-	-	-	-
2017		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2018		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2019		-	-	-	4	-	-	-	-	-
2020		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2021		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2022		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2023		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2024		-	-	-	8	-	-	-	-	-
2025		-	-	-	4	-	-	-	-	-
कुल योग					68					

S.NO YEAR WISE	Forest Division	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	FOREST FIRE Affected Area (Hect)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, नैनीताल	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2001		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2002		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2003		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2004		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2005		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2006		-	-	-	1	-	-	-	-	-
2007		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2008		-	-	-	2	-	-	-	-	-
2009		-	-	-	7	-	-	-	-	-
2010		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	8	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	5	-	-	-	-	-
2015		-	-	-	0	-	-	-	-	-
2016		-	-	-	35	-	-	-	-	-
2017		-	-	-	31	-	-	-	-	-
2018		-	-	-	5	-	-	-	-	-
2019		-	-	-	94	-	-	-	-	-
2020		-	-	-	2	-	-	-	-	-

2021		-	-	-	65	-	-	-	-	-
2022		-	-	-	13	-	-	-	-	-
2023		-	-	1	24	-	-	14.00 hect बह जाना	-	-
2024		-	-	3	9	-	-	1- 2.50 ha planted area and 2250 contour tranch. 2- 05RR dry check dam	1- 4.9 Lakh, 2- 1.38 Lakh,	-
2025		-	-	9	1	-	-	1-5466 contour trench. 2- 04 wire crate 3- 04RR Dry 4- Road 7KM 5- plantation 2.50. 6- 10 RR dry check dam , 7- 80-85 RCC pole, wire crate or 3-4 hect area. 8- 80-85 RCC pole, wire crate or 3-4 hect area	1- 1.44 Lakh, 2-1.926 Lakh, 3-0.74 Lakh, 4-5.00 Lakh, 5- 2.42 Lakh,	-
				13	309					
			महायोग	**13**	**1059**					

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी एवं नैनीताल वन प्रभाग द्वारा सूचना अप्राप्त है सूचना प्राप्त होने के उपरान्त सादर प्रेषित की जाएगी।

S.NO YEAR WISE	Forest Division	LANDSLIDE (N0)	CLOUD BURST (N0)	FLASH FLOOD (N0)	FOREST FIRE (N0)	FOREST FIRE Affected Area (Hect)	AGRICULTURE LAND (HECT)	INFRASTRUCTURE LOSS (N0)	ECONOMICS LOSS(RS.)	OTHER HAZARDS
2000	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	-	-	-		-	-	-	-	-
2001		-	-	-	1	3.50	-	-	440.00	-
2002		-	-	-		-	-	-	-	-
2003		-	-	-		-	-	-	-	-
2004		-	-	-		-	-	-	-	-
2005		-	-	-		-	-	-	-	-
2006		-	-	-		-	-	-	-	-
2007		-	-	-		-	-	-	-	-
2008		-	-	-	1	1.50	-	-	185.00	-
2009		-	-	-	3	2.75	-	-	345.00	-
2010		-	-	-		-	-	-	-	-
2011		-	-	-	1	0.50	-	-	65.00	-
2012		-	-	-	11	8.75	-	-	1095.00	-
2013		-	-	-	1	1.75	-	-	220.00	-

2014		-	-	-		-	-	-	-	-
2015		-	-	-		-	-	-	-	-
2016		-	-	-	10	11.55	-	-	11550.00	-
2017		-	-	-	1	0.48	-	-	480.00	-
2018		-	-	-	1	1.00	-	-	1000.00	-
2019		-	-	-	11	14.80	-	-	14800.00	-
2020		-	-	-		-	-	-	-	-
2021		-	-	-	3	1.45	-	-	1450.00	-
2022		-	-	-	3	4.95	-	-	8450.00	-
2023		-	-	-	12	12.15	-	-	13650.00	-
2024		-	-	-	26	27.80	-	-	27800.00	-
2025		-	-	-	2	1.68	-	-	1680.00	-
कुल योग					87	94.61				

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎️ दूरभाष :

05942-231179, 231178

📱 मोबाइल :

+91- 7819979449

✉️ ई-मेल :

deocnainital@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
जनपद नैनीताल, उत्तराखंड ।